द्वादश माला, खंड 6, अंक 7

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998
17 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

12th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998/17 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
मंत्रियों का परिचय.....	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121, 123 और 125 से 127	1–49
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 122, 124 और 128 से 140	49–130
अतारांकित प्रश्न संख्या 1372 से 1601	130–595
सभा पटल पर रखे गए पत्र.....	595–601
लोक लेखा समिति	
पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	601
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	602
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	
पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	602
मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी समिति	
इकहत्तरवां से छिहत्तरवां प्रतिवेदन - *सभा पटल पर रखे गए*	602–603
विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित.....	603
केरल उच्च न्यायालय द्वारा रसोई गैस कनैक्शन के कोटे पर लगाई गई रोक के बारे में.....	603–604
नियम 377 के अधीन मामले.....	649–655
(एक) ''कपड़वंज-नाडियाद'' रेलगाड़ी को गुजरात में आनन्द तक बढ़ाए जाने तथा उसमें और अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री जयसिंहजी चौहान	649
(दो) गुजरात में अहमदाबाद विमानपत्तन का दर्जा शीघ्र बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	650

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	जम्मू और कश्मीर में वगलियार और सबलाकोट स्थित विद्युत परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चमन लाल गुप्त	650
(चार)	केरल में समुद्री कटाव-रोधी निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	651
(पांच)	गुजरात में रसोई गैस के लिए प्रतीक्षा सूची को निपटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.जे. राठवा	651–652
(छह)	पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	652
(सात)	पश्चिम बंगाल में आसनसोल और रामपुरहाट के बीच, बरास्ता आंदल-सैंथिया-सूरी, एक तीव्र गति वाली पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
	डा. रामचन्द्र डोम	652–653
(आठ)	ईस्ट कोस्ट जोनल रेलवे यूजर्स कन्सल्टेटिव कमेटी, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा, का शीघ्र गठन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी	653
(नौ)	पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	653–654
(दस)	पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए कुड्डालोर, तमिलनाडु में चर्मशोधनशाला और कागज मिलों की स्थापना करने हेतु लिए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.टी. षणमुगम	654–655
कपास ओटाई और दवाई कारखाना (निरसन) विधेयक		655–661
विचार करने के लिए प्रस्ताव		660
	डा. सरोजा वी.	655–657
	श्री मोहन सिंह	657–658
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	658
	श्री काशीराम राणा	658–660

विषय		कालम
खंड 2 और 1		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		660–661
नियम 193 के अधीन चर्चा		661
(एक)	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	
	श्री एच.डी देवगौड़ा	661–675
	सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	676–703
(दो)	देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार	
	श्री आरिफ मोहम्मद खां	704–720
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव		704

लोक सभा

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998/17 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मंत्रियों का परिचय

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपको और आपके माध्यम से सदन को अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों से परिचित कराना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह	—	विदेश मंत्री
श्री जगमोहन	—	संचार मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	—	सूचना और प्रसारण मंत्री

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों द्वारा मामलों का निपटान

*121. **श्री रवि सीताराम नायक :**
श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय उपभोक्ता अदालतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस समय राष्ट्रीय आयोग और विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में दायर किए गए/उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) किसी मामले के निपटान में आयोग/अदालतों द्वारा औसतन कितना समय लिया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयोग/अदालतों द्वारा लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए इनके द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उपभोक्ता शिकायतों के प्रतितोष के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग के अलावा, देश में 32 राज्य आयोग और 543 जिला मंच स्थापित किए गए हैं। राज्य आयोगों और जिला मंचों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ख) सरकार के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य आयोगों तथा जिला मचों में आरंभकाल से दायर किए गए, निपटाए गए तथा अनिर्णीत मामलों का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

1.11.1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयोग में उसके आरंभकाल से 14,666 मामले दायर किए गए हैं, जिनमें से 8,667 मामले निपटाए गए और 5,999 मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) मामलों के स्वरूप की विविधता तथा राज्य आयोगों और जिला मंचों में काम की मात्रा को देखते हुए किसी एक मामले के निपटान के लिए लगने वाले औसत समय के बारे में कोई भी ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में मामलों के निपटान पर लगने वाला औसत समय लगभग 2 महीने से लेकर एक वर्ष तक होगा।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनमें मामले को निपटाने में लगने वाले समय में कमी लाने और अधिनियम को अधिक प्रभावी तथा प्रयोजनमूलक बनाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

अनुबंध-I

देश में स्थापित राज्य आयोगों और जिला मंचों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग	जिला मंच
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	25
अरूणाचल प्रदेश	1	13
असम	1	23
बिहार	1	55
गोवा	1	2
गुजरात	1	20
हरियाणा	1	17
हिमाचल प्रदेश	1	12
जम्मू व कश्मीर	1	2
कर्नाटक	1	21
केरल	1	14
मध्य प्रदेश	1	45
महाराष्ट्र	1	34
मणिपुर	1	8
मेघालय	1	7
मिजोरम	1	3
नागालैण्ड	1	8
उड़ीसा	1	31
पंजाब	1	17
राजस्थान	1	33
सिक्किम	1	4
तमिलनाडु	1	24
त्रिपुरा	1	3
उत्तर प्रदेश	1	87
पश्चिम बंगाल	1	19
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	2
चंडीगढ़	1	2
दादरा व नगर हवेली	1	1
दमण व दीव	1	2
दिल्ली	1	7
लक्षद्वीप	1	1
पाण्डिचेरी	1	1
	32	543

अनुबंध-II

राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में (1.11.98 की स्थिति के अनुसार) दायर/निर्णीत/ अनिर्णीत मामलों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग		
	आरंभकाल से दायर मामले	आरंभकाल से निर्णीत मामले	अनिर्णीत मामले
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8502	6735	1767
अरूणाचल प्रदेश	18	13	5
असम	1037	348	689
बिहार	4458	1874	2584
गोवा	875	624	251
गुजरात	6558	4320	2238
हरियाणा	6776	4802	1974
हिमाचल प्रदेश	1824	1712	112
जम्मू व कश्मीर	3146	2296	850
कर्नाटक	6192	4127	2065
केरल	10686	10149	537
मध्य प्रदेश	5817	3312	2505
महाराष्ट्र	12303	7812	4491
मणिपुर	78	33	45

1	2	3	4
मेघालय	64	42	22
मिजोरम	9	4	5
नागालैण्ड	4	4	0
उड़ीसा	5459	2824	2635
पंजाब	3534	1961	1573
राजस्थान	15363	4995	10368
सिक्किम	12	12	0
तमिलनाडु	9545	7705	1840
त्रिपुरा	192	135	57
उत्तर प्रदेश	19674	4354	15320
पश्चिम बंगाल	4287	3772	515
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	14	11	3
चंडीगढ़ प्रशासन	1661	1507	154
दादरा व नगर हवेली	0	0	0
दमण व दीव	1	0	1
दिल्ली	7994	5564	2430
लक्षद्वीप	7	7	0
पाण्डिचेरी	439	399	40
योग	136529	81453	55076

राज्य आयोगों और जिला मंचों में दायर/निर्णीत/अनिर्णीत मामलों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला मंच		
	आरंभकाल से दायर मामले	आरंभकाल से निर्णीत मामले	अनिर्णीत मामले
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	96510	80265	16245
अरूण॥चल प्रदेश	159	136	23
असम	6107	5210	897
बिहार	36078	23330	12748
गोवा	2823	2363	460
गुजरात	52486	36431	16055
हरियाणा	58842	44259	14583
हिमाचल प्रदेश	10815	9295	1520
जम्मू व कश्मीर	9684	7805	1879
कर्नाटक	52055	41180	10875
केरल	90287	84552	5735
मध्य प्रदेश	50844	40281	10563
महाराष्ट्र	77153	59790	17363
मणिपुर	671	647	24
मेघालय	193	152	41
मिजोरम	226	195	31

1	2	3	4
नागालैण्ड	74	71	3
उड़ीसा	25728	22042	3686
पंजाब	23102	20612	2490
राजस्थान	103435	89489	13946
सिक्किम	80	75	5
तमिलनाडु	44920	38815	6105
त्रिपुरा	792	641	151
उत्तर प्रदेश	189353	134673	54680
पश्चिम बंगाल	42652	37745	4907
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	148	140	8
चंडीगढ़ प्रशासन	12950	10079	2871
दादरा व नगर हवेली	28	23	5
दमण व दीव	61	30	31
दिल्ली	51194	37512	13682
लक्षद्वीप	31	30	1
पाण्डिचेरी	1451	1371	80
योग	1040932	829239	211693

श्री रवि सीताराम नायक : महोदय, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों की कुल संख्या 14,666 है। इनमें से 8,667 का निपटारा किया जा चुका है और 5,999 लम्बित पड़े हैं। राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत मामलों की संख्या 10,40,932 है जिसमें से 8,29,239 का निपटारा किया जा चुका है और 2,11,693 मामले लम्बित पड़े हैं। क्या सरकार प्रक्रिया को सरल करने और इसके जल्द निपटान की इच्छुक है, ऐसा हो तो फिर क्यों इन मामलों के जल्द निपटान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित करके निपटान की अवधि नियत की जाए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हम प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि मामलों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सके। यह अभी विचाराधीन है।

श्री रवि सीताराम नायक : चूंकि सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत होती है इस कारण लिखित आवेदनों और मौखिक साक्ष्य को नहीं लिया जाता है। इसीलिए मामलों के निपटान की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : लिखित आवेदन और मौखिक साक्ष्य भी लिए जाते हैं। कुछ मामलों में वकील भी मौजूद होते हैं और जिरह करते हैं। इसी कारण कभी-कभी समय ज्यादा लग जाता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से लगातार महंगाई के संदर्भ में इस सदन में चर्चा हो रही है और इस चर्चा के दौरान कई सुझाव यहां सदस्यों ने दिए। एक सुझाव यह भी था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को सख्त करना चाहिए और सख्ती के साथ-साथ जो इस संदर्भ में मुकदमें चलाए जाते हैं, उनके निपटान में काफी समय लगता है। जो विवरण यहां मंत्री जी ने दिया है, हमारे देश की आबादी 90 करोड़ से ज्यादा है और शुरूआत से आज तक जो मामले दर्ज किये गये, वे लगभग सिर्फ 10 लाख हैं यानी 90 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 लाख मुकदमें दर्ज किये गए हैं। इसका मतलब यह साफ है कि जो मुकदमों की सुनवाई होती है या फैसले होते हैं, उनमें काफी समय लगता है। ज्यादा समय लगने की वजह से उपभोक्ता अदालत में जाना नहीं चाहते। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं। इसमें काफी समय लगता है। समय को कम करने के लिए जो विवरण दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कानून सख्त कर रहे हैं और समय कम करने के लिए प्रस्ताव भी आ रहा है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं या मिलावट कर रहे हैं, ऐसे गुनहगारों को अदालत से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। ऐसे केसेज में समय काफी लगता है और फैसले तुरन्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई में जो समय लगता है, उसकी अवधि निर्धारित करने का कोई निश्चय या विचार सरकार कर रही है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मुख्य सवाल कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन से संबंधित है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके लिए अलग कानून बना हुआ है और इस कानून को सख्त करने का मैंने पहले ही आश्वासन दिया था कि कानून को सख्त करने की कोशिश हो रही है। जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, वे इस कानून के नीचे नहीं आते। इसमें साधारण कम्पैन्सेशन की बात आती है और जो मामले उठाए जाते हैं, उनका फैसला किया जाता है। इस कानून के नीचे समरी कोर्ट्स हैं, समरी प्रोसीजर हैं, इसलिए कोशिश यही होती है कि जल्दी फैसला हो जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, पश्चिम बंगाल में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की सदस्य के रूप में मैं जानती हूं कि न्यायाधीशों की कमी देरी के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों को दिए जाने के संबंध में सरकार का क्या विचार है जिससे कि मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सके।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : न्यायाधीश या इस मामले में कोई और विशेष वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए। महोदय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और यदि माननीय सदस्या इस बात पर जोर देती हैं तो मैं वहां मुख्य मंत्री से न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध करूंगा जहां अभी तक न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : महोदय, राज्य आयोग, जिला आयोग के गठन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना होता है। परन्तु हमने अनुभव किया है कि मामले कई वर्षों तक लम्बित रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या ऐसे मामलो के निपटान के लिए कुछ समय सीमा निश्चित की जाती है।

दूसरी बात, मैं जानना चाहूंगा गोवा के कितने मामले - यह मंत्री महोदय ने नहीं बताया है - राष्ट्रीय आयोग के पास लम्बित हैं और कब से हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : सामान्यत: प्रतिवादी को उसकी सूचना के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है। ऐसे मामलों में जिनमें कुछ तकनीकी समस्याएं हों और उसके लिए कुछ कार्य किया जाना हो तो 150 दिनों का समय दिया जाता है। आमतौर पर मामले को इसी अवधि के दौरान निपटाया जाना होता है परन्तु कभी-कभी कई कारणों के चलते ज्यादा समय लग जाता है। कभी गवाह नहीं आते हैं, कभी-कभी काफी लम्बे समय तक प्रतिवादी ही नहीं आते हैं; कभी-कभी जैसाकि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा था, न्यायाधीशों की कमी है और कभी-कभी 'कोरम' पूरा नहीं होता है। यही कारण है जिसके कारण विलम्ब होता है। अन्यथा यथाशीघ्र मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाता है।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आयोग में गोवा के कितने मामले लम्बित हैं? मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। आपने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : लेकिन उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट इसलिए बना था ताकि उपभोक्ताओं को समय से न्याय मिल सके और उसके लिए 90 दिन की समयावधि निर्धारित की गई थी। हम देखते हैं कि 90 दिन की बात तो दूर, जिस प्रकार सामान्य अदालतों की स्थिति है, वही स्थिति इस अदालत की भी हो रही है। ऐसा होने के पीछे एक प्रमुख कारण अधिवक्ताओं का इसमें प्रवेश है। केसेज़ के डिस्पोज़ल में विलम्ब होने में बहुत बड़ा कारण कंज्यूमर्स फोरम में प्रवेश है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस तरह का कोई नियम बनाने की चेष्टा करेंगे ताकि अधिवक्ताओं का इनमें प्रवेश वर्जित हो और उपभोक्ता स्वयं अपने केस का, जैसे पहले इस एक्ट की मंशा थी, निर्धारण और डिस्पोज़ल जल्दी से करा सकें?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की कोशिश हो रही है ताकि केसेज़ का जल्दी डिस्पोज़ल हो जाए। उसका मकसद यही है कि केसेज़ का जल्दी डिस्पोज़ल हो जाए। हमने जो प्रपोज़ल दिए हैं उन्हें लॉ डिपार्टमेंट एग्ज़ामिन कर रहा है और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद हम कोशिश करेंगे कि यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में यह दर्शाया गया कि तमिलनाडु में 24 उपभोक्ता अदालतें हैं। इस समय तमिलनाडु में लगभग 33 जिले हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रत्येक जिले के लिए उपभोक्ता अदालतों को स्थापित करने का है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा क्या सरकार का तमिलनाडु में और उपभोक्ता अदालतों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, जिला 'फोरम' का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वे प्रत्येक जिले में एक जिला फोरम गठित करने के लिए अधिकृत हैं और यदि आवश्यक हुआ तो एक से अधिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार वे अतिरिक्त फोरम का भी गठन कर सकते हैं। परन्तु तमिलनाडु में अभी तक मात्र 24 जिला फोरम गठित किए गए हैं। राज्य सरकार इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सक्षम है। हमारे पास प्रत्येक जिले में एक फोरम के गठन के लिए उनसे कहने या उन्हें बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, यह केन्द्र सरकार का अधिनियम है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने उपभोक्ता अदालतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता 'फोरम' में कौन-कौन से मद आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मरीज इलाज करने वाले डाक्टर पर मुकदमा करना चाहे, तो क्या ऐसा मामला फोरम के अन्तर्गत आएगा? इसी प्रकार एक ठेकेदार द्वारा खोदी गई सिंचाई नहर के सम्बन्ध में क्या लोग उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं? इसीलिए मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इन अदालतों के विशेष क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी या इन अदालतों में हर प्रकार के मामलों को निपटाया जा सकेगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, यह उपबन्ध किया गया है कि यह अधिनियम वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी लागू होता है जब तक कि खरीददारी वाणिज्यिक या पुन: बेचने के लिए न की गई हो। यह सभी क्षेत्रों चाहे वो निजी, सार्वजनिक या सहकारी हो, सभी पर लागू होता है। अधिनियम के उपबन्धों की प्रकृति क्षतिपूरक है। यह उपबन्ध वर्तमान विधियों के प्रावधानों

के अतिरिक्त है और वर्तमान विधियों के किन्हीं उपबंधों की शक्ति कम करने वाले नहीं हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, वक्तव्य अस्पष्ट है। यह विशिष्ट नहीं है कृपया इस बात पर ध्यान दें।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, यह वस्तुओं और सेवाओं के सभी मामलों पर लागू होता है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र कह रहे थे यह डाक्टर, इंजीनियर और ठेकेदारों पर भी लागू होता है। यह सारी सेवाएं हैं और इसीलिए यह इन सभी पर लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 55,076 केसेज़ स्टेट स्तर के और 2,11,593 केसेज़ जिलों के पैंडिंग पड़े हैं, उनमें अधिक से अधिक कितने समय के कितने केसेज़ पड़े हैं? क्या यह सही है कि इसके लिए जो निर्धारित पीरियड मुकर्रर किया हुआ है उस निर्धारित पीरियड में केसेज़ का डिस्पोज़ल नहीं हो पाता?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह सही है कि कुछ केसेज़ का समय पर फैसला हो पाता है और कुछ केसेज़ लटक जाते हैं, जैसे कि आम कोर्टों में भी होता है। आम कोर्टों में तो इससे भी ज्यादा केसेज़ पड़े होते हैं। जैसा मैंने अपने जवाब में बताया कि स्टेट कमीशन के सामने एक लाख 36 हजार केसेज आए हैं, उनमें से 81 हजार 453 केसेज का फैसला हो गया है और 55 हजार केसेज बाकी हैं। ये केसेज कब आए और कब से पैडिंग हैं, यह सारी सूचना हमारे पास नहीं है और वह आती भी नहीं है। कोशिश यही होती है कि उन पर जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फैसलों की गिनती बहुत अच्छी है। वहां करीब 70 परसैंट फैसले समय पर हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि वहां अच्छा काम हो रहा है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है जिनमें मामलों के निपटान में लगने वाले समय में कमी लाने और अधिनियम को अधिक प्रभावी तथा प्रयोजनमूलक बनाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं। ये सभी कठिनाइयां चाहे आयोग की स्टेट लैवल पर हों या डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हो, वहां लगने वाले ज्यादा समय को कम करने के लिए जो विधेयक आने वाला है, क्या आप उसे इसी सत्र में लाना चाहते हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि कि प्रपोजल्स पर लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन आने के बाद आगे काम हो सकेगा। मैं वे प्रपोजल्स मोटे-मोटे बता देना चाहता हूं।

जिला फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों की चयन प्रक्रिया को सरल बनाना - जैसा श्रीमती गीता मुखर्जी बता रही थीं वहां जजेज़ नियुक्त नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्षों और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति करने का उपबन्ध, अन्तरिम आदेशों का उपबंध और नये सिरे से कार्यवाही को नहीं करने का उपबन्ध नये सिरे से शुरू कर दिया है, एक जज चला जाता था और दूसरा जज केसेज को नए सिरे से शुरू करता था, उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है।

राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोगों में खण्डपीठ की स्थापना का उपबन्ध, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपभोक्ता फोरम के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्षता किए जाने का उपबंध—अगर प्रेजीडैंट होगा तो अदालत चलेगी, अगर वह नहीं होगा तो अदालत नहीं चलेगी, कभी प्रेजीडैंट को इधर-उधर जाना पड़ता है और छुट्टी भी लेनी पड़ती है, इससे अदालत बैठ नहीं पाती थी; एक प्रपोजल यह है कि कोई सीनियरमोस्ट जज या मैम्बर उसे प्रीजाइड कर सके।

यथावश्यक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता में परिवर्द्धन करने के लिए उपबंधों का विस्तार करना - कई जगह सिविल प्रोसीजर कोड एप्लाई करने के बाद नोटिस और जवाब लम्बा हो जाता था इसलिए हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

शिकायत प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करना - शिकायत के बाद बहुत दिन लगते थे। इसलिए यह प्रपोज किया गया है कि 21 दिन के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कम से कम समय लगे।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की गतिविधियों के संबंध में श्वेत-पत्र

***123. डा. सुगुण कुमारी चलामेला :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तानी इंटर-सर्विस इंटेलिजैन्स की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान छेड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार श्वेत-पत्र को कब तक सभा पटल पर रखने का है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में सीमा पार से आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने और उनके प्रयासों को निष्फल करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अन्य बातों के साथ सम्मिलित हैं:- बाड़ लगाकर, तेज रोशनी की व्यवस्था करके, गश्त इत्यादि दोनों ओर से घुसपैठ रोकने जैसे उपायों के द्वारा सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना। सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और आसूचना एजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। सुसमन्वित और उग्रवाद विरोधी अभियान सतत चलाए जाते हैं।

आसूचना का आदान-प्रदान करने और आई.एस.आई. की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाने हेतु राज्य सरकारों और सुरक्षा बलों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें की जाती हैं। आवश्यकता के अनुसार संयुक्त अभियान भी चलाए जाते हैं।

इसके अलावा, शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता गहन कर दी गयी है और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों को सुग्राही बनाया गया है।

(ग) और (घ) आई.एस.आई. की गतिविधियों पर जल्दी ही एक श्वेत-पत्र संसद में रखे जाने का प्रस्ताव है।

डा. सुगुण कुमारी चलामेला : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या आई.एस.आई. के एजेन्ट भारत में अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों को चलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश को अपने आधार शिविर के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं और यदि हां तो पिछले छह महीनों के दौरान हैदराबाद में कितने एजेण्टों को पकड़ा गया।

क्या यह सत्य है कि सऊदी विद्रोही ओसामा बिन लादेन कोयम्बटूर बम विस्फोट के सिलसिले में हैदराबाद आया था जिसमें फरवरी, 1998 में लगभग 60 लोग मारे गए थे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुछ समाचार-पत्रों में हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। परन्तु सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

डा. सुगुण कुमारी चलामेला : क्या माननीय गृह मंत्री बताएंगे कि बम विस्फोट, जिसमें माननीय गृह मंत्री बाल-बाल बच गए थे, के सम्बन्ध में आई.एस.आई. से सम्बन्धित आतंकवादियों के विरुद्ध दर्ज किए मामले में क्या प्रगति हुई है?

अध्यक्ष महोदय : मामला अब कहां तक पहुंचा है, माननीय सदस्य यह जानना चाहती हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आरोप-पत्र दायर किया गया है और राज्य सरकार मुकदमा चला रही है। अधिकांश अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है जोकि इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं और जो इस षडयंत्र में सम्मिलित हैं और जिस षड्यंत्र में कई निर्दोष लोगों की जानें गई थी। उन पर मुकदमा चल रहा है।

श्री चाडा सुरेश रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का विचार कश्मीर में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए कश्मीर घाटी में और अधिक सेना तैनात करने और दिन और रात में प्रभावी निगरानी के लिए उपयुक्त उपकरणों की आपूर्ति करने का है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सेना और अर्ध-सैनिक बलों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है। सरकार द्वारा इस छद्म युद्ध का मुकाबला पूरी गम्भीरता से किया जा रहा है और सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक आई.एस.आई. की गतिविधियों का सम्बन्ध है सरकार ने इस बात के लिए विशेष प्रयास किए हैं कि आसूचना को इकट्ठा और संदेशों को बीच में ही प्रभावी ढंग से पकड़ा जाये जिससे कि इन एजेण्टों के आक्रमण करने के पहले ही हम उन्हें पकड़ लें। इस वर्ष ऐसी कई योजनाओं का पता लगाकर उसे असफल कर दिया गया।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, आई.एस.आई. गतिविधियों को चलाने वाले प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है परन्तु गिरफ्तार किए गए लोगों से समुचित ढंग से पूछताछ नहीं की गई है। श्री बाछा नाम के एक व्यक्ति को साढ़े पांच महीने पहले गिरफ्तार किया गया था परन्तु उससे 15 दिन पहले ही पूछताछ की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देती है कि राज्य सरकार समुचित ढंग से पूछताछ कर रही है, वास्तविकता का पता लगाने के लिए वे गहराई से छान-बीन कर रही है या नहीं। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि सी.बी.आई. की लापरवाही के कारण चेन्नई स्थित आर.एस.एस. मुख्यालय में हुए बम-विस्फोट में संलिप्त लोग जमानत पर छूट रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने वाली है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक चेन्नई में हुए विस्फोट का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी गम्भीरता से आगे बढ़ रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी केन्द्र को है। यह मामला न्यायाधीन है और मुझे विश्वास है कि कानून अपना कार्य करेगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं क्या सरकार केरल के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लगातार दिए जा रहे वक्तव्यों से अवगत है कि केरल के कई भागों में पाकिस्तान की आई.एस.आई. अत्यधिक सक्रिय है और आई.एस.आई. केरल को कतिपय संगठनों का वित्तपोषण कर रही है? यदि हां तो केरल राज्य में आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आरम्भ में आई.एस.आई. की गतिविधियां देश के उत्तर-पश्चिम में आरम्भ हुई थी परन्तु पंजाब में उनके इरादे नाकामयाब होने के बाद वे उन्होंने अपना ध्यान अन्य स्थानों पर केन्द्रित कर दिया है - उन्होंने अपना ध्यान उत्तर-पूर्व और दक्षिण की ओर केन्द्रित किया है और धीरे-धीरे वे देश के विभिन्न हिस्सों में अपने जाल को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में हम अवगत हैं कि केरल में भी उनके एजेण्ट इतने अधिक सक्रिय हैं कि तमिलनाडु में अल-उम्मा का पनपना पड़ोसी राज्य से मिलने वाली सहायता के बिना सम्भव नहीं हो पाता। केन्द्र सरकार इन सभी तत्वों की गतिविधियों पर गम्भीरता से निगरानी रख रही है और हमारा विचार हमारे आकलन के पूर्ण विश्लेषण के साथ संसद के समक्ष उपस्थित होने का है और संसद के समक्ष जो भी सूचना रखी जा सकती है उसे हम श्वेत-पत्र के रूप में रखना चाहेंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या केरल के मुख्यमंत्री इस मामले से अवगत हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर श्वेत-पत्र जारी करेगी।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : वो बात ठीक है। परन्तु मैं इसकी सूचना माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री सुदीप बंधोपाध्याय।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : महोदय, देश के विभिन्न भागों में सीमा पार से आई.एस.आई. द्वारा उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मैं जानना चाहूंगा वो कौन से सीमा क्षेत्र हैं जहां से इन गतिविधियों को संचालित किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या आई.एस.आई. के एजेन्ट भारत-बंग्लादेश सीमा पर उत्तर-पूर्व सहित पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर कार्य कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसाकि मैं एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं सबसे पहले आई.एस.आई. की गतिविधियां देश के उत्तर-पश्चिम विशेषकर पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आरम्भ हुई थी परन्तु बाद में उसने अन्य स्थानों पर भी अपनी गतिविधियों को अन्य स्थानों और उत्तर-पूर्व और बंग्लादेश सीमा से लगी पूर्वी सीमा में भी फैलाने का प्रयास किया। वे बंगलादेश और नेपाल को अपनी गतिविधियों का अड्डा बनाकर घुसपैठियों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं।

बंगलादेश में सरकार के बदलने से भारत सरकार के लिए बंगलादेश की सरकार के साथ तारतम्यता स्थापित करना संभव हुआ है और इन गतिविधियों को रोकना संभव हो पाएगा। परिस्थिति अभी भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। परन्तु जहां तक राजनयिक प्रयासों की बात है, बंगलादेश और नेपाल के साथ यह प्रयास जारी रहेंगे। उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत को प्रभावित करने वाली इन गतिविधियों के सम्बन्ध में हम सतर्क हैं।

श्री आर. मुथैया : महोदय, माननीय मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में अल-उम्मा की गतिविधियां सरकार की गहन चिन्ता का कारण है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में अल-उम्मा की गतिविधियों पर, विशेषरूप से इस बात को ध्यान में रखकर कि इस संगठन की सांठ-गांठ आई.एस.आई. से है, प्रतिबन्ध लगाने का है।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि राज्य सरकार और अल-उम्मा के बीच नजदीकी रिश्ता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : राज्य सरकार ने अल-उम्मा पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया है।

श्री आर. मुथैया : केन्द्र सरकार ने क्या किया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि हमें इसे पूरे देश में प्रतिबन्धित करना चाहिए। परन्तु इस बात पर विचार किया जाना है। क्योंकि अभी तक अल-उम्मा की गतिविधियां मुख्यत: तमिलनाडु में ही सीमित हैं। पूरे देश में इस पर प्रतिबन्ध लगाना लाभदायक रहेगा या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्र सरकार उचित समय पर विचार करेगी।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, आज 'दि हिन्दू' में रिपोर्ट आई है कि सरकार के शासन में सहयोगी पार्टियों से एक पार्टी के कुछ सदस्य नये सिरे से एल.टी.टी.ई. के पक्ष में अपनी भावनाओं को जोरदार ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि एल.टी.टी.ई. उग्रवादी और आतंकवादी संगठन है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आई.एस.आई. की गतिविधियों से सम्बन्धित है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों का यह भी हिस्सा है और मैं समझता हूं यह प्रासंगिक प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रासंगिक प्रश्न नहीं होगा तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : ठीक है, महोदय। अब मुझे प्रश्न पूछने दें।

महोदय, यह अतिवादी, उग्रवादी और आतंकवादी संगठन एल.टी.टी.ई. के सम्बन्ध में है। यह राजीव गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से प्रासंगिक है जिसमें तथाकथित रूप से यह संगठन संलिप्त है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है? यदि हां, तो राजीव गांधी हत्याकाण्ड में कथित रूप से एल.टी.टी.ई. के संलिप्त रहने के मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं देता हूं।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी : महोदय, क्या मैं माननीय गृह मंत्री से जान सकता हूं क्या आई.एस.आई. के सभी एजेण्टों को पश्चिम बंगाल में एकत्रित कियां गया और वहां से ढाका ले जाया गया और फिर वहां से प्रशिक्षण के लिए लाहौर ले जाया गया। प्रशिक्षण के पश्चात् इसी रास्ते से उन्हें वापस भारत भी भेजा गया। क्या सरकार इस बात से अवगत है यदि हां तो क्या इस रास्ते को बन्द करने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आई.एस.आई. की प्रमुख गतिविधियों में से एक किसी तरह लोगों को प्रभावित कर शामिल करता तथा उन्हें प्रशिक्षण, विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण, घुसपैठ का प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण देना है। और ऐसा काफी समय से हो रहा है। यह केवल एक रास्ते तक ही सीमित नहीं है।

महोदय, वे ऐसा कई रास्तों से कर रहे हैं और हम इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और जहां भी सम्भव हो इसे रोक रहे हैं। मेरे पास पिछले दो वर्षों के दौरान जब्त की गई और असफल की गई योजनाओं की लम्बी सूची है। सरकार बहुत जल्द ही इन सारी सूचनाओं को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत-नेपाल सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियां बड़ी तीव्र हुई हैं, इसमें आई.एस.आई. के लिए बंगलादेश से घुसपैठ में उस क्षेत्र के कुछ राजनीतिक दलों के राजनेता और कुछ स्थानीय व्यापारी लिप्त हैं, क्या सरकार उनको चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.एस.आई. नेपाल को भी एक बेस बनाकर अपनी गतिविधियां हमारे देश में बढ़ाने की कोशिश करती रही है और उसके कारण उत्तर प्रदेश की सीमा विशेष रूप से प्रभावित है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर इन गतिविधियों को रोकने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके साथ-साथ नेपाल सरकार से भी दौत्य स्तर पर इन गतिविधियों को नियंत्रित करने में हमने कुछ सफलता पाई है।

जनसंख्या में वृद्धि

***125. श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2050 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या में 1,535 मिलियन तक वृद्धि हो जायेगी और भारत धरती पर सर्वाधिक

आबादी वाला देश बन जायेगा जिसके परिणामस्वरूप भारत में भोजन और जल की कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में जनसंख्या विस्फोट की गंभीर समस्या को रोकने हेतु कोई विशेष नीति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) नौवीं योजना दस्तावेज के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता हेतु किए गए प्रक्षेपणों से 11वीं योजना तक इनकी उपलब्धता में कमी होने के संकेत नहीं मिलते हैं। यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा 1996 में वर्ष 2050 में भारत की प्रक्षेपित जनसंख्या के लगाए गए अनुमान जनसंख्या वृद्धि के विगत रुझानों पर आधारित हैं। परिवार कल्याण और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रयास को हाल में पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है और इस से देश की जनसंख्या को यू.एन.एफ.पी.ए. के अनुमानों में प्रक्षेपित स्तर की अपेक्षा काफी निम्न स्तर पर रखने में मदद मिलने की संभावना है।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण संबंधी प्रयास के परिणामस्वरूप देश में जन्म देर 1991 में 29.5 से घट कर 1997 में 27.2 हो गई है। अनचाहे गर्भों से बचने के लिए गर्भनिरोधकों और स्थायी तरीकों का नागरिकों में प्रचार किया जा रहा है और प्रजनक और बाल स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे दीर्घावधि में परिवारों को छोटा रखने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि में और कमी होने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर पूर्णत: अस्पष्ट है। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था। पहला, जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2050 में देश की जनसंख्या कितनी होगी? दूसरा, इस बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, हम पूर्व स्तरों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि का आकलन करते हैं और नौवीं योजना दस्तावेज के लिए आंकड़े पिछले स्तरों पर आधारित हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) द्वारा 1996 में वर्ष 2050 में भारत की जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि पिछले रुझानों पर आधारित है, हमारे देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है और इससे देश की जनसंख्या यू.एन.एफ.पी.ए. के अनुमानों में प्रक्षेपित स्तर की अपेक्षा काफी निम्न स्तर पर रखने में मदद मिलने की संभावना है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, मुझे सटीक उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एच. मुनियप्पा : माननीय मंत्री ने वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर पर वर्ष 2050 में देश की जनसंख्या का आकलन नहीं किया है। सरकार सटीक उत्तर नहीं दे सकती है। मैं सरकार से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वर्तमान वृद्धि दर पर वर्ष 2050 में देश की जनसंख्या कितनी होगी और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है? माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री दलित एजिलमलाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा को पहले ही बता दिया है कि जनसंख्या वृद्धि की गणना पिछले स्तरों पर आधारित होती है। 1991 से जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है।

उदाहरण के लिए 1991 में देश में जन्म दर 29.5 थी और 1997 में यह घटकर 27.2 हो गई। सरकार के भारी प्रयासों और जनसंख्या में कमी करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के कारण यह हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि वर्ष 2050 के बाद जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी।

श्री दलित एजिलमलाई : माननीय सदस्य, वर्ष 2050 में जनसंख्या आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) के अनुसार जो जनसंख्या आंकड़ों का आधार है, जनसंख्या वृद्धि दर में अपरिहार्य रूप से कमी हो रही है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : हम आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस विषय पर प्रश्न करने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है उससे वहां सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य हर तरह की समस्याएं आई हैं। जैसा कहा गया है - जल और भोजन की कमी भी हो सकती है और हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से जल की समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने में आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश की जल की समस्या के समाधान के बारे में क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, इसके लिए एक अलग सूचना की आवश्यकता है ताकि मैं जानकारी एकत्र कर सकूं और उसे माननीय सदस्य को दे सकूं।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, विगत वर्षों में परिवार नियोजन के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाएं थी। किंतु आजकल आपने देखा होगा कि परिवार नियोजन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की उन दम्पत्तियों को प्रोत्साहन देने की कोई स्कीम/योजना है जो बच्चे पैदा न करें।

श्री दलित एजिलमलाई : अध्यक्ष महोदय, 1996-97 में परिवार नियोजन के लिए 1547 करोड़ रुपये का आवंटन था।

श्री तथागत सत्पथी : वह मेरा प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दे।

श्री दलित एजिलमलाई : 1997-98 में 1829 करोड़ रुपये का आवंटन था और तीसरे वर्ष 2489 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मंत्री जी प्रश्न नहीं समझ पाए हैं। लगता है वे तैयारी करके नहीं आए हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। माननीय मंत्री ने प्रोत्साहनों के बारे में पूछा है और पूछा है कि सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रही है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सही उत्तर दे रहे हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : सरकार देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकारों की सहायता से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार परिवार नियोजन के लिए क्या प्रोत्साहन देने जा रही है?

श्री दलित एजिलमलाई : जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं वे आज भी जारी हैं। वस्तुत: हमने इस कार्यक्रम को अधिक बढ़ावा देने के लिए धन भी बढ़ाया है।

श्री तथागत सत्पथी : अब कोई प्रोत्साहन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि देश में जीवन रक्षक दवाएं बड़ी महंगी होती जा रही हैं और गरीब आदमियों को अस्पतालों से वे नहीं मिल रही हैं, क्या मंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाएं गरीब आदमियों को सरकारी अस्पतालों से आसानी से मिल सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें यह प्रश्न जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, पापुलेशन के साथ-साथ यह मामला दवाओं का भी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गरीब आदमियों को चिकित्सा और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए अलग सूचना देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में परिवार नियोजन की जो योजनाएं देश में चलाई जा रही हैं, उसके बाद

भी जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि वर्तमान में परिवार नियोजन के लिए जो योजना है, उसके तहत प्रेरित करने वाले को और कराने वाले को पैसा और टारगेट दिया जाता है परन्तु वे टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे हाथ-पैर के फाल्स अंगूठे लगाकर लिख देते हैं कि धन्ना लाल, पिता श्री कन्हैया लाल, उम्र 35 साल है, इसके दो बच्चे हो गये हैं इसलिए इसका आपरेशन कर दिया लेकिन उस नाम का कहीं कोई व्यक्ति नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको ठीक कराने की दृष्टि से कोई ठोस कानून बनायेगी? इसके अलावा दो बच्चों से ज्यादा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की जनसंख्या नियंत्रण और जाति, पंथ व धर्म को ध्यान में न रखते हुए परिवार नियोजन योजना को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करने की कोई योजना है। क्या सरकार की परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि के इस मामले को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाने की कोई योजना है जिसे सभी पार्टियों चाहे वह कोई भी हो को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, परिवार नियोजन स्वैच्छिक है। यह अनिवार्य नहीं है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। परिवार नियोजन में मात्र स्वास्थ्य शामिल नहीं है। इसमें कई बातें शामिल हैं उदाहरणार्थ, सामाजिक प्रथाएं, परम्पराएं, जीवनशैली आदि। इसलिए इसमें कई बातें शामिल हैं। अत:, माननीय सदस्य सहित यह हर व्यक्ति का दायित्व है कि इस कार्यक्रम में वह हमारा साथ दे।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्यों का दायित्व भी है।

श्री दलित एजिलमलाई : हां, श्रीमान्। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार आपके सुझावों व सिफारिशों का स्वागत करती है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : क्या माननीय मंत्री इस योजना को लागू करने के लिए अनुत्साहन पर विचार करेगी। प्रोत्साहनों के दिन लद गए हैं। अब समय आ गया है कि सरकार अनुत्साहन के बारे में सोचे। क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, इस समय परिवार नियोजन के लिए हमारे पास कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है। वास्तव में यह स्वैच्छिक है, यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सिफारिश करना या सुझाव देते हैं तो हम उन पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया : इसीलिए यह कार्यक्रम इस प्रकार चल रहा है।

घुसपैठ

***126. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :**
श्री नरेश पुगलीया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ बढ़ रही है तथा आई.एस.आई. भाड़े के विदेशी सैनिकों की देश में घुसपैठ कराने के लिए नए तरीके अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रह रहे अवैध आंप्रवासियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा वे लोग किन-किन देशों के हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक सीमा पर कितने घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए अथवा मारे गए;

(ङ) क्या इन घुसपैठियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उनके विरुद्ध अभियान चलाने का है;

(ज) यदि हां, तो गैर-नागरिकों तथा देश में जन्म ले चुकी अथवा जन्म लेने वाली संतान का क्या दर्जा है;

(झ) द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार देश से वापस भेजे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सीमा पार से इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ञ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार द्वारा भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश दोनों सीमाओं पर बाड़/फ्लड लाईट लगाकर, सीमा सुरक्षा बल की तैनाती को मजबूत करके तथा इन सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों द्वारा चौकसी/कड़ी निगरानी रखने जैसे उपाय करके सीमा क्षेत्रों से घुसपैठ की रोकथाम की जाती है।

तथापि, पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा सीमा पार से उग्रवादी और भाड़े के सैनिकों को भारत में भेजने के उसके इरादों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है और इन्हें वह छोटे-छोटे दलों में, विशेषज्ञ गाइडों के साथ, घुसपैठ के लिए सावधानी पूर्वक चुने हुए मार्गों से भेज रही है।

(ग) कुछ पड़ोसी राष्ट्रों, जैसे बंगलादेश, म्यांमार, चीन का तिब्बत क्षेत्र, श्रीलंका, इत्यादि के राष्ट्रिक अवैध रूप से भारत में घुसने में सफल हो जाते हैं, परन्तु ऐसे अवैध आप्रवासियों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे घुसते हैं तथा जातीय और भाषाई समानताओं के कारण स्थानीय लोगों के साथ घुलमिल जाते हैं। अवैध आप्रवासियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरे तैयार करना तब ही संभव हो सकेंगे जबकि विदेशी नागरिक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उनकी पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चलाया जाए।

(घ) वर्ष 1998 (30 नवम्बर, 1998 तक) के दौरान भारत-पाक तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किए गए/मारे गए विदेशी घुसपैठियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

राष्ट्रीयता	मारे गए	पकड़े गए
बंगलादेश	28	4840
पाकिस्तान	61	86
म्यांमार	3	348
अफगान	–	2
ईरान	–	4
अन्य	–	4
कुल	92	5284

(ङ) और (च) बंगलादेश की सीमा से घुसपैठ करने वाले अधिकांश अवैध आप्रवासी होते हैं। पाकिस्तान और म्यांमार सीमा से घुसपैठ करने वाले आमतौर पर मादक पदार्थों के तस्कर, दोनों देशों के अपराधी, उग्रवादी तथा भाड़े के विदेशी सैनिक होते हैं। पश्चिमी सीमा पर पकड़े गए उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों से की गई पूछताछ से पता चलता है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. उग्रवादियों को पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण देती रही है।

(छ) केन्द्र सरकार तथा संबद्ध राज्य सरकारें, बंगलादेश के साथ लगी सीमा पर सीमा बाड़ का निर्माण करके, इन सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की चौकसी कड़ी करके तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की तरह अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें स्वदेश लौटाने की योजनाएं चलाने जैसे उपाय कर रही हैं। यह महसूस किया जाता है कि सभी भारतीय नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने तथा सभी विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अनिवार्य कर देने से भी अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी।

(ज) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुसार, 26.1.1950 को अथवा उसके बाद परन्तु 1.7.1987 से पूर्व भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, जन्म से भारत का नागरिक होगा। तथापि, 1.7.1987 को या उसके बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का मूल नागरिक तभी होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो। तदनुसार, इन अवैध आप्रवासियों और 1.7.1987 के बाद जन्में उनके बच्चों को अवैध विदेशी का दर्जा प्राप्त होगा।

(झ) वर्ष 1997 के दौरान स्वदेश वापस भेजे गए विदेशी नागरिकों के देश-वार आंकड़े अनुबंध-I में दर्शाए गए हैं।

(ञ) घुसपैठ तथा अवैध आप्रवासन की रोकथाम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहले से किए गए उपाय अनुबंध-II में बताए गए हैं।

अनुबंध-1

1997 के दौरान निर्वासित विदेशियों की संख्या का देश-वार विवरण

देश	निर्वासित
1	2
बंगलादेशी	36914
म्यांनमार	593
श्रीलंका	211
पाकिस्तान	209
यू.एस.ए.	44
अफगानिस्तान	35
जर्मनी	26
यू.के.	26
मलेशिया	15
फ्रांस	14
इन्डोनेशिया	11
स्वीडन	11
कनाडा	10
ईराक	10
नीदरलैंड	10
नाईजीरिया	10
डेनमार्क	9
चीन	8
जापान	8
आस्ट्रेलिया	6
चीन (ताईवान)	6
सिंगापुर	6
स्टेटलैस	6
ईरान	5
इटली	5
न्यूजीलैण्ड	5
कोरिया	4
नार्वे	3
फिलिपीन	3
तंजानिया	3
क्रोशिया	2
चेक	2
पुर्तगाल	2

1	2
सिशिल्स	2
सोमालिया	2
दक्षिण अफ्रीका	2
यमन	2
आस्ट्रिया	1
घाना	1
नेपाल	1
रूस	1
सूडान	1
कुल	38245

अनुबंध-II

सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला विवरण

(1) सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल की विस्तारण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना,

(2) सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना,

(3) निगरानी बुर्जो की संख्या में बढ़ोत्तरी,

(4) निगरानी उपकरणों और नाईट विजन डिवाईससें की व्यवस्था, और

(5) सीमा सुरक्षा बल का नदी तटीय वाटर विंग खड़ा करना।

(2) बाड़, तेज रोशनी की व्यवस्था और गश्त

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा सड़कों का निर्माण और बाड़ लगाना,

(2) भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील हिस्सों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना, और

(3) सीमा पर गश्त गहन करना।

(3) तटीय क्षेत्र में निगरानी

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) बीच समुद्र में नौसेना में पोतों द्वारा गहन निगरानी,

(2) सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटरक्षक, नौसेना की संयुक्त निगरानी,

(3) नदी किनारे के साथ उथले पानी में ट्रालरों के जरिए नौसेना (तटरक्षक) सीमा शुल्क और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा गश्त।

(4) आसूचना का संग्रहण, आदान-प्रदान और समन्वय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक सूक्ष्म और कार्रवाई योग्य आसूचना उपलब्ध हो, आसूचना संग्रहण का सतत प्रबोधन किया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना का तत्काल राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

(5) अन्य उपाय

असम और मेघालय में विदेशी नागरिक घुसपैठ निवारण (पी.आई.एफ.) और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मोबाईल टास्क फोर्स जैसी योजनाएं हैं जिसे संबंधित राज्यों द्वारा घुसपैठियों का पता लगाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्थिति का सतत प्रबोधन किया जाता है।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : मेरा प्रश्न घुसपैठ के बारे में है, महोदय. इस संबंध में माननीय मंत्री ने सभापटल पर एक विस्तृत उत्तर भी रखा है। परिशिष्ट-एक में 1997 के दौरान निर्वासित विदेशियों की संख्या का देशवार विवरण दर्शाया गया है। अकेले बंगलादेशियों की संख्या 36,914 है। इसका तात्पर्य है कि इन लोगों को अधिकतर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों से निर्वासित किया गया है। क्या माननीय गृह मंत्री को जानकारी है कि विदेशियों की पहचान के नाम पर अल्पसंख्यकों का काफी उत्पीड़न किया जा रहा है? मैंने 1.1.1986 से 31.7.1993 की अवधि का उल्लेख किया है जिस दौरान 2,87,625 मामले दर्ज किए गए। आई.एम.डी.टी. के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों को पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त की संवीक्षा समिति को भेजना होता है। उपायुक्त-पुलिस अधीक्षक समिति ने केवल 25,051 मामलों को अधिकरण को भेजने के उपयुक्त समझा और बाकी मामले झूठे पाए गए। ये सितम्बर 1993 तक के आंकड़े हैं, अद्यतन आंकड़ों की मुझे जानकारी नहीं है। क्या माननीय गृह मंत्री ने इसकी जांच की? जहां तक घुसपैठ के मामलों का संबंध है अद्यतन स्थिति क्या है? अधिकरण को कितने मामले भेजे गए हैं? उनका निपटान किस प्रकार किया जाता है?

दूसरा, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : मैं माननीय गृह मंत्री से अधिकरण को भेजे गए कुल मामलों की संख्या, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या और अधिकरण को भेजे गए मामलों के परिणाम के बारे में 31 मार्च, 1998 तक के अद्यतन आंकड़ों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 2,50,000 से अधिक लोगों के उत्पीड़न के आरोप पर गौर किया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा देश में अवैध अप्रवासियों का है। यदि हम देश में अवैध अप्रवास के पहलुओं पर विचार करें तो हम पायेंगे कि इन अवैध अप्रवासियों को उचित तरीके से निर्वासित करने में सरकार की विफलता रही है बल्कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार बहुत ही कठोर रुख अपना रही है और अन्याय संगत कार्यवाही कर रही है. यदि किसी प्रकार का कोई विशेष आरोप है, यदि किसी भी मामले में अन्याय किया गया है तो हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करना चाहेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि आज स्थिति की मांग है कि अवैध अप्रवासन के संबंध में कानून को समुचित रूप से लागू किया जाए।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : अब मैं अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आता हूं। मेरे द्वारा दिए गए आंकड़े मुझे असम सरकार ने उपलब्ध कराए थे। उन आंकड़ों का उल्लेख असम विधान सभा व गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी किया गया है। 1.1.1986 से 31.7.1993 तक लगभग तीन लाख मामले दर्ज किए गए उनमें से लगभग 2,70,000 मामले झूठे पाए गए। क्या माननीय गृह मंत्री इस बारे में जांच करेंगे? वे गृह मंत्रालय में आई.एम.डी.टी. एक्ट के संरक्षक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करूंगा किंतु वर्तमान में यह आम धारणा है कि यह अधिनियम अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए अधिक प्रभावी नहीं है।

श्री राजेश पायलट : आई.एस.आई. की गतिविधियों और घुसपैठ में मेल है। यह मेल हमारी आन्तरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है और घुसपैठ के कारण अप्रवासन बढ़ रहा है।

मेरा विश्वास है - मैं नहीं जानता कि मेरे सहयोगी इससे सहमत हैं कि नहीं कि व्यवस्था में सूचना के आदान-प्रदान और अनुवर्ती कार्यवाही करने में कुछ खामियां हैं। इसीलिए ये गतिविधियां बढ़ रही थी, जिला स्तर से केन्द्रीय स्तर तक जिला स्तर और केन्द्र व राज्य एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। यहां तक कि इस स्तर तक जोनों का निर्माण भी किया गया था कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर सेक्टरों में एक एकीकृत कमान का गठन किया गया था, क्या मैं माननीय गृह मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वह प्रक्रिया जारी है। क्या उस प्रक्रिया में कोई संशोधन किया गया है या कोई अन्य पहल की गई है? जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि सरगर्मी से पीछा करना ही आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने का उपाय है। क्या वे इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या वह सरगर्मी से पीछा करने की नीति उन प्रयासों से बढ़कर है? या क्या यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई तकनीक है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित जानबूझकर की गई घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे अवैध अप्रवासन में अन्तर करें।

यह अन्तर करना होगा। सरकार सचेत है कि जहां तक जानबूझकर की गई घुसपैठ का संबंध है सरकार को कठोर रुख अपनाना होगा। किंतु अनेक अवैध अप्रवासियों को आई.एस.आई. का एजेंट नहीं कहा जा सकता है वे अन्य कारणों से असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में

आए हैं। इसके प्रति सरकार का समुचित रवैया है। जहां तक घुसपैठियों का संबंध है, हमें उनसे सख्ती से निपटना होगा और जहां तक अवैध अप्रवासन का संबंध है सरकार ने इन अप्रवासियों की पहचान करने का प्रस्ताव किया है। हम एक योजना पर भी विचार कर रहे हैं जिसे हमने नागरिकों और गैर-नागरिकों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने की योजना कहा है। यह हमारा विचार है। जहां तक पिछली योजनाओं का संबंध है जिसका आपने उल्लेख किया है, वे अपनी तरह जारी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष जी, सिलीगुड़ी कोरीडोर में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें पता चला है कि पहले बी.एस.एफ. की 15 बटालियंस वहां रखी जाती थीं, पर अगली सरकार ने बी.एस.एफ. की बटालियंस की संख्या कम करके पांच कर दी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि घुसपैठियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती है तो क्या उसके बारे में हमारे मंत्रालय ने कुछ सोचा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी क्षेत्र के लिए बी.एस.एफ. की बटालियंस की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, अनेक कारणों से उसका डिप्लायमेंट करना पड़ता है। आपने सिलीगुड़ी का जिक्र किया है, मैं उसकी जरूर छानबीन करूंगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, अपने उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ कदमों का उल्लेख किया है। मैं उनके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(क) मैं बंगलादेश सीमा पर तार बाड़ लगाने के बारे में जानना चाहता हूं। तार बाड़ लगाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसे गंभीरता से लिया गया है, क्या यह कार्य जारी है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा?

(ख) निर्वासन के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाल ही में बंगलादेश सरकार से कोई समझौता किया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

(ग) यह उन विदेशियों के बारे में है जिनके संबंध में आपने पहले उल्लेख किया है। किंतु मैं निश्चित तौर पर जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस सभा में सुझाव दिया था कि जो विदेशी यहां रोजगार या किसी अन्य कारण से आ रहे हैं उनका अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए। भारत सरकार में यह योजना किस चरण में है? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रोजगार या किसी अन्य कारण से यहां आने वाले विदेशियों के पंजीकरण के लिए कोई कानून या नियम बना रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक सीमा पर तार बाड़ लगाने का संबंध है भारत सरकार ने यह कार्य आरंभ कर दिया है। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है उसकी सीमा 2217 कि.मी. है जो सड़कों की लम्बाई है जिसमें से 507 कि.मी. पर तार बाड़ लगाने की स्वीकृति दी गई है जिसमें से भी 453 कि.मी. पर कार्य पूरा हो गया है। लगभग 790 कि.मी. पर तार बाड़ लगाई जा चुकी है स्वीकृत कार्य में से 106 कि.मी. पर तार बड़ा लगानी है।

किंतु जैसा सभी जानते हैं इस क्षेत्र की प्रकृति से सीमा पर तार बाड़ लगाने का कार्य अत्यधिक कठिन है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना पंजाब या राजस्थान जैसी नहीं है जहां पर पूरी सीमा पर तार बाड़ लगा दी गई है जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी क्षेत्र से अवैध अप्रवासन और तस्करी में कमी आई है। इस क्षेत्र में कठिनाइयां हैं किंतु सरकार इस कार्य को जारी रखे हुए है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

+

***127. श्री अमन कुमार नागरा :**
श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजीकरण कराने के तीन वर्षों के बाद भी रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने बेरोजगार व्यक्तियों को राज्यवार रोजगार प्रदान नहीं कराया जा सका है; और

(घ) सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1995, 1996 एवं 1997 के दौरान उपलब्ध कराए गए रोजगार तथा रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है। ऐसे रोजगार चाहने वालों की सूचना नहीं रखी गई है जिन्हें उनके पंजीकरण के तीन वर्ष पश्चात् भी रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

नौवीं योजना नीति में श्रम सघन, सरल, लागत प्रभावी तथा बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में सुगमता से अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उत्पादकता पर विशेष दल देते हुए रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है।

अनुबंध

1995 से 1997 के दौरान चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों एवं उपलब्ध कराए गए रोजगार की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया रोजगार		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2733.0	2937.6	3087.5	17.5	13.8	18.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.4	7.0	10.8	**	**	**
3.	असम	1246.8	1296.0	1475.0	2.5	2.0	3.0
4.	बिहार	3738.0	3465.5	3351.3	15.0	13.3	6.9
5.	गोवा	107.6	102.7	109.0	0.4	1.1	1.7
6.	गुजरात	912.2	931.3	942.3	37.8	40.0	65.4
7.	हरियाणा	697.7	756.3	787.1	8.3	16.6	17.7
8.	हिमाचल प्रदेश	579.7	638.4	718.3	5.5	4.2	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	144.4	152.9	164.7	0.2	0.1	0.1
10.	कर्नाटक	1754.8	1808.5	1831.6	12.6	17.4	26.9
11.	केरल	3453.8	3274.1	3531.8	17.1	16.2	18.2
12.	मध्य प्रदेश	2183.8	2293.6	2377.4	13.9	13.0	8.8
13.	महाराष्ट्र	3634.0	3815.9	3923.5	16.9	21.2	20.4
14.	मणिपुर	268.8	292.1	318.1	0.1	0.6	0.4
15.	मेघालय	27.6	28.0	34.4	0.2	0.2	0.2
16.	मिजोरम	45.7	48.8	67.9	0.2	0.3	0.4
17.	नागालैण्ड	20.7	20.6	21.7	0.1	0.1	0.1
18.	उड़ीसा	906.9	963.5	977.3	3.6	4.6	8.7
19.	पंजाब	505.6	540.0	580.6	3.3	3.1	3.8
20.	राजस्थान	803.0	886.9	873.8	8.5	11.0	9.1
21.	सिक्किम*	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	3490.5	3607.7	3896.1	13.9	21.5	29.3
23.	त्रिपुरा	204.6	205.9	212.5	0.2	0.5	**
24.	उत्तर प्रदेश	2514.5	2491.6	2696.8	9.9	10.6	9.3
25.	पश्चिम बंगाल	5383.2	5468.8	5739.0	8.6	9.6	8.8

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20.2	21.6	25.0	0.6	0.2	0.3
27.	चण्डीगढ़	153.2	139.7	124.7	0.6	0.7	0.9
28.	दादर और नगर हवेली	4.5	5.0	5.5	**	**	**
29.	दिल्ली	1033.8	1081.2	1097.4	16.9	10.9	12.3
30.	दमन और दीव	4.6	5.0	5.5	**	**	**
31.	लक्षद्वीप	9.4	9.7	8.8	0.1	0.1	0.1
32.	पाण्डिचेरी	151.4	133.8	144.5	0.4	0.1	0.2
	कुल	36742.3	37429.6	39139.9	214.9	233.0	275.0

टिप्पणी : 1. *राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. **आंकड़े 50 से कम।
3. हो सकता है पूर्णांकों के कारण योग मेल न खाते हों।

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के मुताबिक नहीं है। मैंने पूछा था कि पिछले तीन सालों में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज कराए हैं, उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसका सही उत्तर नहीं आया। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि पिछले तीन साल से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर में हैं, बंद होती जा रही हैं, इस वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। हरियाणा में भी ऐसे उद्योग और छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, उनके बारे में आपके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, उस आधार पर यह बताया गया है कि पिछले तीन सालों में जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उनकी संख्या 1995 में 2 लाख 14 हजार है, 1996 में 2 लाख 33 हजार और 1997 में 2 लाख 75 हजार है। यह भी तथ्य है कि सारे के सारे बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि प्रारम्भिक वर्षों में यह सम्भव था कि रोजगार कार्यालयों में जाकर बेरोजगार अपने नाम दर्ज कराते थे और वहीं से रोजगार के लिए दिशा पाते थे। लेकिन जैसे-जैसे कामों और उद्योगों का विभाजन होता गया, वैसे-वैसे अपने अधिकरणों में जैसे सरकारी उपक्रम हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और निजी क्षेत्रों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पदों की भर्ती करने के लिए अपने-अपने ढंग से उपाय किए। इसलिए रोजगार कार्यालयों में सही संख्या नहीं आती। माननीय सदस्य ने जो चाहा है, उसका जवाब इसमें है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस विषय पर हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। क्या आप इस विषय पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति देंगे? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सत्यानारायण जटिया : मेरा कहना है कि लिखित उत्तर में पिछले तीन सालों के रोजगार के आंकड़े दिए हुए हैं और उसको विस्तार से एनेक्सचर में दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस विषय पर हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं *...(व्यवधान)* महोदय, प्रश्न काल समाप्त होने में केवल आधा मिनट रहता है *...(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप आधे मिनट के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती हैं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस विषय पर हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अनुपूरक प्रश्न करने दीजिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस विषय पर हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी ने जो कुछ उत्तर दिया है वह अत्यन्त खेदजनक है। जैसाकि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय एजेंडा में, ''बेरोजगारी हटाओ'' नामक नीतिवचन है। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के बाद बेरोजगार युवकों के पंजीकरण को जारी नहीं रखा जाता है यह चौंका देने की बात है। यदि आप सूची को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पंजाब में बेरोजगारों की संख्या कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल सूची में सबसे पहले स्थान पर है।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप बेरोजगार युवकों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें और पोस्टल आर्डर फीस को हटा दें क्योकि वे बेरोजगार युवकों को नौकरी तो देते नहीं हैं लेकिन वह बेरोजगार युवकों से पोस्टल आर्डर फीस के रूप में धन लेते हैं।

प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है लेकिन माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें। इसीलिए हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं यदि आप पूर्ण चर्चा करने की अनुमति देते हैं तो वह अच्छा होगा, महोदय *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह मुद्दा लाखों बेरोजगार युवकों से सम्बन्धित हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वह आधे घंटे की चर्चा के बारे में कह रही हैं।

...(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : आप जैसा चाहें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी सहमत हैं।

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस मामले पर हम पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं भी वही बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। महोदय, हम इस विषय पर पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हुए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पोस्टल ऑर्डर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ पहले ही आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हुए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : वह उत्तर देने को तैयार हैं। कृपया उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया आप कुमारी ममता बनर्जी को लिखित उत्तर भेज दीजिएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आदिवासियों के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग

***122. श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी विकास के लिए राज्यों को प्रदान की गई धनराशियों के उचित उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए इस धनराशि के उपयोग संबंधी घटनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विलम्ब से बचने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे धन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) बिना किसी विलम्ब के इन एजेंसियों को धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाओं में नामत: आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण, आश्रम स्कूलों की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा लघु वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को अनुदान के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के विपथन की घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के बारे में सभी संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियां निर्मुक्त करने के लिए आदिवासी विकास के प्रभारी सचिवों की बैठकों के माध्यम से अनुरोध किया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग

***124. डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी उद्योग इस समय संकट की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी उद्योग के खराब कार्य-निष्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) चीनी उद्योग को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीनी उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन को खराब नहीं कहा जा सकता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

*128. **श्री डी.एस. अहिरे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान आज तक विभिन्न तरह के खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ख) इस समय देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरसों के तेल में मिलावट के कारण खाद्य तेलों के भण्डार में कमी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का पामोलीन और अन्य खाद्य तेलों के आयात संबंधी निर्णय की समीक्षा करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य तेलों का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1998 (जनवरी-अक्तूबर) के दौरान आयात की गई विभिन्न खाद्य तेलों की मात्रा 14.48 लाख टन अनुमानित है, जिसकी कीमत लगभग 4060 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ख) देश में तेल वर्ष 1998-99 में घरेलू संसाधनों से खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति क्रमश: 1.82 लाख टन और 68 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सरसों के तेल में मिलावट का पता लग जाने और बाजार में केवल परीक्षित और सुरक्षित सरसों के तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपायों की वजह से बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता में कुछ रुकावट आई थी। तथापि, अब बाजार में खाद्य तेल सामान्य रूप से उपलब्ध है।

(ङ) और (च) पामोलीन और खाद्य तेलों को आयात करने की आवश्यकता की निरन्तर समीक्षा की जाती है। देश में खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति की स्थिति खाद्य तेल की घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों आदि जैसे कारणों पर भी विचार किया जाता है।

(छ) कृषि मंत्रालय ने देश में तिलहनों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए तिलहनों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए अनुसंधान उपायों में वृद्धि करके विभिन्न तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोत्तरी करके उत्पादन हेतु केन्द्रीय सहायता देकर और अच्छी किस्म के बीजों का वितरण करने जैसे कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

औषधियों का गुणवत्ता-नियंत्रण और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उनकी आपूर्ति

*129. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल स्टोर डिपुओं में स्टाक की गई औषधियों पर कोई गुणवत्ता नियंत्रण रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1997 के दौरान औषधि नियंत्रक द्वारा किए गए परीक्षणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सामान्यत: औषधियां स्टाक में नहीं होती हैं और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों/मरीजों को बाजार से दवाईयां खरीदने के लिए कहा जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) औषधालयों को पर्याप्त मात्रा में औषधियों की आपूर्ति करने तथा लाभार्थियों द्वारा इस प्रकार खरीदी गई औषधियों की धनराशि की तुरंत प्रतिपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा खरीदी गई औषधों के प्रत्येक खेप (बैच) को स्टाक के लेखे में तभी लिया जाता है जब उसकी या तो निजी अपनी प्रयोगशाला में अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में जांच करके उसे सही पाया गया हो। सरकारी जांच प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन अथवा राज्य औषध नियंत्रण विभागों द्वारा भी उठाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो द्वारा चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के माध्यम से खरीदी गई औषधों की जांच यादृच्छिक (रेन्डम) आधार पर की जाती है और लाभार्थियों से प्राप्त हुई शिकायतों के सभी मामलों की जांच की जाती है।

जांचे गए नमूनों की कुल संख्या और इनमें से प्रत्येक कार्यालय में जांच में खरे नहीं उतरे नमूनों की संख्या नीचे दी गई है:-

	कार्यालय का नाम	अवधि	जांचे गए नमूनों की संख्या	जांच में खरे नहीं उतरे नमूनों की संख्या
1.	चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन	1997	8783	72
2.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो	1997-98	38	1
3.	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	1997-98	37	4

जब किसी औषध का घटिया होना सिद्ध हो जाता है तो चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन उस औषध की आपूर्ति के लिए उसके विनिर्माता के पंजीयन को एक वर्ष के लिए समाप्त कर देता है : केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के मामले में औषध और प्रसाधन सामग्री· अधिनियम, 1940 के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचना राज्य औषध नियंत्रक को भेजी जाती है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अनिवार्य औषधें आमतौर पर भंडार में अनुपलब्ध (आउट आफ स्टाक) नहीं होती हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों/रोगियों को सामान्यत: दवाएं बाजार से खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है। तथापि, जब कभी कोई औषध औषधालय में तात्कालिक तौर पर उपलब्ध नहीं होती है, तब उसकी आपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार स्थानीय अधिकृत केमिस्ट द्वारा की जाती है। जहां इंडेंट की गई दवा भी उपलब्ध नहीं होती है। स्थानीय अधिकृत केमिस्ट द्वारा उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है, तब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी से कहा जाता है कि वह उस औषध को खुले बाजार से खरीद ले और खर्च की गई राशि की स्थानीय अधिकृत केमिस्ट से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ले।

नागरिकों के लिए पहचान-पत्र

***130. श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री भर्गती बाबू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागरिकों और गैर-नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पंजिका और गैर-नागरिकों के लिए समानान्तर राष्ट्रीय पंजिका तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर अवैध आव्रजन के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) 14 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने की एक योजना तैयार की जा रही है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अलग से किया जाएगा। गैर-नागरिकों को पृथक रंग के कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव है। नागरिकों और गैर नागरिकों को पहचान-पत्र, पढ़े जाने योग्य फार्म में कम्प्यूटर पर तैयार नागरिक/गैर-नागरिक सूची के आधार पर जारी किए जाएंगे। इन पहचान-पत्रों का प्रयोग, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड जारी करने, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षण संस्थानों में दाखिला, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में रोजगार, जीवन और सामान्य बीमा और भूमि रिकार्ड और शहरी सम्पत्ति धृत्ति के लिए किया जाएगा। इससे अवैध आप्रवासन और घुसपैठ को रोकने के लिए व्यक्तियों की आसानी से पहचान करने और अपराधियों और विघटनकारी तत्वों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

(घ) और (ङ) अवैध आप्रवासन से न केवल जनांकिकीय पद्धति में परिवर्तन आता है, देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है अपितु रोजगार अवसरों और सामाजिक सेवाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, पेयजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि का भी भारी उत्सारण होता है। तथापि, इस संबंध में कोई सुव्यवस्थित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल की विस्तारण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना;

(2) सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना;

(3) निगरानी बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी;

(4) निगरानी उपकरणों और नाईट विजन डिवाईसेस की व्यवस्था; और

(5) सीमा सुरक्षा बल का नदी तटीय वाटर विंग खड़ा करना।

(2) बाड़, तेज रोशनी की व्यवस्था और गश्त

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा सड़कों का निर्माण और बाड़ लगाना,

(2) भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील हिस्सों में तेज रोशनी की व्यवस्था करना, और

(3) सीमा पर गश्त गहन करना।

(3) तटीय क्षेत्र में निगरानी

इसमें सम्मिलित हैं:-

(1) बीच समुद्र में नौसेना के पोतों द्वारा गहन निगरानी,

(2) सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटरक्षक, नौसेना की संयुक्त निगरानी,

(3) नदी किनारे के साथ उथले पानी में ट्रालरों के जरिए नौसेना (तटरक्षक) सीमा शुल्क और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा गश्त।

(4) आसूचना का संग्रहण, आदान-प्रदान और समन्वय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक सूक्ष्म और कार्रवाई योग्य आसूचना उपलब्ध हो, आसूचना संग्रहण का सतत प्रबोधन किया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना का तत्काल राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

(5) अन्य उपाय

असम और मेघालय में विदेशी नागरिक घुसपैठ निवारण (पी.आई.एफ.) और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मोबाईल टास्क फोर्स जैसी योजनाएं हैं जिसे संबंधित राज्यों द्वारा घुसपैठियों का पता लगाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्थिति का सतत प्रबोधन किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम

*131. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम से आज तक अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या शिक्षा की कमी के कारण अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का शोषण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वर्ष 1993-94 से आदिवासी महिलाओं के बीच साक्षरता में सुधार के लिए निम्न महिला साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) वर्ष 1997-98 तक इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजाति महिलाओं की संख्या 8,940 है।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(घ) शुरू किए गए ये कार्यक्रम मुख्यत: अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए हैं। तथापि, चूंकि ये कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए मौलिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। इसलिए ये कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जीवन के शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में भी लाभदायक होंगे।

तपेदिक के मामले

*132. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ करने के बावजूद भी तपेदिक के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) इस संबंध में चलाई गई विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(ङ) सरकार द्वारा तपेदिक के कारण पीड़ा, अपंगता और मृत्यु के मामले कम करने और टी.बी. रोधक दवाइयों की कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पिछले कई वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित किए गए क्षय रोग के रोगियों का रुझान लगभग स्थिर रहा है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान पता लगाए गए क्षय रोग के रोगियों की संख्या इस प्रकार है:-

1995-96	13.98 लाख
1996-97	14.54 लाख
1997-98	13.09 लाख

(ग) पता लगाए गए ऐसे सभी नए रोगियों, जिनके थूक की जांच रोग दर्शाती हो (स्पूटम पाजिटिव), की 85 प्रतिशत रोग मुक्ति दर प्राप्त करने के उद्देश्य से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस कार्यनीति की 15 राज्यों में 20 परियोजना स्थलों पर 20 मिलियन जनसंख्या को कवर करते हुए प्रायोगिक जांच की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की तकनीकी और प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता को प्रमाणित करने के बाद विश्व बैंक की सहायता से 5 वर्षों की अवधि में 271.21 मिलियन जनसंख्या को कवर करते हुए 102 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया था। इसके अतिरिक्त 203 अल्पावधि रसायन चिकित्सा (शार्ट कोर्स केमोथिरेपी) वाले जिलों को, तैयारी करने के एक उपाय के रूप में, वाइनोकुलर माइक्रोस्कोप और अन्य निवेश जुटा कर सुदृढ़ किया जाएगा जिससे आने वाले समय में वहां संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुकर बनाया जा सके।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-I और II में संलग्न हैं।

(ङ) क्षय रोग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए रोगियों का शुरू में पता लगाने और उनका रोगमुक्त होने तक उपचार करने के उद्देश्य से, देश में 1962 से राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसाकि ऊपर भाग (ग) में संकेत दिया गया है, इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए अब एक संशोधित कार्यनीति भी कार्यान्वित की जा रही है।

संशोधित कार्यनीति को कार्यान्वित करके 10,000 से अधिक मौतों को रोका गया है। अगले वर्ष में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार करने से, यह पूर्वानुमानित है कि 1,00,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 15,000 और जीवनों को बचाया जा सकेगा।

व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेप्टोमाइसीन और रिफेम्पीसीन जैसी क्षयरोग औषध को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में रखा गया है जिसका यह अर्थ है कि इन औषधों के मूल्य नियत हैं और उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंडों/सूत्र के अनुसार विनियमित किया जाता है। देश में उक्त उत्पादों के लिए और अधिक निवेश और उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतर क्षय रोग रोधी औषधों, यहां तक कि उन औषधों को जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, के उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन औषधों की केन्द्र द्वारा आपूर्ति (सप्लाई) की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे रोगियों, जिनके थूक की जांच रोग नहीं दर्शाती हो (स्पूटम नेगेटिव), के उपचार के लिए क्षयरोग रोधी औषधों की खरीद हेतु नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान नए क्षय रोगियों का पता लगाने के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	90,400	65,517	7247	93,000	64.369	69.21	98.200	68.111	69.36	78620	65999	83.95	78520	65680	83.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,800	3,121	111.45	2,900	3,199	110.31	3,200	3567	111.47	1,500	3,296	219.73	1,500	2,880	192.0
3.	असम	39,100	17,975	45.97	40,100	14,334	35.75	42,300	14,563	35.37	23,500	15,757	67.05	23,500	20,108	85.6
4.	बिहार	198,640	196,183	98.76	204,000	79,750	39.09	217,000	64,294	29.63	153,000	113,409	74.12	153,000	112,710	73.7
5.	गोवा	3,800	3,475	91.45	3,940	3,575	90.74	4,160	3,245	78.00	2,000	3,432	171.60	2,000	2,974	148.7
6.	गुजरात	148,200	158,928	107.24	153,200	160,722	104.91	162,000	151,572	93.56	73,000	157,074	215.17	133,900	115,158	85.7
7.	हरियाणा	31,200	31,457	100.82	32,080	12,046	37.55	33,400	–	–	29,000	21,751	75.00	29,000	35,257	121.6
8.	हिमाचल प्रदेश	18,960	17,008	89.70	19,440	18,473	95.03	20,500	12,756	62.22	9,000	16,079	178.56	9,000	12,084	134.3
9.	जम्मू व कश्मीर	16,200	3,555	22.56	15,500	4,049	24.39	17,000	14,203	83.55	6,240	7,302	117.02	6,240	11,014	176.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	कर्नाटक	85,200	64,234	75.39	88,080	68.987	78.32	92,500	88,713	74.28	68,370	67,311	98.45	68,370	71.776	105.0
11.	केरल	46,600	27,753	59.56	48,120	28,823	59.90	50,200	27,340	54.46	33,800	27,972	82.76	33,800	35,529	109.0
12.	मध्य प्रदेश	122,800	77,309	62.95	127,200	64,158	50.44	133,200	76,942	57.76	87,220	72803	83.47	87,220	90,855	104.2
13.	महाराष्ट्र	236,500	271,272	114.70	244,00	207,541	85.06	257,000	134,893	52.49	140,000	204,569	146.12	140,000	190,630	136.2
14.	मणिपुर	4,200	2,603	61.98	4,360	4,279	98.14	4,600	4,995	108.59	2,700	3,959	146.63	2,700	8,545	245.1
15.	मेघालय	2,600	2,426	93.31	2,680	3,300	123.13	2,600	2,115	75.54	2,560	2,614	102.11	2,560	4.618	180.4
16.	मिजोरम	1,000	1,009	100.90	1,040	1,281	123.17	1,100	910	82.73	1,000	1,067	106.70	1,000	1,223	122.3
17.	नागालैंड	1,800	1,004	55.78	1,880	1,224	65.11	2,000	1,346	67.40	1,250	1,192	95.36	1,250	1,350	108.0
18.	उड़ीसा	41,300	30,479	73.80	42,400	29,262	69.01	44,100	29,673	67.74	36,860	29,871	81.04	35,850	40,850	115.2
19.	पंजाब	43,400	44,764	103.14	44,600	44,663	100.14	47,000	37,576	79.95	36,000	42,341	117.61	41,900	48,250	115.2
20.	राजस्थान	46,360	33,557	72.38	47,760	38,843	81.33	50,000	35,284	72.57	45,000	35,228	80.51	45,000	69,344	154.1
21.	सिक्किम	1,600	4,351	271.94	1,640	1,055	64.33	1,740	1,255	72.13	1,000	2,220	222.00	1,000	2,800	280.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	तमिलनाडु	118,940	99,034	83.26	122,480	94,026	76.77	129.200	102.535	79.67	99,000	98,665	99.66	99,000	104.823	105.9
23.	त्रिपुरा	2,100	2,163	103.00	2,140	2,092	97.76	2,300	2,067	89.87	2,880	2,107	73.16	2,880	2,528	87.8
24.	उत्तर प्रदेश	279,500	2,56,851	91.90	305,980	269,515	88.08	325,600	268,562	82.57	247,000	265,079	107.32	247,000	279,789	113.3
25.	पश्चिम बंगाल	93,200	51,113	54.84	93,600	77,417	82.71	98,700	74,921	75.91	69,000	67,817	96.29	69,000	74,352	107.8
26.	पांडिचेरी	4,600	4,853	105.72	4,800	5,093	106.10	5,000	4553	91.06	1,500	3,311	220.73	3,200	3,401	106.3
27.	अंडमान व निकोबार	400	503	125.75	440	526	119.55	460	472	102.51	500	1,954	390.80	500	635	127.0
28.	चंडीगढ़	2,600	1,723	66.27	2,640	1,900	71.97	2,800	1746	62.36	1,000	1,383	138.30	1,000	1,711	171.1
29.	दादरा व नगर हवेली	320	357	144.69	360	243	67.50	380	209	55.00	250	725	290.00	250	300	120.0
30.	दिल्ली	47,200	84,028	135.65	48,000	53,247	110.93	51,000	37,534	73.60	17,000	51,603	303.55	42,000	42,951	102.3
31.	लक्षद्वीप	220	163	74.09	240	264	110.00	240	154	64.17	100	194	194.00	100	150	163.0
32.	दमन व दीव	260	187	71.92	300	734	244.67	320	731	228.44	150	611	407.33	150	244	162.7
	कुल	1,732,000	1,539,085	88.86	1,800,000	1,353,990	75.50	1,900,000	1,249,139	65.74	1,270,000	1,389,695	109.42	1,363,500	145492	105.7

विवरण-II

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान वक्ष के नए लक्षणों वाले रोगियों की थूक की जांच करने के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धिया	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	252,500	184,765	73.15	253050	76771	30.33	253050	84465	33.37	235900	74092	31.41	235900	242264	102.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	6,750	7,919	117.32	6800	8314	122.25	6800	9021	132.55	9000	7450	82.89	90000	8325	98.05
3.	असम	87,600	28,730	32.80	87720	8475	9.65	87720	7883	8.99	70500	8370	9.74	70500	7280	10.33
4.	बिहार	375,200	341,770	90.85	375500	-	-	375500	77747	20.64	460000	26512	5.76	450000	76000	16.95
5.	गोवा	4,500	15,295	339.91	4520	14555	317.59	4520	12582	278.06	15300	10035	65.59	15300	10040	65.62
6.	गुजरात	153,500	255,577	172.90	153850	26313	171.33	153500	241456	157.00	265000	302251	114.06	401700	344110	25.65
7.	हरियाणा	60,000	54,000	90.00	60030	15581	25.10	50080	-	-	50300	59844	67.60	90000	65425	73.81
8.	हिमाचल प्रदेश	46,200	50,150	108.55	48260	60302	130.00	48290	30147	65.14	53000	1403	2.55	53000	7000	13.71
9.	जम्मू व कश्मीर	51,600	10,000	21.12	51500	9141	17.59	51550	21405	41.42	12500	18362	97.15	18900	20899	110.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	कर्नाटक	185,300	167,837	90.58	185200	223355	123.53	125200	173523	93.69	228000	30111	13.21	222000	98964	42.53
11.	केरल	107,400	37,578	34.99	107520	29065	27.03	107520	20955	19.49	101400	58521	57.70	101400	123333	125.55
12.	मध्य प्रदेश	290,500	179,952	61.95	250800	153401	52.75	290800	225517	77.53	230000	240323	105.49	230000	135060	59.72
13.	महाराष्ट्र	276,900	339,683	122.45	277200	311833	112.49	277200	192305	69.37	420000	66929	15.94	420000	320000	76.19
14.	मणिपुर	9,300	4,134	44.45	9320	4256	45.67	9320	232	45.94	8000	501	7.51	8000	7647	95.59
15.	मेघालय	7,200	1,152	16.00	7240	2230	30.80	7240	925	12.79	7600	423	5.57	7600	3070	40.39
16.	मिजोरम	3,000	4,209	140.30	3040	4470	147.04	3040	2542	93.521	4500	2224	49.42	4500	3264	72.93
17.	नागालैंड	5,100	1,376	26.98	5120	2141	41.82	5120	1757	34.51	3800	330	8.69	3500	2400	83.16
18.	उड़ीसा	190,200	121,856	64.07	190400	124715	65.50	390400	115204	62.05	124000	141857	114.24	120000	93033	75.03
19.	पंजाब	85,300	112,451	131.84	85830	111933	131.53	85050	91156	107.14	112500	154225	137.09	125700	158858	124.63
20.	राजस्थान	140,400	64,225	45.75	140520	74331	52.90	140520	80434	57.24	135000	70314	52.08	135000	70882	52.34
21.	सिक्किम	4,500	2,657	59.04	4520	659	15.24	4520	3118	68.98	3700	1381	37.32	3700	1803	43.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	तमिलनाडु	241,800	121,462	50.24	242000	125058	52.10	242000	140527	58.19	297000	213492	71.88	297000	450252	154.97
23.	त्रिपुरा	8,400	5,855	69.82	8440	7952	94.22	8440	7535	89.29	8700	6647	76.40	8700	9854	113.51
24.	उत्तर प्रदेश	575,000	513,951	89.38	575600	563180	97.84	575500	476025	82.70	740000	686254	92.74	740000	843780	114.83
25.	पश्चिम बंगाल	214,200	26,552	12.44	214400	52520	24.50	214400	79157	35.92	205000	89935	43.87	205000	84005	40.93
26.	पांडिचेरी	7,800	8,764	112.36	7840	8520	112.50	7640	7033	89.71	8800	11311	128.53	9600	13000	135.42
27.	अंडमान व निकोबार	1,200	2,452	204.33	1220	2591	212.39	1220	2392	55.07	2500	695	27.80	2500	1959	76.76
28.	चंडीगढ़	600	430	71.67	620	895	63.71	620	350	53.05	3000	521	17.37	3000	1532	54.40
29.	दादरा व नगर हवेली	500	255	53.00	520	–	–	520	165	31.73	700	66	9.43	700	285	40.71
30.	दिल्ली	12,000	76,833	639.03	120000	135153	112.63	120000	125393	05.74	135200	116953	86.50	125000	140000	111.11
31.	लक्षद्वीप	1,000	231	23.10	1020	1151	112.84	1020	709	69.51	1151	875	76.02	1151	800	69.50
32.	दमन व दीव	600	359	61.50	620	845	135.77	620	439	10.81	1150	1351	117.48	1150	1350	120.00
	कुल	3,407,250	2,752,776	80.79	3518500	2403155	68.29	3515800	-2245354	63.81	3999301	2406969	60.20	414080	3360543	81.2

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु धनराशि का आबंटन

*133. **डा. राम विलास वेदान्ती :**
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु कुल कितनी सहायता अनुदान राशि जारी की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के यदि कोई कारण हों, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ङ) कार्य-निष्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(च) क्या देश में अधिकांश दंपत्ति परिवार नियोजन प्रस्तावों का लाभ नहीं उठाते हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण -I और II में दी गई है।

(ग) राज्यों को नकद और सामग्री, दोनों रूप में सहायता अनुदान दिया जाता है। सामग्री सहायता में औषध किट, टीके (वैक्सीन), गर्भनिरोधक आदि शामिल हैं। राज्यों को रिलीज की गई नकद सहायता उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से निरपवाद रूप से कम रहती है और सामान्यतया उसका पूरा उपयोग किया जाता है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) आठवीं योजना के दौरान कार्य निष्पादन में कोई कमी नहीं आई है जैसाकि आठवीं योजना अवधि के दौरान जन्मदर 29.5 से कम होकर 27.5 होने तथा शिशु मृत्यु दर 80 से कम होकर 72 हो जाने से स्पष्ट है। फिर भी, जनसंख्या को स्थिर करने में आंशिक रूप से ही प्रगति हुई है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की सफलता के लिए आवश्यकता आधारित संसाधनों, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षतापूर्वक प्रदानगी, जनमत तैयार करने वाले नेताओं द्वारा कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से समर्थन प्रदान करने तथा महिलाओं को पर्याप्त रूप से उच्च शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर की आवश्यकता है। ये सभी आंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं। तथापि, मौजूदा तौर पर केरल, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़, पांडिचेरी और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में केवल पुनर्स्थापन स्तर अथवा इससे निचला स्तर प्राप्त किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य ऐसे स्तर पर हैं जहां से वे 5-10 वर्षों में यह स्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर उल्लिखित कारणों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और असम राज्यों में जनसंख्या सूचक विशेष रूप से कमजोर हैं। राज्य सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता एवं सहयोग से सरकार इन राज्यों में सफलता पाने के लिए प्रयास कर रही है।

(च) और (छ) जी नहीं। 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार 45.4 प्रतिशत दम्पत्तियों को गर्भनिरोधन की किसी न किसी विधि द्वारा कारगर ढंग से सुरक्षित किया गया है। यथास्थिति विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

(ज) हाल ही में उठाए गए नीति संबंधी प्रमुख कदमों में शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व और इससे जुड़े कार्यक्रमों के प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य पैकेज में पुन: संगठित करना, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरम्भ करना तथा अलग-अलग गर्भ निरोधक तरीकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की नीति को समाप्त करना शामिल है।

(झ) नौवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनन्तिम रूप से 11016.78 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विवरण 1

आठवीं योजना अवधि के दौरान रिलीज किए गए सहायता अनुदान का विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	9195-96	1996-97	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6067.33	8284.79	9773.20	8752.96	10278.74	43157.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	54.65	64.56	178.93	250.54	180.68	729.36
3.	असम	2356.27	2485.74	3488.38	3075.38	2850.13	14255.90
4.	बिहार	5203.99	7108.30	10272.98	10003.46	7512.42	40101.15
5.	गोआ	127.62	136.61	166.67	169.22	195.05	795.17
6.	गुजरात	4386.76	6263.24	5910.79	5536.01	5365.16	27461.96
7.	हरियाणा	2194.87	3651.68	2541.11	2213.55	2299.14	12900.35
8.	हिमाचल प्रदेश	1172.12	2014.30	1364.70	1195.68	1908.80	7655.60
9.	जम्मू और कश्मीर	1015.74	2274.10	3027.19	1299.42	1131.49	8747.94
10.	कर्नाटक	3395.11	4676.51	6974.61	7557.81	9384.68	31988.72
11.	केरल	2832.12	3117.82	3183.61	3335.75	3192.32	15661.62
12.	मध्य प्रदेश	7425.04	9779.89	10385.16	10126.12	9755.89	47472.10
13.	महाराष्ट्र	8292.23	10618.30	9349.27	11171.61	11734.71	51166.12
14.	मणिपुर	379.39	441.77	425.96	487.63	475.33	2210.08
15.	मेघालय	260.00	289.77	308.54	385.66	387.47	1631.44

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	157.86	182.92	194.08	241.89	243.42	1020.17
17.	नागालैंड	226.70	229.24	292.0	285.24	259.25	1292.63
18.	उड़ीसा	3711.74	4493.17	6312.40	5365.77	4109.53	23992.61
19.	पंजाब	2412.46	3608.47	3760.93	2989.72	2734.32	15505.90
20.	राजस्थान	5619.50	6549.94	9621.90	9110.23	9630.26	40531.83
21.	सिक्किम	135.61	193.45	222.05	271.85	259.96	1082.92
22.	तमिलनाडु	5683.07	7198.07	7359.10	7882.94	7428.08	35551.26
23.	त्रिपुरा	296.20	370.44	489.93	444.01	447.37	2047.95
24.	उत्तर प्रदेश	16067.92	19294.05	23783.52	19953.46	18258.64	97357.59
25.	पश्चिम बंगाल	5274.95	6597.51	6447.51	8189.78	8955.90	35465.65
	कुल	84749.25	109924.64	125834.72	120295.69	118978.75	559783.05
1.	पांडिचेरी	95.64	47.57	92.88	139.32	127.27	502.68
2.	दिल्ली	915.97	1162.07	1592.11	1972.55	1863.39	7506.09
3.	अं. नि. द्वीप समूह	81.64	77.90	83.88	100.12	106.32	449.86
4.	दा. ना. हवेली	22.50	24.66	38.72	32.80	35.49	154.17
5.	चंडीगढ़	116.02	141.42	162.86	150.56	119.62	690.48
6.	लक्षद्वीप	11.77	12.00	14.28	17.68	14.52	70.25
7.	दमन और दीव	19.21	37.93	25.23	34.36	38.80	155.53
	कुल	1262.75	1503.55	2009.96	2447.39	2305.41	9529.06

विवरण-2

आठवीं योजना के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8240.82	10823.29	12512.30	12674.12	13584.11	57834.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	86.11	86.28	140.85	226.01	165.67	704.92
3.	असम	2101.17	2753.55	3813.83	3784.57	5079.22	17532.34
4.	बिहार	7588.74	8841.66	10246.09	10622.03	10879.03	48177.45
5.	गोआ	104.03	113.83	171.40	167.65	217.49	774.40
6.	गुजरात	5792.19	7548.31	8507.29	8466.18	14150.55	44464.52
7.	हरियाणा	2753.92	3457.31	3439.40	3255.01	3381.45	16287.09
8.	हिमाचल प्रदेश	1503.97	2392.62	1892.01	1809.14	2437.95	10035.69
9.	जम्मू और कश्मीर	1279.19	1484.05	1290.96	1408.72	1654.34	7117.26
10.	कर्नाटक	4719.78	5602.03	6401.41	7165.62	7711.17	31600.01
11.	केरल	3503.46	4359.53	5401.41	6944.14	6261.13	26469.67
12.	मध्य प्रदेश	7906.22	10575.04	12168.37	11039.49	12343.22	54032.34

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	9498.38	11495.64	13508.12	15005.78	14650.66	64158.58
14.	मणिपुर	506.66	407.55	453.13	462.56	445.05	2274.95
15.	मेघालय	256.84	304.53	333.96	481.49	491.58	1868.40
16.	मिजोरम	174.74	182.07	217.78	229.81	253.93	1058.33
17.	नागालैंड	242.57	271.45	283.55	355.26	342.23	1495.06
18.	उड़ीसा	3971.37	3321.07	8166.96	5891.18	6048.73	27399.31
19.	पंजाब	3774.17	4334.51	5065.05	4662.47	2708.09	20544.29
20.	राजस्थान	5907.37	6770.92	7800.83	8435.71	9617.99	38532.82
21.	सिक्किम	198.21	276.11	265.76	383.89	336.29	1460.26
22.	तमिलनाडु	7919.14	6045.01	7429.79	9418.64	6264.06	37076.64
23.	त्रिपुरा	578.63	395.53	810.97	866.63	1016.03	3667.79
24.	उत्तर प्रदेश	17104.61	23754.49	27009.92	29245.30	32186.26	129300.58
25.	पश्चिम बंगाल	6660.90	7365.43	7124.13	8036.52	8314.60	37501.58
	कुल	102373.19	122961.71	144455.27	151037.92	160540.82	681368.91

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पांडिचेरी	93.97	78.80	83.63	117.53	123.53	497.46
2.	दिल्ली	540.57	816.55	1526.92	954.43	1064.40	4902.87
3.	अ.नि. द्वीप समूह	82.66	77.14	80.20	97.95	95.57	433.52
4.	दा. न. हवेली	16.21	18.73	29.65	26.21	26.16	116.96
5.	चंडीगढ़	116.36	122.62	127.51	104.98	106.38	577.85
6.	लक्षद्वीप	6.98	5.67	7.04	9.50	6.26	35.45
7.	दमण और दीव	15.82	37.53	24.22	33.48	35.42	146.47
	कुल	872.57	1157.04	1879.17	1344.08	1457.72	6710.58

विवरण-III

राज्यों/संघ उप क्षेत्रों में अशोधित जन्म दर और शिशु मृत्यु दर

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	अशोधित जन्म दर		शिशु मृत्यु दर	
		1996	1997	1996	1997
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.8	22.5	65	63
2.	असम	27.6	28.2	74	76
3.	बिहार	32.1	31.7	71	71

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	25.7	25.6	61	62
5.	हरियाणा	28.8	28.3	68	68
6.	कर्नाटक	23.0	22.7	53	53
7.	केरल	18.0	17.9	14	12
8.	मध्य प्रदेश	32.3	31.9	97	94
9.	महाराष्ट्र	23.4	23.1	48	47
10.	उड़ीसा	27.0	26.5	96	96
11.	पंजाब	23.7	23.4	51	51
12.	राजस्थान	32.4	32.1	85	85
13.	तमिलनाडु	19.5	19.0	53	53
14.	उत्तर प्रदेश	34.0	33.5	85	85
15.	पश्चिम बंगाल	22.8	22.4	55	55
16.	अरूणाचल प्रदेश	21.9	21.4	54	–
17.	गोवा	14.4	14.2	15	–
18.	हिमाचल प्रदेश	23.0	22.6	62	–

1	2	3	4	5	6
19.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	–
20.	मणिपुर	19.6	19.7	28	–
21.	मेघालय	30.4	30.2	48	–
22.	मिजोरम	15.1	15.0	25	–
23.	नागालैंड	अनुपलब्ध	7.9	7	–
24.	सिक्किम	20.0	19.8	47	–
25.	त्रिपुरा	18.4	18.3	49	–
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	18.5	18.6	27	–
27.	चण्डीगढ़	17.5	18.8	45	–
28.	दादर व नगर हवेली	28.9	28.2	71	–
29.	दमण और दीव	21.6	24.9	43	–
30.	दिल्ली	21.6	21.1	44	–
31.	लक्षद्वीप	23.4	22.9	36	–
32.	पांडिचेरी	18.1	18.4	25	–
	अखिल भारत	27.5	27.2	72	71

विवरण-IV

इस समय कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति

31 मार्च, 1998 की स्थिति

आंकड़े अनन्तिम

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	नसबंदी			आई.यू.डी.				प्रचलित गर्भ निरोधक				मुखसेव्य गोलियां			अन्य तरीके		
		पात्र दम्पति 31 मार्च, 1998	नसबंदी से वर्तमान में सुरक्षित दम्पति एवं कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	सुरक्षित प्रतिशत	आई यू डी से इस समय सुरक्षित दंपति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	आई यू डी से कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	कारगर ढंग से सुरक्षित प्रतिशत	पारम्परिक तरीकों से इस समय सुरक्षित दम्पति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	पारम्परिक तरीकों से कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	मुखसेव्य गोलियों से वर्तमान में सुरक्षित दम्पति और कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	सुरक्षित प्रतिशत	सभी तरीकों से इस समय सुरक्षित दम्पति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	सभी तरीकों से इस समय कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	कारगर रूप से सुरक्षित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	137876	5605298	40.7	639274	4.6	607310	4.4	699873	4.4	299937	2.2	254499	1.8	7008943	51.5	6767043	49.1
2.	असम	38885	571195	14.7	72262	1.9	68649	1.8	29320	0.8	14660	0.4	31009	0.8	703786	18.1	685513	17.6
3.	बिहार	171605	3146067	18.3	393417	2.3	373746	2.2	50876	0.3	25438	0.1	40360	0.2	3630726	21.2	3585617	20.9
4.	गुजरात	81862	2954236	36.5	893023	10.9	848372	10.4	823404	10.1	411702	5.0	161910	2.0	4862573	59.4	4406220	53.8
5.	हरियाणा	32565	1062678	32.7	343151	10.5	325994	10.0	405447	12.5	202724	6.2	58713	1.8	1870990	57.5	1651108	50.7
6.	कर्नाटक	85723	3735381	40.6	735465	8.6	698692	8.2	320059	3.8	161550	1.9	154102	1.8	4948047	57.7	4749724	55.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.	केरल	51590	1833700	35.5	174230	3.4	165518	3.2	198636	3.9	69818	1.9	31182	0.6	2237748	43.4	2120719	41.3
8.	मध्य प्रदेश	136767	3831050	25.0	1372121	10.0	1303515	9.5	1685834	12.3	842917	6.2	552178	4.0	7441183	54.4	8529660	47.70.0
9.	महाराष्ट्र	153387	6198701	40.4	965041	6.3	916789	6.0	585988	3.8	292994	1.9	373441	2.4	8123171	53.0	7781924	50.7
10.	उड़ीसा	58690	1635144	27.9	4456041	7.6	423327	7.2	252769	4.3	126385	2.2	106639	1.8	2440210	41.6	2291545	39.0
11.	पंजाब	36740	1303019	35.5	907345	24.7	861978	23.5	538313	14.7	269157	7.3	98402	2.7	2847079	77.5	2532555	68.9
12.	राजस्थान	92146	2069765	22.5	422572	4.6	401443	4.4	837065	9.1	418533	4.5	301340	3.3	3630742	39.4	3191081	34.6
13.	तमिलनाडु	105506	4264891	40.4	851915	8.1	809319	7.7	186546	1.8	93273	0.9	191234	1.8	5494586	52.1	5358717	50.8
14.	उत्तर प्रदेश	274389	5075384	18.5	4100841	14.9	3895799	14.2	2037260	7.4	1018630	3.7	749015	2.7	11962500	43.6	10738828	39.1
15.	पश्चिम बंगाल	29748	3670478	28.3	253030	2.0	240378	1.9	369621	2.8	184811	1.4	294103	2.3	4587232	35.4	4389770	33.8
16.	हिमाचल प्रदेश	10605	390885	36.9	91532	8.6	86956	8.2	65049	6.1	32525	3.1	23264	2.2	570731	53.8	533630	50.3
17.	जम्मू कश्मीर	14742	216411	14.7	19747	1.3	18700	1.3	8510	0.6	4255	0.3	2957	0.2	247625	16.8	242382	16.4
18.	मणिपुर	3103	40516	13.1	21098	6.8	20043	6.5	5493	1.8	2747	0.9	2878	0.9	69985	22.6	66183	21.3
19.	मेघालय	3271	7810	2.4	3651	1.1	3469	1.1	945	0.3	473	0.1	1095	0.3	13501	4.1	12846	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.	नागालैंड	1835	11040	6.0	3416	1.9	3246	1.8	2	0.0	1	0.0	132	0.1	14591	8.0	14419	7.9
21.	सिक्किम	753	10203	13.6	2604	3.5	2474	3.3	405	0.5	203	0.3	2679	3.6	15891	21.1	15559	20.7
22.	त्रिपुरा	5573	98494	17.7	8263	1.5	7849	1.4	22893	4.1	11447	2.1	24921	4.5	154571	27.7	14711	25.6
23.	अ. नि. द्वीप	594	19467	32.8	2869	4.8	2726	4.6	2549	4.3	1275	2.1	805	1.4	25690	43.2	24272	40.8
24.	अरूणाचल प्रदेश	1732	14872	8.6	4912	2.8	4666	2.7	824	0.5	412	0.2	1935	1.1	22543	13.0	21885	12.6
25.	चंडीगढ़	1426	34395	24.1	13553	9.5	12875	9.0	7518	5.3	3759	2.6	147	0.1	55813	39.0	51176	35.9
26.	दा. न. हवेली	318	9321	29.3	484	1.5	460	1.4	0	0.0	0	0.0	196	0.6	10003	31.5	9979	31.4
27.	दिल्ली	217885	386236	17.6	152653	7.0	145020	6.6	208075	9.5	104038	4.8	9615	0.4	756579	34.6	644909	29.5
28.	गोआ	2151	46431	21.6	6274	2.9	5961	2.8	10627	4.9	5314	2.5	2132	1.0	65465	30.4	59837	27.8
29.	दमन दीव	202	4859	24.1	625	3.1	804	2.9	1380	6.8	690	3.4	04	1.5	7168	35.5	6447	31.9
30.	लक्षद्वीप	106	360	3.4	163	1.5	155	1.5	282	2.7	141	1.3	171	1.6	977	9.3	828	7.8
31.	मिजोरम	164	37630	32.3	4647	4.0	4415	3.8	948	0.8	174	0.4	1948	1.7	45172	38.8	44466	38.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32.	पांडिचेरी	1759	88182	50.1	8180	4.6	7771	4.4	7498	4.3	3749	2.1	861	0.5	104721	59.5	100563	57.2
33.	रक्षा मंत्रालय	-	241366	-	24136	-	22930	-	3202	-	16012	-	3554	-	301083	-	283864	-
34.	रेल मंत्रालय	-	285179	-	24337	-	23120	-	72514	-	36257	-	3755	-	385784	-	348311	-
35.	वाणिज्यिक	-	-	-	-	-	-	-	7336667	-	3668334	-	2759677	-	10096344	-	6428011	-
	अखिल भारत	1558797	45502586	29.3	12660710	7.6	12027674	7.3	16708256	10.1	8354127	5.0	6241211	3.8	34213741	50.8	75225578	45.4

नोट : रक्षा एवं रेल मंत्रालयों तथा वाणिज्यिक वितरण के सम्बन्ध में परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों से सुरक्षित दम्पतियों के अनुमान अखिल भारतीय अनुमानों में शामिल किए गए हैं क्योंकि इन एजेंसियों के पात्र दम्पतियों के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

विभिन्न स्थानों पर पूर्णांक के कारण अखिल भारतीय योग मेल नहीं खा सकता है।

इस समय कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पत्ति

31 मार्च, 1997 की स्थिति

अंकड़े अनन्तिम

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	नसबंदी			आई.यू.डी.						प्रचलित गर्भ निरोधक			मुखसेव्य गोलियां		अन्य तरीके		
		पात्र दम्पति 31 मार्च, 1997	नसबंदी से वर्तमान में सुरक्षित दम्पति एवं कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	सुरक्षित प्रतिशत	आई यू डी से इस समय सुरक्षित दंपति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	आई यू डी से कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	कारगर ढंग से सुरक्षित प्रतिशत	पारम्परिक तरीकों से फल समय सुरक्षित दम्पति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	पारम्परिक तरीकों से कारगर ढंग से सुरक्षित प्रतिशत	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	मुखसेव्य गोलियों से वर्तमान में सुरक्षित दम्पति और कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	सुरक्षित प्रतिशत	सभी तरीकों से इस समय सुरक्षित दम्पति	इस समय सुरक्षित प्रतिशत	सभी तरीकों से इस समय कारगर ढंग से सुरक्षित दम्पति	कारगर रूप से सुरक्षित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	139087	5404808	38.9	636110	4.6	604303	4.3	541226	3.9	270583	1.9	237738	1.7	6619832	49.0	6517464	46.9
2.	असम	38001	623180	16.5	68824	1.8	65383	1.7	33096	0.9	16548	0.4	18601	0.5	746700	19.6	728711	19.1
3.	बिहार	181222	3326341	18.4	427959	2.4	406561	2.2.	99945	0.6	49973	0.3	43582	0.2	3897827	21.5	3826457	21.1
4.	गुजरात	78824	2989630	37.9	910448	11.6	864926	11.0	1015432	12.9	507716	6.4	160118	2.0	5075828	64.4	4522390	57.4
5.	हरियाणा	31057	1053323	33.9	341612	11.0	324531	10.4	474826	15.3	237413	7.6	57506	1.9	1927266	62.1	1672773	53.9
6.	कर्नाटक	82910	3612491	43.6	699641	8.4	664659	8.0	350113	4.2	175067	2.1	158096	1.9	4820341	58.1	4610303	55.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.	केरल	46585	1861290	40.0	179141	3.8	170184	3.7	219377	4.7	108689	2.4	33445	0.7	2293252	49.2	2174007	46.7
8.	मध्य प्रदेश	137012	3765936	27.5	1418441	10.4	1347518	9.8	1795472	13.1	857736	6.6	488763	3.6	7468611	54.5	6499953	47.4
9.	महाराष्ट्र	155488	6134872	39.5	986561	6.3	937233	6.0	961653	6.2	480827	3.1	374684	2.4	8457770	54.4	7927615	51.0
10.	उड़ीसा	58837	1650590	28.1	400156	6.8	380148	6.5	369512	6.3	184756	3.1	106472	1.8	2526730	42.9	2321966	39.5
11.	पंजाब	33772	1298627	38.5	971323	28.8	922757	27.3	556844	16.5	278422	8.2	98613	2.9	2925406	86.6	2598418	78.9
12.	राजस्थान	90261	2010880	22.3	387270	4.3	367906	4.1	712534	7.9	356267	3.9	204283	2.3	3314967	36.7	2939337	32.6
13.	तमिलनाडु	103731	4297990	41.4	839234	8.1	797272	7.7	211061	2.0	105531	1.0	165646	1.6	5513930	53.2	5366438	51.7
14.	उत्तर प्रदेश	277861	5184948	18.7	3931115	14.1	3734559	13.4	1767599	6.4	883800	3.2	523304	1.9	11406966	41.1	10326611	37.2
15.	पश्चिम बंगाल	26929	3633618	28.6	294354	2.3	279636	2.2	394695	3.1	197348	1.6	235954	1.9	4558620	35.9	4346555	34.2
16.	हिमाचल प्रदेश	9658	389037	40.3	94243	9.8	89531	9.3	67382	7.0	33691	3.5	21944	2.3	57606	59.3	534203	55.3
17.	जम्मू कश्मीर	14450	227645	15.8	20722	1.4	19686	1.4	7357	0.5	3679	0.3	3030	0.2	258754	17.9	254039	17.6
18.	मणिपुर	2813	42100	15.0	20319	7.2	19303	6.9	5691	2.0	2846	1.0	2412	0.9	70522	25.1	66660	23.7
19.	मेघालय	3071	7514	2.4	3438	1.1	3266	1.1	1153	0.4	577	0.2	1059	0.3	13163	4.3	12415	4.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.	नागालैंड	1921	11175	5.8	4103	2.1	3898	2.0	28	0.0	14	0.0	395	0.2	15701	8.2	15482	8.1
21.	सिक्किम	674	10562	15.7	2643	3.9	2511	3.7	489	0.7	245	0.4	2685	4.0	16379	24.3	16002	23.7
22.	त्रिपुरा	5025	96406	19.2	7518	1.5	7142	1.4	16706	3.3	8353	1.7	20409	4.1	141038	28.1	132309	26.3
23.	अ. नि. द्वीप	571	18825	33.0	3116	5.5	2960	5.2	1393	2.4	697	1.2	896	1.6	24229	42.4	23377	40.9
24.	अरूणाचल प्रदेश	1629	13874	8.5	4699	2.9	4464	2.7	542	0.3	271	0.2	1035	0.6	20140	12.4	19644	12.1
25.	चंडीगढ़	1350	33640	24.9	14321	10.6	13605	10.1	8273	6.1	4137	3.1	317	0.2	56552	41.9	51700	38.3
26.	दा. न. हवेली	292	9740	33.4	435	1.5	413	1.4	0	0.0	0	0.0	238	0.8	10413	35.7	10391	35.6
27.	दिल्ली	19779	380269	19.2	154591	7.8	146861	7.4	270770	13.7	135385	6.8	8325	0.4	813955	41.2	670840	33.9
28.	गोआ	1861	46247	24.9	6969	3.7	6620	3.6	12244	6.6	6122	3.3	2302	1.2	67761	36.4	61291	31.9
29.	दमन दीव	172	4676	27.2	670	3.9	636	3.7	1468	8.5	734	43	287	1.7	7101	41.3	6333	36.8
30.	लक्षद्वीप	101	370	3.7	205	2.0	195	1.9	358	3.5	179	1.8	230	2.3	1163	11.5	974	9.6
31.	मिजोरम	1041	38264	36.8	5267	5.1	5004	4.8	1796	1.7	898	0.3	1880	1.8	47207	45.3	46046	44.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32.	पांडिचेरी	1503	84639	56.3	8701	5.8	8266	5.5	9793	6.5	4897	3.3	1016	0.7	104149	69.3	98818	65.7
33.	रक्षा मंत्रालय	-	243454	-	26148	-	24840	-	35127	-	17564	-	3607	-	308336	-	289465	-
34.	रेल मंत्रालय	-	279709	-	26508	-	24992	-	196894	-	98447	-	4284	-	507195	-	407432	-
35.	वाणिज्यिक	-	-	-	-	-	-	-	6968472	-	3384236	-	2184462	-	9152934	-	5688588	-
	अखिल भारत	1947488	48772507	29.6	12896601	7.8	12251771	7.4	17109321	10.4	8554661	5.2	6857618	3.1	28946047	51.0	74746557	45.4

नोट : रक्षा एवं रेल मंत्रालयों तथा वाणिज्यिक वितरण के सम्बन्ध में परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों से सुरक्षित दम्पतियों के अनुमान अखिल भारतीय अनुमानों में शामिल किए गए हैं क्योंकि इन एजेंसियों के पात्र दम्पतियों के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

विभिन्न स्थानों पर पूर्णांक के कारण अखिल भारतीय योग मेल नहीं खा सकता है।

सेंट्रल एडोप्शन एजेंसी

*134. **श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेंट्रल एडोप्शन एजेंसी कब से कार्यरत है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सहित इस एजेंसी के माध्यम से कितने बच्चे राज्यवार गोद लिए गए;

(ग) क्या देश में बच्चे गोद लेने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए किसी केन्द्रीय योजना को क्रियान्वयन हेतु मंजूर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना के क्रियान्वयन की कार्यविधियों के बारे में निर्णय ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी 28 जून, 1990 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है।

(ख) यह एजेंसी केवल अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों की स्वीकृति देती है और इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की एक योजना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण तथा दत्तकग्रहण के लिए बच्चों की व्यवस्था करने संबंधी कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। यह सहायता बच्चों के अनुरक्षण, कर्मचारियों के वेतन आदि पर कुल खर्चे की 90% राशि को शामिल करने के लिए समेकित आवर्ती अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है किन्तु प्रत्येक शिशु गृह के लिए अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए है।

(च) शिशु गृह योजना के लिए 4.5 करोड़ रुपए।

विवरण

वर्ष 1995, 1996, 1997 के दौरान अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995	1996	1997
1.	आन्ध्र प्रदेश	41	87	86
2.	दिल्ली	353	161	160
3.	गोवा	2	3	3
4.	गुजरात	18	26	30
5.	हरियाणा	–	3	1
6.	कर्नाटक	82	36	69
7.	केरल	36	71	48
8.	महाराष्ट्र	290	180	342
9.	उड़ीसा	33	30	19
10.	पांडिचेरी	5	2	3
11.	पंजाब	1	–	–
12.	तमिलनाडु	78	72	42
13.	उत्तर प्रदेश	9	–	–
14.	पश्चिम बंगाल	288	319	221
	कुल योग	1236	990	1024

खसरा रोग के मामले

*135. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री माधव राव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान खसरे के मामलों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार के ध्यान में लाए गए ऐसे मामलों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा खसरा रोग के उन्मूलन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार इस रोग को रोकने में किस हद तक सफल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) वर्ष 1985 से व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरे के टीके लगाने के परिणामस्वरूप खसरे के सूचित रोगियों की संख्या 1987 में 2.52 लाख से वास्तव में काफी घटकर 1997 में 41,425 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में राज्यवार सूचित रोगियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1996 में रोगियों में वृद्धि हुई थी लेकिन 1997 में इसकी घटना में कमी लाई गई है।

(ग) और (घ) प्रत्येक नवजात शिशु को लगभग 9 माह की आयु में खसरे का टीका लगाया जाता है। बहुत से बच्चों को खसरे का टीका न लगने का कारण सामाजिक धारणाएं और क्षेत्र (फील्ड) में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी का होना है। सरकार क्षेत्र में काम करने वाले (फील्ड) स्टाफ के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है और सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रयासों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। 1998-99 के दौरान 40 प्रमुख शहरों की मलिन बस्तियों में खसरे के टीके लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	खसरे के सूचित रोगी					
		1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2696	2818	2317	1275	1274	2563
2.	अरूणाचल प्रदेश	148	1740	580	339	382	16**
3.	असम	1714	2566	@	2791	3518	"
4.	बिहार	2935	@	@	@	@	@
5.	गोवा	73	113	81	39	56	267
6.	गुजरात	5152	905	4029	1571	1676	1822
7.	हरियाणा	38	74	201	138	115	72

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	327	1518	786	726	568	802
9.	जम्मू और कश्मीर	2755	2141	3004	4377	2001	3145
10.	कर्नाटक	5004	2845	2236	2175	3596	2086
11.	केरल	3595	12758	8390	4810	6525	5557
12.	मध्य प्रदेश	5824	2856	5880	1965	39237#	4340##
13.	महाराष्ट्र	12540	7790	7048	4128	5248	4525
14.	मणिपुर	212	400	955	159	167	1216
15.	मेघालय	898	7641	2021	1468	1431	2435
16.	मिजोरम	48	198	179	90	67	347
17.	नागालैंड	273	1061	583	437	448	741
18.	उड़ीसा	1140	4674	1586	1718	1845	2473
19.	पंजाब	108	46	100	40	48	@
20.	राजस्थान	3073	1194	3943	1777	1401	1775
21.	सिक्किम	219	995	@	@	@	@
22.	तमिलनाडु	4860	2655	3055	2330	662	377$
23.	त्रिपुरा	1090	775	86	476	1608	3621
24.	उत्तर प्रदेश	13161	4866	10753	1849	2256	2105

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिम बंगाल	3050	980	696	6787	8761	@
26.	अं. नि. द्वीप समूह	192	191	591	23	69	48
27.	चंडीगढ़	41	@	@	40	34	45
28.	दादरा नागर हवेली	62	22	180	362	203	267
29.	दमन और दीव	0	4	25	18	22	27
30.	दिल्ली	532	1238	2022	1443	1812	658*
31.	लक्षद्वीप	30	9	0	22	25	95
32.	पांडिचेरी	8	4	0	0	0	0
	भारत						
	कुल	71798	65077	61381	43373	85055	41425

@अप्राप्त *जून 1997 तक **जनवरी 1997 तक
@अगस्त 97 तक #स्पष्टीकरण होना है, ##अक्तूबर 1997 तक
स्रोत : मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट-राज्य/संघ राज्य डी.एच.एस.

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध

***136. श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे छद्म युद्ध का मुकाबला करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा शुरू किए गए विद्रोह को रोकने में केन्द्र सरकार किस हद तक सफल हो पायी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा सरकार ने तद्नुसार स्थिति से निपटने के लिए बहु-उद्देशीय रणनीति अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन मजबूत करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, प्रतिकारक कार्रवाईयों के द्वारा भीतरी भागों में उग्रवाद का मुकाबला करना, अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण/उन्नयन, इत्यादि करने के साथ-साथ

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना तथा विकास कार्यक्रमों को चालू रखना शामिल है।

(ङ) सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन द्वारा सतत् दबाव बनाए रखने, चौकसी बरतने तथा एकजुट कार्रवाहियों के कारण राज्य में तथा विशेष रूप से घाटी में घटनाओं की संख्या में कमी आई है। कलेन्डर वर्ष 1997 के दौरान मारे गए 197 विदेशी उग्रवादियों की तुलना में चालू कलैण्डर वर्ष में 15 नवम्बर तक मारे गए विदेशी उग्रवादियों की संख्या 289 है। एक जुलाई, 1998 से 30 नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान मारे गए कुल उग्रवादियों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि में मारे गए उग्रवादियों की संख्या से अधिक है। स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है।

[हिन्दी]

एड्स प्रभावित महिलाएं

***137. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**
श्री सी.डी. गामीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विभिन्न राज्यों में कुछ महिलाओं के प्रसूति पूर्व लिए गए रक्त के नमूनों को आधार मान कर किए गए परीक्षणों एड्स विषाणु पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों में एड्स संक्रमण भयावह स्तर पर पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में एड्स प्रभावित महिलाओं की संख्या कितनी है, अथवा वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां एड्स से प्रभावित महिलाओं की राज्यवार संख्या सर्वाधिक है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ)

पहरी निगरानी

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के "निगरानी" संघटक के अन्तर्गत फरवरी/मार्च, 1998 के दौरान एक राष्ट्रीय प्रहरी सर्वेक्षण किया गया। इन स्थानों से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रसव-पूर्व महिलाओं में एच.आई.वी. व्याप्तता दर एक प्रतिशत से अधिक है।

एड्स प्रभावित महिलाएं

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 अक्तूबर, 1998 को एड्स से पीड़ित महिलाओं की कुल संख्या 1405 है। यह संख्या देश में सूचित किए गए एड्स के कुल रोगियों का 21.26 प्रतिशत बैठती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर में महिलाओं में एड्स के रोगियों की संख्या इस प्रकार है:-

महाराष्ट्र	625	(18.8 प्रतिशत)
तमिलनाडु	308	(19.0 प्रतिशत)
मणिपुर	68	(22.0 प्रतिशत)
कर्नाटक	33	(21.9 प्रतिशत)
आन्ध्र प्रदेश	12	(26.6 प्रतिशत)

किए गए उपाय

भारत में एच.आई.वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण करने के लिए देश भर में इस समय एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. सामुदायिक सहभागिता के लिए क्षेत्रीय स्तर तक और अधिक विकेन्द्रीकरण करके केन्द्र और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंध संबंधी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण;
2. एच.आई.वी./एड्स के बारे में उच्च जोखिम के आचरण वाले समूहों और आम जनता में लक्षित समूहों में जागरूकता उत्पन्न करना;
3. यौन संचारित रोगों की रोकथाम और कन्डोम के उपयोग को बढ़ावा देना;
4. रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
5. निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण; और
6. एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक वातावरण तैयार करना और उनकी परिचर्या और सहायता हेतु कारगर उपाय करना।

[अनुवाद]

कृषि मजदूर

*138. **श्रीमती कमल रानी :**
श्री तेजवीर सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कृषि मजदूरों हेतु प्रति वर्ष स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों ने कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु नए प्रस्ताव सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे हैं;

(ग) इन योजनाओं से कृषि मजदूरों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु कुछ और उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) से (च) सरकार कां कृषि कर्मकारों के लिए रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तों के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करने और उनके लिए कतिपय कल्याण उपाय मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेषकर कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई योजना नहीं है और राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, खेतिहर कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के साथ छोटे किसानों, सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों को भिन्न-भिन्न दरों पर मिले-जुले उपदानों और आवधिक ऋणों को शामिल करके आय सृजक परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

(2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन और उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

(3) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)

रोजगार आश्वासन योजना का प्राथमिक उद्देश्य गैर-कृषि मौसम के दौरान लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है। दूसरा उद्देश्य सतत् रोजगार और विकास के लिए आर्थिक अवस्थापना और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.)

कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब घरों की महिलाओं के आय स्तर को बढ़ाना है ताकि आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति सामाजिक विकास में उनकी संगठित सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। सर्वप्रथम, स्वरोजगार के लिए ऋण और कौशल प्रशिक्षण, रोकड़ और अवस्थापना सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करके गांव स्तर पर गरीब घरों से 10-15 महिलाओं के समूहों का निर्माण करने पर बल देना है। समूह निर्माण की कार्यनीति के माध्यम से, उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु देखरेख, पोषणाहार, जल और साफ-सफाई की मूलभूत सेवाओं तक पहुंचना है।

(5) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को मूलभूत तकनीकी और प्रबन्धकीय कौशल मुहैय्या कराना है ताकि उन्हें कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं और व्यापारिक क्रियाकलापों में स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(6) समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने 18-60 वर्ष की आयु वर्ग में सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत, 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों

के लिए अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजना और 1988 में आई.आर.डी.पी. लाभभोगियों के लिए बीमा योजना की शुरूआत की है।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

भारत सरकार ने गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता की घोषणा की है। इसमें 65 वर्ष की आयु से ऊपर के निस्सहाय व्यक्तियों को 75 रु. मासिक वृद्धावस्था पेंशन, परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना से मृत्यु के मामले में क्रमशः 5000 रु. और 10,000 रु का एकमुश्त पारिवारिक लाभ तथा दो जीवित बच्चों के लिए 300 रु. प्रति प्रसव प्रसूति लाभ की संकल्पना है।

सेरेब्रल मलेरिया

***139. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेरेब्रल मलेरिया रोग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन स्थानों पर मलेरिया में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम, हैदराबाद और विजयवाड़ा देश में अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए 15 शहरों में से थे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पहचाने गए अन्य शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार मलेरिया को रोकने के लिए राज्यों की सहायता और मदद करने पर सहमत हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा मलेरिया को फैलने से रोकने और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) प्रमस्तिष्कीय मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सोपेरम (पो.एफ.) द्वारा उत्पन्न मलेरिया की जटिलताओं में से एक है। पिछले दशक के दौरान देश में इसकी रुग्णता दर मलेरिया के कुल रोगियों के लगभग 40 प्रतिशत रोगी की दर से है।

देश के कुल क्षेत्रों में पी. फाल्सीपेरम रोगियों में वृद्धि के कारणों के लिए निम्नलिखित बातें उत्तरदायी ठहराई जा सकती है:-

(1) आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मलेरिया की औषध क्लोरोक्विन के प्रति फ्री फाल्सोपेरम पर जीवी प्रतिरोधता का विकास।

(2) उच्च पी.एफ. स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों को और अन्य क्षेत्रों से इसके स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का प्रवसन जिससे पी.एफ. संक्रमण फैलता है।

(3) विकास परियोजनाओं, शहरीकरण इत्यादि के कारण बन-कटाई जैविक परिवर्तनों जिससे मच्छर जन्य स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(4) पारम्परिक कीटनाशकों के प्रति वेक्टर प्रतिरोधता का विकास।

(ग) और (घ) जी हां। विशेषज्ञ समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट में विशाखापत्तनम, हैदराबाद और विजयवाड़ा दोनों का उच्च जोखिम के क्षेत्रों के रूप में पता लगाया है। इस संबंध में पता लगाए गए शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो राज्यों के साथ 50:50 भागीदारी के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, के अन्तर्गत केन्द्र सरकार मलेरिया को फैसले से रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनिवार्य कीटनाशकों, लार्वानाशकों और मलेरिया की औषधों के रूप में वस्तुगत सामग्री सहायता पहले ही प्रदान कर रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त बृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत विशाल आदिवासी जनसंख्या वाले 7 राज्यों के 100 जिलों (1045 प्रा. स्वा. केन्द्रों) और 1921 हर कस्बे जो उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं, पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

(छ) सरकार मलेरिया के कारगर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

(1) शुरू में ही रोगी का पता लगाना और शीघ्र उपचार (ई.डी.पी.टी.)।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त कीटनाशकों और शहरी क्षेत्रों में लार्वानाशकों सहित चुनिंदा और समेकित वेक्टर नियंत्रण संबंधी उपाय।

(3) औषधीकृत मच्छर नेटों के उपयोग जैसे वैयक्तिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा।

(4) महामारियों का शुरू में हो पता लगाना और उन पर नियंत्रण करना।

(5) मलेरिया जन्म स्थितियों के निवारण और नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता उत्पन्न करने और जन सहभागिता के लिए उन्नत सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्य कलाप।

(6) संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित जन शक्ति विकास और सक्षम प्रबंध सूचना प्रणाली।

(7) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की औषध नीति के अनुसार पी. फाल्सीपेरम मलेरिया के नियंत्रण, क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधता के लिए सतत मानिटरिंग की जा रही हैं और राज्यों को सल्फेडोक्साइन-पाइरेमेथामाइन सम्मिश्रण गोलियों और कुनीन गोलियों जैसी मलेरिया की औषधें प्रदान की जा रही हैं।

विवरण-I

विशेषज्ञ समिति, 1995 द्वारा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पता लगाए गए शहरों के नाम

क्रम संख्या	शहर का नाम
1	2
1.	दिल्ली
2.	मद्रास
3.	कलकत्ता
4.	बम्बई
5.	हैदराबाद
6.	बंगलौर
7.	अहमदाबाद
8.	भोपाल
9.	जयपुर
10.	लखनऊ
11.	चंडीगढ़
12.	वडोदरा
13.	विशाखापटनम
14.	विजयवाड़ा
15.	कानपुर

विवरण-II

विशेषज्ञ समिति, 1995 द्वारा 1991-93 में 10 प्रतिशत से अधिक स्लाइड पाजिटिविटी रेट दर्शाने वाले समस्याग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पता लगाए गए कस्बे/शहर

क्रम संख्या	कस्बे का नाम
1	2
1.	चाईबासा (बिहार)
2.	भरूच (गुजरात)
3.	दोहाद (गुजरात)
4.	गोधरा (गुजरात)
5.	जोधपुर (राजस्थान)
6.	भरतपुर (राजस्थान)
7.	बेल्लरी (कर्नाटक)

1	2
8.	टुटीकोरिन (तमिलनाडु)
9.	इरोदा (तमिलनाडु)
10.	डिंडीगुल (तमिलनाडु)
11.	राऊरकेला (उड़ीसा)
12.	सम्बलपुर (उड़ीसा)
13.	नाभा (पंजाब)
14.	दीमापुर (नागालैंड)

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

***140. श्री अरविन्द कांबले :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ ज्यादती, बलात्कार और अन्य अपराधों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सर्वोच्च प्रतिशत वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) उनमें से राज्य-वार न्यायालयों में दर्ज किए गए मामलों का प्रतिशत क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाये गये; और

(च) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों पर उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1764	1629	1880	165	252	236
2. अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	2	5	0
3. असम	0	0	0	0	0	0
4. बिहार	747	810	710	232	190	158
5. गोवा	4	1	2	0	0	0
6. गुजरात	1724	1764	1831	486	369	384
7. हरियाणा	82	63	92	0	1	5

1	2	3	4	5	6	7
8. हिमाचल प्रदेश	82	66	61	5	3	1
9. जम्मू और कश्मीर	25	17	8	8	6	11
10. कर्नाटक	1171	1089	1227	96	180	78
11. केरल	696	640	755	185	122	139
12. मध्य प्रदेश	3979	4075	4269	1690	1466	1400
13. महाराष्ट्र	1622	1352	831	505	337	189
14. मणिपुर	1	0	0	2	0	0
15. मेघालय	2	0	0	2	1	13
16. मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17. नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18. उड़ीसा	329	486	602	143	179	220
19. पंजाब	8	12	11	4	1	0
20. राजस्थान	5197	6623	5624	1784	1393	1445
21. सिक्किम	33	14	18	40	46	31
22. तमिलनाडु	1293	1812	1403	40	85	227
23. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
24. उत्तर प्रदेश	14205	10963	8500	105	336	86
25. पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	2
27. चंडीगढ़	0	0	1	0	0	0
28. दादर और नगर हवेली	0	0	0	3	1	1
29. दमन और दीव	2	0	0	1	0	0
30. दिल्ली	6	11	19	0	0	0
31. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	24	13	23	0	0	0
कुल	32996	31440	27868	5498	4973	4626

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अपराधों की अत्याचार प्रतिशतता वाले राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध	अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध
1	2	3
1995	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
	राजस्थान	मध्य प्रदेश
	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1996	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
	राजस्थान	राजस्थान
	मध्य प्रदेश	गुजरात
1997	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
	राजस्थान	मध्य प्रदेश
	मध्य प्रदेश	गुजरात

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995	1996	1997
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
2. अरूणाचल प्रदेश	0	0	0

1	2	3	4
3. असम	0	100	100
4. बिहार	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5. गोवा	50	0	100
6. गुजरात	92.76	94.98	95.87
7. हरियाणा	——	94.94	——
8. हिमाचल प्रदेश	72	63	53
9. जम्मू और कश्मीर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10. कर्नाटक	85.7	78.6	86.3
11. केरल	78.5	57.03	50.14
12. मध्य प्रदेश	——	94.42	——
13. महाराष्ट्र	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
14. मणिपुर	0	0	0
15. मेघालय	0	0	0
16. मिजोरम	0	0	0
17. नागालैंड	0	0	0
18. उड़ीसा	94.6	94.9	95.9
19. पंजाब	85.71	84	77.77
20. राजस्थान	47.15	45.41	46.26
21. सिक्किम	0	0	100
22. तमिलनाडु	41	34	28
23. त्रिपुरा	0	0	0
24. उत्तर प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
25. पश्चिम बंगाल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
27. चंडीगढ़	——	100	——
28. दादर और नगर हवेली	50	100	100
29. दमन और दीव	0	100	100
30. दिल्ली	83.33	92.85	52.94
31. लक्षद्वीप	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0

नोट: एन.आर.–प्राप्त नहीं हुआ।

स्रोत : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

(ङ) न्यायालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,

1989 के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की संख्या:

वर्ष	न्यायालयों में मामलों की संख्या	सिद्ध दोष मामलों की संख्या	छूट गए मामलों की संख्या	न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या
1995	67209	713	6478	60018
1996	78177	1370	8588	68219 (अनंतिम)
1997	78279	852	5051	7376 (अनंतिम)

(च) सरकार विभिन्न उपाय करती रही है, जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में प्रावधान है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) राज्य सरकारों को (50:50) तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को (100%) उनके द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों को समर्थन देने के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है जिसमें कानूनी सहायता, अभियोजनों को आरंभ करने या पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना, आवधिक सर्वेक्षण करना, अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान और अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास मुहैया करने सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 27.70 करोड़ रुपये के मुकाबले 50.17 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्मुक्त की गई। वर्ष 1997-98 के दौरान 15.50 करोड़ रुपए, 14.28 करोड़ रुपए (0.11.98 की स्थिति के अनुसार) के बजट प्रावधान में से 15.50 करोड़ रुपए के मुकाबले 16.47 करोड़ रुपए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त किए गए।

(3) स्थिति की समीक्षा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर की जाती है।

(4) गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित अपने दिनांक 12.11.98 के पत्र में नीतियों/योजनाओं को तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए एक समुचित प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण

1372. श्री समर चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले सात महीनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में जनवरी से जून, 1998 के दौरान रोजगार कर्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, निम्नलिखित थी:-

राज्य	योग	शिक्षित (मैट्रिक एवं उससे ऊपर)
अरूणाचल प्रदेश	2411	328
असम	56504	41277
मणिपुर	8533	5953
मेघालय	3758	2740
मिजोरम	5376	7799
नागालैण्ड	4662	3735
त्रिपुरा	2119	2092

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में आई.आर.डी.पी,

जे.आर.वाई./ई.ए.एस. तथा पी.एम.आर.वाई. आदि जैसी विशेष रोजगार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारें भी अपनी रोजगार योजनाएं कार्यान्वित करती हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों को आवंटित कुल बजट का 10% पूर्वोत्तर के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु उद्दिष्ट किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण

1373. श्री महबूब जहेदी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल की खरीद न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का है;

(घ) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। धान की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन सरकारी वसूली एजेंसियों द्वारा की जाती है जबकि चावल की वसूली चावल मिल मालिकों/व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाकर की जाती है। तथापि, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना को क्रियान्वित करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल सरकार खरीफ विपणन मौसम 1997-98 से उक्त योजना के अधीन चावल की वसूली कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में रिक्तियां

1374. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में विभिन्न श्रेणियों में राज्यवार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तथा इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। यह क्रियाविधि जटिल है और इसमें काफी समय लगता है।

जहां तक समूह ''ग'' और ''घ'' पदों का संबंध है संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालयों को उन्हें भरने की शक्ति दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उन्हें शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के अधीन समूह ''क'' और ''ख'' पदों की स्थिति

क्र.सं.		डी.जी.एम.ओ.	आई.एस.एम.एस.पी.एल.	समूह ''ख''
1		2	3	4
1.	असम	1	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	3	शून्य	4
3.	बिहार	4	1	7

1	2	3	4
4. गुजरात	4	शून्य	1
5. कर्नाटक	शून्य	शून्य	3
6. महाराष्ट्र	35	3	8
7. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
8. उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
9. राजस्थान	शून्य	1	2
10. तमिलनाडु	1	1	9
11. उत्तर प्रदेश	22	5	7
12. दिल्ली	56	11	13 1 (राज.) 2 (अराजपत्रित)
13. पश्चिम बंगाल	8	1	6
14. केरल	2	शून्य	शून्य
	136	23	60

दिल्ली के बाहर/दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनिटों के अधीन समूह "ग" और "घ" पदों की स्थिति

क्र.सं.	के.स.स्वा.यो. संगठन का नाम	समूह "ग"	समूह "घ"
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	26	8
2.	महाराष्ट्र	26	7
3.	बिहार	12	शून्य
4.	पश्चिम बंगाल	10	8
5.	गुजरात	शून्य	2
6.	उड़ीसा	शून्य	1
7.	असम	शून्य	शून्य
8.	केरल	शून्य	6
9.	मध्य प्रदेश	1	शून्य
10.	आंध्र प्रदेश	5	1
11.	राजस्थान	5	4
12.	तमिलनाडु	8	6
13.	कर्नाटक	7	3
14.	दिल्ली	85	58
		185	104

पेट्रोल/रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण

1375. श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तेल कंपनियों ने पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसियों और मिट्टी के तेल की दुकानों के आबंटन में आरक्षण को समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक. गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। सभी तेल कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-ओमान परियोजना

1376. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ओमान कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड और राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के सहयोग से एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र में यूरिया का अनुमानत: कितना उत्पादन होगा; और

(घ) भारत और ओमान की इस संयंत्र में कितनी प्रतिशत की भागीदारी होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) 1106 मिलियन अमरीकी डालर की कुल लागत से ओमान में ओमान की ओमान आयल कं. के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रति वर्ष 14.52 लाख मी. टन यूरिया तथा 3.30 लाख मी. टन मर्चेन्ट अमोनिया की क्षमता के अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना करने हेतु राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ.) तथा कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) के प्रस्तावों को सरकार द्वारा सितम्बर, 1997 में अनुमोदित कर दिया गया है। आर.सी.एफ. और कृभको के पास इस संयुक्त उद्यम कंपनी की 50% साम्य पूंजी होगी तथा शेष 50% ओमान आयल कम्पनी द्वारा रखी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल पम्प

1377. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पेट्रोल और डीजल पम्पों की स्थापना के लिए समुचित सुविधा नहीं है;

(ख) क्या पेट्रोल पम्प कुछ चुनिन्दा शहरों में ही उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उस क्षेत्र के संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पम्प दूर दराज के क्षेत्रों में कब तक खोल दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से राजस्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान नीति के अनुसार राजस्थान में विभिन्न स्थानों सहित देश के विभिन्न स्थानों में खुदरा बिक्री केन्द्र ग्रीलरशिपें स्थान की व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता के अधीन खोली जाती हैं। 1.10.1998 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कुल 996 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत थे। इसके अलावा राजस्थान के लिए वर्तमान विपणन योजना (1996-98) में 29 नए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थान शामिल कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

1378. श्री सत्यपाल जैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में रह रहे केन्द्रीय सरकार के उन सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के लाभ के पात्र हैं;

(ख) उन्हें उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत सभी सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में 18106 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी थे। तथापि, पेंशनभोगियों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग) सेवारत केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सी.एस.(एम.ए.) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं और वे अपने कार्यालयों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

पेंशनभोगियो के संबंध में उनके दिनानुदिन उपचार के लिए भारत सरकार ने 100 रुपये प्रतिमाह के चिकित्सा भत्ते के भुगतान के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने उनके नजदीक के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से उनके लिए सी.जी.एच.एस. कार्ड जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं ताकि बड़ी बीमारियों के मामले में वे अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करवा सकें और सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकें।

कुष्ठ रोग के मामले

1379. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में कितने कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने रोगियों का इलाज किया गया;

(ग) क्या उनको इलाज के पश्चात् छुट्टी दे दी गई और उनका पुनर्वास कर दिया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उस राज्य में ऐसे कुष्ठ रोग के मामले बढ़ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से पर्याप्त इलाज प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों का निम्नलिखित वर्षों का रुझान इस प्रकार है:-

वर्ष	पता लगाए गए नए रोगी
1995-96	45865
1996-97	42252
1997-98	99341

सभी रोगियों का उपचार किया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान रोगमुक्त किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	रोगमुक्त किए गए रोगियों की संख्या
1995-96	54300
1996-97	53513
1997-98	57641

जरूरतमंद रोगियों को चिकित्सीय पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अपंगता और अल्सर परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) पिछले वर्षों में स्थिर रुझान रहा है लेकिन छुपे हुए रोगी पर्याप्त संख्या में थे जो पहले उपचार करवाने के लिए आगे नहीं आए। ऐसे छुपे हुए रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य में 1997-98 के दौरान जनजागरूकता पैदा करने और उसके बाद सक्रियता से खोजबीन करने के लिए एक गहन संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान आयोजित किया गया था। इससे 1997-98 में हुई वृद्धि का पता चलता है।

(च) सभी पता लगाए गए रोगियों को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन मुफ्त बहु-औषध थिरेपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[हिन्दी]

पोलियो के नकली टीके

1380. श्री मोतीलाल वोरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "लाखों शिशुओं को पोलियो की नकली दवा पिला दी गई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पोलियो के नकली टीकों की आपूर्ति की गई और कितने बच्चों को टीके लगाए गए;

(ग) ये टीके किस तारीख को और किस कंपनी से खरीदे गए और किस स्तर के अधिकारियों द्वारा इनकी खरीद का निर्णय लिया गया;

(घ) क्या इन टीकों को इनके रेपर बदलकर तथा उनमें इनके शीघ्र उपयोग के निर्देश लिखकर विभागीय माध्यम से न भेजकर सीधे स्वास्थ्य केन्द्रों को भेजा गया था;

(ङ) यदि हां, तो रेपर बदलने के क्या कारण हैं; और

(च) पूरी घटना की जिस स्तर पर जांच की गई उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुख सेव्य (ओरल) पोलियो वैक्सीन बच्चों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पिलाई जाती है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन की तीन खुराक पिलाई जाती हैं - पहली छह सप्ताह की आयु होने पर, दूसरी 10 सप्ताह की आयु होने पर और तीसरी 14 सप्ताह की आयु होने पर तथा एक बूस्टर खुराक बच्चे को डेढ़ वर्ष के आयु होने पर दी जाती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन वर्ष में दो बार दी जाती है - एक बार दिसम्बर में और पुन: आने वाली अगली जनवरी में। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए मुख सेव्य (ओरल) वैक्सीन भारतीय विनिर्माताओं से खरीदी जाती है और कुछ वैक्सीन विभिन्न दाता एजेंसियों से वस्तुगत सहायता के रूप में प्राप्त की जाती है। 1997-98 के दौरान चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल में पोलियो वैक्सीन की 195 लाख खुराकें दाता सहायता के रूप में प्राप्त हुई थीं। ये आपूर्तियां पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ के माध्यम से प्राप्त हुई थीं और इसमें से वैल्जियम की स्मिथक लाइन बीकेम द्वारा विनिर्मित 20 लाख खुराकों की आपूर्ति (सप्लाई) उत्तर प्रदेश को गई थी। दाता एजेंसियों द्वारा सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन गुणवत्ता की जांच दाता एजेंसियों द्वारा किए जाने के अलावा भारत सरकार वैक्सीन के किसी पोत पत्तन में प्राप्त होने पर इसकी जांच केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में करवाती है और जब वैक्सीन को स्वीकार्य गुणवत्ता का पाया जाता है, तभी इसे राज्यों को भेजने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को 1997-98 में सप्लाई की गई वैक्सीन अच्छी गुणवत्ता की थी। यह किसी भी अर्थ में नकली वैक्सीन नहीं थी।

जून, 1998 में कुछ समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टें भारत सरकार के ध्यान में आईं जिनमें यह आरोप लगाया गया कि आयातित नकली मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन के इस्तेमाल के कारण गाजियाबाद में बच्चों के जीवन को खतरा हो गया था। सरकार ने तत्काल 25 जून को एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की जिसके अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सूक्ष्मजीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे। समिति की रिपोर्ट 30 जून को प्राप्त हुई। समिति ने गाजियाबाद में क्षेत्रीय पूछताछ करने के अलावा गाजियाबाद और लखनऊ का दौरा किया।

तकनीकी समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन आयातित वैक्सीन चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल में प्राप्त की गई थी और वहीं इसका भंडारण किया गया था। चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल द्वारा वैक्सीन को भेजने से पूर्व इसकी कसौली में जांच की गई थी और इसे संतोषजनक पाया गया था। चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल से उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ स्थित वैक्सीन भंडार को सितम्बर, 1997 में वैक्सीन सप्लाई की गई थी। लखनऊ में भंडारित इस वैक्सीन के नमूनों की कसौली में भी जांच की गई थी और उन्हें संतोषजनक पाया गया था। लखनऊ स्थित वैक्सीन भंडार से वैक्सीन गाजियाबाद में इसके भंडारण के दौरान इसके नमूने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को अप्रैल-मई, 1998 में भेजे गए और उन्हें संतोषजनक भी पाया गया। इस प्रकार मई, 1998 तक वैक्सीन प्रभावकारी थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस वैक्सीन ने मई, 1998 के बाद अपनी शक्ति खो दी क्योंकि जब दल ने अपनी जांच-पड़ताल के दौरान गाजियाबाद में वैक्सीन की इस खेप का निरीक्षण किया तो पोलियो वैक्सीन की शीशियों पर लगे वैक्सीन वॉयल मानीटर्स ने इसके रंग में उस हद तक परिवर्तन दर्शाया जिससे इसकी प्रभावकारिता में क्षति का पता लगता था। समिति ने पाया है कि वैक्सीन की प्रभावकारिता में कुछ क्षति का अत्यधिक संभावित कारण लखनऊ में इसके आइस लाइन्ड रेफ्रीजरेटरों में काफी लंबी अवधि तक 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भंडारण करना है जबकि लंबी अवधि के लिए भंडारण हेतु वैक्सीन को डीप फ्रीजर्स में -18 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखना अपेक्षित होता है।

समिति ने बताया है कि यदि मुख सेव्य (ओरल) वैक्सीन की शक्ति में क्षति होने के बाद भी यह बच्चों को दी जाए तो, इससे बच्चों के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है और न ही कोई अन्य सीधा हानिकारक प्रभाव होता है, सिवाय इसके कि बच्चा पोलियो वायरस द्वारा किए गए संक्रमण और इसके परिणामों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को प्रभावकारी वैक्सीन से पुन: रोगप्रतिरक्षित किए जाने की जरूरत होती है।

समिति से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित निदानात्मक कार्रवाइयां करने की सलाह दी गई थी:-

(1) जिन बच्चों को गाजियाबाद में उक्त मुख सेव्य (ओरल) पोलिया वैक्सीन पिलाई गई थी, उन्हें तत्काल पुन: वैक्सीन पिलाई जानी चाहिए।

(2) वैक्सीन को संभाल करने वाले सभी कार्मिकों (चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय) को विशेष रूप से उन वैक्सीन की शीशियों, जिन पर वैक्सीन शीशी मानीटर्स मुद्रित होते हैं, की संकल्पना और संभाल (हैंडलिंग) के संबंध में अनिवार्यत: प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार को तदनुसार सलाह दी गई थी कि वे उन बच्चों को पुन: रोग प्रतिरक्षित करें जिन्हें गाजियाबाद में निष्प्रभावी पोलियो वैक्सीन दी गई हो।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में कोई भी नकली वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की गई है।

[अनुवाद]

असम में सक्रिय संगठन

1381. डा. जयन्त रंगपी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट आफ असम (एम.एल.एफ.ए.), मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (एम.यू.एल.एफ.ए.) मुस्लिम लिबरेशन टाइगर्स आफ असम (एम.एल.टी.ए., मुस्लिम वालंटियर फोर्स (एम.बी.एफ.) इस्लामिक लिबरेशन आर्मी आफ असम (आई.एल.ए.ए.) जैसे संगठन सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इन संगठनों पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) मुस्लिम लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (एम.एल.एफ.ए.), मुस्लिम यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (एम.यू.एल.एफ.ए.), मुस्लिम लिब्रेशन टाइगर आफ असम (एम.एल.टी.ए.) मुस्लिम वालंटियर फोर्स (एम.वी.एफ.), इस्लामिक लिब्रेशन आर्मी आफ असम (आई.एल.ए.ए.) आदि, जैसे अनेक मुस्लिम संगठन असम में सक्रिय हैं। इन संगठनों का घोषित उद्देश्य असम में मुसलमानों के सभी हितों की सुरक्षा करना है। तथापि, रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ मुस्लिम कट्टरवादी संगठन उग्रवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं।

(ग) इन संगठनों पर रोक लगाने के लिए अभी तक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को सुग्राही बनाया है। गैर-कानूनी अथवा अग्रवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए किसी भी व्यक्ति/संगठन के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकार इनमें से कुछ संगठनों के साथ आई.एस.आई. के संभावित संबंधों की निकट से मानीटरिंग कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली का दर्जा

1382. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली को दो राज्यों में विभाजित किये जाने की संभावना है या संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहेंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार को मामले में अभी अंतिम मत निर्धारित करना है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता संग्राम

1383. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कुछ आन्दोलनों को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित करने के लिए राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से आन्दोलनों की सिफारिश की गई है;

(ग) इन मामलों की किन आधारों पर सिफारिश की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रीय आन्दोलनों को मान्यता दिए जाने के संबंध में इस आधार पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि उक्त आन्दोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था:

(क) कल्लारा-पेंगाडे मामला

(ख) कडाक्वल दंगा मामला

(ग) चेंगानूर दंगा मामला

(घ) वट्टिकायूरकावू सम्मेलन

(ङ) स्वतंत्रता विरोधी त्रावनकोर आन्दोलन

(च) पुन्नपरा क्यूलर आन्दोलन

(छ) कय्यूर आन्दोलन

(ज) कावूम्बई आन्दोलन

(झ) करिवेल्लोर आन्दोलन

(ञ) मोरझा आन्दोलन, और

(ट) मालावार विशेष पुलिस हड़ताल।

उपर्युक्त आन्दोलनों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्ड पूरा करने पर पेंशन दिए जाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को बौद्धिक संपदा अधिकार से संरक्षण

1384. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को बायो-पाइरेसी से बचाने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार लेने की परम आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ./डब्ल्यू.आई.पी.ओ. जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के महत्व का अहसास करते हुए बायो-पाइरेसी से भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग उद्योग मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे भारत सरकार के संबंधित विभागों से बातचीत करता रहा है।

(ग) से (ङ) वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और बायो पाइरेसी के बचाव का मामला विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के साथ नहीं उठाया है। बायो-पाइरेसी का मामला जीव-विविधता के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण और वन मंत्रालय जीव विविधता के विषय पर एक विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है।

मंत्रिमंडलीय फैसले के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में एक व्यापार और पर्यावरण समिति गठित की गई। वह समिति भी पर्यावरण के साथ विश्व व्यापार संगठन ट्रिप्स करार के संबंध पर अन्य बातों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। भारत ने एक ओर ट्रिप्स करार की कार्यनीतियों और दूसरी ओर जीव विज्ञानी विविधता के संरक्षण में सामंजस्य कायम करने के लिए उस समिति में प्रस्ताव भेजा है। उद्योग मंत्रालय भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वाणिज्य और उद्योग संबद्ध चैम्बर्स के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा आयोजित "परम्परागत दवाइयों के क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा" मामले पर एक सेमिनार 7 एवं 9 अक्तूबर, 1998 के बीच आयोजित किया गया।

[अनुवाद]

किराए की इमारतों में सी.जी.एच.एस. औषधालय

1385. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** किराए की इमारतों में चल रहे सी.जी.एच.एस. औषधालयों के बारे में 9.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1903 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उसके बाद जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त औषधालयों को किराए की इमारतों से उनकी स्वयं की इमारतों में ले जाने पर कुल कितनी धनराशि का व्यय अथवा बचत हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र कर ली गई है और संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठ औषधालय निजी भवनों में स्थित हैं। 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान हैदराबाद में इन भवनों के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया गया कुल किराया उसी संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश में किराये के भवनों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का ब्यौरा दिल्ली के बाहर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए किराये का राज्यवार विवरण और कुल रकम

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	किराये पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रशासकीय भवनों सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की कुल संख्या	पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भुगतान किया गया किराया	
1	2	3	4	5	
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	06	1995-96	3,93,480/- रुपये
				1996-97	3,93,480/- रुपये
				1997-98	3,93,480/- रुपये
2.	गुजरात	अहमदाबाद	06	1995-96	1,81,164/- रुपये
				1996-97	1,81,740/- रुपये
				1997-98	1,81,740/- रुपये

1	2	3	4	5	
3.	कर्नाटक	बेंगलौर	07	1995-96	10,66,000/- रुपये
				1996-97	15,89,000/- रुपये
				1997-98	12,25,902/- रुपये
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई	06	1995-96	1,55,592/- रुपये
				1996-97	1,55,592/- रुपये
				1997-98	1,55,592/- रुपये
5.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	07	1995-96	13,53,611/- रुपये
				1996-97	18,68,724/- रुपये
				1997-98	24,57.300/- रुपये
6.	असम	गुवाहाटी	04	1996-97	2,61,690/- रुपये
				1997-98	3,85,521/- रुपये
				1998 (30.11.98 तक)	2,43,230/- रुपये
7.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	08	1995-96	10,235,084/- रुपये
				1996-97	11,34,630/- रुपये
				1997-98	10,19,004/- रुपये
8.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	03	1995-96	3,21,600/- रुपये
				1996-97	3,52,491/- रुपये
				1997-98	3,88,416/- रुपये
9.	राजस्थान	जयपुर	03	1995-96	1,96,572/- रुपये
				1996-97	1,96,599/- रुपये
				1997-98	4,39,967/- रुपये
10.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	09	1995-96	10,17,708/- रुपये
				1996-97	9,12,105/- रुपये
				1997-98	10,91,034/- रुपये

1	2	3	4	5	
11.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	07	1995-96	5,85,984/- रुपये
				1996-97	4,67,122/- रुपये
				1997-98	6,06,154/- रुपये
12.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	04	1995-96	1,98,660/- रुपये
				1996-97	2,00,031/- रुपये
				1997-98	1,76,160/- रुपये
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	10	1995-96	11,41,696/- रुपये
				1996-97	11,03,849/- रुपये
				1997-98	11,11,184/- रुपये
14.	महाराष्ट्र	नागपुर	07	1995-96	3,50,015/- रुपये
				1996-97	2,90,241/- रुपये
				1997-98	5,37,423/- रुपये
15.	बिहार	पटना	06	1995-96	6,25,587/- रुपये
				1996-97	6,13,928/- रुपये
				1997-98	4,92,708/- रुपये
16.	महाराष्ट्र	पुणे	04	1995-96	2,63,006/- रुपये
				1996-97	3,53,880/- रुपये
				1997-98	3,53,880/- रुपये
17.	केरल	त्रिवेन्द्रम	03	16.3.96—31-3-98	1,96,129/- रुपये
				1.5.96—31.3.98	2,16,200/- रुपये
				4.3.97—31.3.98	1,13,548/- रुपये

गुजरात के लिए रसोई गैस के सिलिंडर

1386. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को कितनी रसोई गैस की आपूर्ति की गई तथा इसकी कितनी मांग है;

(ख) क्या राज्य में रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की अत्यधिक कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गुजरात राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत वर्तमान ग्राहकों की एल.पी.जी. मांग कमोबेश पूर्णत: पूरी की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में एल.पी.जी. की बिक्री निम्नानुसार है:

वर्ष	बिक्री (एम.एम.टी. में)
1997-98	335359
1996-97	312758
1995-96	300172

(ख) से (घ) जब कभी कानून और व्यवस्था की समस्या, आई.आर. समस्या, बाढ़ अथवा किसी उत्पादन स्रोत में आपात बन्द के कारण उपलब्धता व्यवधान आदि के कारण एल.पी.जी. बकाया कार्य इकट्ठा हो जाता है तो तेल कंपनियां बकाया कार्य का निपटान करने के लिए एल.पी.जी. का अधिकाधिक आयात करके और बढ़ाए गए कार्य घंटों के दौरान एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा तथा आसपास के क्षेत्रों के भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके प्रभावित बाजारों में मांग पूरी करने के लिए तत्काल उपाय करती है। जैसी कि तेल कंपनियों से रिपोर्ट मिली है, गुजरात राज्य में एल.पी.जी. का कोई बैकलाग नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा जारी करना

1387. **श्री मोइनुल हसन अहमद** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ शेडयूल कास्ट एंड शेडयूल ट्राइब्ज के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा जारी करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने अपने बजट में राज्य के हिस्से का प्रावधान करने के बारे में सूचना नहीं दी है और वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्र के हिस्से के रूप में उनको निर्मुक्त निधियों के उपयोग के बारे की सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इस सूचना के प्राप्त होने पर राज्य सरकार को केन्द्र का हिस्सा निर्मुक्त करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी।

घेंघा रोग के मामले

1388. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयोडीन रहित नमक पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व और पश्चात् आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोगियों और घेंघा रोग की वृद्धि दर क्या रही; और

(ख) इस रोग को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में गलगण्ड तथा दूसरे आयोडीन अल्पता विकारों की व्याप्तता पर आयोडीकृत नमक के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर कराए गए सर्वेक्षणों से पौष्टिक आयोडीन अल्पता के कारण उत्पन्न विकारों में उल्लेखनीय कमी का पता चला है।

(ख) पहले राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम को देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति में आयोडीन

अल्पता विकास सर्वेक्षण, आयोडीकृत नमक की सप्लाई, नमक में आयोडीन की मात्रा और मूत्र में आयोडीन के उत्सर्जन का अनुवीक्षण और जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है।

सरकारी उपक्रमों के लिए निधि

1389. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 28 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5887 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को उपक्रमों के कल्याण के अलावा अन्य कार्यों के लिए धन जुटाने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) ओ.एन.जी.सी. से प्राप्त आंशिक सूचना की मंत्रालय में जांच की जा रही है। शेष सूचना प्राप्त की जा रही है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1390. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स के विषाणु देश की आम जनता में फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एड्स समिति ने विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्र में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के काम को सुदृढ़ और तेज करने का आह्वान किया है; और

(ग) यदि हां, तो देश की आम जनता में एड्स के विषाणु को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से समस्त देश भर में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसकी मुख्य कार्यनीति में निहित है:-

- केंद्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना;
- अधिक जोखिमपूर्ण आचरण करने वाले समूहों और आम जनता में एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना;
- यौन संचारित रोगों का नियंत्रण करना;
- रक्त बैंकों को उचित लाइसेंस देने के जरिए रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना;
- निगरानी और निदान करने की क्षमता को मजबूत करना; और
- एच.आई.वी./एड्स के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

[हिन्दी]

कैदियों में एड्स के मरीज

1391. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान अनेक राज्यों में कैदियों में एड्स के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा भविष्य में उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) चूंकि ''जेल'' संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची सूची-II की प्रविष्टि-4 के अनुसार राज्य का विषय है, अत: केन्द्र सरकार द्वारा कैदियों में एड्स सहित विभिन्न बीमारियों की वारदातों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) यह मुख्यत: राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे कैदियों में एड्स तथा अन्य बीमारियों के फैलने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तथापि, भारत सरकार राज्यों को सलाहकार भेजती रहती है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है ताकि जेलों तथा कैदियों की दशा में सुधार किया जा सके।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. के चिकित्सा विशेषज्ञ/काय चिकित्सक

1392. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.जी.एच.एस. के उन चिकित्सा विशेषज्ञों/काय चिकित्सकों का ब्यौरा क्या है जो पिछले 12 वर्षों से अपनी प्रारंभिक तैनाती/नियुक्ति के समय से एक ही चिकित्सा केन्द्र पर काम कर रहे हैं;

(ख) उन चिकित्सा का ब्यौरा क्या है जिन्हें एक ही स्थान पर स्पेशलिस्ट ग्रेड-1 की पदोन्नति प्रदान की गई है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 10 चिकित्सा विशेषज्ञ/ फिजिशियन उसी स्थान पर अपनी प्रारंभिक तैनाती/नियुक्ति से 12 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ अधिकारियों की आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर समयबद्ध आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-1 में पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति के लिए स्थान बदलना जरूरी नहीं है क्योंकि उनके मूल कर्त्तव्यों में परिवर्तन नहीं होता है।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं है।

विवरण

डाक्टर का नाम		विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति की तारीख		ग्रेड में आने की तारीख	यूनिट	के.स.स्वा.यो. में कब से कार्य कर रहे हैं	क्रम संख्या	विशेषज्ञ ग्रेड-1 में पदोन्नति की तारीख
1		2		3	4	5	6	7
	एस चुग	27.4.78	सी	एसए/040	सीजीएचएस डीईएल (आर.एम.एल.)	अप्रैल, 93*		1.12.91
1	एन. श्रीनिवासन	20.2.78	सी	एसए/052	सीजीएचएस वाईडी	फरवरी, 78	1	1.12.91
	एन.के. पुरी	6.2.78	सी	एसए/053	सीजीएचएसकेपीआर	जनवरी, 80		1.12.91
2	टी.आर. सिद्धाराजू	12.5.78	सी	एसए/054	सीजीएचएसएनपीआर	मई, 78	2	1.12.91
	ए.के. अग्रवाल	31.8.79	सी	एसए/057	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	जून, 80		1.12.91
3	श्रीमती एन.पी. ग्रोवर	24.4.79	सी	एसए/058	सीजीएचएसजेपीआर	अप्रैल, 79	3	1.12.91
	बी.बी. गुप्ता	20.12.79	सी	एसए/062	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	जनवरी, 95		1.12.91

1		2		3	4	5	6	7
4	एस.सी. शर्मा	1.10.80	सी	एसए/074	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	अप्रैल, 84	4	1.12.91
5	कुमारी वेद गुप्ता	30.7.81	सी	एसजी/004	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	जुलाई, 81**	5	1.12.91
	दिलीप कुमार	29.7.82	1	एसजी/009	सीजीएचएसएएलबीडी	मई, 87		1.12.91
	पी.के. गुप्ता	2.7.82	1	एसजी/010	सीजीएचएसएलकेडब्ल्यू	1995		1.12.91
6	पी.पी. अग्रवाल	18.8.86	1	एसजी/020	सीजीएचएसएएलबीडी	अगस्त, 86	6	11.12.92
7	पी.टी. कुदवा	11.12.84	1	एसजी/021	सीजीएचएसएमबीआई	दिसम्बर, 84	7	11.12.92
8	आनंद राव	25.3.85	1	एसजी/022	सीजीएचएसपीयूएनई	मार्च, 85	8	25.3.93
9	शिव चरण	26.3.85	1	एसजी/023	सीजीएचएसएमआरटी	मार्च, 85	9	26.3.93
10	श्रीमती एम.आर. कुलकर्णी	15.7.85	1	एसजी/025	सीजीएचएसएनपीआर	जुलाई, 85	10	15.7.93
	मोहसिन वाली	27.3.86	1	एसजी/032	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	मार्च, 86**		27.3.94
	शाम सुन्दर	30.3.87	1	एसजी/035	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	1996		30.3.95
	भवानी सिंह	14.4.87	1	एसजी/037	सीजीएचएसडीईएल (आरएमएल)	अप्रैल, 87		1.7.95
	बी.एम. सिंह		11	एसजी/039	सीजीएचएसडीईएल			
	एन.एन. नेगी		11	एसजी/040	सीजीएचएसडीईएल			
	के.एल. माहेश्वरी		11	एसजी/043	सीजीएचएसएएचएमडी			
	एम. शोमशेखर		11	एसजी/046	सीजीएचएसएमबीआई			

1	2	3	4	5	6	7
अशोक कुमार	11	एसजी/047	सीजीएचएसडीईएल			
अनिल कुमार जैन	11	एसजी/49	सीजीएचएसडीईएल			
जितेन्द्र प्रसाद	11	एसजी/050	सीजीएचएसएलकेडब्ल्यू			
अशोक कुमार	11	एसजी/057	सीजीएचएसएलकेडब्ल्यू			
चरणजीत सिंह	11	एसजी/059	सीजीएचएसडीईएल			
बी. लाल	11	एसजी/065	सीजीएचएसडीईएल			
स्मिता मोहंती	11	एसजी/067	सीजीएचएसडीईएल			
बी.डी. शर्मा	11	एसजी/069	सीजीएचएसडीईएल			
राजेश मनोचा	11	एसजी/075	सीजीएचएसडीईएल			
बी.बी. रिवारी	11	एसजी/076	सीजीएचएसडीईएल			
योगेश सी. पोरवाल	10	एसआरओ	सीजीएचएसपीएटीएनए			
रिक्त	वी	वी	सीजीएचएसडीईएल			

* वे मार्च, 1980 से के.स.स्वा.यो. (डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल) में कार्य रहे थे। तब उन्हें दिनांक 31.10.91 को के.स.स्वा.यो. (पी.एच.ए.) में स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने डा. (कुमारी) वेद गुप्ता के स्थान पर 11.11.91 से 7.4.93 तक कार्य किया।

** उन्हें 31.10.91 को के.स.स्वा.यो. (पी.एच.ए.) से के.स.स्वा.यो. (डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल) में स्थानांतरित किया गया। वे तब तक छुट्टी पर रहीं जब तक कि 7.4.93 को पुन: के.स.स्वा.यो. (पी.एच.ए.) में उनकी वापसी स्थानांतरण के आदेश नहीं हुए क्योंकि उनका प्रारंभिक स्थानांतरण लोक सभा हाउस कमेटी से परामर्श किए बिना किया गया था।

*** वे 15.6.90 से 25.7.97 तक भारत के राष्ट्रपति के वैयक्तिक फिजिशियन के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे।

[हिन्दी]

विदेशी डाक्टरों की अर्हता

1393. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश से डाक्टरों के दल अक्सर भारत आकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन करते हैं तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं सहित उपचार प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन डाक्टरों की अर्हताओं की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत के दौरे पर आने वाले ऐसे विदेशी दलों की संख्या क्या है तथा उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां। भारत में पूर्त, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले विदेशी राष्ट्रिक के लिए अनुमति की सिफारिश भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा की जाती है। प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए विदेशी राष्ट्रिक को अस्थायी अनुमति भी प्रदान की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 14 का संगत भाग संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 14(1) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त अर्हताएं रखने वाले डाक्टर की ही इस प्रयोजन के लिए संस्तुति की जाती है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

ऐसे देशों, जिनके साथ पारस्परिकता की स्कीम नहीं है, में चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता देने के लिए कतिपय मामलों में विशेष प्रावधान

14. (1) केन्द्र सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि भारत से बाहर किसी देश में चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को, जिसके संबंध में चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के लिए पारस्परिकता की स्कीम लागू नहीं होती, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं होंगी अथवा ऐसा तभी होगा जब विनिर्दिष्ट तारीख के बाद दी जाएं।

(2) परन्तु यह कि ऐसी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय:-

(क) तभी अनुमत्य होगा जब ऐसे व्यक्ति उस देश में कुछ समय के लिए लागू चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में दर्ज होंगे।

(ख) उस संस्था के लिए सीमित होगा जिससे वे अध्यापन अनुसंधान अथवा पूर्त कार्य के प्रयोजन के लिए कुछ समय के लिए संलग्न रहते हैं।

(ग) उस अवधि के लिए सीमित होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के जरिए इसके लिए विनिर्दिष्ट होगा।

विवरण-II

1996

क्र.सं.	डाक्टर का नाम	राष्ट्रीयता	संस्थान/अस्पताल का नाम
1	2	3	4
1.	डा. नाम मोहेनुजामान	बांग्लादेशी	कार्डियो-वास्कुलर संस्थान, मद्रास
2.	डा. कुलवंत सिंह भांगू	अमेरिकन	इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली
		1997	
1.	डा. हरेश टी. धर्मा	पाकिस्तानी	आशीर्वाद चैरिटेबल क्लीनिक, उल्हासनगर
2.	डा. (श्रीमती) मोहनी हरेश धर्मा	पाकिस्तानी	-तदैव-

1	2	3	4
3.	डा. पी.एम. सेबास्टेन	ब्रिटिश	कैथोलिक मेडिकल गाईड ऑफ सेंट ल्यूक, बैंगलोर
4.	डा. सोमसुंदरम शिवाहामासुंथारी	श्रीलंका	लक्ष्मी नर्सिंग होम, वैल्लूर
5.	डा. विजय कुमार प्रयाणी	पाकिस्तानी	चौधरी आई एंड रेटीना रिसर्च सेंटर, इंदौर
6.	डा. रमेश लाल बुडलानी	पाकिस्तानी	सिंधु चैरिटेबल पालिक्लिनिक एंड पैथालॉजी लेबोरेटरी, इंदौर
7.	डा. राजकुमारी बुडलानी	पाकिस्तानी	सिंधु चैरिटेबल पॉलिक्लिनिक एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी, इंदौर
8.	डा. सतवानी प्रकाश	पाकिस्तानी	कोईथराम अस्पताल और रिसर्च सेंटर, इंदौर
		1998	
1.	डा. किशनलाल भगवानी	पाकिस्तानी	केशव सेवा समिति अस्पताल, दुर्ग
2.	डा. अर्जन कुमार भाटिया	पाकिस्तानी	जहांगीर अस्पताल एंड मेडिकल सेंटर, पुणे
3.	डा. पुपालाराजा थंबीराजा	ब्रिटिश	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट आफ हायर मेडिकल साइंस, प्रशांथीग्राम रीडुपाली, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट
4.	डा. जवाहर लाल	पाकिस्तानी	भंसाली ट्रस्ट अस्पताल, राथनपुर डिस्ट्रिक्ट
5.	डा. प्रदीप कुमार माहेश्वरी	पाकिस्तानी	-तदैव-
6.	डा. पवन सारा वेलुपिल्लई	आस्ट्रेलियन	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट आफ हायर मेडिकल साइंस, प्रशांथीग्राम वीडुपल्ली, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट
7.	डा. शत्रुघन पंजवानी	पाकिस्तानी	श्रीराम दर्शन अस्पताल सिंधु नगर, इंदौर
8.	डा. एस. अशोकन	अमेरिकन	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट आफ हायर मेडिकल साइंस, प्रशांथीग्राम बीडुप्ली, अनंतरपुर डिस्ट्रिक्ट
9.	डा. रिक्के लालुंड स्कल्ट्स	डेनिश	आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली

1	2	3	4
10.	डा. ब्रह्मा नंद शर्मा	अमेरिकन	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट आफ हायर मेडिकल साइंस, प्रशांथीग्राम, बीडुपल्ली, अनंतरपुर डिस्ट्रक्ट
11.	डा. के. राजशेखर	अमेरिकन	-तदैव-
12.	डा. राजशेखरन थेवीगारानी	ब्रिटिश	-तदैव-
13.	डा. दीनांद वेरोनीक	फ्रेंच	सोवरेन आर्डर आफ मल्टी ओवर्स होस्पिटिलियर्स फ्रेंकेसिस डी "लि" ओर्डे डी माल्टा (डिस्पेंसरी एट शादीपुर, पटेल नगर, नई दिल्ली)

[अनुवाद]

गंगटोक में नये मेडिकल कालेज की स्थापना

1394. श्री भीम दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगटोक में नये मेडिकल कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सिक्किम-मणिपाल स्वास्थ्य, आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, गंगटोक से प्राप्त हुए प्रस्ताव को मूल्यांकन हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेज दिया गया है। मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानदण्डों और उन पर परिषद् की सिफारिशों के अनुसार आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

केरल स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, केरल से दवाइयों की खरीद

1395. श्री ए.सी. जोस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों से जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद करने के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा केरल स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से कुल कितने रुपए की जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद की गई; और

(घ) राज्य की स्वामित्व वाली कम्पनियों से इन दवाइयों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क), (ख) और (घ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही क्रय-नीति के अनुसार जेनेटिक श्रेणी की दवाइयों की खरीद संगठन के साथ पंजीकृत फारमेस्यूटिकल फर्मों/औषध विनिर्माताओं से प्राप्त टेंडर/दर पूछताछ के माध्यम से की जाती है। खरीद न्यूनतम उद्धृत टेंडर पर की जाती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार परिवार कल्याण विभाग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मैसर्स केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स को आर्डर देता है:-

वर्ष	1997-98	1996-97	1995-96
मदें	ड्रग किट "ए"	ड्रग किट "ए"	शून्य
मदों की संख्या	39272	25910	शून्य
दर/यूनिट (रुपए)	428.48	1735.00	शून्य
आर्डरों का कुल मूल्य	16827266.56	46752004.00	शून्य

[हिन्दी]

छोटा परिवार भत्ता

1396. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को छोटा परिवार रखने के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने से पूर्व इस योजना के अंतर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप में एक अथवा दो वेतन-वृद्धियां दी जा रही थी, उनके वैयक्तिक वेतन को निर्धारित करने के बारे में पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समकक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का वैयक्तिक वेतन किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा जबकि उनके वेतनमान और वेतन-वृद्धि की दर भिन्न है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्रीय कर्मचारी तीन बच्चों तक बन्धयीकरण कराने के लिए विशेष वेतन के रूप में एक वेतन वृद्धि पाने और भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज में छूट और विशेष आकस्मिक अवकाश पाने के पात्र हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रखा दी जाएगी।

कृत्रिम अंग

1397. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से कृत्रिम अंग वितरण योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) हमें मध्य प्रदेश के 22 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

(ग) इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन संगठनों से रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन, बजट अनुमान, पहचान किए गए लाभग्राहियों की सूची तथा पिछले एक वर्ष के लिए परीक्षित लेखे आदि की एक-एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ए.डी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत 7 जिलों को सहायतानुदान पहले ही मंजूर किया जा चुका है। चूंकि शेष जिलों के प्रस्तावों में आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए ज्योंही इन जिलों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हें स्वीकृत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी

1398. श्री मदन पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1998 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में "यू.एस. ट्रेन्ड मिलिटेन्ट्स हैल्पिंग आई.एस.आई. इन जे. एण्ड के." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में समाचार पत्र में आई रिपोर्टें देखी हैं। भारत के विरुद्ध, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की सक्रिय संलिप्तता की ओर सरकार ने सुसंगत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय जनमत द्वारा व्यापक रूप से माना गया है।

(ग) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से फैलाई जा रही उग्रवाद की समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार ने बहु-आयामी पद्धति अपनाई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा पर प्रबंध को सुदृढ़ करना, देश में उग्रवादियों के विरुद्ध अपनी तरफ से कार्रवाई करके उग्रवादियों के इरादों को विफल करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, विकास संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना आदि सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

निशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिनिधित्व) अधिनियम, 1995

1399. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिनिधित्व) अधिनियम, 1995 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जबकि निवारण, शीघ्र पता लगाना तथा हस्तक्षेप के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा महिला तथा बाल विकास विभाग को प्रमुख भूमिका निभानी होती है, विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग को अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों में ही इन कार्यक्रमों को समाहित करना पड़ता है। प्रतिबंध मुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिए शहरी क्षेत्र तथा रोजगार, भूतल परिवहन, रेल तथा नागर विमानन मंत्रालयों को विभिन्न सकारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। रोजगार तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, श्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उपयुक्त सरकारों को अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं करके तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा निशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिनिधित्व (अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांगों द्वारा उद्यमीय कार्यकलापों के समर्थन के लिए 24.10.97 से कार्य कर रहा है।

(ख) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केन्द्रीय समन्वय समिति की अधिसूचना समिति ने अब तक तीन बैठकें की हैं।

(ग) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अधिसूचित की गई है। इस समिति ने अब तक दो बैठकें की हैं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई है उन्होंने 1.9.98 से कार्यभार ग्रहण किया है।

(ङ) विशेषज्ञों के पांच कोर ग्रुप एवं संबंधित मंत्रालय सिफारिश करने के लिए तथा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को प्रभावी बनाने हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

(च) धारा 73(1) तथा (2) के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(छ) विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ज) भारतीय पुनर्वास परिषद् जो पुनर्वास व्यावसायिक के मानकीकरण तथा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता

प्रदान करने तथा व्यावसायिकों के पंजीकरण के लिए सांविधिक निकाय है, ने हाल ही में सम्पूर्ण देश में विकलांगता पुनर्वास में जन शक्ति विकास के लिए योजना शुरू की है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् को निधियां आबंटित की गई हैं।

(झ) अनेक राज्य सरकारों ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति गठित की है।

(ञ) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने हेतु भी प्रस्ताव किया गया है।

(ट) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 12.2.97 को आयोजित किया गया। राज्य अधिकारियों को सुग्राह्य बनाने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों और राज्य श्रम सचिवों की कार्यशाला भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है।

(ठ) अन्तर्मंत्रालयी समूह का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए किया गया है जिसका इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष दायित्व है।

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण शामिल हैं तथा प्रयोजन के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

1400. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटित कोटा उपलब्ध कराने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या खाद्यान्नों की आपूर्ति न होने के कारण अनेक राज्यों ने योजना त्याग दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। जुलाई से सितम्बर, 1998 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति को उठान के आंकड़ों के मिलान और भारतीय खाद्य निगम को निधियां रिलीज न करने से संबंधित समस्याओं के कारण अस्थायी रूप से आस्थगित कर दिया गया था। इस योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम को बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात् अक्तूबर, 1998 से खाद्यान्नों की आपूर्ति को फिर से प्रारम्भ किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खेतिहर श्रमिकों को मुआवजा

1401. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खेतिहर श्रमिक वर्षा ऋतु के दौरान बेकार रहते हैं;

(ख) क्या खेतिहर श्रमिकों को राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन खेतिहर श्रमिकों को मुआवजा देने का प्रस्ताव है जो किसानों द्वारा अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वर्षा-ऋतु के दौरान बेरोजगार रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो खेतिहर श्रमिकों की दयनीय दशा को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्षा ऋतु आदि के कारण कृषक मजदूर बेरोजगारी के दौर से गुजरते हैं। उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए, सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना शुरू

की है, जो उन्हें ऐसी अवधि के दौरान रोजगार तथा आय मुहैया करवाएगी। सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों सहित कृषक मजदूरों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं, यथा—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, ग्रामीण क्षेत्र महिला व बाल विकास, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण, समूह बीमा योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना भी शुरू की है।

दोहरी नागरिकता

1402. श्री एन. डेनिस :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रावधानों की जांच की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को कब तक दोहरी नागरिकता दे दी जाएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) दोहरी नागरिकता के सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के लिए सरकार एक समिति गठित कर रही है। यह समिति विस्तृत विचार-विमर्श करेगी, जनता के विचार लेगी, विभिन्न विकल्पों के गुण दोषों पर विचार करेगी और दोहरी नागरिकता और किसी अन्य उपर्युक्त रूपान्तर के प्रश्न पर सिफारिशें तैयार करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर देगी।

बच्चों की संख्या

1403. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान समय में वर्ष 1991 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए पृथक रूप से प्रत्येक वर्ग की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए बच्चों (14 वर्ष की उम्र तक के) महिलाओं, अधेड़ उम्र और वृद्ध व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : 1991 की जनगणना और अन्य सुसंगत आंकड़ों के आधार पर 1996-2016 की अवधि के लिए जनसंख्या के पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1996 में जनसंख्या प्रक्षेपणों संबंधी एक तकनीकी दल गठित किया गया था। इस तकनीकी दल की रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई, 1998 को निम्नलिखित वर्गों की प्रक्षेपित जनसंख्या नीचे दी गई है:

(हजार में)

श्रेणी	योग	पुरुष	स्त्रियां
1. 14 वर्ष तक के बच्चे	355547	183528	172019
2. महिलाएं (सभी आयु)			467931
3. अधेड़ आयु के व्यक्ति (आयु 35-59 वर्ष)	218258	115172	103086
4. वृद्ध व्यक्ति (50 वर्ष और अधिक आयु वाले)	65390	33663	31727

पोस्टमार्टम जांच की वीडियो फिल्म तैयार करना

1404. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पुलिस हिरासत और कारागार में होने वाली सभी मौतों से संबंधित पोस्टमार्टम जांच की अनिवार्यत: वीडियो फिल्म बनाने की सिफारिशों का क्रियान्वयन करने में अनिच्छा दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में हिरासत में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जबकि अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, केवल एक ने कानूनी और तकनीकी आधार पर अपनी आपत्ति संप्रेषित की है। तथापि, इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार, "पुलिस" एवं "जेल प्रशासन" राज्य के विषय हैं। अनिवार्य तौर पर यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस कार्मिक एवं जेल प्राधिकारी मानवीय तरीके से काम करें। संघ सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं कि हिरासत में हुई मौतों को गंभीरता से लिया जाए और इस संबंध में तत्परता एवं दृढ़ता से कार्रवाई की जाए। मानव अधिकारों को एक विषय के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

बिहार में चीनी मिलों की स्थिति

1405. **श्री प्रभाष चंद्र तिवारी :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में चीनी निगम के अन्तर्गत कार्यरत चीनी मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बिहार में बन्द होने के कगार पर चीनी मिलों की संख्या क्या है;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य चीनी निगम लि. के अधीन 15 चीनी मिलें थी। 1997-98 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान इन सभी 15 चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया है।

(ग) और (घ) चीनी मिलें कई कारणों से बन्द हो सकती हैं, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अव्यवहार्य आकार, पुराने प्लांट तथा मशीनरी, तकनीकी तथा प्रबंध अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री से प्राप्त राशि के अनुरूप नहीं हो तथा अन्य कई कारण। चीनी मिलों को पुन: आरम्भ करने/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं स्वयं ही तैयार करनी होती है तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है।

गन्ना विकास तथा पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

1406. **श्री वी.एम. सुधीरन :**
श्री संदीपान थोरात :
श्री तारिक अनवर :
श्रीमती रानी नरह :
श्री समर चौधरी :
श्री सी.डी. गामीत :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों तथा उनकी संस्थाओं पर किये गए अत्याचार के संबंध में गुजरात सरकार से क्या कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग को गांव से बाहर खदेड़ दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में किसी तथ्य का पता लगाने के लिए किसी दल को भेजा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले पर चर्चा करने हेतु प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों की खराब होती परिस्थिति का आकलन करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा था तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ट) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा हेतु रिपोर्ट की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। गुजरात सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों पर कथित ज्यादतियों की निम्नलिखित घटनाएं हुई थी।

नरौदा ग्राम पंचायत ने नरोदा, अहमदाबाद, में अनेकों अनधिकृत ढांचों को हटाने का संकल्प पारित किया। हिन्दुओं के एक मंदिर और दीपनगर के निकट कैथोलिक आयोसिज द्वारा एक अवैध अधिक्रमण समेत ऐसे 54 ढांचों को गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी किए गए।

18.7.1998 को गाईड्स क्रिश्चियन इंटरनेशनल नामक एक संगठन से स्कूल अधिकारियों की अनुमति से आई.पी. मिशन स्कूल, राजकोट शहर के विद्यार्थियों में ''नावो करार'' नामक पुस्तिका का वितरण किया। इस मुद्रित पुस्तिका ने भ्रम पैदा कर दिया तथा इस पुस्तिका के खिलाफ 20.7.1998 को 15-20 व्यक्तियों ने स्कूल के प्रधानाचार्य से विरोध प्रकट किया। तदोपरांत, उन्होंने स्कूल के बाहर इसकी 300 प्रतियों को जला दिया। दिनांक 23.7.1998 को इस स्कूल के अधिकारियों ने इस बारे में राजकोट की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके फलस्वरूप 6 व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद यह घटना आगे नहीं बढ़ी।

इसके अतिरिक्त, गुजरात में 6 अन्य हल्की-फुल्की घटनाएं भी घटी। पुलिस और जिला प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप किया तथा स्थिति को नियंत्रित किया।

गुजरात राज्य से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक आधार पर राज्य के बाहर भगाए जाने की रिपोर्ट नहीं है, यद्यपि, राधिकपुर, जिला दाहोद, से कुछ लोग अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए बताये गए हैं परन्तु अब वे अपने-अपने घरों को लौट आए हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) से (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ञ) से (ट) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपने सदस्य डा. जैम्स मैसी की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल, स्थिति का जायजा लेने के लिए अगस्त, 1998 में गुजरात भेजा था तथा आयोग ने गुजरात सरकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दी है।

जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों से उत्प्रवास

1407. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह माह के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई लगातार भारी गोलीबारी तथा बमबारी के कारण जम्मू और कश्मीर में सीमाओं तथा नियंत्रण रेखा के साथ-साथ उरी तथा अन्य सैक्टरों में कुछ गांव खाली कराए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी मारे गए; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई तथा कितनी उन्हें प्रदान की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कश्मीर डिवीजन के कारगिल, गुरेज, करनाह, करन, मतचिल और उड़ी नामक अनेक सीमावर्ती गांवों में और जम्मू डिवीजन के बिशनाह, साम्बा, आर.एस. पुरा और हीरानगर गांवों में सीमा पार से भारी गोलीबारी होती रही है। इनमें से कुछ गांवों के निवासियों को अस्थायी रूप से अपने गांव गांवों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। पाकिस्तान द्वारा की गई अकारण गोलीबारी में मई, 1998 से जम्मू एवं कश्मीर में 72 नागरिक और 58 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

(ग) विशेष पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए अभी तक केन्द्रीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों और जख्मी हुए व्यक्तियों को निर्धारित दरों पर अनुग्रह-पूर्वक राशि का भुगतान किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। राज्य सरकार ने सीमा पर गोलीबारी के शिकार हुए व्यक्तियों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की मृत्यु

1408. डा. शकील अहमद :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लेशियर प्रशिक्षण ले रहे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कुछ जवानों की 14 अक्तूबर, 1998 को बद्रीनाथ के निकट मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घटना की जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) बद्रीनाथ के समीप ग्लेशियर प्रशिक्षण ले रहे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 8 जवानों की मृत्यु 17 और 18 अक्तूबर, 1998 को हो गई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह दुर्घटना भारी हिमपात और अभूतपूर्व खराब मौसम के कारण हुई। इस घटना की कोर्ट आफ इन्कवारी के आदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

जाली करेंसी

1409. श्री राजवंशी महतो :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री एम.आर. चौधरी :
श्री विजय कुमार ''विजय'' :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जाली करेंसी के नोट बड़े पैमाने पर परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार जब्त किए गए जाली करेंसी नोट का ब्यौरा क्या तथा इसकी अनुमानित धनराशि कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जाली करेंसी के कितने रैकेटों का भंडाफोड़ किया गया तथा सरकार द्वारा इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कतिपय पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को देश में जाली मुद्रा नोटों के परिचालन की जानकारी है। वर्ष 1998 के दौरान बरामद किए गए/जब्त किए गए जाली मुद्रा नोटों की राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1998 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जाली मुद्रा नोटों के भण्डाफोड़ किए गए विभिन्न रैकेटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। दो पाकिस्तानी राष्ट्रिक भी पकड़े गए थे। भारत के संविधान के अनुसार, ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा उसका पता लगाना और अपराधों की रोकथाम करना निश्चित रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(च) जनता को असली और जाली नोटों के बीच अन्तर करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है। जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने की दृष्टि से नोट अब अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापे जा रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मुद्रा नोटों को तस्करी करके देश में न लाया जा सके।

विवरण-1

वर्ष 1998 में सितम्बर माह तक बरामद/जब्त किए गए जाली मुद्रा नोट

मुद्रा	500		100		50		20		10		5		2		1		जोड़
राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आन्ध्र प्रदेश	6	1	176	21	113	16	7	0	118	7	1	0	0	0	0	0	31405
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3	0	14	6	276	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17330
बिहार	66	0	383	0	21	0	16	0	62	0	0	0	0	0	0	0	73290
चंडीगढ़	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	410	0	3370	156	30	2	1	0	44*	2	0	0	0	0	0	0	559600
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	17	400	163	106	0	6	0	0	15	18	0	0	0	0	0	0	236430
हरियाणा	1	3	2	26	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4972
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
जम्मू और कश्मीर	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900
कर्नाटक	30	9	264	1403	108	45	0	1	106	577	0	0	0	0	0	0	200700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	210
महाराष्ट्र	238	0	1472	352	63	5	2	0	85	0	0	13861**	0	0	0	0	385770**
मणिपुर	0	33	0	2212	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247410
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	4	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600
नागालैंड	30	5	90	83	2	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	35400
नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	1	0	11	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1630
पांडिचेरी	0	0	25	280	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	30660
पंजाब	3	0	1	0	0	0	0	0	8	47	0	0	0	0	0	0	2072
राजस्थान	4	1	265	187	8	3	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	48490
तमिलनाडु	28	379	418	175	142	56	1	0	101	11	0	0	0	0	0	0	273840
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	22	5	109	1440	14	701	7	0	45	0	0	0	0	0	0	0	204740
पश्चिम बंगाल	14	2	586	99	26	9	100	0	113	0	0	0	0	0	0	0	81540
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	876	843	7360	6628	1002	845	142	9	772	697	1	1386	0	0	0	0	2368725

टिप्पणी : *1386 सिक्के हैं।

**रुपयों के मूल्य में सिक्के, अर्थात् 1386 शामिल नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1998 के दौरान जाली मुद्रा के भंडाफोड़ किए गए रैकेट

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भंडाफोड़ किए गए जाली मुद्रा रैकेटों की संख्या	पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	शून्य
2.	असम	4	शून्य
3.	दिल्ली	2	2
4.	गुजरात	10	शून्य
5.	हरियाणा	3	शून्य
6.	जम्मू और कश्मीर	1	शून्य
7.	कर्नाटक	8	शून्य
8.	केरल	11	शून्य
9.	महाराष्ट्र	9	शून्य
10.	मणिपुर	8	शून्य
11.	मेघालय	4	शून्य
12.	मिजोरम	5	शून्य
13.	नागालैंड	1	शून्य
14.	पांडिचेरी	2	शून्य
15.	तमिलनाडु	1	शून्य

गोदावरी गैस आधारित विद्युत परियोजना हेतु नाफ्था का आवंटन

1410. श्री के. येरननायडू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा में गोदावरी गैस विद्युत परियोजना हेतु अतिरिक्त नाफ्था के आबंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड की गोदावरी सी.सी.जी.टी. के लिए नाफ्था के प्रति वर्ष 60 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त आबंटन की सिफारिश की है।

(ग) यह प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

चिकित्सीय अपशिष्ट के कारण प्रदूषण

1411. डा. रवि मल्लू :
श्री के.एस. राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अस्पतालों, नर्सिंग होमों और अन्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा चिकित्सीय अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए हाल ही में कोई विचार गोष्ठी आयोजित की है;

(ग) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में क्या चर्चा हुई है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार ने देश में चिकित्सीय अपशिष्ट से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय

ने जीवचिकित्सीय अपशिष्ट नियमावली (प्रबंधन और हैंडलिंग) 1998 अधिसूचित की है। यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जो जीवचिकित्सीय अपशिष्ट का किसी भी रूप में उत्पादन एकत्रण, प्रापण, भंडारण, परिवहन, ट्रीटमेन्ट, निपटान या हैंडलिंग करते हों। संबंधित संस्थाओं/अस्पतालों के प्राधिकारियों को यह सूचित करने के लिए विगत दिनों में विभिन्न स्थानों पर सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं कि वे जैवचिकित्सीय अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सरकार ने इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 23 एवं 24 नवम्बर, 1998 को अस्पताली अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी एक अन्त: प्रेरणा सत्र आयोजित किया गया जिसमें अस्पताली अपशिष्ट के प्रबन्धन संबंधी प्रारूप दिशानिदेशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थ

1412. श्री के.एस. राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थ के निपटान की समस्या से निपटने हेतु कोई नए नियम तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों का दिल्ली के सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों में कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अस्पताल के अपशिष्ट को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 20 जुलाई, 1998 को जीव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमावली, 1998 को अधिसूचित किया है जिसमें जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन, एकत्रण, भंडारण, परिवहन, ट्रीटमेंट और निपटान के नियमन की व्यवस्था है। यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है तो जीव-चिकित्सीय अपशिष्ट का किसी भी रूप में उत्पादन, एकत्रण, प्रापण, भंडारण, परिवहन, ट्रीटमेंट, निपटान अथवा हैंडलिंग करते हों।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा है कि वे इस नियमावली को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू करें।

(ङ) नियमावली में जीव चिकित्सीय अपशिष्ट की 10 श्रेणियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

आई.एस.आई. और विदेशी इंटेलिजेन्स एजेन्सियों की बढ़ती हुई गतिविधियां

1413. श्री एम. राजैया :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री के. येरननायडू :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री मोहन रावले :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
डा. सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री माधव राव पाटील :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषरूप से दक्षिणी राज्यों में आई.एस.आई. कार्यकलापों में तेजी से वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इन गतिविधियों के होने की पुष्टि और अंदेशा होने का पता चला है;

(ग) उन उग्रवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आई.एस.आई. से समर्थन मिल रहा है और ये किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में कितने आई.एस.आई. एजेन्टों को पकड़ा गया/मारा गया;

(ङ) क्या पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने हमारे देश में सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते से जनशक्ति और उपस्करों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अहमदाबाद में बड़े राजनीतिज्ञों की हत्या करने के आई.एस.आई. के षडयंत्र का पता चला है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या राज्य सरकारों ने उग्रवाद का सामना करने के लिए धन की मांग की है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) केन्द्र सरकार द्वारा आई.एस.आई. गतिविधियों पर रोक लगाने और तटवर्ती क्षेत्र की निगरानी सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि दक्षिणी राज्यों में विदेशी खुफिया एजेंसियों, विशेषकर आई.एस.आई. की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न आतंकवादी/उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों में उनकी मदद करके और उन्हें दुष्प्रेरित करके छद्म युद्ध के जरिये, भारत को अस्थिर करने के पाकिस्तान के मंसूबों में कोई कमी नहीं आयी है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाक द्वारा दुष्प्रेरित उग्रवाद/आतंकवाद का कभी-कभार पता चलता रहा है।

(ग) जे.के.एल.एफ., हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकल-उल-अंसार, लश्कर-ए-ताइबा, अल-फरान आदि जैसे विभिन्न कश्मीरी उग्रवादी संगठनों को आई.एस.आई. से समर्थन मिल रहा है। इसी प्रकार, पंजाब में सक्रिय अधिकांश आतंकवादी संगठनों जैसे के.सी.एफ.(पी.), के.जेड.एफ., बी.के.आई., आई.एस.वाई.एफ. (रोडे) आदि के पाकिस्तान में ठिकाने हैं जहां से वे पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं।

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में (जम्मू व कश्मीर सहित) गिरफ्तार किये गये/मारे गये संदिग्ध आई.एस.आई. एजेन्टों/उग्रवादियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	गिरफ्तार किये गये	पकड़े गये
1995	3638	1387
1996	2941	1332
1997	2598	1330
1998	1341 (नवम्बर, 98 तक)	860 (22.10.98 तक)

(ङ) और (च) इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) और (ज) आई.एस.आई. के समर्थन का एक नमूना तब सामने आया जब गुजरात पुलिस ने निषेधादेश द्वारा अहमदाबाद (गुजरात) में रह रहे लश्कर-ए-ताइबा के पाकिस्तानी कार्यकर्ता मो. शाहबाज उर्फ अबू काजिम को निष्क्रिय करके 12 अक्टूबर, 1998 को अहमदाबाद में उसके मंसूबों को निष्फल कर दिया। मो. काज़िम के एक भारतीय सहयोगी मो. शफीक को भी जोधपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। शफीक ने मो. शाहबाज और उसके साथियों की अहमदाबाद (गुजरात) में बसने में मदद की थी। मो. शाहबाज को आई.एस.आई. समर्थित लश्कर-ए-ताइबा ने गुजरात में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री केशु भाई पटेल की हत्या करने के लिए भेजा था।

(झ) और (ञ) आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्य पुलिस बलों को जारी धनराशि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ट) देश में आई.एस.आई. के कार्यकलापों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र एवं राज्यों दोनों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा अभिकरण मिल-जुल कर कार्य कर रहे हैं। रणनीतियां बनाने और आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। क्षेत्र में भी, संघ और राज्य दोनों से संबंधित सुरक्षा अभिकरण एक-दूसरे से नियमित परामर्श करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त अभियान चलाते हैं। घुसपैठ तथा हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी तेज कर दी गयी है। गुजरात तथा महाराष्ट्र के संवेदनशील राज्यों में एक संयुक्त तटवर्ती गश्त योजना स्वीकार की गई है जिसमें पुलिस, सीमाशुल्क और तटरक्षकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, तटीय सुरक्षा के संबंध में रणनीति बनाने और आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए इन दोनों राज्यों में विभिन्न सुरक्षा अभिकरणों के मध्य नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

विवरण

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना—वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए जारी धनराशि एवं उपयोगिता की स्थिति तथा वर्ष 1998-99 में जारी निधि (20.11.98 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996-97 में जारी धनराशि	खर्च की गई धनराशि	1997-98 में जारी धनराशि	खर्च की गई धनराशि	1998-99 के लिए आवंटन	जारी की गई प्रथम किश्त	जारी की गई दूसरी किश्त	जारी की गई विशेष सहायता	उद्देश्य, जिसके लिए विशेष सहायता जारी की गई है	कुल जारी धनराशि 1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	709.560	673.310	1209.560	शून्य	209.560	104.780	शून्य	शून्य	–	104.780
2.	अरूणाचल प्रदेश	92.540	92.540	96.270	92.540	46.270	23.135	शून्य	शून्य	–	23.135
3.	असम	195.430	शून्य	47.715	शून्य	95.430	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य
4.	बिहार	333.120	332.110	783.120	783.120	233.120	233.120	शून्य	शून्य	–	233.120
5.	गोवा	79.480	50.000	शून्य	शून्य	58.960	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य
6.	गुजरात	150.180	150.180	150.180	शून्य	150.180	75.090	शून्य	शून्य	–	75.090
7.	हरियाणा	35.855	35.855	71.710	71.710	71.710	35.855	शून्य	शून्य	–	35.855
8.	हिमाचल प्रदेश	40.690	शून्य	20.345	शून्य	40.690	शून्य	शून्य	100.000	आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उपस्कर	100.000
9.	जम्मू व कश्मीर	119.770	119.770	81.540	81.540	81.540	40.770	40.770	500.000	विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए उपस्कर	581.540
10.	कर्नाटक	350.800	350.800	200.800	138.020	150.800	75.400	शून्य	शून्य	–	75.400
11.	केरल	113.990	61.020	113.990	34.290	113.990	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	मध्य प्रदेश	478.820	478.820	387.820	शून्य	237.820	118.910	शून्य	शून्य	–	118.910
13.	महाराष्ट्र	251.290	175.125	शून्य	शून्य	251.290	125.645	शून्य	शून्य	–	125.645
14.	मणिपुर	176.630	176.630	217.315	217.315	34.630	17.315	शून्य	शून्य	–	17.315
15.	मेघालय	59.880	59.880	51.880	51.880	25.940	12.970	शून्य	शून्य	–	12.970
16.	मिजोरम	87.780	87.780	87.780	87.780	43.890	21.945	शून्य	शून्य	–	21.945
17.	नागालैंड	220.030	218.980	238.430	238.430	38.430	19.215	शून्य	शून्य	–	19.215
18.	उड़ीसा	200.00	200.00	164.610	104.610	104.610	52.305	शून्य	शून्य	–	52.305
19.	पंजाब	84.650	84.650	284.650	शून्य	84.650	43.325	शून्य	शून्य	–	42.325
20.	राजस्थान	154.920	154.920	154.920	शून्य	154.920	77.460	शून्य	शून्य	–	77.460
21.	सिक्किम	8.610	8.610	43.015	शून्य	17.220	8.610	शून्य	शून्य	–	8.610
22.	तमिलनाडु	598.375	511.750	296.750	237.190	196.750	98.375	शून्य	शून्य	–	98.375
23.	त्रिपुरा	146.530	146.350	246.530	शून्य	46.530	23.265	शून्य	शून्य	–	23.265
24.	उत्तर प्रदेश	536.300	528.530	626.300	शून्य	336.300	168.150	शून्य	शून्य	–	168.150
25.	पश्चिम बंगाल	274.770	174.770	174.770	शून्य	174.770	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य
	योग	5500.000		5750.000		5000.000	1374.640	40.770	600.000	–	2015.410

टिप्पणी : 1. इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर में 31 मार्च, 1998 तक सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 1045.31 करोड़ रु. की राशि दी जा चुकी है।

2. गोवा के पास 7.33 लाख रु. (1995-96) और 29.48 लाख रु. (1996-97) की खर्च न की गई राशि है।

अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती नाम रखना

1414. **श्री हरिन पाठक :**
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद का नाम बदलकर "कर्णावती" नाम रखने की गुजरात सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गुजरात विधान सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अहमदाबाद का नाम बदल कर कर्णावती रखने का प्रस्ताव, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित करने के बाद, गुजरात राज्य सरकार से भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने फिलहाल नाम न बदलने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं

1415. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेंसियों के आबंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों और वितरकों का चयन समय-समय पर गठित तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। जनवरी, 1993 को गठित तेल चयन बोर्ड के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें और आलोचनाएं सरकार को प्राप्त हुई थीं। इन बोर्डों के निर्णयों के बारे में अनेक मुकदमे भी चले थे।

अब सरकार ने डीलरों और वितरकों के चयन के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा 1.4.1997 और 14.10.1998 को लिए गए निर्णयों द्वारा डीलर चयन बोर्ड का पुनर्गठन भी किया है। इन व्यवस्थाओं का प्रयोजन निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुपरक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। डीलर चयन बोर्ड का गठन अब निम्नानुसार है:

उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त-न्यायाधीश	—	अध्यक्ष
एक अधिकारी जो एक/संबंधित तेल कंपनी के मुख्य प्रबंधक के रैंक से नीचे न हो	—	सदस्य
एक अधिकारी जो किसी अन्य तेल कंपनी के मुख्य प्रबंधक के रैंक का हो	—	सदस्य

सदस्यों के रूप में तेल कंपनियों के इन दो अधिकारियों को किसी विशेष स्थान पर साक्षात्कारों को आरंभ करने के लिए निर्धारित तारीख से तीन से अनधिक दिन पहले तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक अथवा निदेशक (विपणन) द्वारा नामांकित किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति दो वर्ष से अनधिक के कार्यकाल के लिए की गई है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

1416. **श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों और अस्पताल परियोजनाओं के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन हेतु क्या मापदण्ड अपनाए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मेडिकल कालेजों और अस्पताल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनके उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग के आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

1417. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आदिवासियों को आबंटित पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषरूप से मध्य प्रदेश में आदिवासियों को और अधिक पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों (1995-96, 1996-97 और 1997-98) के दौरान पूरे देश में कुल 59 खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए गए थे जिनमें से 10 मध्य प्रदेश के केन्द्र शामिल हैं।

(ख) और (ग) पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1996-98 की अनुमोदित खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में 46 नए खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल किए गए हैं जिनमें 8 मध्य प्रदेश के केन्द्र शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

1418. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ अप्रोच" के साथ जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को नया रूप दिया है जैसाकि "इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स ऑफ पोपुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट" में सहमति व्यक्त की थी;

(ख) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों का जिला स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का पुनरीक्षण क्या है; और

(ग) यदि हां, तो नए कार्यक्रम के प्रति पुन: कार्यक्रम आरंभ करने वाले प्राधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने जनसंख्या और विकास विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुति के अनुसार 9वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रजनक तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरम्भ 1997-98 के दौरान किया है।

(ख) और (ग) प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को अक्तूबर, 1997 में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विशिष्ट स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। राज्य और जिला स्तरों के कार्यान्वयन प्राधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में नीतिगत पुनरभिविन्यास के बारे में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के जरिए शिक्षित किया जा रहा है। जिला स्तर पर परिवर्तित प्रयास के प्रभाव की समीक्षा करना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की रुग्ण इकाइयां

1419. श्री आदित्यनाथ :
श्री के.पी. नायडू :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन इकाइयों की स्थिति सुधारने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) आई.डी.पी.एल. की तीन विनिर्माण इकाइयां ऋषिकेश, हैदराबाद और गुड़गांव में हैं। इनमें नियमित उत्पादन नहीं हो रहा

है और ये अपनी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत नीचे काम कर रही हैं।

(ख) से (घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा विधिवत अनुमोदित आई.डी.पी.एल. के लिए पुनरुद्धार पैकेज 1.4.94 से संस्वीकृत किया गया था। पुनरुद्धार पैकेज में सरकार द्वारा 1995-96 तक 119.94 करोड़ रुपए की नई वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई थी। इसकी तुलना में इस अवधि में सरकार द्वारा आई.डी.पी.एल. को 140.31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। तथापि, यह पैकेज संचालन के पहले वर्ष में असफल हो गया क्योंकि कंपनी वर्ष 1994-95 में उत्पादन, बिक्री और लाभदेयता के लक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। तदन्तर, आई.डी.पी.एल. प्रबन्धन ने पहले के पैकेज में संशोधन का प्रस्ताव किया था। संशोधित पुनर्वास पैकेज सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में अपराध

1420. डा. चिन्ता मोहन :
डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अपराध करने वाले अपराधियों पर दिल्ली के स्थानीय न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अपराध-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों ने किसी आरोपी को दण्डित किया है;

(घ) यदि हां, तो अन्तिम रूप से निपटाए जाने हेतु वर्षवार और अपराध-वार कितने मामले लम्बित हैं;

(ङ) क्या सबूत की कमी और तकनीकी आधार पर अधिकांश अपराधियों को छोड़ दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पुलिस रणनीति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) से (छ) जी नहीं, श्रीमान्। पिछले 3 वर्षों और 31 अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की तुलना में दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

	1995	1996	1997	1998
दोषसिद्ध व्यक्ति	13,808	18,118	12,652	4,176
दोषमुक्त किए गए व्यक्ति	4,536	3,759	1,316	183

विवरण

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	चालान किए गए मामलों की संख्या	चालान किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	विचारण के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
क. 1995						
1.	डकैती	38	200	–	5	37
2.	हत्या का प्रयास	387	901	37	170	307
3.	लूटपाट	519	1080	29	166	428

1	2	3	4	5	6	7
4.	दंगा	412	948	29	103	347
5.	बलात्कार	193	1710	50	28	185
6.	अन्य भा.द.सं. अपराध	351	485	15	60	282
7.	स्थानीय और विशेष कानून	24631	38620	5780	2487	18757
		13844	19234	7868	1517	8435
ख. 1996						
1.	डकैती	28	154	–	–	28
2.	हत्या का प्रयास	389	860	4	36	367
3.	लूटपाट	441	935	3	51	408
4.	दंगा	451	1019	43	51	396
5.	बलात्कार	187	1195	–	18	184
6.	अन्य भा.द.सं. अपराध	415	657	7	43	377
7.	स्थानीय और विशेष कानून	32046	47183	11175	1998	22107
		14268	19339	6886	1562	9215
ग. 1997						
1.	डकैती	29	163	–	–	29
2.	हत्या का प्रयास	408	932	1	12	403
3.	लूटपाट	371	800	–	14	361

1	2	3	4	5	6	7
4.	दंगे	421	951	5	28	401
5.	बलात्कार	118	841	21	8	115
6.	अन्य भा.द.स. अपराध	440	637	–	23	427
7.	स्थानीय और विशेष कानून	26299	38348	7716	783	19876
		11849	15763	4909	448	8732
घ. 1998 (31 अक्तूबर, 1998 तक)						
1.	डकैती	14	73	–	–	14
2.	हत्या का प्रयास	177	416	–	–	177
3.	लूटपाट	125	231	–	–	126
4.	दंगे	194	469	2	–	193
5.	बलात्कार	15	134	–	–	15
6.	अन्य भा.द.सं. अपराध	142	193	–	3	140
7.	स्थानीय और विशेष कानून	8109	11387	2423	88	6205
		3186	4499	1751	92	2195

दो भाषाओं में पत्राचार करना

1421. श्री राम टहल चौधरी :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के किन कार्यालयों में दो भाषाओं में पत्राचार करने का निदेश दिया गया है;

(ख) किन-किन विभागों और कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं;

(ग) विभागों और कार्यालयों द्वारा इन कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी में कितने प्रतिशत पत्रों का उत्तर दिया गया; और

(घ) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कार्यालयीय पत्र व्यवहार और प्रशासकीय कार्य हिन्दी में करने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार "क" व "ख" क्षेत्र स्थित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय "ग" क्षेत्र स्थित, अधिसूचित को छोड़कर, अन्य कार्यकलापों आदि को दो भाषाओं में पत्र भेजेंगे।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार कम्प्यूटरों पर द्विभाषी कार्य सुविधा अधिकांशत: उपलब्ध है।

(ग) विभागों और मंत्रालयों द्वारा कम्प्यूटरों के माध्यम से तैयार किए जाने वाले हिन्दी पत्रों का विवरण नहीं रखा जाता। परन्तु मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों में दी गई जानकारी के अनुसार उनके कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य लगभग 30 प्रतिशत है।

(घ) राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष तैयार किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी भाषी क्षेत्रों, अर्थात् "क" क्षेत्र, के लिए पत्र-व्यवहार एवं प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के आंकड़े वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं। इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

राज्यों द्वारा प्याज की आपूर्ति

1422. **प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाज़रा :**
डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा प्याज की आपूर्ति के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश की कुल प्याज की पैदावार में महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और शेष भारत का कितना योगदान रहा; और

(ग) बेमौसम की बरसात के कारण राज्यवार प्याज की फसल को कितनी-कितनी क्षति हुई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत में प्रति वर्ष 40 लाख मी. टन प्याज का उत्पादन होता है। देश में प्याज की खेती सर्वाधिक लगभग 20% महाराष्ट्र में होती है तथा उसके बाद उड़ीसा में 14.6%, उत्तर प्रदेश में 12.2% कर्नाटक में 11.5% और गुजरात में 8.2% प्याज की खेती होती है। उत्पादन के अनुसार महाराष्ट्र का पहला स्थान है और उसके पश्चात् गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक आते हैं।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास केन्द्र, पुणे द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार हाल में हुई बेमौसम की वर्षा से प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में प्याज की फसल की हानि हुई यह हानि महाराष्ट्र में 26%, गुजरात में 18%, उत्तर प्रदेश में 34%, उड़ीसा में 27% और कर्नाटक में 24% तक हुई।

पृथक राज्य

1423. **श्री ब्रजमोहन राम :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री वी.वी. राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु संसद में कोई विधेयक लाने का है;

(ख) क्या नए राज्यों का गठन करने के लिए प्रारूप विधेयक संबंधित राज्यों को उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या नए राज्यों के गठन के लिए किसी विधान सभा से कोई सुझाव मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो पूर्ण तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(च) क्या यह सच है कि प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य मे उधमसिंह नगर को शामिल करने हेतु निर्णय करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) मामले की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) उत्तराखण्ड/उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ नये राज्यों के गठन की व्यवस्था करने वाले विधेयकों के प्रारूपों

को क्रमश: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्य विधान मण्डलों को अगस्त, 1998 में उस पर उनका मत जानने के लिए भेजा गया था जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन अपेक्षित है। राज्य विधान मण्डलों के विचार प्राप्त हो गए हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में पांडिचेरी विधान सभा से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(च) और (छ) इस बारे में एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

कच्चे तेल की खरीद

1424. श्री राजनारायण पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम, आयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी कम्पनियों को कच्चे तेल के लिए किस दर से भुगतान किया गया;

(ख) क्या निजी पार्टियों को कच्चे तेल के भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय दर लेने पर सहमति हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो निजी पार्टियों को किस दर पर कच्चे तेल का भुगतान किया गया है और उनसे कितना कच्चा तेल खरीदा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1995 के दौरान कच्चे तेल के लिए 3169 रुपये प्रति एम.टी. (अनन्तिम) की दर में यथालागू बिक्री कर जोड़कर भुगतान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड को किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी पक्षकारों को कच्चे तेल के लिए किए गए भुगतान की दरें और उनसे खरीदे गए कच्चे तेल की मात्रा निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	क्षेत्र	दर	1995 के दौरान प्राप्त मात्रा*
1	2	3	4
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं. लि.	असजोल	3122 रुपये प्रति एम.टी.** (अनन्तिम)	233 (एम.टी.)
लार्सन एण्ड टूब्रो लि. एण्ड जोशी टेक्नालाजी इंटरनेशनल इंक.	ढोलका	दुबई क्रूड मूल्य प्रति ब्रिटिश बैरल (अनन्तिम)	2924 (एम.टी.)
एनरान आयल एण्ड गैस इंडिया लि. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	पन्ना और मुक्ता	ब्रेंट (डी.टी.डी.) में से प्रति ब्रिटिश बैरल 0.10 अमेरिकी डालर कम करके (अनन्तिम)	396247 (एम.टी.)

1	2	3	4
ज्योएन्प्रो पेट्रोलियम लि. एन्प्रो इंडिया लि. ज्यो पेट्रोल इंटरनेशनल इंक.	खरसांग	बी.क्यू में से (बोन्नी हल्के ओ.एस.पी. में से बोन्नी मध्यम ओ.एस.पी. कम करके) कम करके प्रति बैरल	6329 (एम.टी)
कमांड पेट्रोलियम (इ.) प्रा.लि. रावा आयल (सिंगापुर) प्रा.लि. वीडियोकान पेट्रोलियम लि.	रावा	अरब हल्के के 90 प्रतिशत में सितम्बर, 95 तक 0.60 अमेरिकी डालर प्रति ब्रिटिश बैरल जोड़कर और अक्तूबर, 95 से अरब लाइट में 0.60 अमेरिकी डालर प्रति ब्रिटिश बैरल जोड़कर	1044067 (ब्रि. बैरल)

*मात्राएं तेल कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है।

**अनन्तिम

छत्तीसगढ़ी भाषा

1425. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तसीगढ़ी बोली को संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग विभाग

1426. श्री के.पी. मुनूसामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग विभाग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह विभाग कब तक गठित हो जाएगा; और

(ग) सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय में पहले ही एक स्वतंत्र विभाग है जो जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य का संवर्धन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(i) छोटे परिवार के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम; और

(ii) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों के जरिए पुरुष तथा स्त्री बंध्यीकरण, आई.यू.डी. निवेशन मुखीय गर्भनिरोधकों और कन्डोमों की व्यवस्था जैसी गिर्भनिरोधक सेवाओं की व्यवस्था करना।

एड्स रोग के लिए टीका

1427. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री ए.सी. जोस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1998 में दिल्ली में हुए दसवें ''इंटरनेशनल कांग्रेस आन इम्यूनोलोजी'' में एच.आई.वी. का पता लगाने में भारतीय प्रयासों तथा देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त टीका तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा इसे एड्स की महामारी से लड़ने का केवल मात्र उपाय बताया गया;

(ख) यदि हां, तो देश और विदेश में इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई है; और

(ग) देश में एच.आई.वी. तथा पूर्ण रूप से विकसित एड्स के मामलों का राज्यवार अद्यतन आंकड़ा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां। तथापि एक उपयुक्त वैक्सीन के अलावा एच.आई.वी./एड्स महामारी के नियंत्रण हेतु अन्य कार्य नीतियां हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भिक निरापदता और प्रतिरक्षा-जनकता परीक्षणों में अब तक जांची गई सभी वैक्सीनों में एच.आई.वी.-1 आवरण विरचना (ऐमवेल्प प्रिपेयरेशन) का इस्तेमाल किया गया है और ये निरापद प्रतीत होती है। सीरम एंटीबाडी अनुक्रियाएं जांची गई लगभग सभी वैक्सीनों द्वारा प्रेरित हुई हैं। ये परीक्षण प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए अभिकल्पित नहीं थे। अध्ययन में लगे अनेक लोग उच्च खतरे के प्रभाव के बाद एच.आई.वी.-1 से संक्रमित हुए।

भारत में किए गए सीमित बुनियादी अनुसंधान कार्य से पता चला है कि एच.आई.वी.-1 का अत्यधिक व्याप्त स्ट्रेन सब-टाइप-सी है। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एच.आई.वी. स्ट्रेनों के विभिन्न सब-टाइपों का पता लगाने, अलग करने, लक्षण वर्णन करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन करने अपेक्षित हैं क्योंकि ये सम्भव है कि किसी एक सब-टाइप के लिए विकसित की गई वैक्सीन अन्य सब-टाइपों के लिए प्रत्याशित प्रभावकारिता न दर्शा सके।

(ग) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार एच.आई.वी. पॉजिटिव कुल रोगियों की संख्या 79574 और एड्स से पूरी तरह ग्रस्त रोगियों की संख्या 6609 है। रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

भारत में एच.आई.वी. संक्रमण/एड्स रोगियों की निगरानी (रिपोर्ट की अवधि—प्रारम्भ से अर्थात् 1986 से 31 अक्तूबर, 1998 तक)

I. एच.आई.वी. सीरो निगरानी

	संचयी	इस माह
जांचे गए व्यक्ति	3364479	5675
सीरो पॉजिटिव व्यक्ति	79574	179
सीरो पॉजिटिव दर (प्रति हजार)	2365	31.54

सीरो पॉजिटिव का ब्यौरा:

श्रेणी	सीरो-पॉजिटिव	प्रतिशतता
इतरलिंगी स्वच्छन्द संभोगी	36037	45.29
समलिंग कामी	233	0.29
अन्त: शिरा औषध प्रयोगकर्ता	2794	3.51
प्रसवपूर्व माताएं	989	1.24
संदिग्ध ए.आर.सी./एड्स	13958	17.54
रक्तदाता	4646	5.84
डायलिसिस रोगी	288	0.36
रक्त प्राप्तकर्ता	942	1.19
अन्य (अविनिर्दिष्ट)	19687	24.74

एच.आई.वी. संक्रमण के लिए सीरो निगरानी रिपोर्ट की अवधि:
31 अक्तूबर 1998 तक (अनन्तिम)

क्र.सं.	नाम	जांचे गए	पॉजिटिव	सीरो पाजिटिविटी (दर प्रति हजार)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	74428	704	1054
2.	असम	12717	173	13.60
3.	अरूणाचल प्रदेश	495	0	0.00
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	13731	114	8.30

1	2	3	4	5
5.	बिहार	9420	32	3.40
6.	चण्डीगढ़ (यू.टी.)	56286	220	3.91
7.	पंजाब	1488	65	43.68
8.	दिल्ली	317457	1282	4.04
9.	दणन और दीव (यू.टी.)	250	8	32.00
10.	दादरा और नगर हवेल।	160	1	6.25
11.	गोवा	66978	1891	28.23
12.	गुजरात	440936	1352	3.07
13.	हरियाणा	154281	421	2.64
14.	हिमाचल प्रदेश	3851	92	6.64
15.	जम्मू व कश्मीर	8981	40	4.45
16.	कर्नाटक	392945	4226	10.60
17.	केरल	44547	215	4.83
18.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	823	7	8.51
19.	मध्य प्रदेश	94696	572	6.04
20.	महाराष्ट्र	418203	45892	109.73
21.	उड़ीसा	82995	213	2.56

1	2	3	4	5
22.	नागालैण्ड	8548	429	50.187
23.	मणिपुर	31807	5363	168.61
24.	मिजोरम	33593	103	3.23
25.	मेघालय	14153	59	4.17
26.	पांडिचेरी	83927	2935	34.97
27.	राजस्थान	22217	427	19.22
28.	सिक्किम	510	6	11.88
29.	तमिलनाडु	703708	10931	15.33
30.	त्रिपुरा	5613	4	0.71
31.	उत्तर प्रदेश	100739	1148	11.40
32.	पश्चिम बंगाल	163991	649	3.96
	कुल योग	3364479	79574	23.65

II. एड्स रोग निगरानी

भारत में एड्स रोगी	6609	2
पुरुष		5204 (78.74%) –
महिला	1405 (21.26%)	2(100%)

संक्रमण के संभावित स्त्रोत

	रोगियों की संख्या	प्रतिशतता
इतरलैंगिक स्वच्छंद संभोगी	4901	74.16
रक्ताधान और रक्त उत्पाद	538	8.14
समलैंगिक सम्पर्क	36	0.54
इंजेक्शन से ली जाने वाली औषध के आदी	467	7.07
अन्य (उल्लिखित नहीं)	667	10.09
कुल	6609	

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित)
(31 अक्तूबर 1998 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	45
2.	असम	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0
5.	बिहार	3
6.	चण्डीगढ़	
7.	पंजाब	100
8.	दिल्ली	219
9.	दमण और दीव (यू.टी.)	1
10.	दादरा और नगर हवेली	0
11.	गोवा	12
12.	गुजरात	136
13.	हरियाणा	1
14.	हिमाचल प्रदेश	9
15.	जम्मू व कश्मीर	2
16.	कर्नाटक	153
17.	केरल	106
18.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	0
19.	मध्य प्रदेश	210
20.	महाराष्ट्र	3251
21.	उड़ीसा	2
22.	नागालैण्ड	10
23.	मणिपुर	301
24.	मिजोरम	5
25.	मेघालय	8

1	2	3
26.	पांडिचेरी	134
27.	राजस्थान	77
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	1624
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	119
32.	पश्चिम बंगाल	57
	कुल योग	6609

[हिन्दी]

सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल की खरीद न करना

1428. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल की खरीददारी नहीं की जा रही है, जैसाक दिनांक 13 अक्तूबर, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। चालू खरीफ विपणन मौसम 1998-99 में 4.12.1998 तक भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 61.20 लाख टन धान की वसूली की है। चावल के संबंध में कुल वसूली 46.15 लाख टन है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 69.53 लाख टन की वसूली हुई थी। वसूली में कमी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में कम उत्पादन, विलम्ब से आमद, बेमौसमी बरसात/चक्रवात के कारण हुई। चावल मिल मालिकों को हरियाणा में 31.10.1998 तक और पंजाब में 10.10.1998 तक लेवी चावल का अंशदान करने से छूट दी गई है।

पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में हुई बेमौसमी बरसात/चक्रवात के कारण सरकार ने किसानों के हित में धान की खरीद संबंधी एक-समान विनिर्दिष्टियों में छूट की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

धर्म परिवर्तन

1429. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 10 वर्षों में कुल कितने लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है; और

(ख) इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा धर्म बदलने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की वृद्धि

1430. श्री के.पी. मोहन : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत आपूर्ति कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा 10 किलो से 15 किलो प्रति परिवार बढ़ाए जाने के बारे में संसदीय स्थायी समिति द्वारा यथा संस्तुत जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संशोधन द्वारा राज्यवार कुल कितने परिवार लाभान्वित होंगे?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, हां। खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन

मासिक आवंटन को यदि इस अवस्था में गरीबी की रेखा से नीचे के प्रति परिवार के लिए 20 किलोग्राम करना संभव न हो तो, गरीबी की रेखा से नीचे के प्रति परिवार के लिए 10 किलोग्राम के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर न्यूनतम 15 किलोग्राम कर दिया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान रूप में जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे से इतर आबादी को भी राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का लाभ दिया गया है, यदि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की मात्रा 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास की जाती है तो खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता लगभग 30 लाख टन होगी। अपेक्षित अतिरिक्त सब्सिडी लगभग 2150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है। केन्द्रीय पूल में वर्ष प्रति वर्ष खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति और बजटीय बाध्यताओं के कारण इस समय गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के लिए पात्रता को 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

1431. श्री थावरचन्द गेहलोत :
डा. असीम बाला :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्रीमती जयंती पटनायक :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी कर्मकारों और अन्य श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) बीड़ी कर्मकार उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 को उगाही की 10 पैसे और 50 पैसे की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर बढ़ाकर क्रमशः 1 रुपये तथा 5 रुपये करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। तथापि, उपकर की दर 1/- रुपये प्रति हजार निर्मित बीड़ी ही रखी गयी है। इससे वार्षिक रूप से लगभग 42 करोड़ रुपये की संचित राशि एकत्र होगी जबकि वर्तमान में 21 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की जा रही है। इन अतिरिक्त निधियों से किए जाने वाले कुछ कल्याणकारी उपायों में नए अस्पतालों/औषधालयों का खोला जाना, लाभ के स्तर आदि में वृद्धि शामिल है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1947 से संबंधित कुछ संशोधनों पर सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है और वे अन्तिम रूप दिए जाने की अग्रिम अवस्था में हैं। प्रस्तावित संशोधनों से न्यूनतम मजदूरी के संशोधन की अवधि कम होगी, मुआवजे की राशि में बढ़ोत्तरी होगी, अपराधों में कमी का प्रावधान होगा, कर्मकारों की शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित होगा और कानून के कार्यान्वयन में और अधिक विकेन्द्रीकृत तंत्र सुनिश्चित होगा।

[अनुवाद]

यौन उत्पीड़न रोकना

1432. श्री बलराम सिंह यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी संहिता बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संहिता का सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों और गैर-सरकारी नियोजन के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करने के लिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग संस्थान

1433. श्री मुनिलाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य सरकार की सेवाओं में निकलने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए कितने कोचिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और कोचिंग संस्थान स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कोचिंग संस्थान कब तक स्थापित कर दिए जाने के संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सूचना अभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) कोचिंग संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावों की पहल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

कश्मीर से लोगों का पलायन

1434. श्री अमर पाल सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1998 से कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों के अचानक बढ़ने के कारण कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग आकर बस गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इसी प्रकार कुछ उग्रवादी भी हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे उग्रवादियों का पता लगाने के लिए क्या योजना तैयार की है और हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने कश्मीरी उग्रवादियों को पकड़ा गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में उग्रत्राद से संबंधित एक बड़ी घटना हुई है। जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में उग्रवाद-विरोधी अभियान चलाने और हिमाचल प्रदेश में उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए डोडा-चंबा सीमा पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है।

[अनुवाद]

धनराशि का उपयोग

1435. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि के उपयोग के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 187, दिनांक 7.6.98 का उत्तर प्राप्त किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्य योजना में से आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उनका उपयोग संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा अभी तक अद्यतन सूचना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

1436. श्री आर.एस. गवई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने नवम्बर, 1997 में यह निर्णय लिया था कि एल.पी.जी. (घरेलू) और एस.के.ओ. (सा.वि.प्र.) पर राजसहायता चरणों में कम की जाएगी ताकि यह 2000-01 और 2001-02 तक आयात समता मूल्य के क्रमश: 15 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए। वर्ष 2002 के बाद से राजसहायता राजकोषीय बजट को अंतरित की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से एच.एस.डी.

के मूल्य आयात समता आधार पर होंगे। तदनुसार एच.एस.डी. के भंडारण स्थल पर मूल्य निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं:

प्रभावी तारीखें	भंडारण स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क आदि को छोड़कर) रुपए/कि.ली.
07.11.97	7918.04
25.12.97	7996.84
01.03.98	7839.24
04.04.98	7645.47
20.05.98	7536.89

पंजाब से धान की खरीद

*1437. **श्री मोहन सिंह :***
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब से खराब हुए धान के भंडार की खरीद की है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास बिक्री के लिए लगभग दो मिलियन टन धान पहले से ही पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो पंजाब से कितना धान खरीदा गया है अथवा खरीदे जाने का प्रस्ताव है तथा इसका मूल्य कितना है; और

(घ) सरकार का खराब धान के भंडार का निपटान किस प्रकार किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन सरकारी वसूली एजेंसियों द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की वसूली की जाती है। तथापि, अक्तूबर, 1998 में पंजाब में हुई बेमौसमी बरसात के कारण भारत सरकार ने पंजाब में किसानों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 27.10.1998 से खरीफ विपणन मौसम 1998-99 के लिए धान की विनिर्दिष्टियों को शिथिल किया है। दिनांक 27.10.1998 के बाद धान की वसूली के लिए लागू संशोधित विनिर्दिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

> "क्षतिग्रस्त, बदरंग, उगे हुए और घुन लगे धान के संबंध में कुल मिलाकर अधिकतम 8% तक की सीमा के अधीन ऐसे स्टाक की वसूली की जा सकती है।"

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया धान की बिक्री नहीं करता है। निगम केवल उन अत्यंत विरल और अपवाद स्वरूप मामलों में धान की बिक्री करता है जहां धान को चावल में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है।

(ग) दिनांक 2.12.1998 तक पंजाब राज्य में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों, दोनों ने मिलकर कुल 59.295 लाख टन धान की वसूली की जिसमें से भारतीय खाद्य निगम ने धान की साधारण और ग्रेड "ए" किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अर्थात् क्रमश: 440/- रुपये प्रति क्विंटल और 470/- रुपये प्रति क्विंटल पर 23.73 लाख टन की वसूली की है।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन वसूल धान को कस्टम मिलिंग द्वारा चावल में बदला जाएगा।

शरणार्थियों को वापिस भेजना

1438. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेशी शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो वापिस भेजे गए शरणार्थियों और अवैध उत्प्रवासियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) इस संबंध में बंगलादेश सरकार के साथ किए गए प्रबंधों और समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार और कुछ अन्य राज्यों ने इस संबंध में प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत में कोई बंगलादेशी शरणार्थी नहीं है। अवैध घुसपैठियों का पता लगाना तथा उन्हें वापिस भेजना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) से (ङ) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, पता लगाने तथा उन्हें वापिस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई हैं, इसलिए राज्य-वार प्रत्यावर्तित अवैध आप्रवासियों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने तथा इस समस्या की विशालता एवं गम्भीरता के बारे में स्थानीय जनता को भी सुग्राही बान बनाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं। इस मामले को विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया गया है। इस मामले पर बंगलादेश के साथ नवम्बर 1998 में ढाका में हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता में भी विचार-विमर्श किया गया था। बंगलादेश की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि अवैध रूप से सीमा पार करने को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे।

विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि

1439. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने ''इंडियन पापुलेशन प्रोजेक्ट'' (आई.पी.पी.)-8 के अन्तर्गत कर्नाटक के कुछ और शहरों को शामिल करने हेतु कोई सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है तथा उक्त परियोजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कर्नाटक में उक्त परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान किन-किन कार्यक्रमों को शुरू किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) कर्नाटक के ग्यारह और शहरों नामत: मैसूर, हुबली/धाड़वाड़, बेलगांव, गुलबर्गा, तुमकुर, दावनगेरे, बीजापुर, बेल्लरी, रायचूर, भद्रावती तथा शिमोगा को भारत जनसंख्या परियोजना-8 के अंतर्गत शामिल करने हेतु कर्नाटक सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विश्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1440. श्री रामानन्द सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में डाक्टर हैं तथा इन अस्पतालों में प्रति अस्पताल डाक्टरों, नर्सों, कम्पाउंडरों, ड्रेसरों तथा अन्य कर्मचारियों स्वीकृत संख्या कितनी है और प्रत्येक अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है और प्रत्येक अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्येक अस्पताल द्वारा दवाइयों पर कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1998-99 के लिए क्या बजट प्रावधान किया गया है; और

(घ) कौन-कौन से अस्पतालों के डाक्टर मुख्यालयों में रहते हैं तथा वे डाक्टर कौन-कौन से हैं जो सतना जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में यदा-कदा ही जाते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 258 उपकेन्द्र और 64 आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर हैं।

(ख) स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में कार्य कर रहे डाक्टरों, नर्सों, कम्पाउंडर ड्रेसरों और अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) इन अस्पतालों के लिए दवाओं हेतु आवंटित बजट 1997-98 के लिए 4386, 880 रुपये और 1998-99 के लिए 28,22,632 रुपये था। औषधें केन्द्र द्वारा प्राप्त की जाती हैं न कि अलग-अलग अस्पतालों द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

(घ) सामान्यत: सभी डाक्टरों से यह आशा की जाती है कि वे तैनाती के स्थानों पर रहें और अस्पताल की ड्यूटियां नियमित रूप से करें। राज्य-सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना, म.प्र.

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामु. स्वा. केन्द्र, अपरपाटन					
		चिकित्सा विशेषज्ञ	1	1	–	–
		स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	–	1	–
		सर्जिकल विशेषज्ञ	–	1	–	1
		शिशु रोग विशेषज्ञ	1	1	–	–
		पी.जी.एम.ओ. सर्जरी	1	1	–	–
		एनस्थीसिया	1	–	1	–
		सहायक सर्जन	–	2	–	2
		बी.ई.ई.	1	1	–	–
		लेखापाल	1	–	1	–
		कम्पाउंडर	2	2	–	–
		संगणक	1	1	–	–
		लैब टैक्नीशियन	2	1	1	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		रेडियोग्राफर	1	1	–	–
		जे.एम.आई.	–	–	–	–
		वाहन चालक	2	2	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		स्टाफ नर्स	7	7	–	–
		एल.एम. वही	2	2	–	–
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		पम्प अटेन्डेन्ट (कान्ति)	1	1	–	–
		दाई	1	1	–	–
		कुक (कान्टिजेन्ट)	1	1	–	–
		चौकीदार	1	1	–	–
		वाटरमैन कमप्यून	1	1	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (कनिष्ठ)	2	2	–	–
		बार्ड ब्वाय	2	2	–	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	32	31	1	–
		एम पी.डब्ल्यू. (महिला)	32	30	2	–
2.	प्रा.स्वा. केन्द्र, मझगया					
		मेडिकल आफिसर	1	–	1	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय (कनिष्ठ)	1	1	–	–
3.	प्रा.स्वा. केन्द्र (शाला)	स्वीपर				
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	1
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्याय (कान्टिजेन्ट)	1	1	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		स्वीपर (कान्टिजेन्ट)	1	–	1	–
4.	प्रा.स्वा. केन्द्र, भीखमपुर					
		मेडिकल आफिसर	1	2	–	1
		फार्मासिस्ट ग्रेड-II	1	1	–	–
		एल.एच. व्ही.	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	1	–	–
		ड्रेसर (जूनियर)	1	1	–	–
		वार्ड ब्याय	1	–	1	–
		स्वीपर (कान्टिजेन्ट)	1	1	–	–
5.	प्रा.स्वा. केन्द्र, बढ़ेलिया माढ़					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रैसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–

2	3	4	5	6	7
6.	सामु.स्वा. केन्द्र, देवराजनगर				
	मेडिकल आफिसर	4	–	4	–
	स्टाफ नर्स	4	–	4	–
	रेडिया ग्राफर	1	–	1	–
	फार्मासिस्ट-कम-स्टोरकीपर	1	–	1	–
	कम्पाउंडर	1	1	–	–
	ड्रेसर	1	1	–	–
	एल.एच.व्ही.	2	2	–	–
	ए.एन.एम.	2	2	–	–
	वाहन चालक	1	1	–	–
	नेत्र सहायक	1	1	–	–
	लेखापाल	1	–	1	–
	संगणक	1	1	–	–
	व्ही.एस.	1	–	1	–
	स्वा. सहायक	4	4	–	–
	जे.एम.आई.	2	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	–
	वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
	वार्ड ब्वाय (कनि.)	1	–	1	–
	वाटर मैन	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		स्वीपर	1	1	–	–
		स्वीपर (पार्ट टाइम)	1	–	1	–
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बढ़ियार					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एम.एम.	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	
		स्वीपर	1	1	–	–
8.	प्रा.स्वा. केन्द्र, मवाईपुर					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एम.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (कान्टि)	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
9.	प्रा.स्वा. केन्द्र, बढ़ा बार्डर					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	
		स्टाफ नर्स	1	–	1	–
		एल.एच.व्ही	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	–	1	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	24	21	3	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	24	16	8	–
10.	सामु.स्वा. केन्द्र, नागौर					
		सर्जिकल विशेषज्ञ	1	1	–	–
		स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	–	1	–
		पी.आर.एम.ओ. मेडिसीन	1	1	–	–
		एनेस्थीसिया	1	–	1	–
		मेडिकल आफीसर	–	3		3
		फीमेल मेडिकल आफीसर	–	1	–	1
		नेत्र चिकित्सक	1	1	–	–
		दन्त चिकित्सक	–	1	–	1
		बी.ई.ई.	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	2	1	1	–
		लैब टेक्नीशियन	3	3	–	–
		रेडियोग्राफर	2	2	–	–
		कम्पाउन्डर	4	3	1	–
		ड्रेसर	2	2	–	–
		लेखापाल	2	1	1	–
		संगणक	1	–	1	–
		व्ही.एस.	1	–	1	–
		दन्त सहायक	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
		वाहन चालक	2	2	–	–
		स्वा. सहायक	5	4	1	–
		जे.एम.आई.	3	1	2	–
		नर्सिंग सिस्टर	1	–	1	–
		स्टाफ नर्स	7	7	–	–
		एल.एच.व्ही.	2	2	–	–
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		एल.एच.व्ही. (आई.सी.डी.एस.)	4	3	1	–
		भृत्य	5	5	–	–
		वार्ड ब्वाय	2	2	–	–
		वार्ड ब्वाय (कन्टि)	1	–	1	–
		स्वीपर	4	3	1	–
		आया	1	1	–	–
		चौकीदार	2	2	–	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	34	27	7	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	34	31	3	–
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र, उसरपुर					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
12.	प्रा. स्वा. के., सिहपुर					
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
13.	प्रा. स्वा. केन्द्र, अमकई					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	–	1	–
		स्वीपर	1	1	–	–
14.	प्रा.सेवा. केन्द्र, रोड					
		मेडिकल आफीसर	1	–	1	–
		फार्मासिस्ट ग्रेड-II	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
		ड्रेसर जूनियर	1	–	1	–
		स्टाफ नर्स	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	–	1	–
		स्वीपर	1	–	1	–
15.	प्रा. स्वा. केन्द्र, जसो					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		नि.श्रे.लि.	1	1	–	–
		सी.एस.ओ.	1	–	1	–
		हेल्थ एजूकेटर	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	1	–	–
16.	सामु. स्वा. केन्द्र, मझमयां					
		मेडिकल आफीसर	4	1	3	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		फार्मासिस्टफम स्टोरकीपर	1	–	1	–
		रेडियोग्राफर	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		स्टाफ नर्स	4	–	4	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		संगणक	1	1	–	–
		बी.ई.ई.	1	1	–	–
		लैब टैक्नीशियन	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		व्ही.एस.	1	1	–	–
		जे.एम.आई.	3	3	1	–
		ड्राईवर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	2	2	–	–
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		वार्ड ब्वाय	2	–	1	–
		भृत्य	2	2	–	–
		वाटरमैन कम प्यूग	1	–	1	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		भृत्य (केन्टि)	1	1	1	–
		स्वीपर (केन्टि)	1	1	–	–
		स्वीपर (पार्ट टाईम)	1	–	1	

1	2	3	4	5	6	7
17.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कारीगोंही					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउंडर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
18.	प्रा. स्वा. के., रिमारी					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर जूनियर	1	–	1	–
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर नैमित्तिक	1	–	1	–
19.	प्रा. स्वा. के., खुटहा					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	–	1	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय नैमित्तिक	1	–	1	–
		स्वीपर	1	1	–	–
20.	प्रा. स्वा. के., बेरहना					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउंडर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	–	1	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		बार्ड ब्वाय नैमित्तिक	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
21.	प्रा. स्वा. के.					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		सी.एच.ओ.	1	–	1	–
		लैब टैक्नीशियन	1	1	–	–
		एच.ई.	1	–	1	–
		नि.श्रे. लिपिक	1	1	–	–
		फीमेल अटेन्डेन्ट	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		स्वीपर नैमितिक	1	1	–	–
22.	प्रा. स्वा. के., अरोधा					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
23.	प्रा. स्वा. के., बगारखुर्द					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच. व्ही.	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
24.	प्रा. स्वा. के., जैतवारा					
		मेडिकल आफीसर	1	2	–	1
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय नैमित्तिक	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		वाटरमैन	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
25.	प्रा. स्वा. के., बगागांव					
		मेडिकल आफीसर	1	–	1	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
	सामु. स्वा. के., माझवां					
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	38	31	7	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	38	34	4	–
26.	सामु. स्वा. के., उपहेरा					
		सर्जिकल विशेषज्ञ	1	–	1	–
		शिशुरोग विशेषज्ञ	–	1	1	–
		पी.जी.एम.ओ.				
		स्त्री रोग	1	–	1	–
		एनेस्थीसिया	1	–	1	–
		मेडिकल आफीसर	–	3	–	3
		कम्पाउन्डर	2	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		ड्रेसर	1	1	–	–
		लैब टेक्नीशियन	2	2	–	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		संगणक	1	–	1	–
		एक्सरे टेक्नीशियन	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		बी.ई.ई.	1	1	–	–
		एन.एच.व्ही.	2	2	–	–
		एल.एम.व्ही.				
		ओ.सी.सी.एस.	4	4	–	–
		जे.एम.आई.	2	2	–	–
		स्वा. सहायक	4	5	–	1
		स्टाफ नर्स	4	3	1	–
		वाहन चालक				
		वी.एच.	1	–	1	–
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय नैमित्तिक	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय नियमित	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		चौकीदार	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		स्वीपर नैमित्तिक	1	1	–	–
		धोबी	1	–	1	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	31	17	14	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	31	31	–	–
27.	प्रा. सेवा. के., कुलगढ़ी					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
28.	प्रा. स्वा. के., बाबूपुर					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		फार्मासिस्ट ग्रेड-2	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		एल.एच.वी.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (नैमित्तिक)	1	1	–	–
		स्वीपर	1	–	1	–
29.	प्रा. स्वा. के., परसमनिया					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		ए.एन.एम.	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय (नैमित्तिक)	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
30.	सामु. स्वा. केन्द्र, मुकुन्द्रपुर					
		मेडिकल आफीसर	3	1	2	–
		स्टाफ नर्स	4	1	3	
		रेडियोग्राफर	1	–	1	–
		फार्मासिस्ट-कम-स्टोर कीपर	1	–	1	–
		भृत्य (कन्टि)	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	–	1	–
		स्वीपर पार्ट टाइम	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
31.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रामपुर बधलान					
		मेडिकल आफीसर	1	3	–	2
		बी.बी.ई.	1	1	–	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		संगणक	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		वाहन चालक	1	1	–	–
		स्वा. सहायक	5	4	1	–
		जे.एम.आई.	–	–	3	–
		एल.एच.व्ही.	2	2	–	–
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		भृत्य	2	2	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		वाटरमैन-कम-प्यून	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		कुक	1	1	–	–
		खलासी	2	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	30	26	5	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	31	31	–	–
32.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सज्जनपुर					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		एम.एच.व्ही.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (कन्टि)	1	–	1	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	1	–	–
33.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सेल्हना					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (कन्टि)	1	1	–	–
		स्वीपर (पार्ट टाइम)	2	1	–	–
34.	प्रा. सेवा. केन्द्र, बूंद					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	–	1	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		स्वीपर पार्ट टाइम	2	–	2	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
35.	प्रा. सेवा. केन्द्र, कोटर					
		मेडिकल आफिसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	2	–	1
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	1	–	–
36.	प्रा. स्वा. केन्द्र, छिदौरा					
		मैडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय (कन्टि)	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
37.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोरइया					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		धोबी	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
38.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कोठी					
		मैडिकल आफिसर	1	2	–	1
		बी.ई.ई.	1	1	–	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		संगणक	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वाहन चालक	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		व्ही.एस.	1	1	–	–
		स्वा. सहायक	5	7	–	2
		जे.एम.आई.	4	1	3	
		एल.एम.व्ही.	2	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		ए.एन.एम.	2	2	–	–
		भृत्य	2	2	–	–
		वार्ड	2	2	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	–	1	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	34	20	5	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	14	33	1	–
39.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सोहावल					
		मेडीकल आफीसर	1	1	–	–
		एल.एच.वी.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेस सहायक	1	1	–	–
		वार्ड वॉय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
40.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रेगवि					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
		वाटरमैन	1	–	1	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	–	1	–
41.	प्रा. स्वा. केन्द्र, डगडीहा					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	–	1	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	1	–	–
42.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नैना					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	–	1	–
		ड्रेसर	1	–	1	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
43.	प्रा. स्वा. केन्द्र, माधोगढ़					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर				

1	2	3	4	5	6	7
		एल.एम.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
44.	प्रा. स्वा. केन्द्र, परडांग					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		ए.एन.एम.	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
45.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुआं					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	–	1	–
		स्वीपर	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
46.	प्रा. स्वा. केन्द्र, अमदरा					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		एल.एच.व्ही	2	2	–	–
		वाहन चालक	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		वी.एस.	1	–	1	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		संगणक	1	1	–	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		वी.ई.ई.	1	1	–	–
		स्वा. सहायक	5	4	1	–
		जे.एम.आई.	3	4	–	1
		भृत्य	2	2	–	–
		वाटरमैन	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
47.	प्रा. स्वा. केन्द्र, धूनवारा					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	–	1	–
		ड्रेसर	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
48.	प्रा. स्वा. केन्द्र, समीगंज					
		मेडिकल आफीसर	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	1	–	1	–
		एल.एच.व्ही.	1	1	–	–
		कम्पाउन्डर	1	1	–	–
		ड्रेसर	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय (कन्टि)	1	1	–	–
		स्वीपर (कन्टि)	1	–	1	–
	प्रा. स्वा. केन्द्र, अमदरा					
		एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	34	19	15	–
		एम.पी.डब्ल्यू. (महिला)	34	29	5	–
49.	प्रा. स्वा. केन्द, बदेरा					
		मेडिकल आफीसर	1	–	1	–
		कम्पाउन्डर	1	–	1	–
		सी.एस.ओ.	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
		एस.ई.	1	–	1	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		नि.श्रे.लि.	1	1	–	–
		फीमेल अटेन्डेन्ट्स	1	1	–	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		स्वीपर	1	1	–	–
50.	सिविल अस्पताल, रामनगर					
		मेडिकल आफीसर	3	2	1	–
		लेखापाल	1	1	–	–
		स्टाफ नर्स	4	1	3	–
		कम्पाउन्डर	4	1	3	–
		ड्रेसर	2	2	–	–
		लैब टेक्नीशियन	1	1	–	–
		नेत्र सहायक	1	1	–	–
		रेडियोग्राफर	1	1	–	–
		नर्सिंग सिस्टर	1	–	1	–
		वार्ड ब्वाय	1	1	–	–
		फीमेल अटेन्डेंट	1	1	–	–
		कुक	1	1	–	–
		भृत्य	1	1	–	–
		स्वीपर	2	2	–	–

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक संयंत्रों की बंद इकाइयों को पुनः चालू करना

1441. श्री सी.पी. राधाकृष्णन :
श्री आदित्य नाथ :
डा. राम विलास वेदान्ती :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने रसायन और उर्वरक संयंत्र हैं;

(ख) रसायन और उर्वरक संयंत्रों की कितनी इकाइयां बन्द पड़ी हैं और ये किस तिथि से बन्द पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने बन्द इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख उर्वरक संयंत्रों और रासायनिक, पेट्रो रसायनिक एवं भेषजीय संयंत्रों की राज्यवार संख्या के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) बंद पड़े उर्वरक एककों और वह तारीख जब से ये बन्द पड़े हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

बन्द पड़े उर्वरक संयंत्र	बन्द होने की तारीख
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) का गोरखपुर संयंत्र	10.6.90
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का ट्राम्बे-1 यूरिया संयंत्र	1.4.95
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.) का दुर्गापुर संयंत्र	24.6.97
एच.एफ.सी. का नामरूप-IV अमोनियम सल्फेट संयंत्र	23.6.92
एच.एफ.सी. का नामरूप-IV यूरिया संयंत्र	1.11.94

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.) का दिल्ली एकक माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 30.11.96 से बंद कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने 350 करोड़ रुपए के अनुमानित नए निवेश से 1.10.97 को एच.एफ.सी. के नामरूप एककों के लिए पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। इन एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तेजी से करने के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। नामरूप-I के अमोनियम सल्फेट संयंत्र को अलग करना पड़ा क्योंकि इसे प्रचालन के लिए अव्यवहार्य तथा असुरक्षित पाया गया है। पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है और कंपनी विभिन्न इनपुटों और वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण हेतु व्यवस्था करने में संलग्न है।

जहां तक दुर्गापुर संयंत्र का संबंध है, एच.एफ.सी. में एक विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किया जा रहा है।

एफ.सी.आई. के गोरखपुर संयंत्र के पुनरुद्धार को प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

बड़ी मरम्मतों की वजह से आर.सी.एफ. के ट्राम्बे-I यूरिया संयंत्र को फिर से शुरू करना प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है और कंपनी ने इस संयंत्र का प्रचालन नहीं करने का निर्णय लिया है।

एच.आई.एल. द्वारा दिल्ली एकक को पांच नामित राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के किसी उचित स्थान पर फिर से स्थापित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

*प्रमुख उर्वरक रसायन, पेट्रो रसायन तथा फार्मास्यूटिकल संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या**

राज्य	संयंत्रों की संख्या	
	उर्वरक संयंत्र	रसायन, पेट्रो रसायन तथा फार्मास्यूटिकल संयंत्र
1	2	3
असम	3	–
मणिपुर	–	1

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	6	3
तमिलनाडू	5	1
केरल	3	2
गोआ	1	–
महाराष्ट्र	5	6
कर्नाटक	1	1
मध्य प्रदेश	3	–
राजस्थान	2	1
गुजरात	8	2
पंजाब	4	–
दिल्ली	–	1
उत्तर प्रदेश	9	4
हरियाणा	1	1
बिहार	4	1
उड़ीसा	4	1
पं. बंगाल	4	3
अखिल भारत	63	28

*रसायन, पेट्रो रसायन तथा फार्मास्युटिकल संयंत्रों के बारे में सूचना केवल सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। निजी क्षेत्र के एककों के संबंध में सूचना केन्द्रीय नहीं है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

1442. श्री टी.आर. बालू : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, चेन्नई के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस योजना के कब से आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) आई.डी.पी.एल., चेन्नई के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) चेन्नई स्थित आई.डी.पी.एल. (टी.एन.) लिमिटेड, आई.डी.पी.एल. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आई.डी.पी.एल. स्वयं एक रुग्ण कंपनी है और आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा विधिवत अनुमोदित योजना को 1.4.1994 से मंजूर किया गया था। फिलहाल यह योजना अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष में ही असफल हो गई क्योंकि कंपनी वर्ष 1994-95 में उत्पादन, बिक्री तथा लाभदेयता के लक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। तदुपरांत आई.डी.पी.एल. के प्रबंधन ने पूर्ववर्ती योजना में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। आई.डी.पी.एल. (टी.एन.) लिमिटेड के संबंध में निर्णायक विचार मूल पी.एस.यू. के संबंध में कोई निर्णय लेने के बाद लिया जा सकता है। इस बीच आई.डी.पी.एल. (टी.एन.) लि. के स्टाफ तथा कार्मिकों का वेतन केन्द्रीय बजट से दिया जा रहा है।

रक्त बैंकों में रक्त की कमी

1443. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ महीनों के दौरान राजधानी के रक्त बैंक रक्त की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी में रक्त का पर्याप्त भण्डार रखने के लिए स्वैच्छिक रक्त-दान शिविर लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) यद्यपि देश के कुछ अस्पतालों और रक्त बैंकों में रक्त की यदा-कदा और मौसमी कमी होती है फिर भी कुल मिलाकर गंभीर कमी सूचित की जाती है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से कहा गया है कि स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा रक्त की कमी पर काबू पाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से रक्त एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) लोगों को स्वेच्छापूर्वक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्राइम टाइम के दौरान उपयुक्त अन्तरालों पर दूरदर्शन प्रसारण के माध्यम से विशेष रूप से निर्मित टी.वी. स्पाटों द्वारा एक अभियान चलाया गया है।

(2) स्वैच्छिक रक्तदान पर टाइम्स एफ.एम. चैनल में उनके संगीत कार्यक्रमों में से एक में संदेश प्रसारित किए जाते हैं।

(3) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की सहायता से नॉको ने फोल्डरों, पोस्टरों के रूप में स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम पर वन टू वन कम्यूनिकेशन के लिए प्रोटोटाइप सूचना शिक्षा संचार सामग्री विकसित की है और उसे प्रयोग और देशी भाषाओं में पुन: तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया है।

(4) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार) ने रक्त की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने की दृष्टि से 50 चुनिंदा शहरों में स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त एकत्र करने के लिए एक प्रायोगिक इंटरवेंशन परियोजना शुरू की है।

(5) प्रत्येक वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान और रक्त एकत्रण के लिए विशेष शिविर लगाए जाते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपील करने वाले भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के संदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये संदेश अखबारों में भी छपते हैं।

कच्चे तेल के लाने ले जाने में होने वाला नुकसान

1444. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री अरविन्द कांबले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित एवं घरेलू कच्चे तेल को तट एवं अपतट से लाने ले जाने में होने वाले नुकसान का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या लाने और ले जाने में होने वाला नुकसान बीमा योजना के अंतर्गत शामिल है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयातित एवं घरेलू कच्चे तेल के संबंध में कितने बीमा दावे वर्ष-वार दर्ज किए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गत तीन वर्षों में आयातित कच्चे तेल की महासागर में हानियां निम्नवत् हैं:

वर्ष	महासागर में हानि
1995-96	(+) 0.070 प्रतिशत
1996-97	(+) 0.060 प्रतिशत
1997-98	(+) 0.059 प्रतिशत

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. द्वारा उठाई गई मार्गस्थ हानियों का प्रतिशत निम्नवत् है:

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन

	1995-96	1996-97	1997-98
तटवर्ती	4.47 प्र.	3.14 प्र.	2.93 प्र.
अपतटीय	4.88 प्र.	4.10 प्र.	4.02 प्र.
आयल इंडिया लि.	1.16 प्र.	1.03 प्र.	1.11 प्र.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा लिए गए बीमा पैकेज में परिवहन के दौरान हुई कच्चे तेल की अप्रत्याशित हानि सम्मिलित होती है और इसमें बी.एस. एण्ड डब्ल्यू. वाष्पन इत्यादि के रूप में होने वाली ऐसी सामान्य हानि जिसे कि सामान्य प्रचालनीय हानि माना जाता है, सम्मिलित नहीं होती है। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बीमा कुल पोत भार के लिए करवाया जाता है न कि मार्गस्थ हानि अथवा महासागर में होने वाली आंशिक हानि के लिए।

इन्डो-ओमान पाइपलाइन परियोजना

1445. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इंडो-ओमान पनडुब्बी गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस परियोजना को रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में प्रमुख शर्तों पर ओमान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। चूंकि ओमान में प्राकृतिक गैस भंडारों की पर्याप्तता तथा अभीष्ट गहराई पर उप समुद्र में पाइपलाइन बिछाने और इसका रख-रखाव करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी की पर्याप्तता के विषय में तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरे नहीं किए गए हैं इसलिए यह परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है।

ग्रामीण आबादी को चिकित्सा सुविधा

1446. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्धारित मानकों के अनुसार निजी चिकित्सालयों और कालेजों को अनुमोदित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं देश में ग्रामीण जनसंख्या को नीचे दिए गए जनांकिकीय मानदण्डों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के एक तीन स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है:-

केन्द्र	जनसंख्या मानदण्ड	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जानजातीय क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और प्रसवोत्तर केन्द्र भी ग्रामीण स्वास्थ्य नेटवर्क का हिस्सा हैं। संसाधनों और प्रशिक्षित/कुशल कार्मिक शक्ति के अभाव के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में कुछ कमी है।

(ख) और (ग) प्राइवेट अस्पतालों को स्वीकृति देने संबंधी कार्य संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, ऐसे संगठनों जो एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के इच्छुक हों, को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधीन यथापेक्षित एक स्कीम प्रस्तुत करके केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन लेना पड़ता है। इसके लिए पात्रता मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राज्यों को समय-समय पर सलाह दी जा रही है कि वे यह देखें कि ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में औषधों, उपकरणों और आवश्यक रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं प्रथम रेफरल एकक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो उपकेन्द्र

स्तर पर बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और जो हाल ही में शुरू किए गए प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग हैं, का सुदृढ़ीकरण। इसके अलावा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का भी विभिन्न अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जरिए सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जा रहा है।

विवरण

नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए मानदण्ड

पात्रता मानदण्ड

निम्नलिखित संगठन नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे:

1. विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
2. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बढ़ावा दिए गए स्वायत्तशासी निकाय।
3. सोसायटीज पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा राज्यों में सदृश अधिनियमों के अधीन पंजीकृत सोसायटियां।
4. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, वक्फ़ अधिनियम आदि के अधीन पंजीकृत धार्मिक या पूर्त सार्वजनिक ट्रस्ट।

अर्हक मानदण्ड

पात्र संगठन समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करेंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही नए मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए अर्हक होंगे:

1. आयुर्विज्ञान शिक्षा आवेदक का एक प्रमुख उद्देश्य हो।
2. प्रस्तावित मेडिकल कालेज खोलने के लिए आवेदक के स्वामित्व और कब्जे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथानिर्दिष्ट एक उपयुक्त भूखण्ड हो।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित मेडिकल कालेज खोलने की इच्छा और व्यवहार्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त क्लिनिकल सामग्री उपलब्ध हो।
4. आवेदक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिए संबद्धता की सहमति ली गई हो।
5. आवेदक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं सहित 300 से अनल्प पलंगों वाले अस्पताल का मालिक हो और उसका प्रबंध करता हो और अस्पताल प्रस्तावित मेडिकल कालेज के पड़ोस में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथानिर्धारित शिक्षण संस्था में विकसित किए जाने लायक हो।
6. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथा-निर्धारित छात्रों की संख्या प्रस्तावित संख्या के अनुरूप लड़कों और लड़कियों को पर्याप्त छात्रावासीय सुविधाओं सहित अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के साथ प्रस्तावित मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए आवेदक के पास व्यवहार्य और समयबद्ध कार्यक्रम हो ताकि अनुमति प्रदान करने की तिथि से चार वर्षों की अवधि के अंतर्गत उस मेडिकल कालेज को तैयार किया जा सके।
7. एम.बी.बी.एस. आरंभ करने के लिए बुनियादी एवं दूसरी सुविधाओं के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के संतुष्ट हो जाने और केन्द्रीय सरकार से लिखित अनुमति मिल जाने के बाद ही मेडिकल कालेज में छात्र दाखिल होंगे।
8. मौजूदा अस्पताल के उन्नयन या नए अस्पताल स्थापित करने या दोनों के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त पलंगों और बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए आवेदक के पास व्यवहार्य और समयबद्ध विस्तार कार्यक्रम हों ताकि प्रस्तावित मेडिकल कालेज स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने की तिथि से चार वर्षों की अवधि के अंदर निम्नलिखित पूरक पलंग सामूहिक रूप से उपलब्ध कराए जा सकें:-

स्नातकपूर्व छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक	पलंग संख्या में न्यूनतम वार्षिक बढ़ोत्तरी	4 वर्षों के अंत में कुल पलंग पूर्ति
50	50	500
100	100	700

9. आवेदक के पास प्रस्तावित मेडिकल कालेज तथा एक शिक्षण अस्पताल समेत इसकी सहायक सुविधाओं को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताएं हों।

10. आवेदक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पक्ष में दो निष्पादन बैंक गारंटी पहली नए मेडिकल कालेज और इसकी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए 100 लाख रुपये (50 वार्षिक दाखिलों हेतु), 150 लाख रुपये (100 दाखिलों हेतु), और 200 लाख रुपये (150 वार्षिक दाखिलों हेतु) की राशि तथा दूसरी शिक्षण अस्पताल और इसकी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुसूची के अनुसार 350 लाख रुपये (500 पलंग हेतु), 550 लाख रुपये (700 पलंग हेतु) और 750 लाख रुपये (1000 पलंग हेतु) की राशि प्रदान करेगा।

अपवाद : उक्त शर्त उन आवेदनों पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकारें होंगी बशर्ते कि जब तक उनके द्वारा सूचित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्णत: मुहैया नहीं कराई जातीं तब तक वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से निधियां मुहैया कराने के लिए वचनबद्धता प्रदान करेंगे।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारियों द्वारा समयपालन

1447. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली अस्पताल में डाक्टरों तथा अन्य अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ द्वारा समय का पालन नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में खासतौर पर बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सच्चाई का पता लगाने के लिए गत छ: महीनों में अस्पताल का अचानक कोई निरीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) डाक्टर और अन्य परा-चिकित्सा कर्मचारी समय-पाबंदी का अनुपालन करते हैं। समय-पाबंदी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सा अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ रोज 9.00 बजे पूर्वाह्न दौरा करते हैं।

[हिन्दी]

फिरौती ऐंठने वाले गैंग

1448. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई जबरन पैसा वसूल करने वाले गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों को विदेशी दौरे पर भेजने के नाम पर फंसा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गिरोहों का पर्दाफाश करके कई लोगों को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनसे कितनी मात्रा में अवैध धन जब्त किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे गिरोहों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में विशेषकर महानगरों में सक्रिय गिरोहों की जानकारी है जो धन ऐंठने और अन्य संगठित अपराधों में लगे हुए हैं। तथापि, धन ऐंठने में सक्रिय अलग-अलग गिरोहों के शामिल होने, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनसे जब्त किए गए अवैध धन के बारे में विशिष्ट सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

संविधान के अंतर्गत "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। तदनुसार, अपराध रोकना, अपराध का रजिस्ट्रेशन करना, जांच करना और उसका पता लगाना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार पुलिस व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार उनके साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है और समय-समय पर उन्हें सलाहकार भेजती है।

मध्य प्रदेश में आतंकवादियों के सम्पर्क और आधार स्थल

1449. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवास में ए.के.-47 के कारतूसों का काफी मात्रा में स्टॉक पकड़े जाने को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में आतंकवादियों के सम्पर्क और आधार स्थलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग)''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य का विषय होने के कारण, इस संबंध में विभिन्न तरीके निकालना और ठोस कदम उठाने का काम संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवादी विरोधी अभियानों को समन्वित करने में मदद करने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में लाभप्रद सूचना के राज्यों के बीच सम्प्रेषण करने के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, विकसित हथियारों की आपूर्ति, अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती इत्यादि के रूप में भी दी जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए उनके चालू आबंटन के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गयी है।

[अनुवाद]

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निधियां

1450. श्री दिलीप संघाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए कितना-कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) अभी तक कितने स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई और उन पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) अगले वर्ष राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य द्वारा राज्य सैक्टर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई निधि से स्थापित किए और चलाए जाते हैं। 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को प्रदान की गई निधि इस प्रकार है:-

1995-96	2280 लाख
1996-97	1000 लाख
1997-98	12177 लाख

1997-98 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को 7200 लाख रुपये की एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई थी। राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अपना हिस्सा प्रदान किया होगा।

(ख) 31.12.97 को गुजरात में 960 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर हुए खर्च के आंकड़े नहीं रखता क्योंकि ये राज्य के अपने बजट से दी गई निधि से खोले तथा संचालित किए जाते हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

जले मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं

1451. श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी के सरकारी अस्पताल जले मरीजों की देख-भाल के लिए अनुपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में कितने जले मरीज दाखिल किए गए तथा उनका समुचित उपचार किया गया;

(ग) क्या कुछ अस्पतालों ने जले मरीजों को दाखिल करने से इंकार किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी अस्पतालों को जले मरीजों की चिकित्सा हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केंद्रीय सरकार के अस्पताल नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल जले मरीजों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त रूप से उपस्करों से सज्जित हैं। लेकिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई बर्न्स यूनिट नहीं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन लोक नायक जयप्रकाश और गुरू तेग बहादुर अस्पतालों में बर्न्स वार्ड हैं।

(ख) दाखिल किए गए जले मरीजों की संख्या निम्नलिखित है:-

	अवधि	मरीज संख्या
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	जुलाई, 1997 से जून, 1998	258
सफदरजंग अस्पताल	1997	3125
लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल गुरू तेगबहादुर अस्पताल		1436

(ग) से (ङ) सफदरजंग अस्पताल/डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बर्न्स वार्ड में किसी जले मरीज की भर्ती करने से इंकार नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि पलंगों की उपलब्धता के अनुरूप सभी जले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विशिष्ट बर्न्स यूनिट नहीं है जो विशाल संख्या में मरीजों की जरूरत पूरी कर सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हताहत विभाग में आने वाले ऐसे सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार किए जाने और स्थिरीकरण के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल भेज दिया जाता है। दिल्ली सरकार प्लास्टिक सर्जरी के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में तीस पलंगों वाला वार्ड और दस पलंगों वाला वार्ड खोलने का विचार कर रही है।

भारतीय तेल निगम और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच समझौता

1452. श्री वी.वी. राघवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच विपणन समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने पर, इंडियन आयल कारपोरेशन का पांच नियंत्रित उत्पादों अर्थात् एल.पी.जी., एम.एस., एच.एस.डी., एस.के.ओ. और ए.टी.एफ. के लिए रिलायंस पेट्रोलियम लि. और एस्सार आयल लिमिटेड के साथ विपणन करार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का विशेष कोटा

1453. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में रसोई गैस के कुछ व्यवसाइयों को रसोई गैस का विशेष कोटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में कुछ एक वितरकों के लिए विशेष कोटा के तहत 1300 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं। ये कनेक्शन या तो विभिन्न विशिष्ट लोगों/अति विशिष्ट लोगों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अथवा ग्राहकों को अनुकरणीय ग्राहक सेवा प्रस्तुत करने वाले वितरकों को प्रोत्साहित करने के लिए सुधा जोशी समिति द्वारा संस्तुत अभिप्रेरण योजना के तहत जारी किए गए हैं।

पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी

1454. श्री पंकज चौधरी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. ने जम्मू में रक्तपात करने के लिए अपने कार्मिकों की विभिन्न भेषों में घुसपैठ करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे; और

(ङ) ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। पाक आई.एस.आई. जम्मू सहित जम्मू एवं कश्मीर में अधिक-से-अधिक विदेशी उग्रवादियों/भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ कराने के लिए हर संभव तरीका अपना रही है। घुसपैठ का प्रमाण 1990 से नियंत्रण रेखा पर मारे गए 1633 उग्रवादियों तथा गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों द्वारा दिए गए बयानों से मिलता है।

(ङ) सरकार ने सीमा पर घुसपैठ से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर बसी आबादी के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करना, पुलिस तथा सुरक्षा बलों को उन्नत एवं परिष्कृत हथियारों तथा संचार प्रणालियों आदि से लैस कर उनका आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन करना शामिल है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन परियोजना

1455. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात रिफाइनरी के विद्युत उत्पादन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना में कुछ अड़चने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना हेतु विदेशी कम्पनियों या निजी एजेंसियों से सहायता प्राप्त की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) बड़ौदा के समीप सावली में पेट्रोलियम अपशिष्ट आधारित 500 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए आई.ओ.सी. को प्रथम चरण का अनुमोदन नवम्बर, 1998 में प्रदान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) आई.ओ.सी. ने इस परियोजना के लिए मैसर्स डैस्टेक एनर्जी इंक. यू.एस.ए. को संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में चुनने का प्रस्ताव किया है।

अधिकतम फुटकर मूल्यों का मुद्रण

1456. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश विनिर्माता अपने उत्पादों के ऊपर बहुत अधिक मूल्य मुद्रित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त समिति द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को किस हद तक रोके जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में अपेक्षा की गई है कि पैकेज रूप में बेची जाने वाली वस्तु पर उसका खुदरा बिक्री मूल्य निम्नलिखित फार्मेट में छापा जाए:-

"सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य ..... रु. या अधिकतम खुदरा मूल्य ..... रु. सभी करों सहित"

अधिकतम खुदरा मूल्य वह अधिकतम मूल्य है, जिस पर उत्पाद को बेचा जा सकता है। वास्तविक बिक्री मूल्य विभिन्न कारणों से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम हो सकता है।

तथापि, पहले से पैक वस्तुओं के मूल्यों का विनियमन, उक्त नियमों की परिधि से बाहर है।

(ग) से (ङ) जी नहीं।

(च) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रवर्तन एजेंसियां, पैकेजों पर घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेने के मामलों का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का अचानक निरीक्षण तथा जांच कर रहे हैं। पता लगाए गए दोषियों के विरुद्ध बाट तथा माप, मानक अधिनियम और बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के तहत मुकदमें चलाए जाते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी उपभोक्ता पैकेज पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के खिलाफ अधिनियम के तहत गठित किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कर सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बीच कच्चे तेल की पाइपलाइन के लिए समझौता

1457. प्रो. रीता वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भारतीय तेल निगम की सालिया वीरंगम कोलि कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना हेतु पाइपलाइन की आपूर्ति के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संविदा पर किस तारीख से हस्ताक्षर हुए और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को कब तक पाइपलाइन की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया गया था;

(घ) क्या संविदा के अनुसार पाइपलाइन की आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने नामित तीसरे पक्षकार निरीक्षकों द्वारा विधिवत निरीक्षण एवं स्वीकार किए गए केवल अच्छी गुणवत्ता वाले पाइपों को ही स्वीकार किया है।

161,650 मीटर के लिए आदेश दी गई कुल मात्रा में से 2 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार लगभग 46,000 मीटर पाइपों की आपूर्ति अभी होनी है।

विवरण

क्र.सं.	खरीद आदेश संख्या	संविदा की तारीख	पूरे होने का कार्यक्रम	मात्रा (मीटर)
1.	पीएलएम/एसवीके/96/004/ पी ओ-इंडिया/74	06.03.98	05 सितम्बर, 98	127,750
2.	पीएलएम/एसवीके/98/072/ पी ओ-इंडिया/83	13.05.98	05 अक्तूबर, 98	500
3.	पीएलएम/एसवीके/98/076/ पी ओ-इंडिया/91	20.06.98	05 नवम्बर, 98	33,400
			योग	161,650

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में भिखारी सुधार गृह

1458. श्री अशोक प्रधान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के भिखारी सुधार गृह से कितने भिखारी भाग गए;

(ख) क्या यह सुधार गृह अपराधिक तत्वों के लिए आश्रय स्थल बन गए हैं और वहां भिखारी दयनीय स्थितियों में दासों की तरह रह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली के सुधार गृहों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या धन के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ और भिखारी सुधार गृहों में भिखारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस मंत्रालय की भिक्षावृत्ति निवारण की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 29.0 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) हालांकि भिक्षु गृहों का निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का है, भिक्षुओं के संभावित पुनर्वास को सुगम बनाने की दृष्टि से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य-केन्द्रों की स्थापना करने से सीमित उद्देश्य से भिक्षावृत्ति निवारण की योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय राज्य सरकारों को 100% सहायता अनुदान प्रदान करता है।

[हिन्दी]

निजी चिकित्सा कालेज

1459. श्री इन्द्रजीत मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में चिकित्सा कालेज की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अथवा किसी निजी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) 1993 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के बाद, राज्य में नए मेडिकल कालेज निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी सोसायटियों/न्यासों से 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, फिर भी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं:-

1. देहरादून
2. गाजियाबाद
3. सीतापुर
4. आजमगढ़
5. मुरादाबाद
6. मेरठ
7. बाराबंकी
8. लखनऊ

(ग) और (घ) देहरादून और गाजियाबाद में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जा चुकी है, जबकि सीतापुर में कालेज के लिए एक आशयपत्र निर्गत किया जा चुका

है। आजमगढ़, मुरादाबाद, मेरठ और बाराबंकी में नए मेडिकल कालेज संबंधी प्रस्ताव बुनियादी सुविधाओं में कमी वाले पाए गए/ अर्हक मानदंड पूरा नहीं करते थे और इसीलिए उन्हें नामंजूर/वापिस कर दिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने भी लखनऊ में मेडिकल कालेज के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं की है।

(ङ) अर्हक मानदंड पूरा करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं एवं स्टाफ की उपलब्धता पर किसी प्रस्ताव का अनुमोदन निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कोबाल्ट थैरेपी के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का दुरुपयोग

1460. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कोबाल्ट थैरेपी इकाइयां स्थापित करने और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में मान्यता प्राप्त मुख्य संस्थानों को वित्तीय सहायता और अनुदान उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुदान का ठीक से उपयोग नहीं किया गया अथवा उसे व्यक्तिगत हित में उपयोग किया गया और उसके संबंध में सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए हैं;

(घ) क्या यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई अन्य मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसमें धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है या उसका गबन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना, मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में अर्बुद विज्ञान विंगों के विकास के अधीन प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (छ) दुर्विनियोजन का कोई भी मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई

संस्था का नाम		राशि (लाखों में)
1		2
1995-96		
1.	लायंस जिला 324 सी-1 कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	100.00
2.	एम.बी.एस. हास्पिटल, कोटा, राजस्थान	46.00
3.	परवाना रूरल हास्पिटल, लोनी, महाराष्ट्र	50.00
4.	पूणा मेडिकल फाउंडेशन, पूणा, महाराष्ट्र	75.00
5.	संजीवन मेडिकल फाउंडेशन, मिरज, महाराष्ट्र	75.00
6.	साधु वासवानी मेडिकल कांपलैक्स, इनलुक्स एंड बुद्धरानी हास्पिटल, पुणे	75.00
7.	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश	75.00
8.	थंजावर मेडिकल कालेज, थंजावर, तमिलनाडु	25.00
1996-97		
1.	पूणा मेडिकल फाउंडेशन, पूणे	25.00
2.	संजीवन मेडिकल फाउंडेशन, मिरज	25.00
3.	साधु वासवानी मेडिकल कांपलैक्स, पूणे	25.00
4.	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश	25.00

1	2
5. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज, सेवाग्राम, वर्धा	50.00
6. तिरुवेल्ली मेडिकल कालेज, तमिलनाडु	88.00
7. कोयम्बत्तूर मेडिकल कालेज, तमिलनाडु	88.00
8. थंजावर मेडिकल कालेज, तमिलनाडु	25.00
1997-98	
1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	100.00
2. राजकोट कैंसर सोसाइटी, गुजरात	100.00
3. महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, पटना, बिहार	100.00
4. भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर, राज.	100.00
5. साइबर चैरिटेबल ट्रस्ट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	100.00

क्षेत्रीय कैंसर सेंटरों को दी गई सहायता

संस्था का नाम	राशि (लाखों में)
1995-96	
1. जी.सी.आर.आई., अहमदाबाद (गुजरात)	50.00
2. के.एम.आई.ओ., बंगलौर (कर्नाटक)	50.00
3. आर.सी.सी.आर.टी.एस., कटक (उड़ीसा)	55.00
4. आई.आर.सी.एच., नई दिल्ली	250.00
5. सी.एच.आर.आई., ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	50.00
6. बी.बी. कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी (असम)	50.00
7. कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास (तमिलनाडु)	55.00
8. आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम (केरल)	50.00
9. के.एन.एम. अस्पताल, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	50.00

1	2
1996-97	
1. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	150.00
2. कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	50.00
3. ए.एच.आर.सी.सी.आर.टी., कटक	50.00
4. क्षेत्रीय सेंटर फार कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
5. आई.आर.सी.एच. (एम्स), नई दिल्ली	400.00
6. कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर	50.00
7. एम.एन.जे.आई.ओ., हैदराबाद	50.00
8. किदवाई मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आन्कोलॉजी, बंगलौर	50.00
9. रिजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	50.00
10. रिजनल कैंसर सेंटर, इलाहाबाद	50.00
*11. सी.एन.सी.आर., कलकत्ता (नान प्लान)	200.00
1997-98	
1. ए.एच.आर.सी.सी.आर.टी.एस., कटक	82.50
2. कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	82.50
3. आई.आर.सी.एच., एम्स, नई दिल्ली	220.00
4. रिजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	105.00
5. के.एम.आई.ओ., बंगलौर	125.00
6. कमला नेहरू मैमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद	50.00
7. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	210.00
8. गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	75.00
9. कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर	75.00

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें अर्बुद विज्ञान स्कंध के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई

संस्थान का नाम	धनराशि (लाखों में)
1995-96	
1. इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश	150.00
1996-97	
1. जे.एन. मेडिकल कालेज, ए.एम.यू. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	50.00
1997-98	
1. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	30.00
2. एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, बेहरामपुर, उड़ीसा	60.00
3. पं. भगवान दयाल शर्मा मेडिकल कालेज, रोहतक	105.00
4. वी.एस.एस. मेडिकल कालेज अस्पताल, भुर्ला, उड़ीसा	130.00
5. मेडिकल कालेज, कोझिकोडे, केरल	150.00

एन.सी.सी.एफ. द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

1461. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन.सी.सी.एफ. निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए सरकारी विभागों को माल की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो एन.सी.सी.एफ. द्वारा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जा रहे माल का आपूर्तिकर्ता-वार, मद-वार दर-वार और ब्राण्ड-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है कि एन.सी.सी.एफ. विनिर्माताओं अथवा प्राधिकृत वितरकों/डीलरों से विनिर्माता दरों पर माल खरीदें?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि जहां तक संभव होता है वे विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से वस्तुएं खरीदते हैं और कुछ मामलों में जहां विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से किन्हीं विशेष वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती है, वहां उन्हें स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं की आपूर्ति करता है और मांगी गई सूचना बहुत बड़ी मात्रा में है, अत: राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उसे संकलित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्त सहकारी संस्था है और अपनी कम क्रय नीतियों के बारे में निर्णय करने के लिए उसका अपना प्रबंध बोर्ड है। सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के दैनिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की अपनी मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की है और अधिकांश ब्रांडों की वस्तुओं की विनिर्माताओं/वितरकों तथा केवल उनके अधिकृत विक्रेताओं से खरीदारी करने का निर्णय किया है। चूंकि ब्रांड वाली अथवा बिना ब्रांड वाली छोटी-मोटी वस्तुओं की विनिर्माताओं/वितरकों से खरीददारी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, अत: उन्हें आमतौर पर सामान्य आर्डर सप्लायरों से खरीद किया जाता है।

सतर्कता संबंधी जांच

1462. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **गृह मंत्री** 14.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या-3882 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले के लिए गठित सतर्कता जांच ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरे होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नकली दवाएं

1463. डा. अशोक पटेल :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भारी मात्रा में नकली दवाओं की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारखाने नकली दवाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने कारखानों का पता लगाया गया;

(घ) इन कारखानों द्वारा बनाई गई मुख्य औषधियों/दवाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये कारखानें कहां-कहां स्थित हैं; और

(ङ) नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए उन कारखानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) नकली औषधों का विनिर्माण और बिक्री एक गुप्त रूप से किया जाने वाला कार्यकलाप है जिसमें बेईमान व्यक्ति लगे हुए हैं जो ऐसी औषधें प्रायः एक से अधिक जगहों पर गैर-लाइसेंस शुदा परिसरों में बनते हैं। ऐसे कार्यकलापों का राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर पुलिस की मदद से भंडाफोड़ किया जाता है और पता लगाया जाता है।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी प्रयोगशालाओं में जांचे गए औषधों के 25547 नमूनों में से नकली औषधों के कुल 132 मामलों का पता लगाया गया है। यह संख्या जांचे गए कुल नमूनों का 0.5 प्रतिशत बैठती है। वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा पता लगाए गए नकली औषधों के मामलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। 1997-98 के दौरान औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन चलाए गए मुकदमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान पता लगाई गई नकली दवाओं के मामलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1997-98
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	41
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	6
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	11
8.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध
9.	जम्मू और कश्मीर राज्य	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध
13.	महाराष्ट्र	19
14.	मणिपुर	शून्य

1	2	3
15.	मेघालय	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	अनुपलब्ध
20.	राजस्थान	अनुपलब्ध
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	अनुपलब्ध
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	50
25.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध
26.	पांडिचेरी	अनुपलब्ध
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
28.	चण्डीगढ़ (यू.टी.)	शून्य
29.	दिल्ली	2
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
	कुल	132

सूचना अनुपलब्ध

विवरण-II

1997-98 के दौरान औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन चलाए गए मुकदमों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चलाए गए मुकदमों की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या	जुर्माने या बिना जुर्माने के साथ सिद्ध दोष	केवल जुर्माने वाले	दोषमुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	70	40	34	शून्य	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोआ	3	1	1	शून्य	1

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	21	10	7	शून्य	3
7.	हरियाणा	59	16	1	4	4
8.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	जम्मू और कश्मीर राज्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	24	6	2	शून्य	4
11.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	मध्य प्रदेश	6	12	12	*1	11
13.	महाराष्ट्र	29	16	2	शून्य	14
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	28	17	14	शून्य	3
17.	नागालैंड	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
20.	राजस्थान	47	1	1	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	138	20	शून्य	20	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	50	शून्य	शून्य	शून्य	1
25.	पश्चिम बंगाल	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
26.	पांडिचेरी	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	7	8	8	शून्य	शून्य
30.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	504	156	82	25	56

*अभियुक्त के कारावास के संबंध में बताता है।

[अनुवाद]

सीसारहित पेट्रोल

1464. श्री एच.जी. रामुलू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं, जिनमें सीसारहित पेट्रोल प्रदान किया गया है;

(ग) उन खुदरा पेट्रोल विक्रय केन्द्रों की कितनी संख्या है जहां यह सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) इस राज्य में सभी शहरों में सीसारहित पेट्रोल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) कर्नाटक में बंगलौर, मैसूर, बेलगांव, काकटी और कोलार बाईपास में 65 खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) सीसारहित पेट्रोल की सुविधाएं चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जा रही है और प्रथम चरण में तेल उद्योग ने महानगरों और महानगरों से निकलने वाले राजमार्गों और दूसरे चरण में सभी राज्यों की राजधानियों और 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले बड़े शहरों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। बनाई गई योजनानुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों में सीसारहित पेट्रोल की सुविधाओं का विस्तार कर्नाटक के शहरों सहित पूरे भारत में 1999-2000 तक किया जाना है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों को आरक्षण

1465. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को दिये गए आरक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ग में कुल कितने पद खाली पड़े हैं;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान आरक्षित वर्ग के राज्य-वार कुल कितने पद भरे जाने हैं; और

(घ) विभिन्न आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा हेतु निगरानी एजेन्सी को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरक की मांग

1466. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य संशोधन के बारे में निर्णय नहीं हो पाने के कारण कुछ राज्यों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया तथा अन्य उर्वरक नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की मांग तथा उन्हें की गई पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के जारी करने में विलम्ब के क्या परिणाम होंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सरकार का मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 3660 रुपए प्रति टन रहा है और इस समय इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, जहां तक चालू रबी मौसम का संबंध है, यूरिया की कमी के बारे में कोई शिकायतें नहीं हैं।

डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) सहित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण को सरकार की रियायत योजना के मानदण्डों के अंतर्गत प्रचलित मांग तथा आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है। चालू रबी के लिए इन उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की घोषणा इन योजनाओं के तहत 23.9.98 को अर्थात् मौसम शुरू होने से पूर्व की गई थी। तथापि, इस योजना के तहत रियायत की दरों को अन्तिम रूप देने में समय लगा।

इस समय केवल यूरिया की मांग का आकलन किया जाता है। नियंत्रणमुक्त उर्वरक की मांग का कोई औपचारिक आकलन नहीं किया जाता है। इनकी, मौसम के लिए राज्यों द्वारा पूर्वानुमानित आवश्यकता को माना जाता है। रबी मौसम के दौरान यूरिया तथा नियंत्रणमुक्त प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी.ए.पी. व एम.ओ.पी. की 30.11.98 तक राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रबी 1998-99 के दौरान (30.11.98 तक) डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) तथा म्यूरिएट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की आवश्यकता और उपलब्धता

(000 मी. टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	यूरिया		डी.ए.पी.		एम.ओ.पी.	
		रबी 98-99 के दौरान मांग	30.11.98 तक उपलब्धता	रबी 98-99 के दौरान कुल मांग	30.11.98 तक उपलब्धता	रबी 98-99 के दौरान कुल मांग	30.11.98 तक उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1153.00	508.95 (344.88)	300.00	111.01 (78.00)	75.00	46.65 (26.80)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कर्नाटक	379.90	213.50 (147.00)	75.00	38.40 (20.00)	85.00	37.07 (27.00)
3.	तमिलनाडु	562.20	273.3 (262.50)	110.00	76.01 (55.00)	175.00	101.85 (87.50)
4.	गुजरात	703.20	304.23 (215.00)	260.00	148.21 (130.00)	51.00	24.96 (21.00)
5.	मध्य प्रदेश	749.90	396.68 (180.00)	330.00	137.98 (270.00)	23.00	12.32 (17.30)
6.	महाराष्ट्र	663.90	338.42 (260.00)	150.00	53.04 (60.00)	100.00	28.29 (40.00)
7.	राजस्थान	880.00	371.70 (250.00)	200.00	116.37 (145.00)	4.00	1.01 (1.50)
8.	हरियाणा	765.20	419.76 (220.00)	270.00	182.41 (230.00)	3.00	2.53 (1.70)
9.	पंजाब	1022.50	575.84 (370.00)	370.00	314.08 (270.00)	12.00	20.75 (7.00)
10.	उत्तर प्रदेश	2979.60	1343.49 (960.00)	600.00	467.50 360.00)	90.00	80.98 (54.00)
11.	बिहार	692.70	433.7 (250.00)	180.00	140.24 (110.00)	22.00	46.01 (50.00)
12.	उड़ीसा	149.10	136.94 (45.00)	20.00	14.32 (4.50)	22.00	13.37 (4.50)
13.	प. बंगाल	579.80	266.19 (180.00)	200.00	109.90 (80.00)	160.00	50.93 (45.00)

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	असम+उत्तर पूर्व राज्य	78.30	38.97 (54.90)	30.22	3.37 (23.00)	30.43	4.73 (20.98)
15.	अन्य छोटे राज्य	217.90	84.52 (74.09)	40.96	14.20 (15.00)	87.73	18.30 (34.53)
	योग	1577.20	5706.08 (3813.37)	3136.18	1927.04 (1850.50)	988.16	489.75 (438.81)

कोष्टकों में दिये गये आंकड़े राज्यों द्वारा 30.11.98 तक पूर्वानुमानित आवश्यकता दर्शाते हैं।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

1467. श्री पी.सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण और जागरण कार्यक्रम के लिए अनेक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों को दी गई कुल सहायता के स्वरूप और सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने इस सहायता राशि में से अभी तक वर्षवार कितने धन का उपयोग किया है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस ऋण का शत प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने तथा उपचारी सुविधाओं में कोई त्रुटियां हैं;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस बीमारी का उन्मूलन करने तथा इसके रोगियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 84 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण से भारत में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 93 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग किया जा चुका है।

(च) और (छ) नाको द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर पूर्णतया अधिक हैं और एच.आई.वी./एड्स के कारणों के प्रति लोगों में जानकारी है और वे यह भी जानते हैं कि वे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर अभी अल्प हैं।

इस कारण से कि एच.आई.वी./एड्स का प्रसार महामारी के आरंभिक वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सघन था, इसलिए शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम का जोर रहा था। एलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया जिनका बहुप्रचार माध्यम जागरूकता कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता था, भी शहरी जनसंख्या को ज्यादातर उपलब्ध है। भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों को भेदभाव किए बगैर चिकित्सा परिचर्या मुहैया कराएं।

(ज) भारत में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से समस्त देश में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के

रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी मुख्य कार्यनीति में निहित है:-

- केंद्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना;
- अधिक जोखिमपूर्ण आचरण करने वाले समूहों और आम जनता में एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना;
- यौन संचारित रोगों का नियंत्रण करना;
- रक्त बैंकों को उचित लाईसेंस देने के जरिए रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना;
- निगरानी और निदान करने की क्षमता को मजबूत करना; और
- एच.आई.वी./एड्स के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को 1998-99 में निर्गत सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	कार्यक्षेत्र	निर्गत राशि (हजारों में)
1	2	3	4
1.	माडल कंसेलिंग सेंटर, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली	सफदरगंज अस्पताल के त्वचा और यौन संचारित रोग विभाग से परामर्श देने की सेवा का इंतजाम	3,70,200
2.	सी.आई.एन.आई, दौलतपुर, साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	2,20,500
3.	टार्च, 45 फ्रैंड्स कालोनी, ईस्ट, फ्लैट नं.-2, न्यू दिल्ली-65	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	2,19,500
4.	सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड हाइजिन, सुलभ भवन महावीर एन्कलेव, पालम, दाबड़ी रोड, नई दिल्ली	सुलभ शौचालय कम्पलैक्स के जरिए कंडोमों का वितरण	5,05,000
5.	ओ.एस.ई.आर.डी., नार्थ पटेल नगर, पटना	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	4,94,000
6.	प्रयास, डी-1/1017, वसंत कुंज, नई दिल्ली	यौन संचारित रोग से ग्रस्त गली में घूमने वाले बच्चों में जागरूकता लाने, उन्हें परामर्श देने और उनका उपचार करने के जरिए व्यापक एड्स निवारण कार्यक्रम	4,49,944

1	2	3	4
7.	वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, 40 इंस्टीट्यूशन एरिया नई दिल्ली	एड्स विषयक अनंत विडियो फिल्म और एच.आई.वी. एड्स विषयक शिक्षा सामग्री को समस्त देश में गैर-सरकारी संगठनों को वितरित करना	1,43,360
8.	दृष्टिकॉन, 1207, सैक्टर-डी, पाकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70	सागरपुर, पश्चिम बंगाल में गए हुए श्रमिकों एवं उनकी पत्नियों को प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करना	5,01,500
	कुल		29,04,004

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को 1997-98 में निर्गत सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	कार्यक्षेत्र	निर्गत राशि (हजारों में)
1	2	3	4
1.	बांकुरा पब्लिक वैलफेयर ट्रस्ट, फुतानी चैम्बर्स, गेट नं. 5, कारपोरेशन पैलेस, कलकत्ता-87	ट्रक चालकों में उपचार विधान कार्यक्रम	10,92,332
2.	विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी 13/3, कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता-700061	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	4,20,000
3.	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट कलकत्ता	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	2,20,500
4.	दुरबार महिला समन्वय कमेटी 8/2, भवानी दत्ता लेन, कलकत्ता-700073	यौन साथियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला	50,000
5.	राजस्थान, यू.पी. कैथोलिक हैल्थ एसोसिएशन, सी.एच.ए.आई. जोनल आफिस, सी.बी.सी.आई. सेंटर, गोल डाकखाना, न्यू दिल्ली	एड्स के प्रति जागृति विषयक कार्यशाला	30,000

1	2	3	4
6.	इनर व्हील क्लब, ए/310, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	एड्स के प्रति जागृति विषयक कार्यशाला	15,000
7.	टार्च, फ्लैट नं. 45, फ्रैंड्स कालोनी ईस्ट, नई दिल्ली-65	टैक्सी चालकों में उपचार विधान कार्यक्रम	1,40,000
8.	जनशक्ति वाहिनी, ए/139 शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	कालेज छात्रों में एड्स के प्रति जागरूकता लाने संबंधी कार्यशाला	5,000
9.	जन शक्ति वाहिनी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की मलिन बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम	2,40,000
10.	मिराज गैलरी आफ आर्ट, 155 डिफेंस कालोनी फ्लाई ओवर, मार्केट, नई दिल्ली	प्रदर्शनी सह बिक्री "आर्ट फार एड्स"	1,87,500
11.	मिराज गैलरी आफ आर्ट	प्रदर्शनी सह बिक्री "आर्ट फार एड्स"	1,87,500
12.	राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहर भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली	एच.आई.वी./एड्स विषयक चल परामर्श सेवा	2,94,000
13.	राजीव गांधी फाउंडेशन	देशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के लिए कार्यशाला	1,76,000
14.	टार्च, फ्लैट नं. 45, फ्रैंड्स कालोनी-ईस्ट, नई दिल्ली	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	6,31,500
15.	सेंटर स्टेज, 91, आनंदलोक, नई दिल्ली-49	विश्व एड्स दिवस, 97 के अवसर पर संगीत समारोह	4,00,000
16.	दृष्टिकोण, 1207, सैक्टर-डी, पाकेट-I, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	दिल्ली छावनी बोर्ड अस्पताल में प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा मुहैया	90,000

1	2	3	4
17.	पंडिज थियेटर, 27/28 ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60	एच.आई.वी./एड्स पर कालेजों में नाटक का प्रदर्शन करना	68,157
18.	मिराज गैलरी आफ आर्ट, 155, डिफेंस कालोनी मार्किट, नई दिल्ली-24	विश्व एड्स दिवस, 97 के अवसर पर	11,00,000
19.	बापू नेचर केयर अस्पताल और योगाश्रम, गांधी निधि पटपड़गंज, नई दिल्ली-110091	दिल्ली-लोनी सीमा और गाजियाबाद सीमा के दो सीमा क्षेत्रों में ट्रक चालकों में उपचार विधान कार्यक्रम	4,67,000
20.	दिशा, 13/88, ब्लाक सी-4-बी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	आधारिक स्तरीय कामगारों को कटपुतली के तमाशों पर प्रशिक्षण देना	2,76,000
21.	भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, नई दिल्ली	गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	6,64,000
22.	साक्षी, डी-332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	सिक्किम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना	1,21,680
23.	दृष्टिकोण, 1207, सैक्टर-डी, पाकेट-I, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-70	पश्चिमी दिल्ली की गंदी बस्तियों में दो प्रजनक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करना	21,425
24.	मिराज गैलरी आफ आर्ट्स, 15, डिफेंस कालोनी फ्लाई ओवर मार्किट, नई दिल्ली-110024	बल्क फार लाईफ	1,25,000
25.	टार्च, 45, फैंड्स कालोनी-ईस्ट फ्लैट नं. 2, नई दिल्ली-65	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	1,45,000
26.	होपस, 2, पदमिनी एन्कलेव, हौज खास, नई दिल्ली-49	परामर्श सेवा	2,38,000
27.	सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड हाईजिन, सुलभ भवन, महावीर एन्क्लेव, पालम, डाबड़ी, नई दिल्ली	सुलभ शौचालय कम्प्लेक्सों के जरिए कंडोम वितरण	3,43,000

1	2	3	4
28.	सुलभ इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ एंड हाईजीन, नई दिल्ली	सुलभ शौचालय कम्पलैक्सों के जरिए कंडोम वितरण	1,62,000
29.	बापू नेचर केयर अस्पताल एंड योगाश्रम, गांधी निधि पटपड़गंज, नई दिल्ली-91	ट्रक चालकों में उपचार विधान कार्यक्रम	12,000
30.	मिराज गैलरी आफ आर्ट, नई दिल्ली	विश्व एड्स दिवस, 1997 के अवसर पर बल्क फार लाइफ	2,75,000
31.	टार्च, नई दिल्ली	टैक्सी चालकों में उपचार विधान कार्यक्रम	40,000
32.	टार्च, नई दिल्ली	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	35,000
33.	पीस, काजी स्ट्रीट, सहारनपुर (यू.पी.)	एड्स के प्रति जागरूकता पर सेमिनार	30,000
34.	डिपार्टमेंट आफ जूलॉजी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी कैंपस, अलमोड़ा-263601	अल्मोड़ा के युवकों में एड्स जागरूकता कार्यक्रम	10,94,000
35.	पीस, काजी स्ट्रीट, सहारनपुर	एड्स विषयक जागरूकता कार्यक्रम	80,000
36.	वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा	संगठित व असंगठित श्रम क्षेत्रों में एड्स निवारण पर कार्यकरण के लिए कार्यनीति की योजना बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला	1,00,000
37.	इंडियन नेटवर्क आफ एन.जी.ओ. 8/0, सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, अहमदाबाद-380006	गैर-सरकारी संगठनों की एच.आई.वी./एड्स राष्ट्रीय कार्यशाला	50,000

1	2	3	4
38.	रूरल डवलपमेंट सोसायटी, वांगजिंग, मणिपुर	एच.आई.वी./एड्स विषयक जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000
39.	रिजिनल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस, इंफाल	एड्स जागरूकता पर सेमिनार तथा रिपोर्ट का मुद्रण	1,15,000
40.	रूरल कम्युनिटी डवलपमेंट सर्विसेज, वार्ड नं. 2, कोल्विन हाई स्कूल, कंपाउंड मिशन, वेंग मोंरेह, मणिपुर	आम जनता, स्कूली शिक्षकों और छात्रों, अध्यापकों तथा जनमत नेताओं में एच.आई.वी./एड्स विषयक जागरूकता कार्यक्रम	1,25,000
41.	एड्स प्रेवेंसन सोसायटी, जू नारंगी रोड, गुवाहाटी-781021	गुवाहाटी में एड्स जागरूकता अभियान	84,950
42.	एड्स प्रेवेंसन सोसायटी, जू नारंगी रोड, गुवाहाटी-781021	दूरभाष से परामर्श देने की सेवा	4,92,000
43.	एड्स प्रेवेंसन सोसायटी	असम के ट्रक चालकों में यौन संचारित रोगों का निवारण	1,75,000
44.	लायर्स कलेक्टिव, फोर्थ फ्लोर, जालाराम ज्योत, बंबई-400001	एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी और नीति विषयक अधिकारों पर कार्यशालाएं आयोजित करना	3,00,000
45.	कम्युनिटी हेल्थ एक्शन नेटवर्क, मिजोरम, आईजोल-796001	स्कूली छात्रों, शिक्षकों, जनमत नेताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना तथा एच.आई.वी. संक्रमितों के लिए निरंतर परिचर्या कार्यक्रम	5,35,000
46.	इंडो-नेशनल सोसियो इक्नोमिक फाउंडेशन, ए/8, अशोक नगर, भुवनेश्वर-751009	भुवनेश्वर के स्कूलों और कालेजों में एड्स जागरूकता कार्यक्रम	2,90,880
47.	इंडो-नेशनल सोसियो इकनोमिक फाउंडेशन, ए/8, अशोकनगर, भुवनेश्वर-751009	भुवनेश्वर के स्कूलों और कालेजों में एड्स जागरूकता कार्यक्रम	2,50,00
		कुल	1,20,94,424.00

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1996-97 में गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज किया गया सहायता अनुदान

1.	दृष्टिकोण, 1207, सेक्टर-डी, पाकेट-I, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	42,000
2.	यूथ टेक्निकल सोसायटी, कमरा संख्या 13, करूणा सदन, सेक्टर II-बी चंडीगढ़	1,50,000
3.	रूरल कम्युनिटी डवलपमेंट सर्विसेज, मोर्क वार्ड नं. 2, कोल्विन हाई स्कूल कंपाउंड, मिशन वेंगचंदल, मणिपुर	1,25,000
4.	एड्स निवारण समिति, जू रानारंगी रोड, गुवाहाटी, असम	1,75,000
5.	रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन, एच.एस. लेन सुंदरपुर, आर.जी. बारूहा रोड, जपोरीगोग, गुवाहाटी-5	50,000
6.	दिशा 13/88, ब्लॉक सी-4-बी; जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	500,000
7.	गुड शेफर्ड मिनिस्ट्री, कोहिमा, नागालैंड	1,00,000
8.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल मार्केटिंग, सी-IV, 4011, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	6,25,000
9.	जन शक्ति वाहिनी, ए/139, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली	2,00,000
10.	साउथ ईस्टर्न रूरल डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, संगाईयुमफुम, पार्ट-II, वांगजिंग, मणिपुर-795148	1,00,000
11.	रूरल डवलपमेंट सोसायटी, वांगजिंग बाजार, वांगजिंग, मणिपुर-795148	1,00,000
12.	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आई.एम.ए. हाउस, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002	1,00,000
13.	साक्षी, डी-332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110001	50,000
14.	साइंटिफिक इल्लसट्रेशन एंड एजुकेशनल टेक्नॉलॉजी, डी-332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	1,50,000
15.	फर्स्ट इंडियन पब्लिक हेल्थ कांग्रेस, कलकत्ता	3,75,000
16.	टॉर्च, 45, फ्रेंड्स कालोनी, फ्लैट नं. 2, नई दिल्ली-110065	50,000
17.	हेल्थ फार आल आर्गेनाइजेशन, अरोंग, मणिपुर	1,75,000
18.	इंडो-नेशनल सोसियो इक्नॉमिक फाउंडेशन, ए/8, अशोक नगर, भुवनेश्वर-751009	2,50,000
19.	प्रोग्राम इथिकल एकेदमिक, एंड कल्चरल इंटरप्राइजिज, काजी स्ट्रीट, सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश)	1,20,000

20.	मिराज आर्ट गैलरी, 155, डिफेंस कालोनी, फ्लाईओवर मार्केट, नई दिल्ली - 110024	5,62,500
21.	जन शक्ति वाहिनी, ए/139, शिवालिक, मालवीय नगर, अपोजिट अरबिन्दो कॉलेज, नई दिल्ली	34,700
		41,94,150

जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति

1468. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जघन्य अपराधों के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया;

(ख) देश में कार्यरत अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार जघन्य अपराधों की दोषसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण मापदण्डों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण I से III में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण-IV संलग्न है।

(ग) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विष्य हैं। इसलिए, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। अत: यह अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का काम है कि वह अपनी प्रशिक्षण पद्धति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए। तथापि, भारत सरकार सलाह भेजने के अलावा, अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित, उनकी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करती रही है। राज्य स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवम् विधि विज्ञान संस्थान और पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो के माध्यम से विधि विज्ञान में प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विवरण-I

1995 के दौरान जघन्य अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	हत्या	हत्या करने के प्रयास	मानव बध की कोटि में न आने वाले अपराध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	डकैती के लिए तैयारी व एकत्र होना	लूटमार	दंगे	आगजनी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	996	385	19	197	159	874	0	556	3676	363	7222
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	1	0	1	2	0	0	6	1	0	17
3.	असम	251	45	5	60	79	74	7	100	1127	25	1773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	2161	2243	400	615	811	2665	202	681	8192	0	17970
5.	गोवा	14	1	0	11	0	5	0	0	67	7	105
6.	गुजरात	341	104	0	30	73	21	0	43	814	0	1426
7.	हरियाणा	449	201	62	94	68	28	20	48	301	43	1314
8.	हिमाचल प्रदेश	21	16	0	15	3	0	0	5	86	0	146
9.	जम्मू एवं कश्मीर	31	23	1	8	1	0	0	6	22	0	92
10.	कर्नाटक	238	35	0	37	1	26	0	32	1049	3	1421
11.	केरल	252	208	3	49	8	8	10	32	2372	26	2968
12.	मध्य प्रदेश	2286	2400	126	845	287	188	158	587	4938	373	12188
13.	महाराष्ट्र	914	306	7	141	75	153	4	340	3756	105	5801
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	191	15	7	65	0	279
16.	मिजोरम	6	2	1	०	1	1	0	8	0	5	33
17.	नागालैण्ड	11	7	1	11	8	14	0	43	11	0	106
18.	उड़ीसा	274	203	18	153	46	149	0	164	1155	24	2186
19.	पंजाब	531	318	65	67	52	24	19	72	11	4	1163
20.	राजस्थान	870	803	29	296	444	96	2	551	29234	231	32556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	सिक्किम	0	0	0	2	0	0	0	0	7	0	9
22.	तमिलनाडु	1436	1136	14	58	149	172	0	395	14995	331	18686
23.	त्रिपुरा	20	10	3	10	8	5	4	6	88	0	154
24.	उत्तर प्रदेश	8217	7172	1264	987	2513	1652	514	2422	15373	625	40739
25.	पश्चिम बंगाल	224	56	121	53	32	49	43	34	614	4	1230
	कुल राज्य	19549	15675	2139	3749	4821	6395	998	6138	87951	2169	149584
26.	अं. एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	0	1	2	0	0	0	0	62	0	68
27.	चंडीगढ़	4	6	0	0	17	0	0	3	19	0	49
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30.	दिल्ली	76	127	40	76	199	9	4	82	225	0	838
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	12	42	0	2	3	0	0	3	48	2	112
	कुल (संघ शासित)	95	175	41	80	219	9	4	88	366	2	1079
	कुल (समस्त भारत)	19644	15850	2180	3829	5040	6404	1002	6226	88317	2171	150663

स्रोत : भारत में अपराध संबंधी आंकड़े

विवरण-II

1996 के दौरान जघन्य अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	हत्या	हत्या करने के प्रयास	मानव बध की कोटि में न आने वाले अपराध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	डकैत्री के लिए तैयारी व एकत्र होना	लूटमार	दंगे	आगजनी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1465	787	41	280	165	470	0	368	4117	192	7885
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	0	0	1	0	7	0	18	1	1	32
3.	असम	492	76	7	108	84	143	2	154	659	98	1823
4.	बिहार	2053	2455	178	620	941	2059	216	972	31036	37	40567
5.	गोवा	26	1	3	3	4	0	0	11	119	0	167
6.	गुजरात	213	124	1	42	55	9	0	55	758	6	1263
7.	हरियाणा	504	180	35	115	109	34	29	108	562	112	1788
8.	हिमाचल प्रदेश	39	22	4	27	3	0	0	2	82	2	131
9.	जम्मू एवं कश्मीर	28	30	2	20	15	1	0	4	20	0	120
10.	कर्नाटक	198	31	4	16	14	49	5	62	929	2	1310
11.	केरल	217	144	2	46	3	27	26	34	1705	108	2312
12.	मध्य प्रदेश	2872	2010	52	786	319	227	109	549	3242	443	10609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	महाराष्ट्र	693	314	23	166	108	136	0	253	2955	102	4750
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	2	0	1	4	10	0	23	154	2	197
16.	मिजोरम	5	0	1	2	0	0	0	5	0	0	13
17.	नागालैण्ड	10	11	1	9	6	6	0	86	0	0	129
18.	उड़ीसा	256	321	11	113	17	133	0	121	652	54	1678
19.	पंजाब	518	246	78	48	57	9	30	40	37	15	1078
20.	राजस्थान	859	1294	36	280	479	120	48	513	25777	247	29653
21.	सिक्किम	12	5	1	9	13	9	0	20	125	0	194
22.	तमिलनाडु	1312	1493	20	77	122	240	0	260	12442	186	16152
23.	त्रिपुरा	58	3	0	8	15	16	5	10	60	0	175
24.	उत्तर प्रदेश	6434	5196	1233	884	1432	774	783	2575	18512	592	38415
25.	पश्चिम बंगाल	330	60	60	41	20	38	33	35	886	1	1504
	कुल (राज्य)	18599	14805	1793	3702	3985	4517	1286	6278	104830	2200	161995
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27.	चंडीगढ़	17	20	0	2	5	0	0	3	46	2	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	दमन एवं दीव	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
30.	दिल्ली	156	170	45	81	196	7	0	201	127	1	984
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	17	27	0	0	1	23	0	12	138	13	231
	कुल (संघ शासित)	197	218	45	83	202	30	0	216	311	16	1318
	कुल (समस्त भारत)	18796	15023	1838	3785	4187	4547	1286	6494	105141	2216	163313

स्रोत : भारत में अपराध संबंधी आंकड़े

विवरण-III

1997 के दौरान जघन्य अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	हत्या	हत्या करने के प्रयास	मानव बध की कोटि में न आने वाले अपराध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	डकैती के लिए तैयारी व एकत्र होना	लूटमार	दंगे	आगजनी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1152	714	14	301	115	581	0	381	3986	343	7587
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	1	0	7	0	0	10
3.	असम	383	47	11	87	111	171	33	158	1061	73	2145
4.	बिहार	1776	1628	109	381	506	831	147	571	8939	198	14496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	गोवा	8	1	2	16	1	0	0	5	72	3	108
6.	गुजरात	311	133	1	47	85	85	7	105	974	67	1815
7.	हरियाणा	420	177	47	110	80	52	28	87	429	28	1458
8.	हिमाचल प्रदेश	74	22	1	26	11	0	0	6	169	7	316
9.	जम्मू और कश्मीर	44	61	0	8	0	0	0	0	19	1	133
10.	कर्नाटक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
11.	केरल	235	198	8	36	5	15	11	60	1957	14	2539
12.	मध्य प्रदेश	2756	2215	138	810	241	186	80	488	5307	681	12902
13.	महाराष्ट्र	903	327	7	162	97	108	19	255	3302	142	5322
14.	मणिपुर	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15.	मेघालय	28	5	0	7	6	25	0	12	9	9	101
16.	मिजोरम	2	5	1	3	0	0	0	5	0	2	18
17.	नागालैंड	18	36	3	6	21	16	0	18	2	0	120
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	412	184	46	66	28	1	30	9	5	10	791
20.	राजस्थान	1032	1205	42	236	592	100	20	633	27168	370	31398
21.	सिक्किम	9	1	0	0	3	6	0	3	45	0	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	तमिलनाडु	1186	1417	26	117	172	139	0	296	10578	242	14173
23.	त्रिपुरा	43	15	1	8	10	8	0	5	48	2	140
24.	उत्तर प्रदेश	7016	6911	1482	1106	2832	1662	419	2394	12780	550	37152
25.	पश्चिम बंगाल	232	75	91	62	30	51	63	63	770	13	1450
	कुल (राज्य)	18103	15479	2033	3609	4968	4054	857	5589	77641	2666	134746
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	3	5	0	0	0	0	0	0	13	0	21
27.	चंडीगढ़	6	8	0	4	4	0	0	4	40	0	66
28.	दादरा और नागर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	22
29.	दमन और दीव	5	0	0	0	0	0	0	0	11	0	16
30.	दिल्ली	324	197	50	104	151	26	16	225	173	6	1272
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	46	32	14	4	1	12	0	1	495	0	605
	कुल (संघ शासित)	385	242	64	112	156	38	16	230	753	6	2002
	कुल (समस्त भारत)	18488	15721	2097	3721	5124	4092	873	5819	78394	2672	136748

स्रोत : भारत में अपराध संबंधी आंकड़े

टिप्पणी : 1. — उपलब्ध नहीं।

2. आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-IV

केन्द्र तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत देश में चल रही विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं निम्नानुसार हैं:-

केन्द्र सरकार के अधीन विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	नाम
1.	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली।
2.	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता।
3.	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद।
4.	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़।
5.	सरकारी परीक्षक, प्रश्नास्पद प्रलेख, शिमला।
6.	सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, हैदराबाद।
7.	सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, कलकत्ता।
8.	राष्ट्रीय अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

राज्य सरकारों के अन्तर्गत विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य	प्रयोगशालाओं की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	हैदराबाद, विजयवाड़ा, आनन्तपुर, विशाखापत्तनम
2.	असम	1	गोवाहाटी
3.	बिहार	3	पटना, रांची, मुजफ्फरपुर
4.	दिल्ली	1	दिल्ली
5.	गुजरात	1	अहमदाबाद
6.	हरियाणा	1	मधुबन (करनाल)

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
8.	जम्मू व कश्मीर	2	श्रीनगर, जम्मू
9.	कर्नाटक	3	बंगलौर, मंगलोर, देवनगेरे
10.	केरल	3	तिरुवनन्तपुरम, एरनाकुलम, कालिकट
11.	मध्य प्रदेश	5	सागर, इन्दौर, रायपुर, ग्वालियर, भोपाल
12.	महाराष्ट्र	4	मुम्बई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद
13.	मणिपुर	1	इम्फाल
14.	मेघालय	1	शिलांग
15.	नागालैंड	1	दिमापुर
16.	उड़ीसा	3	भुवनेश्वर, सम्बलपुर, बेहरामपुर
17.	पंजाब	1	चण्डीगढ़
18.	राजस्थान	3	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
19.	तमिलनाडु	7	चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरै, वैलोर, तंजौर, त्रिचुरापल्लि, सालेम
20.	उत्तर प्रदेश	2	लखनऊ, आगरा
21.	पश्चिम बंगाल	2	कलकत्ता, जलपाईगुडी

राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता

1469. डा. वल्लभ भाई कथीरिया :
श्री रामशकल :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आदिवासी विकास के लिए राज्य-वार लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आदिवासी विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता काफी देरी से दी जाती है, अर्थात् अंतिम किश्त साल के अंत में दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने धनराशि का दुरूपयोग किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के बैंक खाते में सीधे एस.सी.ए. डालने की योजना बना रही है जैसा कि विलम्ब को कम करने तथा एस.सी.ए. के दुरुपयोग को रोकने के लिए जवाहर रोजगार योजना के मामले में हुआ है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश के 22 राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे-आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल, अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल, अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल, महिलाओं के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ संगठनों को सहायतानुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम, अनुसंधान और प्रशिक्षण अन्न बैंक, आदिम जनजाति समूहों का विकास, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक, कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा उन्नयन संबंधी योजना।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी उप योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) आदिवासी उप योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंड संबंधी ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केवल अन्तिम किस्त के मामले में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, पूर्व वर्षों में निर्मुक्त की गई धनराशि के संबंध में उनसे उपयोग प्रमाण-पत्रों/रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण यह धनराशि विलम्ब से निर्मुक्त की जाती है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

विवरण-I

आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति को दर्शानेवाला विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2140.32	2287.52	2581.54
2.	असम	1545.19	1524.71	1460.00
3.	बिहार	274.22	3364.00	–
4.	गुजरात	3060.26	2642.95	2632.77
5.	हिमाचल प्रदेश	541.62	622.44	521.89
6.	जम्मू और कश्मीर	756.64	681.54	521.80
7.	कर्नाटक	659.99	569.50	500.00
8.	केरल	181.20	153.71	196.12

1 2	3	4	5
9. मध्य प्रदेश	9579.66	7695.71	9207.83
10. महाराष्ट्र	2930.82	3160.78	3400.89
11. मणिपुर	574.53	653.22	950.00
12. उड़ीसा	4958.10	4411.44	5576.27
13. राजस्थान	2819.04	2467.32	2341.13
14. सिक्किम	100.19	138.41	60.00
15. तमिलनाडु	274.44	238.81	243.71
16. त्रिपुरा	564.97	594.48	885.00
17. उत्तर प्रदेश	104.08	90.39	112.91
18. पश्चिम बंगाल	1763.21	1558.07	1800.39
19. अ. एवं नि. द्वीप	112.21	95.18	118.00
20. दमन और दीव	59.31	49.82	50.75
कुल	33000.00	33000.00	31961.00

विवरण-II

विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए मानदंड

आदिवासी उप-योजना की विस्तृत कार्यनीति के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल परिव्यय में से टी.एस.पी., (आई.टी.डी.पी.) माडा पाकेटों तथा कलस्टरों एवं आदिम जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के भाग (शेयर) की गणना विस्थापित आदिवासियों के लिए लगभग 10% विशेष केन्द्रीय सहायता पृथक रूप से निर्धारित करने के बाद, प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के समानुपात में की जाती है। इन कार्यक्रमों के लिए अन्तर-राज्यीय आबंटन इस प्रकार किए जाते हैं।

(क) आई.टी.डी.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। श्रेणी ''क'' के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा प्रधानत: अधिक क्षेत्रों वाले राज्य जैसे (1) आन्ध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) गुजरात, (4) हिमाचल प्रदेश, (5) मध्य प्रदेश, (6) महाराष्ट्र, (7) मणिपुर, (8) उड़ीसा, (9) राजस्थान, और (10) सिक्किम आते हैं।

श्रेणी ''ख'' के अंतर्गत आदिवासी बहुल कुछ क्षेत्रों सहित छिटपुट रूप से बसे आदिवासियों वाले राज्य अर्थात् (1) असम, (2) पश्चिम बंगाल, (3) त्रिपुरा, और (4) जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।

श्रेणी ''ग'' के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनमें आदिवासी जनसंख्या छिटपुट रूप से बसी हुई है और बहुलता क्षेत्र वाले क्षेत्र बहुत छोटे हैं जैसे- (1) कर्नाटक, (2) केरल, (3) तमिलनाडु, (4) उत्तर प्रदेश, (5) अंडमान निकोबार द्वीप समूह, (6) दमन और दीव।

इन तीन श्रेणियों को आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल परिव्यय का आबंटन प्रत्येक समूह में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी ''क'' को आबंटित धनराशि इन राज्यों को तीन मानदंडों के आधार पर वितरित की जाती है, अर्थात् (1) 50% आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर (2) 30% आदिवासी-उप-योजना के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, और (3) 20% आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति निवल राजकीय घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात में।

श्रेणी ''ख'' तथा ''ग'' राज्यों के लिए प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से का निर्धारण दो मानदंडों के आधार पर किया जाता है, अर्थात् 70% आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार और 30% आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति निवल राजकीय घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात में।

(ख) आदिवासी बहुल कलस्टरों तथा विस्थापित आदिवासियों के माडा पाकेट 1 माडा कार्यक्रमों कलस्टरों एवं विस्थापित

आदिवासियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित करते समय कुल आवंटन का 70% माडा क्षेत्र, कलस्टर तथा डीटीजी में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार वितरित किया जाता है और 30% इन पाकेटों, कलस्टरों एवं डीटीजी के भीतर आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति निवल राजकीय घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात में।

(ग) आदिम जनजाति वितरण सूत्र इस प्रकार है:-

(1) धनराशि का 40% आदिम जनजाति समुदायों की जनसंख्या के आधार पर।

(2) 30% विभिन्न व्यवसायों जैसे भोजन एकत्र करने का शिकार करने (2) झूम खेती (शिफ्टिंग कल्टीवेशन), (3) सेडेन्ट्री खेती, और (4) अन्य व्यवसायों पर निर्भर करने वाली जनसंख्या के आधार पर क्रमश: 5: 3:1:1 के अनुपात में तरजीह देते हुए।

(3) 15% राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजाति समुदायों की संख्या के अनुसार।

(4) 15% धनराशि, आदिम जनजाति जनसंख्या को तरजीह देते हुए प्रति व्यक्ति निवल राजकीय घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात में निर्धारित की जाती है

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में महिला कैदी

1470. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिहाड़ जेल में तैनात महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या तिहाड़ जेल में विचाराधीन महिला कैदियों के गर्भवती होने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या तिहाड़ जेल में महिला कैदियों का यौन शोषण किया जा रहा है; और

(ङ) कारागारों में महिला कैदियों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में इस समय छ: महिला सहायक अधीक्षक और अन्य रैंक के 20 महिला अधिकारी तैनात हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं श्रीमान्।

(ङ) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में महिला कैदियों को सेंट्रल जेल संख्या-1 में एक अलग वार्ड में रखा जाता है, जिसमें महिला वार्ड और गार्ड स्टाक द्वारा पहरा दिया जाता है। जबकि पुरुष कैदियों को महिला वार्ड में बिल्कुल प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, पुरुष पर्यवेक्षी कर्मचारी महिला वार्ड में केवल महिला वार्ड प्रभारी की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं।

प्राकृतिक गैस भंडार

1471. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री मोहन रावले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुलंदशहर के नजदीक अनुपशहर में गंगा नदी के तट पर राजघाट में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) बुलन्दशहर के पास अनुपशहर में गंगा नदी के किनारों पर राजघाट में गैस रिसाव की जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। इसकी जांच पड़ताल ओ.एन.जी.सी. के भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई। गैस के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि यह मुख्यतया मेथेन और कार्बन डाइआक्साईड युक्त "शुष्क गैस" है।

[अनुवाद]

कामगारों का वेतन

1472. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड इंडिया परियोडिकल्स (प्रा.) लिमिटेड, और प्रोपाइटर्स आफ पेट्रियट न्यूज पेपर तथा लिंक पत्रिका के कर्मचारियों को जून, 1996 से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रम आयुक्त कार्यालय के प्रयासों के बावजूद भी कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था और मैसर्स युनाइटेड इंडिया पिरियोडिकल्स (प्रा.) लि. के प्रबंधन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कई बार अभियोजन चलाए जा चुके हैं। कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान न किए जाने का अपना विवाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर करने की सलाह भी दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में एलोपैथिक दवाइयों के स्थान पर आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति

1473. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-सिकन्दराबाद के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों ने निर्धारित एलोपैथिक दवाइयों के बदले आयुर्वेदिक दवाइयां देना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दंत संबंधी रोग

1474. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की नब्बे प्रतिशत जनसंख्या दंत संबंधी समस्याओं से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इससे संबंधित रोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने दंत परिचर्या को जनता की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में शामिल करने के संबंध में अनेक अध्ययन किए थे। 1980 के दशक में किए गए इन अध्ययनों के आधार पर डी.एम.एफ.टी. (क्षरित, लुप्त और भरे गए) दांत की व्याप्तता 80% होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) प्रयोगिक आधार पर एक व्यापक मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा पांच राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के एक-एक जिले में तीन वर्षों के लिए जुलाई 1995 में आरंभ की गई थी। इसे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी परियोजना के रूप में माना गया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया था।

वर्ष 1997-98 के दौरान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में जिला स्तरीय कार्यकताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मध्य प्रदेश में अस्पतालों में सुधार लाने के लिए जर्मन परियोजना

1475. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए किसी जर्मन परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत लिए गए अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान जारी की गई अथवा जारी की जाने वाली रशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) जी, नहीं। जर्मनी की सहायता से मध्य प्रदेश में अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में श्रमशक्ति का दुरूपयोग

1476. श्री पी. शंकरन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के मुख्यालय में श्रम शक्ति का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मौजूदा अनुदेशों के अनुसार इन अतिरिक्त पदों को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का प्रचालनात्मक आवश्यकता के नाम पर श्रमशक्ति का दुरूपयोग करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कश्मीर में विस्फोटक पदार्थ का जब्त किया जाना

1477. श्री रामपाल सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में हाल ही में बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थों को बरामद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.8.1998 से 15.11.1998 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में 1183 कि.ग्रा. विस्फोटक सामग्री, 601 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स., 78 कि.ग्रा. जिलेटीन और अन्य विस्फोटक सामग्री तथा 194 कि.ग्रा. इप्टोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं।

(ग) तथापि, चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों के संबंध में कुल 1119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) सरकार ने उग्रवाद पर काबू पाने के लिए एक समन्वित और बहुआयामी नीति अपनाई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, भीतरी क्षेत्रों में उग्रवादियों की योजनाओं को विफल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना तथा सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, ग्राम सुरक्षा समितियां गठित करना, आसूचना-तंत्र को चुस्त बनाना, उन्नत/परिष्कृत हथियारों तथा संचार-व्यवस्था से पुलिस का आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन करना शामिल है।

[अनुवाद]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1956

1478. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1956 को अरूणाचल प्रदेश राज्य में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से लागू किया गया है तथा संबंधित आदेश की संख्या तथा तारीख क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 को अरूणाचल प्रदेश राज्य में लागू करने संबंधी मुद्दे पर सरकार गौर कर रही है।

पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

1479. श्री संदीपान थोरात : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए गठित वेतन बोर्ड के विचारार्थ विषय क्या हैं और उसे कितनी अवधि में अपना कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है;

(ख) वेतन बोर्ड द्वारा किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और बोर्ड द्वारा कार्य पूरा करने के लिए कितनी वार समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई/समय-सीमा बढ़ाई गई;

(ग) वेतन बोर्ड द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या वेतन बोर्ड ने कोई अन्तरिम राहत की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) श्रमिकों को अंतरिम राहत की बकाया राशि कब तक दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) सरकार ने 2.9.94 को मजदूरी में संशोधन तथा उसकी दरों का निर्धारण करने के लिए दो वेतन बोर्ड गठित किए हैं - एक पत्रकारों के लिए तथा दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों तथा समाचार एजेन्सी के कर्मचारियों के लिए। वेतन बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) वेतन बोर्ड ने बंगलौर, हैदराबाद, जालंधर, चण्डीगढ़, शिमला, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली तथा भुवनेश्वर में अपनी मौखिक सुनवाई की है। अध्यक्ष वेतन बोर्ड से दिसम्बर, 1998 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) अक्तूबर, 1995 में वेतन बोर्ड ने सभी पत्रकार तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के मूल वेतन में 15% की समान अन्तरिम राहत की सिफारिश की थी। सरकार ने श्रम जीवी पत्रकारों तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों तथा समाचार एजेन्सी कर्मचारियों को 20.4.1995 से मूल वेतन के 20% की दर से अन्तरिम राहत तथा 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से एक अतिरिक्त राशि देने के लिए दिनांक 24.9.96 को एक अधिसूचना जारी की थी। वेतन बोर्ड ने और आगे कोई अन्तरिम राहत दिए जाने की सिफारिश नहीं की है।

(च) अन्तरिम राहत की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

कश्मीर घाटी में जिला अस्पताल

1480. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर घाटी में जिला अस्पताल पूरी तरह कार्यरत हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजनागत निधि में से एक बड़ी राशि वापस कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कश्मीर में जिला अस्पतालों को फिर से चालू करने के लिए और धनराशि मंजूर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा खरीद

1481. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. विनिर्माताओं अथवा प्राधिकृत वितरकों से सीधे खरीद करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकारी विभागों को आपूर्ति करने हेतु एन.सी.सी.एफ. को प्राधिकृत करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.सी.सी.एफ. द्वारा वस्तुओं के ब्राण्ड नामों का उल्लेख किए बिना विभिन्न दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो एन.सी.सी.एफ. को आपूर्ति की जा रही वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता-वार और ब्राण्ड-वार ब्यौरा क्या है और गत छः माह के दौरान सरकारी विभाग को एन.सी.सी.एफ. द्वारा किस दर पर इन मदों की आपूर्ति की गई है; और

(च) एन.सी.सी.एफ. के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया हैं कि जहां तक संभव होता है वे

विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से वस्तुएं खरीदते हैं और कुछ मामलों में, जहां विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों से किन्हीं विशेष वस्तु की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती है, वहां उन्हें स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है;

(ग) उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष स्तर का निकास होने और वाणिज्यिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक आधार ढांचा उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी विभागों को लेखन सामग्री तथा कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार के साथ-साथ एक अनुमोदित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने कुछ वस्तुओं की अलग-अलग दरों पर बिक्री करने का खंडन किया है।

(च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्त सहकारी संस्था है, जिसका व्यापार कार्यों सहित अपने दैनिक मामलों के बारे में निर्णय करने के लिए स्वयं का प्रबंध बोर्ड है। सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के दैनिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती है, तथापि, अंशधारक होने के नाते, भारत सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्य की समीक्षा करती हैं और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र

1482. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र के पुनरूद्धार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संयंत्र के पुनरूद्धार हेतु कितना व्यय वहन किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) का गोरखपुर एकक संयंत्र में एक दुर्घटना के बाद 10.6.90 से बन्द कर दिया गया है। गोरखपुर एकक के पुनरूद्धार को प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तथापि, कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) ने 1371 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एफ.सी.आई. गोरखपुर एकक के मौजूदा स्थल पर एक नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981 को लागू करना

1483. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने से लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के तौर पर लागू आवश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष प्रावधान), 1981 को व्यपगत होने देने, तथा इसे दोबारा लागू न करने का क्या औचित्य है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान दालों, खाद्य तेलों तथा प्याज और आलू जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिकूल जलवायु जन्य परिस्थितियों के कारण इनके उत्पादन में कमी होना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी उपलब्धता न होने के कारण इनका आयात नहीं किया जा सकता है।

(ख) 31.8.97 को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के व्यपगत हो जाने के बाद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ही दो अध्यादेश अर्थात् आवश्युक वस्तु (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 1997 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 1998 क्रमश: 3.10.97 और 2.1.98 को जारी किए गए। इसी बीच सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में गठित विशेषज्ञ दल ने आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की महत्वपूर्ण बातों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में शामिल करने की सिफारिश की। तदनुसार आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को 25.4.98 को प्रख्यापित किया गया और साथ ही अध्यादेश का स्थान लेने के लिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 पेश किया गया। विधेयक पर संसद द्वारा विचार किया जा रहा था, इसी बीच अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हो गयी। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है।

मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेज

1484. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में कितने चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेज खोले गए हैं;

(ग) क्या मान्यता प्राप्त चिकित्सा और दंत चिकित्सा कालेजों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच कोई आदर्श-अनुपात निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 1993 से पहले खोले गए तथा दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10(क) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त दन्त कालेजों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधिनियमित होने के बाद से 1994 से 1998 के दौरान 13 मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अधिनियमित होने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 दन्त कालेजों को अनुमति प्रदान की गई है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों के अनुसार मेडिकल कालेजों में शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों का अनुपात 1:10, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 1:1, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1:2, और उच्चतर विशिष्टताओं के लिए 1:1 है। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के विनियमों के अनुसार एम.डी.एस. पाठ्यक्रम में शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों का अनुपात 1:2 है। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के विनियमों में बी.डी.एस. के 40, 60 और 100 दाखिलों के लिए आवश्यक शिक्षण कर्मचारियों की संख्या विनिर्दिष्ट की गई है।

विवरण-I

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नवम्बर, 1998 तक देश में राज्यवार मेडिकल कालेजों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मान्यता प्राप्त			गैर-मान्यता प्राप्त प्राप्त			धारा 10(क) के अंतर्गत आशय पत्र के द्वारा अनुमति			कुल
	सरकारी	विश्व-विद्यालय	प्राइवेट	सरकारी	विश्व-विद्यालय	प्राइवेट	सरकारी	विश्व-विद्यालय	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	9	–	1	–	–	–	–	–	1	11
असम	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
बिहार	8	–	–	1	–	2	–	–	–	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चण्डीगढ़	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
दिल्ली	3	1	–	–	–	–	–	–	–	4
गोवा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
गुजरात	5	–	1	–	–	–	2	–	–	8
हरियाणा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
हिमाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
जम्मू व कश्मीर	2	–	–	–	–	1	–	–	1	4
कर्नाटक	4	–	15	–	–	–	–	–	–	19
केरल	5	–	–	–	–	–	1	–	–	6
मध्य प्रदेश	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
महाराष्ट्र	16	–	16	–	–	–	–	–	2	34
मणिपुर	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
उड़ीसा	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
पांडिचेरी	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2
पंजाब	3	–	2	–	–	–	–	–	1	6
राजस्थान	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
तमिलनाडु	10	–	4	–	–	–	1	–	1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर प्रदेश	7	2	–	–	–	–	–	–	2	11
पश्चिम बंगाल	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7
कुल	102	3	40	1	–	3	4	–	9	162
महायोग			145			4			13	162

विवरण-II

देश में वर्ष 1993 से पहले खोले गए तथा दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत अनुमत्य डेंटल कालेजों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मान्यता प्राप्त/स्वीकृत डेंटल कालेजों की 15.9.98 की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	चण्डीगढ़	शून्य
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	कर्नाटक	38
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	1
14.	महाराष्ट्र	14
15.	मणिपुर	शून्य
16.	उड़ीसा	2
17.	पांडिचेरी	1
18.	पंजाब	8
19.	राजस्थान	1
20.	तमिलनाडु	12
21.	उत्तर प्रदेश	7
22.	पश्चिम बंगाल	2

1	2	3
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य
24.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
25.	दमण व दीव	शून्य
26.	दादर व नगर हवेली	शून्य
27.	लक्षद्वीप	शून्य
28.	मिजोरम	शून्य
29.	मेघालय	शून्य
30.	नागालैंड	शून्य
31.	सिक्किम	शून्य
32.	त्रिपुरा	शून्य
	कुल	108

विवरण-III

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा अनुमत्य पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में मेडिकल कालेजों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	1994	1995	1996	1997	1998
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	1
2.	गुजरात	–	2	–	–	–
3.	जम्मू व कश्मीर	–	1	–	–	–
4.	केरल	–	1	–	–	–
5.	महाराष्ट्र	1	1	–	–	–
6.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–
7.	पंजाब	–	–	–	1	–
8.	तमिलनाडु	–	–	1	–	1
9.	उत्तर प्रदेश	–	1	1	–	–
	कुल	1	6	2	2	2

विवरण-IV

(क) दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त दन्त कालेजों की संख्या

1. हिमाचल डेंटल कालेज, सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश
2. बी.आर.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ डेंटल साईन्स पंचकूला, हरियाणा
3. गुरू रामदास डेंटल कालेज, अमृतसर, पंजाब
4. दशमेंश, इन्सटीट्यूट. ऑफ रिसर्च एण्ड डेंटल साईन्स, फरीदकोट
5. संतोष डेंटल कालेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
6. रमा डेंटल कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश
7. शुभराति डेंटल कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश
8. सरदार पटेल डेंटल कालेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
9. आक्सफोर्ड डेंटल कालेज, बंगलौर
10. श्री कृष्णनादेवरी डेंटल कालेज, बंगलौर
11. आर.वी. डेंटल कालेज, बंगलौर
12. सिद्धार्थ डेंटल कालेज, तमकुर, कर्नाटक
13. फरूक्या डेंटल कालेज, मैसूर, कर्नाटक
14. विद्या शिक्षण प्रसारक डेंटल कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र
15. गुरू नानक देव डेंटल कालेज सूनम, पंजाब
16. बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज, रोहतक
17. विनाकया मिशन लॉर्ड जगन्नाथ डेंटल कालेज, भुवनेश्वर
18. के.एल.आई. सोसाइटीज डेंटल कालेज, बंगलौर
19. राजराजेश्वर डेंटल कालेज, बंगलौर
20. सरस्वती डेंटल कालेज, शिमोंगा, कर्नाटक
21. विनाकया मिशन डेंटल कालेज, सीतापुर
22. मराठा मंडल डेंटल कालेज, बूलगांव, कर्नाटक
23. एस.आर.एम. डेंटल कालेज, चेन्नई
24. खाल्सा डेंटल कालेज नागल कला मन्सा, पंजाब
25. मारूती डेंटल कालेज, बंगलौर
26. सरस्वती डेंटल कालेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
27. बाबा यशवन्त सिंह डेंटल कालेज, लुधियाना
28. एम.एन.डी.ए.वी. डेंटल कालेज, सोलन, हिमाचल प्रदेश

[अनुवाद]

डीजल आयात के लिए विलंब शुल्क

1485. श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री ए.सी. जोस :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डीजल के आयात पर विलंब शुल्क के रूप में भारी राशि चुकानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1997-98 के दौरान आयातित डीजल पर कुल कितना विलंब शुल्क देना पड़ा;

(ग) क्या सरकार का विचार अत्यधिक विशाल कच्चे तेल वाहनों को किराये पर लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विलंब लागत से बचने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल उद्योग आंशिक रूप से बर्थ/अलेज की अनुपलब्धता के कारण और आंशिक रूप से खुले समुद्र में कुछ भंडार को तैरते रखने की आवश्यकता के कारण विलंब शुल्क भरता है। वर्ष 1997-98 के दौरान तेल उद्योग ने लगभग 355.57 करोड़ रुपए के विलंब शुल्क का भुगतान किया है। दो बहुत बड़े क्रूड वाहन किराए पर लेने संबंधी प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) उपलब्ध पत्तन बुनियादी सुविधाओं के उपयोग को इष्टतम बनाने और व्यवहार्य सीमा तक टैंकरों को रोकने में कमी करने के लिए अनेक उपाय पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आई.ओ.सी. और एच.पी.सी. द्वारा कांडला में दो वर्चुअल जेटियां आरंभ करना, कांडला में उत्पाद आयात टैंकरों का अपतटीय लाइटरेज, सोगीर (हल्दिया) में क्रूड टैंकरों का अपतटीय लाइटरेज, तटीय/भूमिगत स्थानों पर टैंकेज का आवर्धन शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये जाली मामले

1486. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कितने जाली मामले दर्ज किए गए; और

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू करना

1487. कुमारी किम गंगटे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के मणिपुर में लागू होने के कारण राज्य में पर्यटकों का आगमन बंद होने इत्यादि से इस राज्य के आर्थिक विकास में बाधा आयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अधिनियम को वापस लेने तथा विद्रोह संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु वैकल्पिक उपाय करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

एच.आई.वी./एड्स के संबंध में जागरूकता तथा नियंत्रण कार्यक्रम

1488. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी./एड्स जागरूकता तथा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि की सहायता जारी की गई;

(घ) क्या ये कार्यक्रम सभी राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किए गए;

(ङ) यदि हां, तो इनमें प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो एड्स के उन्मूलन तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई निधियों के कुल आवंटन में से सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निधियां रिलीज की जाती हैं। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। जागरूकता अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए निवारण सूचक सर्वेक्षण 5 राज्यों नामत: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में किया गया था। जागरूकता स्तर शहरी क्षेत्रों में 54.4 से 77.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 13.4 से 63.8 प्रतिशत के बीच थे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार एक महत्वपूर्ण घटक है और सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता लाने और आचरण में परिवर्तन लाने के लिए कई कदम उठाए हैं:-

- आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए जन-प्रचार अर्थात् दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों पर एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया।

- लोक प्रचार, स्थानीय लोगों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के माध्यम से सूचना एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए गहन कार्यक्रम चलाया गया। इसमें राष्ट्रीय एड्स टेलीफोन हाटलाइन स्थापित करना भी शामिल है।

- यौन कर्मियों, अंत शिरा द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने वाले, ट्रक ड्राइवरों, अवारा बच्चों, प्रवासी श्रमिकों आदि जैसे उच्च जोखिम आचरण वाले समूहों में लक्षित उपचारी कार्यकलापों के लिए बहुत से गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

- स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को शिक्षित एवं सुग्राह्य बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना आरम्भ की गई है। कालेजों के युवाओं को एन.एस.एस. के माध्यम से सुग्राह्ण्य बनाया जा रहा है।

- पढ़ाई न कर रहे तथा ग्रामीण युवाओं के लिए नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

- क्षेत्र प्रचार निदेशालय की क्षेत्र प्रचार इकाइयों के माध्यम से अन्तर वैयक्तिक संचार कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 रिलीज अनुदान	1993-94 रिलीज अनुदान	1994-95 रिलीज अनुदान	1995-96 रिलीज अनुदान	1996-97 रिलीज अनुदान	1997-98 रिलीज अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	106.74	25.09	257.73	432.00	425.00	425.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.63	8.24	12.19	65.81	80.00	25.00
3.	असम	34.83	12.43	50.37	92.70	100.00	100.00
4.	बिहार	70.25	16.69	87.00	0.00	25.00	50.00
5.	गोवा	26.91	7.87	41.82	0.00	25.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	63.41	65.83	129.29	131.26	300.00	250.00
7.	हरियाणा	39.98	33.36	62.27	0.00	130.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	82.75	22.93	87.27	156.75	115.00	225.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2.80	37.32	12.35	0.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	89.24	53.08	138.33	120.00	350.00	175.00
11.	केरल	64.78	16.19	100.88	172.62	225.00	100.00
12.	मध्य प्रदेश	75.05	62.29	217.79	137.00	425.00	150.00
13.	महाराष्ट्र	146.67	219.69	292.60	300.00	900.00	950.00
14.	मणिपुर	29.53	31.72	52.50	113.58	200.00	150.00
15.	मेघालय	2.00	21.98	40.29	18.00	35.00	25.00
16.	मिजोरम	20.78	31.73	56.40	74.00	150.00	100.00
17.	नागालैंड	31.70	30.00	67.33	107.00	190.00	155.00
18.	उड़ीसा	52.27	19.82	126.10	0.00	50.00	75.00
19.	पंजाब	40.75	11.99	64.50	80.00	225.00	75.00
20.	राजस्थान	52.86	47.64	123.84	90.00	375.00	225.00
21.	सिक्किम	17.81	4.87	17.82	25.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	145.42	153.25	277.44	650.00	1700.00	2000.00
23.	त्रिपुरा	27.46	32.73	3.00	38.00	50.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	107.74	27.59	121.00	0.00	450.00	495.00
25.	पश्चिम बंगाल	101.04	22.86	185.64	288.82	600.00	100.00
26.	पांडिचेरी	19.15	8.74	10.18	55.04	400.00	0.00
27.	अं. नि. द्वी. स.	17.08	22.23	31.27	50.59	7.00	31.09
28.	चंडीगढ़	14.25	22.70	28.65	51.70	45.91	28.00
29.	दादर नगर हवेली	11.00	17.95	25.15	42.00	46.93	16.00
30.	दमन व द्वीव	5.00	17.95	26.15	43.05	17.00	24.22
31.	दिल्ली	27.44	48.70	97.73	164.00	19.00	25.00
32.	लक्षद्वीप	7.00	18.48	27.52	53.54	16.71	15.42
	कुल योग	1554.32	1173.94	2872.40	3552.46	7752.55	6239.73

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
वर्ष 1998-99 के दौरान रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	रिलीज को गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	650.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	110.00
5.	गोवा	35.00
6.	गुजरात	–
7.	हरियाणा	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	100.00
9.	जम्मू व कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	335.00
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	315.00

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	800.00
14.	मणिपुर	210.00
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	60.00
17.	नागालैंड	160.00
18.	उड़ीसा	–
19.	पंजाब	110.00
20.	राजस्थान	–
21.	सिक्किम	50.00
22.	तमिलनाडु	800.00
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	350.00
26.	पांडिचेरी	40.00
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–
28.	चण्डीगढ़	60.00
29.	दादर व नगर हवेली	–
30.	दमन एवं द्वीव	–
31.	दिल्ली	110.00
32.	लक्षद्वीप	
33.	मुम्बई जिला एड्स सोसायटी	350.00
	कुल योग	5005.00

अपंग कल्याण संस्थान

1489. श्री चेतन चौहान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अपंग कल्याण हेतु संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का अगले दो वर्षों के दौरान राज्य में और अधिक ऐसे संस्थान खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) एक राष्ट्रीय संस्थान नामत: राष्ट्रीय दृष्टिबोधितार्थ संस्थान है जो देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र के उन्नयन द्वारा जुलाई, 1979 में की गई थी। यह संस्थान एक स्वायत्त निकाय है तथा यह पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

अनाथ बच्चों के लिए कार्य योजना

1490. श्रीमती रानी नरह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में उग्रवाद के कारण हुई हिंसा में अनाथ हो चुके बच्चों के लिये कोई व्यवहार्य कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर हेतु समन्वित सुरक्षा कार्य योजना

1491. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर हेतु एक समन्वित सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) त्रिपुरा में कितने पुलिस स्टेशनों को ''गड़बड़ी वाले'' घोषित किया गया है; और

(घ) त्रिपुरा में सेना और असम राइफल्स की कितनी बटालियनों को तैनात किया गया है और इन्हें किन पुलिस स्टेशनों में तैनात किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर में विद्रोह को कभी भी केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं समझा गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास और उसे मजबूत बनाना मूल आधार रहा है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद से विकास संबंधी कार्य-नीति योजना के व्यापक ढांचे के अंतर्गत बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास कर सकें और उनके ऊपर कुछ भी थोपा न जाए तथा जीवन और संस्कृति के पारम्परिक तरीकों को बढ़ावा मिले। प्रयास यह होना चाहिए कि प्रशासन तथा विकास का कार्य करने के लिए स्वदेशी टीमों को ही प्रशिक्षित और तैयार किया जाए तथा विकास कार्य स्वदेशी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा किया जाए।

2. विद्रोह पर काबू पाने की रणनीति में उचित शिकायतों के बारे में बैठक और विचार-विमर्श करने की सहमति, यह संकल्प करना कि हिंसा को सहन नहीं किया जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीव्र आधारभूत विकास, रोजगार संबंधी योजनाओं पर जोर और अच्छा प्रशासन तथा विकेन्द्रीकरण शामिल है।

3. विद्रोह से लड़ने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी कार्रवाई योजनाएं बनायी हैं। संघ सरकार इन योजनाओं की निगरानी करती हैं, इनका समन्वय करती है और इनका सुदृढ़ीकरण करती है। विद्रोहों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त इकाइयों की तैनाती, बेहतर समन्वय एवं आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, गंभीर रूप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करना तथा बड़े विद्रोही गुटों को विधि-विरुद्ध संगठनों के रूप में अधिसूचित करना शामिल है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों का सुरक्षा संबंधी व्यय केन्द्र द्वारा वहन किए जाने की भी एक योजना प्रचलित है। संपूर्ण विद्रोह-स्थिति पर नजर रखी जा रही है और समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है।

4. सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 के अंतर्गत त्रिपुरा में 22 थानों को पूर्णत: अशांत घोषित किया गया है और 5 को अंशत: अशांत घोषित किया गया है।

5. राज्यों में केन्द्रीय बलों की तैनाती समग्र परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तदनुसार, इन बलों की समग्र उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए, त्रिपुरा सरकार को सेना और असम राइफल सहित केन्द्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, सेना और असम राइफल्स को थानों में तैनात नहीं किया जाता है।

एड्स वैक्सीन

1492. श्री विजय हान्दिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा उपयुक्त एक एड्स वैक्सीन विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए क्या-क्या अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) ऐसी बीमारियों में शामिल जैव-नैतिकता (बायो-एथिकल) मामलों की देखरेख के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने हेतु प्रशिक्षित तथा प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) भारत सरकार देश में एच.आई.वी. वैक्सीन के विकास के मुद्दे की जांच कर रही है। चूंकि एच.आई.वी.-। के अनेक उपभेद होते हैं इसलिए विश्व के किसी अन्य भाग में विकसित वैक्सीन भारत में शायद कारगर न हो। इसलिए देशी वैक्सीन के विकास की आवश्यकता भारत के लिए महत्व को बात है। एच.आई.वी. वैक्सीन के विकास के बारे में उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने के लिए देश में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की बैठकें बुलाई गई हैं। जब भी ऐसा कार्यक्रम तैयार हो जाएगा तो इस विषय से संबंधित जैव-नीतिपरक मुद्दे हाथ में लेने के लिए वातावरण बनाने हेतु प्रशिक्षित तथा प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कार्यकताओं को लगाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

मुंबई में गैस की पाइपलाइन से आपूर्ति

1493. डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में रसोई गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ग) निकट भविष्य में प्रतीक्षारत लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) मुंबई के पूर्वी उपनगर में घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करने की परियोजना तथा मुंबई के अन्य भागों में इस परियोजना के प्रस्तावित विस्तार की इस समय क्या स्थिति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 01 अक्तूबर, 1998 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए लंबित प्रतीक्षा सूची 2.50 लाख की है।

(ग) विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर, नए संयंत्र स्थापित करके तथा विद्यमान एवं नई सुविधाओं के जरिए और अधिक आयात द्वारा एल.पी.जी. की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता के लिए योजनायें तैयार की गई हैं। आयातों एवं स्वदेशी उत्पादन के जरिए एल.पी.जी. की प्रत्याशित अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता से भविष्य में और अधिक कनेक्शन जारी करने की योजना है और वर्ष 2000-2001 तक समस्त प्रतीक्षा सूची निपटा लेने की आशा की जाती है।

(घ) आज की तारीख में महानगर गैस लिमिटेड (एम.जी.एल.) ने पाइपलाइनें बिछा ली हैं और पूर्वी उप-शहरी क्षेत्रों नामतया चेम्बूर, चूनाभट्टी के भागों, गोवन्दी-द्योनार, और घाटकोपर (पूर्व) के भागों में लगभग 30,000 घरेलू उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करा दी है। 14,000 उपभोक्ता महानगर गैस लिमिटेड के पास पहले ही पंजीकृत हो गए है और 10,000 उपभोक्ताओं से अधिक को गैस सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

जम्मू और कश्मीर में भारत विरोधी पत्रिका का प्रकाशन किया जाना

1494. श्री तारिक अनवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर 1998 को "दि स्टेट्समैन में" "पाक मिलिटैन्ट्स प्लोट एंडी-इंडिया मैगजीन इन जे. एंड के." शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ सालों से भारत विरोधी प्रचार वाली कुछ पत्रिकाएं पाकिस्तान में प्रकाशित हो रही हैं और भारत में तस्करी द्वारा लाई जाती है।

(ग) मीडिया समेत विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी गलत जानकारी अभियान से लोग प्रभावित और गुमराह न हो। सरकार को सभी संभव उपाय प्रारंभ करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो कि इस प्रकार की पत्रिकाओं के चोरी-छिपे परिचालन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

नशामुक्ति केन्द्र

1495. श्री गुरूदास कामत : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी नशामुक्ति केन्द्रों को सहायता न मिलने के कारण बन्द कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे उन परामर्श केन्द्रों को बंद नहीं किया जाएगा जो संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं जैसा कि निरीक्षण द्वारा पाया गया है।

पामोलीन का भण्डार/बिक्री

1496. श्री वैको : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पामोलीन के भण्डार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सुपर बाजार ने पामोलीन की बिक्री बंद कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किस समय तक खाद्य तेल के अन्य भण्डार उपलब्ध हो जाएंगे;

(ङ) वर्तमान में पाउचों की स्थिति क्या है;

(च) क्या ये मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो तेल संकट के समाधान के लिए सरकार का किन कदमों को उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्य व्यापार निगम के विभिन्न डिपुओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित आर.बी.डी. पामोलीन का 24,992 टन का स्टाक था। इसके अलावा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात के लिए 32,000 टन के आर.बी.डी. पामोलीन का पहले ही ठेका किया गया था जिसकी दिसम्बर, 1998 के दौरान पहुंचने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य खाद्य तेल जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसो का तेल और वनस्पति सुपर बाजार के निर्गम केन्द्रों में उपलब्ध है।

(ङ) और (च) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि बिक्री करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए पामोलीन और अन्य खाद्य तेलों के ब्राड तथा वनस्पति के पाउचिस की पर्याप्त मात्रा उनके पास उपलब्ध है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिविरों के माध्यम से रोग सम्बन्धी जागरूकता

1497. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हृदय रोग संबंधी जागरूकता हेतु शिविर आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर स्वैच्छिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

श्यामशाह मेडिकल कालेज, रीवा (म.प्र.) का उन्नयन

1498. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास श्यामशाह राजकीय मेडिकल कालेज, रीवा (म.प्र.) के ओनकोलोजी विभाग का उन्नयन करने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

रिवाल्वरों का विनिर्माण

1499. श्री शकुनी चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रिवाल्वरों का विनिर्माण कर रहे कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिवाल्वर की खरीद हेतु लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विदेश से रिवाल्वर की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन परिस्थितियों में इस प्रतिबंध से गलत तरीके से रिवाल्वर की खरीद किए जाने को प्रोत्साहन मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में रिवाल्वरों के विनिर्माण हेतु कोई कारखाना स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार, रिवाल्वरों/पिस्तोलों का विनिर्माण गैर सरकारी क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं है। तथापि, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध फैक्टरी गैर निषिद्ध बोर रिवाल्वरों/पिस्तोलों का विनिर्माण कर रही हैं। फैक्टरी-वार स्थिति निम्नलिखित है:-

फैक्टरी का नाम	विनिर्मित हथियार की किस्म
1. स्माल आर्म्स फैक्टरी कानपुर	0.32'' रिवाल्वर
2. गन और शैल फैक्टरी कोसीपुर	0.32'' पिस्तोल

(ख) और (ग) रिवाल्वर/पिस्तोल सहित अग्नि-शस्त्र रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस, आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित विभिन्न लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

(घ) निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर, 13.11.1986 से निजी प्रयोग के लिए अग्नि-शस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है:-

(1) भारत लौट रहे व्यक्तियों द्वारा निवास स्थानान्तरण नियम के अंतर्गत; और

(2) युवा कार्य और खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों पर खिलाड़ियों द्वारा।

(ङ) लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अग्नि शस्त्र की अधिप्राप्ति किसी प्राधिकृत स्रोत से करे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सबको रोजगार

1500. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषरूप से उड़ीसा में सभी शिक्षित और अशिक्षित कुशल/अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई नया प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं:

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सरकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षित, अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों को अनुपूरक रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई./ई.ए.एस. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एन.आर.वाई., पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षितों हेतु पी.एम.आर.वाई. कार्यक्रम शामिल हैं। ये योजनाएं उड़ीसा सहित समस्त राज्यों के लिए लागू हैं। राज्य सरकारें अपनी राज्य योजनाओं के भीतर नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में शामिल रहती हैं।

[हिन्दी]

धान खरीद केन्द्र

1501. श्री अजीत जोगी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के धान की खरीद केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश में ऐसे और केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) चालू खरीफ विपणन मौसम 1998-99 में धान/मोटे अनाजों की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू खरीफ विपणन मौसम 1998-99 में धान/मोटे अनाजों की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या बताने वाला विवरण

क्षेत्र		भारतीय खाद्य निगम			राज्य	जोड़
		स्वयं की	संयुक्त	जोड़	एजेन्सी	
1		2	3	4	5	6
1.	पंजाब	545	29	574	906	1480
2.	हरियाणा	32	2	34	165	199
3.	उत्तर प्रदेश	57	–	57	616	673
4.	राजस्थान	12	–	12	शून्य	12
5.	उड़ीसा	51	–	51	शून्य	51
6.	मध्य प्रदेश	–	–	–	2287	2287

1		2	3	4	5	6
7.	बिहार	11	–	11	142	153
8.	तमिलनाडु	शून्य	–	शून्य	525	525
9.	आन्ध्र प्रदेश	105	–	105	–	105
10.	कर्नाटक	18	–	18	82	100
	जोड़	831	31	862	4723	5585

बेरोजगारी

1502. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार कार्यालय देश में बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाते हैं; और,

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन पांच वर्ष में एक बार श्रम बल सर्वेक्षण करता है। इस तरह का अंतिम सर्वेक्षण जिसके परिणाम प्रकाशित किये गये हैं, वर्ष 1993-94 से संबंधित है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम

1503. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा यह धनराशि राज्य में किन-किन एजेंसियों के माध्यम से खर्च कराई गई थी;

(घ) क्या गत वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर को धनराशि आबंटित करने के लिए कोई लेखा परीक्षा कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें उठाई गई लेखा आपत्तियां कौन-कौन सी हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर सहित देश में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा 1997-98 के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। अनुमोदित प्रतिमान के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाता है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की तीन यूनिटों का अंकेक्षण किया गया है। इस रिपोर्ट में उठाई गई अंकेक्षण आपत्तियां अधिकतर क्रियाविधीय स्वरूप की थीं और इस रिपोर्ट को संबंधित यूनिटों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम का नाम	जम्मू व कश्मीर को रिलीज की गई निधियां 1997-98
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	78.62
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	97.72*
3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	21.15
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	21.97**
5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	25.00
6. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	1266.35

* इसमें जिला कुष्ठ सोसायटियों को रिलीज की गई निधियां शामिल नहीं हैं।

** इसमें जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को रिलीज किए गए 19.00 लाख रुपये शामिल हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का पुराना स्टाक

1504. श्री राजवीर सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी गोदामों में भारी मात्रा में खाद्यान्नों का बहुत पुराना स्टाक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे लोगों में वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में लगभग 6.7 लाख टन खाद्यान्न ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक पुराने है तथा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं और लगभग 1.32 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्न हैं जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम मुख्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की वसूली करता है। भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का स्टाक "प्रथम आमद प्रथम निर्गम" के सिद्धांत पर जारी किया जाता है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारें सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं कर रही थीं जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम में स्टाक जमा हो गया है। इसके अलावा फसल वर्ष 1997-98 के दौरान ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन खरीदा गया चावल का स्टाक अत्यन्त प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाना था जिससे पुराने स्टाक को जारी करने में विलम्ब हुआ है। तथापि, अब गेहूं की खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) शुरू की गई है। इस योजना के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारक मानकों के अनुरूप गेहूं के कुछ पुराने स्टाक का निपटान होने की भी संभावना है। खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, को जनता में वितरित नहीं किया जा सकता है और इसलिए उसका निपटान पशु आहार मवेशी आहार, मुर्गी दाने आदि के रूप में करके किया जाता है।

विवरण-I

1.10.98 की स्थिति के अनुसार 3 वर्ष से अधिक पुराने स्टाक की क्षेत्रवार, जिन्सवार स्थिति बताने वाला विवरण

	3-4 वर्ष			4-5 वर्ष			5 वर्ष से अधिक			जोड़		
क्षेत्र	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्वी जोन												
बिहार	0	5409	649	0	6689	0	0	7789	0	0	19887	649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
प. बंगाल	0	1378	0	0	2205	0	0	4187	0	0	7770	0
जे.एम. (पीओ) कलकत्ता	0	7844	0	17	3999	0	0	1762	0	17	13605	0
जोड़	0	14631	649	17	12893	0	0	13838	0	17	41362	649
उत्तर-पूर्वी जोन												
असम	0	1394	0	0	574	0	0	55	0	0	2023	0
उ.पू. राज्य	0	394	0	0	24	0	0	0	0	0	418	0
जोड़	0	1788	0	0	598	0	0	55	0	0	2441	0
उत्तरी जोन												
दिल्ली	–	1954	0	0	713	0	3956	1168	0	3956	3835	0
हरियाणा	0	1132	8788	0	3265	2245	0	0	0	0	4397	11033
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	10	1230	0	0	0	0	0	0	0	10	1230	0
पंजाब	409	6677	17	0	5793	5	4	11763	388	413	24233	410
राजस्थान	2122	17841	0	1110	106453	0	0	67003	0	3232	191297	–
उत्तर प्रदेश	2238	36481	0	1	97327	56	7838	26345	10	10077	160153	66
जोड़	4779	65315	8805	1111	213551	2306	11789	106279	398	17688	385145	11509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दक्षिणी जोन												
आंध्र प्रदेश	31	314	6180	0	0	0	0	0	0	31	314	6180
केरल	0	24605	0	0	23	0	0	1032	0	0	25660	0
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	19285	0	0	3129	0	0	17049	0	0	39463	0
जे.एम.(पी.ओ.) मद्रास		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जे.एम.(पी.ओ.) विजाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	31	44204	6180	0	3152	0	0	18081	0	31	65437	6180
पश्चिमी जोन												
गुजरात	13	12503	0	0	4046	0	0	2282	0	13	18831	0
महाराष्ट्र	8761	3021	0	55255	7303	0	12138	0	0	76154	10324	0
मध्य प्रदेश	303	14726	0	0	18462	0	0	0	0	303	33188	0
जे.एम.(पी.ओ.) कांडला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	9077	30250	0	55255	29811	0	12138	2282	0	76470	62343	0
सकल जोड़	13887	156188	15634	56383	260005	2306	23936	140535	398	94206	556728	18338

विवरण-II

30.9.1998 की स्थिति के अनुसार क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की क्षेत्रवार, जिन्सवार स्थिति

(आंकड़े टन में)

क्षेत्र का नाम	गेहूं	प्रतिशतता	चावल	प्रतिशतता	धान	प्रतिशतता	अन्य	प्रतिशतता	कुल स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वी जोन									
बिहार	2761	72	924	24	148	4	0	0	3833
उड़ीसा	3	6	51	94	0	0	0	0	54
प. बंगाल	4786	24	15229	76	0	0	0	0	20015
जे.एम.(पी.ओ.) कलकत्ता	2462	10	21981	90	0	0	0	0	24443
जोन का जोड़	10012	21	38185	79	148	0	0	0	48345
उत्तर पूर्वी सीमांत जोन									
असम	315	15	1805	85	0	0	0	0	2120
उ.पू.सी. राज्य	2	1	328	99	0	0	0	0	330
जोन का जोड़	317	13	2133	87	0	0	0	0	2450
उत्तरी जोन									
दिल्ली	30	61	19	39	0	0	0	0	49
हरियाणा	4	1	3	0	763	99	0	0	779
हिमाचल प्रदेश	0	–	0	–	0	–	0	–	0
जम्मू व कश्मीर	0	0	475	100	0	0	0	0	475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	8170	27	20159	66	2043	7	0	0	30372
राजस्थान	1308	98	30	2	0	0	0	0	1330
उत्तर प्रदेश	3773	29	9221	70	138	1	4	0	13141
जोन का जोड़	13290	29	29907	65	2944	6	4	0	46145
दक्षिणी जोन									
आंध्र प्रदेश	194	56	125	36	30	9	0	0	349
केरल	10	5	204	95	0	0	0	0	214
कर्नाटक	54	25	160	75	0	0	0	0	214
तमिलनाडु	91	30	211	70	0	0	0	0	302
जे.एम.(पी.ओ.) मद्रास	327	98	6	2	0	0	0	0	333
जे.एम.(पी.ओ.) विजाग	22	92	2	8	0	0	0	0	24
जोन का जोड़	698	49	708	49	30	2	0	0	1436
पश्चिमी जोन									
गुजरात	4167	39	6539	61	0	0	0	0	10706
महाराष्ट्र	700	76	223	24	0	0	0	0	923
मध्य प्रदेश	64	0	21318	100	0	0	0	0	21382
जे.एम.(पी.ओ.) कांडला	236	55	196	45	0	0	0	0	432
जोन का जोड़	5167	15	28276	85	0	0	0	0	33443
देश का जोड़	29484	22	99209	75	3122	2	4	0	131819

[अनुवाद]

दिल्ली में रोजगार कार्यालय

1505. **प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के रोजगार कार्यालयों को अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के नाम रोजगार के लिए पंजीकृत नहीं करने के अनुदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में उन्होंने रोजगार कार्यालयों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिवक्ता द्वारा अश्लील भाषा का प्रयोग

1506. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **गृह मंत्री** 14.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह जानकारी कब तक प्राप्त कर ली जाएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार में प्राप्त सूचना के अनुसार 23 मई, 1996 को सिविल जज, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली, के न्यायालय में जिस अधिवक्ता ने निन्दात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका नाम श्री ए.सी. मित्तल है। माननीय न्यायालय ने न तो उनके विरुद्ध किसी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है और न ही संबंधित अधिवक्ता के इस प्रकार के व्यवहार के लिए किसी विशिष्ट कारण को उत्तरदायी ठहराया है।

मिल मालिकों द्वारा गेहूं का आयात

1507. **श्री अभय सिंह एस. भोंसले :**
श्री विठ्ठल तुपे :
श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री माधवराव पाटील :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद मिल मालिक गेहूं का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान आज तक किए गए आयात संविदा का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान कितना गेहूं आयात किया गया;

(घ) गेहूं का किस दर पर और किन-किन देशों से आयात किया गया है;

(ङ) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(च) किसानों के पास बिना बिके गेहूं का बड़ा भंडार होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। मूल्य समर्थन योजना के तहत अन्य सरकारी एजेंसियों सहित भारतीय खाद्य निगम गेहूं की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य पर करता है। इस प्रकार वसूल किया गया स्टाक मुख्यतया खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयोजनार्थ होता है। रोलर फ्लोर मिलें स्वयं की जरूरतें पूरी करने के लिए खुले बाजार से गेहूं की वसूली करने अथवा वास्तविक उपभोग शर्त के अधीन सीधे अथवा राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, खनिज और धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से गेहूं का आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) से (ङ) 3.12.1998 को स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसी भी

रोलर फ्लोर मिल से गेहूं आयात के किसी ठेके का पंजीकरण नहीं किया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने रोलर फ्लोर मिलों की ओर से टर्की से कुल 29100 टन गेहूं आयात के ठेके किए हैं। इसमें से 23,100 टन का ठेका सी.आई.एफ. आधार पर 129.50 अमेरिकी डालर प्रति टन की दर पर किया गया है जिसकी कुल सी.आई.एफ. लागत 2991450.00 अमेरिकी डालर बैठती है। शेष 6000 टन (±50%) का ठेका सी.आई.एफ. आधार पर 124.00 अमेरिकी डालर प्रति टन की दर पर किया गया है जिसका कुल मूल्य 744,000.00 अमेरिकी डालर (±5%) होगा। आयात हेतु ठेकाबद्ध गेहूं की मात्रा के दिसम्बर, 1998 में पहुंचने की संभावना है। लोक उद्यम निगम लिमिटेड ने सी. एंड एफ. आधार पर 120 अमेरिकी डालर से 145 अमेरिकी डालर प्रति टन की दर पर यूक्रेन, टर्की और आस्ट्रेलिया से 1.75 लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेके किए हैं जिसका मूल्य 21.5 मिलियन अमेरिकी डालर होगा। इसमें से 18 मिलियन अमेरीकी डालर मूल्य की लगभग 1.50 लाख टन मात्रा पहले ही पहुंच गई है। राज्य व्यापार निगम ने अभी तक मिल मालिकों के लिए गेहूं आयात का कोई ठेका नहीं किया है।

(च) मूल्य समर्थन योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गेहूं की वसूली स्वैच्छिक होती है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बिक्री के लिए पेश किया गया समस्त गेहूं सरकारी एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य/ वसूली मूल्य पर खरीद लेती है। किसान निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

यूरिया का मूल्य

1508. डा. प्रभा ठाकुर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट में यूरिया के मूल्य में की गई वृद्धि को पूरी तरह से वापस ले लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को न्यूनतम मूल्य पर उर्वरक तथा कीटनाशक उपलब्ध कराने की कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) बजट में यूरिया के बढ़ाए गए मूल्य को 1.6.98 से पूर्णरुपेण वापस ले लिया गया है।

(ख) से (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं और सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटेशिक उवरकों जैसे डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी. तथा कम्प्लेक्स उर्वरक के संबंध में उत्पादकों और आयातकर्त्ताओं को रियायत प्रदान करने के लिए एक योजना चल रही है ताकि वे केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट कम मूल्य पर इन उर्वरकों की बिक्री कर सके।

कीटनाशकों के मामले में, उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने, सीमा और उत्पाद शुल्क कम करने तथा उनके आयातों को ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

मेन्निजाइटिस रोग

1509. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः माह के दौरान देश के विभिन्न भागों में मेनिन्जाइटिस रोग फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग के उन्मूलन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना

ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मासिक आंकड़े इस प्रकार हैं:-

माह	रोगी	मौतें
अप्रैल, 1998	155	19
मई, 1998	300	18
जून, 1998	262	21
जुलाई, 1998	295	29
अगस्त, 1998	354	25
सितम्बर, 1998	115	11

मेनिन्जाइटिस बहुत से जीवों के कारण होता है। आम कारण निसेरिया मेनिन्जाइटिडीज, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इनफलुएंजा, एस्क कोलि, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आदि हैं। रोग का उन्मूलन नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कोरोनरी एंजियोग्रेफी के मामले

1510. श्री भेरु लाल मीणा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कोरोनरी एंजियोग्राम किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हृदय रोग विभाग द्वारा कोरोनरी बाइपास सर्जरी के लिए कितने रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों की कोरोनरी बाइपास सर्जरी के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने कितनी राशि व्यय की; और

(घ) इस अस्पताल के हृदय रोग विभाग के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के हृदय शल्य चिकित्सा के मामलों को अन्य अस्पतालों में भेजने की आवश्यकता न पड़े?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	कोरोनरी एंजियोग्राम	सी.ए.बी.जी. के लिए भेजे गए रोगी
1996	1008	194
1997	725	141
1998 (27.11.1998 तक)	1243	173

(ग) चूंकि कारोनरी बाइपास शल्य चिकित्सा के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय का प्रतिपूर्ति के दावे संबंधित विभागों/केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है/संकलित की जाती है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्डियो थोरेसिक एंड वसकुलर सर्जरी विभाग की स्थापना करने का अनुमोदन व्यय वित्त समिति द्वारा कर दिया गया है।

कर्नाटक में आई.एस.आई. की गतिविधियां

1511. श्री श्रीराम चौहान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस एजेंसी कर्नाटक में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने आई.एस.आई. की गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में कर्नाटक के कुछ विधायकों द्वारा शिकायतें दर्ज करने पर आई.एस.आई. के कुछ एजेंटों ने उन विधायकों को जान से मार देने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार को देश में आई.एस.आई. की गतिविधियों की जानकारी है

तथा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इनमें आसूचना तंत्र को सुग्राही और चुस्त बनाना और संबंधित केन्द्रीय/राज्य की एजेंसियों द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा समन्वय कार्रवाई शामिल हैं। समय-समय पर राज्य सरकारों को भी पाक आई.एस.आई. एजेन्टों और राष्ट्र विरोधी तत्वों आदि की गतिविधियों के संबंध में सुग्राही एवं चौकस किया जाता है।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि कर्नाटक के पुत्तुर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद, संबंधित विधायक के निवास पर सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। संविधान के अंतर्गत "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है।

[हिन्दी]

तेल संरक्षण

1512. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के उपक्रमों और अन्य संगठनों को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तेल संरक्षण के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुसरण में उपक्रमों द्वारा की गई बचतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय तेल निगम की कांडला-भटिण्डा पाइपलाइन की प्रारंभिक अनुमानित लागत और मौजूदा लागत कितनी-कितनी है; और

(ङ) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल कंपनियां अपने कार्यों में संरक्षण के विभिन्न उपायों का पालन कर रही हैं। तेल कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तेल संरक्षा पखवाड़ा भी मनाती है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान 1.49 एम.एम.टी. पेट्रोलियम उत्पादों की आवर्ती बचत की गई है जिनका मूल्य 863 करोड़ रुपए आकलित किया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही संरक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन की कांडला-भटिंडा पाइलाइन का आरंभिक लागत अनुमान 779.55 करोड़ रुपए था और संशोधित लागत 2081.84 करोड़ रुपए है।

(ङ) इस पाइपलाइन को दिसंबर, 1998 तक पूर्णत: पूरी कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं

क्र.सं.	ऊर्जा संरक्षण परियोजना	चालू किए जाने का वर्ष	लागत (लाख रुपये)	अनुमानित बचत (एस.आर.एप.टी. प्रतिवर्ष)
1	2	3	4	5
1.	ऊष्म तेल टैंकों का ऊष्रोधन	चालू परियोजना	37.1	300
2.	टी.पी.एस. में एल.पी.एच.डी.एफ. दबाव कम करके एल.पी. निकासी बढ़ाना	अगले शटडाऊन में	–	–

1	2	3	4	5
3.	नियंत्रण प्रणाली-सी.सी.आई.वी. का आधुनिकीकरण	–	–	–
4	कूलिंग वाटर पंप में बैक प्रेशर टर्बाईन	अप्रैल, 98	46	400
5.	भट्टी प्रतिस्थापन के साथ डी.सी.यू. की मरम्मत	सितंबर, 99	3215	2100
6.	सी.डी.यू. में ए.पी.एच. में सुधार और सी.डी.यू. में प्रीहीट ट्रेन आप्टीमाइजेशन	सितंबर, 99	1838	1100
7.	सी.डी.यू. और डी.सी.यू. में सी.बी.डी. का प्रावधान	सितंबर, 99	20	100
8.	संसाधन इकाइयों में अग्रिम नियंत्रण	नवंबर, 98	256	900
9.	कोकर-ए में पुरानी अकुशल रूसी भट्टियों की मरम्मत	दिसंबर, 99	3780	10000
10.	ए यू-3 ऊर्जा इष्टतमीकरण	जून, 99	4400	15500 (1.1 एम.एम.टी.पी.ए. पर)
11.	रेसीप्रोकेटिंग एयर कम्प्रेशन का सेंट्रीफ्यूगरल कम्प्रेशन और बैक प्रेशर टर्बाईन से प्रतिस्थापन	दिसंबर, 98	685	460
12.	गैस टर्बाईन की स्थापना	मई, 2000	4550	10860
13.	एच.आर.एस.जी. की स्थापना	मई, 2000	1530	22680
14.	ओ.एम. एंड एस. के लिए आटो टैंक गेजिंग	अगस्त, 98	1280	680
15	मेटोलिक एयर कूलर ब्लेडस का एफ.आर.पी. ब्लेडस से प्रतिस्थापन	अक्तूबर, 98	20	100

1	2	3	4	5
16.	टी.टी.एल. आटोमेशन (डब्ल्यू/ओ एंड बी/ओ)	डब्ल्यू/ओ. नवंबर, 98 बी/ओ. मार्च, 99	334	2400
17.	वाष्पीकरण क्षति को न्यूनतम बनाने के लिए ए.टी.टी.के.एस. 85-90 के लिए सी.बी.डी. प्रणाली उपलब्ध कराना	नवंबर, 98	19.5	536
18.	टैंक फार्म आटोमेशन	अप्रैल, 98	1732	9560
19.	कम कुशल भट्टियों की मरम्मत			
	(क) सी.डी.यू. भट्टी	अक्तूबर, 99	500	2400
	(घ) एफ.पी.यू.-1 भट्टी	दिसंबर, 99	–	1500
20.	वी.डी.यू. मरम्मत कार्य	अक्तूबर, 99	663	1080
21.	ब्लाइंडिंग/डीब्लाइंडिंग क्षतियां न्यूनतम रखने के लिए प्लग वाल्व लगाना	दिसंबर, 98	22	200
22.	हीटर कुशलता में सुधार लाने के लिए सी.आर.यू.. में भाप सृजन सुविधा	जुलाई, 98	309	1900
23.	टैंक वैगन लोडिंग में पी.डी. मीटरों का इन्स्टालेशन (केवल एच.एस.डी. के लिए)	सितंबर, 98	172	1000
24.	वी.बी.यू. में सोकर टेक्नालाजी	दिसंबर, 98	1112	7000
25.	पी.डी.ए. में रोज प्रोसेस	अक्तूबर, 99	4400	7000
26.	आटोमेटिक टैंक गेजिंग	अगस्त, 98	523	2000
27.	एस.एस.आर.एन. और एम.एस. टैंक्स में बेलफील्ड वाल्व का इन्स्टालेशन	जून, 98	2.6	150

1	2	3	4	5
28.	ए.टी.ए. के दौरान वी.डी.यू. होल्ड अप रीकवरी	जून, 98		200
29.	एयरकूलर के वर्तमान मेटेलिक पंखे का एफ.आर.पी. ब्लेड्स से स्थानापन्न	1998-99	25	944
30.	यू.बी.-5 के लिए सैनिक सूटब्लोअर	नवंबर, 97	5	200
31.	निम्न कुशल स्ट्रीट और संयंत्र लाइटिंग के स्थान पर कुशल स्ट्रीट और संयंत्र लाइटिंग का लगाया जाना	नवंबर, 98	75	2172
32.	मौजूदा हीटरों की क्षमता 90 प्रतिशत तक बढ़ाना (15 एफ. 1 ए एंड बी)	मार्च, 2001	–	7890
33.	हाइड्रोकार्बन क्षतिन्यूनीकरण मापक यंत्र	दिसंबर, 98	35	1000
34.	डी.एम./बी.एफ. वाटर हीटिंग के लिए क्रूड डिस्टीलर स्पलीटर्स ओवरहैड के न्यून स्तर पर एच.ईए. का प्रयोग	दिसंबर 98	120.00	1667
35.	सी.डी.यू. के लिए कच्चे तेल का डिजाल्टर	दिसंबर, 98	600	2030
36.	बायलरों से ली गई सीधी भाप के बजाय सी.पी.पी. में एटा-माइजिंग, ट्रेसिंग और टैंक हीटिंग के लिए एक्सट्रेक्शन स्टीम का उपयोग	मई, 98	5	580
37.	क्रूड प्रीहीट एक्चेंजर ट्रेन की मरम्मत	दिसंबर, 98	245	2340

1	2	3	4	5
38.	रिफाइनरी में उच्च कुशलता उपयोगिता वाले बायलरों का प्रावधान	2000	2000	7200
39.	हीटर्स आर.एफ.यू.एफ. 101 और आर.एफ.यू.एफ. 102 की कुशलता में सुधार करना	1998/99	51	520
40.	सी.एम.यू. में ए.एफ.सी. और एफ.पी.यू. में कच्चा जल शीतलीकरण टावर पंखों के लिए एफ.आर.पी. ब्लेडस का उपलब्ध कराया जाना	1998/99	26	113
41.	सी.डी.यू.एन.बी. 2ए, एफ.पी.यू.बी.1 और एच.सी.यू.एच. 801 के एयर प्रीहीटर के लिए सोनिक सूट ब्लोअर का प्रावधान	1999	26	400
42.	मुख्य दहन प्रवाह मीटर का प्रतिस्थापन	1999	16	–
43.	बायलर हाऊस मेन हैडर में ईंधन तेल प्रवाह पैमाइस के लिए मास फ्लो मीटर का प्रावधान	1998/99	9	–
44.	ई.आई.एल. भट्टी अध्ययन सुधार	1998/99	20	–
45.	क्रूड प्रीहीट के लिए टी-4 बाटम स्ट्रीम का उपयोग	यांत्रिक रूप से पूरी हो गयी है, मरम्मत की गई यूनिट के साथ चालू की जायेगी	–	5,000
46.	सी.डी.यू.-। की प्रीहीट रीकवरी में सुधार	मई, 98	200	1450
47.	सी.डी.यू.-॥ की प्रीहीट रीकवरी में सुधार	–	4004	4800

1	2	3	4	5
48.	सी.टी.यू. भट्टी प्रतिस्थापन	जून, 98	600	4560
49.	एफ.सी.सी.यू.-। में को-बायलर	1999	2721	7660
50.	टर्बाइनों को मोटरों में बदलना (चरण-॥)	1999-2000	1100	12200
51.	सी.डी.यू.-1/एफ.सी.सी.यू.-1/ बायलर हाऊस-1 में यंत्रों का आधुनिकीकरण	1998	1900	ऊर्जा के बेहतर उप-योग में सहायक होगा
52.	एफ.सी.सी.यू.-॥ में एल.सी.ओ./ बी.एफ.डब्ल्यू. एक्सचेंजर	1998-99	23	1500
53.	सी.डी.यू.-॥ एच.वी.जी.ओ. से हीट रीकवरी	1998-99	10.5	1120
54.	सी.डी.यू.-॥ में हाट टेम्पर्ड वाटर से हीट रीकवरी	1998-99	21.7	1920
55.	फालतू एल.पी. भाप अपग्रेडिंग के लिए थर्मो कम्प्रेशर	1998-99	26.13	1920
56.	पोर्टेबल अल्ट्रासौनिक रीलीफ वाल्व डीटेक्टर सिस्टम (वी.पी.ए.सी.-5131)	1998-99	14	क्षति न्यूनीकरण
57.	पोर्टेबल फ्यूजिटिव एमीशन निगरानी प्रणाली (जी.एम. आई. गैस सर्वेक्षक)	1998-99	1	क्षति न्यूनीकरण
58.	बायलर विला के लिए सोनिक सूट ब्लोअर्स	1998-99	12	बायलर कुशलता में सुधार
59.	ओ.एम. एंड एस. आटोमेशन	2000	3200	क्षति न्यूनीकरण
60.	भट्टियों के लिए आनलाइन आक्सीजन मीटर	1998	20	आनलाईन भट्टी कुशलता निगरानी
	योग		48,557.50	17,1382

[अनुवाद]

लाइसेंस रद्द करना

1513. श्री सुरेश कुरूप : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कई पेट्रोल पंपों द्वारा मिलावटी पेट्रोल की बिक्री करने के कारण उनके लाइसेंस रद्द किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावट, कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए तेल कंपनियों के अधिकारियों और राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण में कदाचार का निवारण) आदेश, 1990 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

1998-99 के दौरान देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल में मिलावट करने के लिए अब तक 3 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।

29.10.98 से 2.11.98 तक के एक हालिया अभियान के दौरान 98 खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति, संदिग्ध मिलावट के मद्देनजर अलग-अलग अवधियों के लिए निलंबित कर दी गई।

एड्स के मामलों में वृद्धि

1514. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में एड्स के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) भारत में एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना।
- उच्च जोखिम वाले समूहों और आम जनता में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना।
- रक्त बैंकों की समुचित लाइसेंसिंग एवं स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर रक्त निरापदता और रक्त को विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- निगरानी और निदान की क्षमता को सुदृढ़ करना, एवं
- एच.आई.वी./एड्स के मामलों के किलिनिकल प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग

1515. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी/अलगाववादी भारत विरोधी प्रचार करने के उद्देश्य से इंटरनेट का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) आतंकवादी/अलगाववादियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिए इंटरनेट का दुरूपयोग किए जाने की घटनाएं ध्यान में आई हैं। मिडिया आदि के माध्यम से सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए ऐसे भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने हेतु जानकारी तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियों को सुधारात्मक/निवारक उपाय करने के लिए और इन बैव साइट्स की अंतर्वस्तु पर नियमित रूप से निगाह रखने के लिए सुग्राही बनाया गया है।

होम गार्डों को दिहाड़ी के आधार पर भुगतान

1516. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि होम गार्ड कर्मियों को दिहाड़ी के आधार पर किया जाने वाला भुगतान हर महीने नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की कोई विसंगति सरकार की जानकारी में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और होम गार्ड कर्मियों को नियमित रूप से प्रत्येक माह भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) होमगार्ड राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

भिवानी (हरियाणा) में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात किए गए होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान न करने संबंधी एक मामला हाल ही में केन्द्र सरकार को सूचित किया गया था। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। सितम्बर, 1998 तक 20 होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता दे दिया गया है। सात होमगार्डों की सितम्बर महीने का ड्यूटी भत्ता अभी भी दिया जाना बाकी है। राज्य सरकार को इस मामले आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

1517. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने दक्षिण आन्ध्र प्रदेश के अमालापुरम तट पर तेल की खोज संबंधी कार्य शुरू कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आयेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) दक्षिणी आंध्र प्रदेश में वैनतेयम और गौतमी नदियों के बीच अमलापुरम तट में आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड. (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा 1978-79 में अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप आरंभ किए गए। 3.12.98 की स्थिति के अनुसार अन्वेषणात्मक निवेश निम्नानुसार है:

द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण	1025	जी.एल.के.
त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण	740	जी.एल.के.
टेलीसीज सर्वेक्षण	151.75	एल.के.
वेधिक कूप (तटीय)	22	
(5 हाइड्रोकार्बनयुक्त)		
अपतटीय	4	
(3 हाइड्रोकार्बनयुक्त)		

(ग) टेलीसीज सर्वेक्षण, जो 1997-98 में इस क्षेत्र में आरंभ किए गए थे, भूमि-समुद्र संक्रमण अंचल में अर्जित किए जा रहे हैं। भूमि का भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है और समुद्री भाग 1998-99 के अंत तक पूरा करने की संभावना है।

वर्तमान में अमलापुरम तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित निवेशों की योजना है:

1. टेलीसीज सर्वेक्षण	180	जी.एल.के.
2. त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण (जमीनी और अपतटीय)	3200	जी.एल.के.
3. वेधित किए जाने वाले कूप (जमीनी)	11	
4. वेधित किए जाने वाले कूप (अपतटीय)	4	

इस चरण पर, संभावित व्यय की मात्रा बताना बहुत कठिन है। ओ.एन.जी.सी. ने के.जी. और कावेरी बेसिनों (तटीय और अपतटीय) के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1023.59 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें से अमलापुरम का खर्चा पूरा किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु उपचारात्मक उपाय

1518. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सुझाव संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन सुझावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी व्यय बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र खोलने, विशिष्टीकृत चिकित्सीय उपकरणों इत्यादि के आयात के लिए सीमाशुल्क में छूट देने जैसे विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं।

क्रमिक योजनावधियों में स्वास्थ्य संबंधी व्यय में काफी बढ़ोत्तरी हो गई है। विश्व विकास रिपोर्ट, 1993 के अनुसार भारत स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत खर्च करता है जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के व्यय को चित्रित करता है।

निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदायकों और अन्यों के साथ अनेक परामर्शों के पश्चात् निजी क्षेत्र की सेवाओं के कारगर उपयोग के लिए एक अच्छी और संपोषणीय नीति बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में सामना की जा रही समस्याओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय के बीमा खंड से परामर्श लेते हुए तीसरे पक्ष का बीमा शुरू करने की विवधाओं के बारे में एक पृष्ठभूमि पेपर तैयार करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

चिकित्सीय उपकरणों के आयात के लिए सीमा-शुल्क में पहले दी गई छूट और अस्पतालों के लिए रियायती दरों पर भूमि के आवंटन से निर्धन रोगियों के लिए कोई वांछित लाभ उत्पन्न नहीं हुए हैं।

उद्योग मंत्रालय के अनुसार यदि सामाजिक क्षेत्र बुनियादी क्षेत्र के भीतर शामिल कर लिए जाते हैं, तो मूल/बुनियादी ढांचे के उद्योगों के साथ अस्पतालों की समानता वाली बात बुनियादी ढांचे के उद्योगों पर जोर देने की बात को फीका कर देगी। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य संगठनों की विशेषज्ञों, पराचिकित्सकों, नर्सों की अनुपलब्धता और निवेश पर कम आय जैसी अनेक तंगियों के कारण पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की सम्भावना नहीं है।

असम के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु योजना

1519. डा. जयन्त रंगपी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष हेतु असम के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय परिव्यय सहित ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) असम के छठे अनुसूचित क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड(1)(क) के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के लिए 13.33 लाख रुपए का परिव्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक, कोचिंग तथा सम्बद्ध योग्यता का उन्नयन, लड़कों व लड़कियों के होस्टलों का निर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान। लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ को सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान आदि जैसी विभिन्न केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता रहा है। ये योजनाएं असम के छठे अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को भी उपलब्ध हैं। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिमाणन नहीं किया जाता है तथा निधियां राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंधेपन के मामले

1520. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि केरल के कालीकट के सरकारी अस्पताल में नेत्र शल्य चिकित्सा के दौरान कई मरीज अंधे हो गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि केरल के सरकारी अस्पतालों में कई आपरेशन थियेटर अस्वास्थ्यकर स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त मामले पर केरल सरकार से कोई रिपोर्ट मांगने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि अक्तूबर 1998 के अन्तिम सप्ताह के दौरान जनरल अस्पताल, कालीकट में आपरेशन किए गए मोतियाबिन्द के रोगियों में आपरेशन के बाद के संक्रमण के 11 रोगी थे जिसमें से पांच रोगियों को फिर से दिखाई देने की बहुत ही कम संभावनाएं थीं। परीक्षणों से पता चला कि यह संक्रमण फफूंद के कारण था।

(ग) से (ङ) एक रिपोर्ट भेजने के लिए भारत सरकार के अनुरोध के उत्तर में यह बताया गया कि आंख की शल्य चिकित्सा के लिए कोई एयर कंडीशन तथा समर्पित सेवाओं के अभाव को देखते हुए केरल में आपरेशन थियटरों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है।

प्रयोगों में पशुओं के उपयोग का विनियमन

1521. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रयोगों में पशुओं के उपयोग के विनियमन हेतु नये तैयार किये गये नियमों के खिलाफ शीर्ष चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सरकार को प्रजनन एवं जीव-जन्तुओं पर प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियमावली, 1998 के संबंध में अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें टिप्पणियां तथा सुझाव निहित हैं। अधिकांश सुझाव जीव-जन्तुओं पर प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और नियमावली के मसौदे में प्रस्तावित विभिन्न नियंत्रण पद्धतियों का विकेन्द्रीकरण करने से संबंधित हैं। इन सुझावों की जांच करने और नियमावली के मसौदे में परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए वैज्ञानिकों तथा पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए उप-समिति गठित की गई है।

मधुपुर में ड्रिलिंग कार्य

1522. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 28 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5964 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा असम के मधुपुर में ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कुएं की अनुमानित गहराई कितनी है; और

(ग) उक्त क्षेत्र से कितना तेल उपलब्ध होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) मधुपुर में तीसरा कूप आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 18 सितंबर, 1998 को खोदा गया। कूप की लक्षित गहराई 4375 मीटर है। इस समय कच्चे तेल की संभावित मात्रा के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वेधन अभी भी जारी है।

पी.जी.आई., चंडीगढ़ के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच करार

1523. श्री सत्यपाल जैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 5 फरवरी, 1997 को पी.जी.आई., चंडीगढ़ के प्रबंधकों और कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के बीच कोई करार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस करार को पूरी तरह लागू कर दिया गया है अथवा अंशत: लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) स्नातकोत्तर संस्थान के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थान की निकाय के निर्णय के अनुसार संस्थान के अध्यक्ष द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर स्नातकोत्तर संस्थान द्वारा आगे की कार्रवाई की गई है और संस्थान द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार समिति द्वारा विचार किए गए मुद्दों/मांगों के बारे में स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संस्थान को निकाय द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किए गए मुद्दों/मांगों की स्थिति

समिति द्वारा निपटाए गए/छोड़ दिए गए मुद्दे/मांगे	संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित और कार्यान्वित मुद्दे/मांगे	स्थाई वित्त समिति को भेजे गए मुद्दे/मांगे	स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए मुद्दे/मांगे
1	2	3	4
1. तदर्थ अनुदान की मंजूरी	1. कार्य घंटों को युक्ति संगत बनाना	1. समयोपरि भत्ते का बकाया (फिर से उठाया जाना है)	1. बैकलाग प्रमोशन स्कीम पत्र सं.बी.-17020/37/95-एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 19.1.98 के अनुसार स्थगित
2. सभी कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान	2. 1.3.92 के बाद समयोपरि भत्ते	2. बुक एलाउंस (स्वीकार्य)	2. दैनिक मजदूरों को स्तर अ.शा. पत्र सं. 17020/37/95 एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 19.11.97 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।
3. केन्द्रीय पैटर्न पर पंजाब वेतनमान वाले कर्मचारियों को अंतरिम राहत	3. वेतनमान समिति का गठन	3. कैंटीन कर्मचारियों को खपाना (स्वीकार्य)	3. केन्द्रीय पैटर्न पर सभी कर्मचारियों की धुलाई भत्ता पत्र सं. वी-17020/37/95-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 19.1.98 के अनुसार अस्वीकृत।
4. डॉक्टरों को आवंटित आवास खाली कराना	4. अवैध रूप से किराये में दिए गए मकानों को खाली करना	4. दो नई बसें लगाना (फिर से उठाए जाने है)	4. हड़ताल की अवधि की मजदूरी का भुगतान (वी-17020/37/95-एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 19.1.98 के अनुसार।

1	2	3	4
5. पाठक समिति को समाप्त करना	5. आवास की साझेदारी	5. पंजाब पैर्टन पर बढ़ा हुआ सी.सी.ए.	
6. चिकित्सा सुविधाओं को व्यवस्थित करना	6. स्थाई करण सूची	6. जोखिम भत्ता, भूतपूर्व सैनिक भत्ता और सवारी भत्ता (अस्वीकृत क्योंकि अ.भा.आ.सं. में ये भत्ते नहीं मिलते हैं। इसे स्थाई वित्त समिति को भेजा जाएगा।)	
7. सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ सेवा उपदान	7. वरिष्ठता सूची		
8. पंजाब वेतनमान वाले कर्मचारियों की बढ़ी हुई परिवार नियोजन वेतनवृद्धि	8. मकानों की प्राथमिकता सूची		
9. संविदा प्रणाली समाप्त करना	9. इंजी. स्टाप के संवर्ग समीक्षा		
10. प्रबंधक में कामगारों की सहभागिता	10. पी.जी.आई. में रिक्त पदों को भरना		
11. पी.जी.आई. यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मान्यता	11. अधिक मकानों का निर्माण		
12. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत निवारण समिति का गठन	12. दूसरी संवर्ग समीक्षा समिति का कार्यान्वयन		
	13. संवर्ग विसंगति समिति का गठन		
	14. अ.भा.आयु.सं. की संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट की आपूर्ति		
	15. नए भर्ती नियमों और कार्य विवरण मेनुअल की आपूर्ति		
	16. पराचिकित्सा कर्मचारियों को धुलाई भत्ता		
	17. एल.एल.एस. कसौली के कर्मचारियों को सेवा लाभ		
	18. शीर्षस्थ शिकायत निकाय का गठन		
	19. अनुशासनिक मामले		

क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थान

1524. श्री भीम दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय कार्यरत क्षेत्रीय फार्मेसी संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में कोटे से राज्यवार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया;

(ग) क्या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक राज्य से आनुपातिक अंशदान कुछ वर्षों से लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

सुरक्षा सेना टुकड़ियों की तैनाती

1525. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा क्षेत्र में सेना क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में कितनी सेना की टुकड़ियां तैनात हैं; और

(ग) डोडा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती उनकी उपलब्धता और संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य पर निर्भर करती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एकीकृत मुख्यालय पर तैनाती का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। बलों और उनकी तैनाती के स्तर के बारे में विस्तृत जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदढ़ करना, भीतरी क्षेत्रों में, आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुरक्षा बलों की गश्त तेज करना, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करना, ग्राम रक्षा समितियों का गठन करना तथा राज्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है।

[हिन्दी]

बालिकाओं के लिये सुधार गृह

1526. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिवीजन स्तर पर किशोर कारागृह और सुधार गृह (बालिकाओं) स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार ज्योंही अपने पास संगत योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की निर्मुक्ति में व्यय न की गई धनराशि का लेखा-जोखा उपलब्ध करा देगी, लम्बित प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की होम्योपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित करना

1527. श्री नरेश पुगलीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की अंतिम होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/एकक किस वर्ष में स्थापित किया गया;

(ख) राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की अंतिम होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/एकक स्थापित किए जाने के बाद के.स.स्वा. सेवा योजना की कितनी एलोपैथिक डिस्पेंसरी/एककों की स्थापना की गई है; और

(ग) चिकित्सा की अन्य प्रणालियों की तुलना में के.स.स्वा. सेवा योजना की होम्योपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित किए जाने में भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1986

(ख) सात

(ग) क्योंकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में एलोपैथिक औषधालयों के खोलने की अधिक मांग है अत: संसाधनों की तंगी के कारण 1986 के पश्चात् कोई नया होमियोपैथिक औषधालय/ एकक नहीं खोला जा सका।

[हिन्दी]

रैबिज के मामले

1528. श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में रैबिज से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकंड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995 से 1997 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रेबीज के कारण हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	मौतें
1995	639
1996	622
1997	386

(ख) और (ग) छठी योजना अवधि के दौरान 16 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में केनाइन रेवीज के नियंत्रण हेतु सीमित पैमाने पर एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक से लेकर दो कैनाइन रेबीज नियंत्रण यूनिटों तक का आबंटन किया गया। छठी, सातवीं और आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमश: 117 लाख रुपए, 192 लाख रुपए तथा 334 लाख रुपए निर्धारित किए गए। वर्ष 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम अन्तर्गत 70 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम नौवीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। इस समय देश में कुल लगभग 60 केनाइन रेबीज नियंत्रण यूनिटें कार्य कर रही हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना

1529. श्री ए.सी. जोस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषरूप से केरल में चल रही केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास कोई निगरानी तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य विशेषरूप से केरल में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केरल सहित देश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे और वर्ष 1997-98 के दौरान किए गए राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन योजनाओं को आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित कार्यक्रम प्रभागों द्वारा जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर मानीटर किया जाता है जिनका विश्लेषण किया जाता है और सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों के दल भी कार्यक्रम गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए क्षेत्र का दौरा करते हैं।

देश भर में विभिन्न संचारी रोगों के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर में काफी कमी आई है। वर्ष 1997-98 के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के क्षेत्र में अर्जित राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए वर्ष 1997-98 में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एन.एम.ई.पी.	एन.टी.सी.पी.	एन.एल.ई.पी.	एन.पी.सी.बी.	एन.ए.सी.पी.	एन.एफ.डब्ल्यु.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	617.00	172.01	308.83	204.34	425.00	8852.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	297.5	1.45	20.42	4.04	25.00	237.38
3.	असम	2618.00	44.20	63.00	4.54	100.00	3654.86
4.	बिहार	348.98	258.76	473.88	7.44	50.00	206.83
5.	गोआ	5.18	1.80	1.93	1.25	50.00	9096.65
6.	गुजरात	726.77	86.23	261.16	5.25	250.00	7505.83
7.	हरियाणा	291.08	44.86	8.08	4.01	75.00	2937.45
8.	हिमाचल प्रदेश	90.84	7.84	14.76	2.97	225.00	1431.02
9.	जम्मू और कश्मीर	78.62	21.15	97.72	2.97	25.00	1266.35
10.	कर्नाटक	568.62	102.93	129.15	20.66	175.00	6461.33
11.	केरल	63.60	38.48	87.50	11.78	100.00	3919.16
12.	मध्य प्रदेश	1072.77	174.33	456.33	138.40	150.00	9993.30
13.	महाराष्ट्र	1028.44	171.76	114.42	99.27	950.00	10677.68
14.	मणिपुर	273.91	0.28	8.27	6.84	150.00	585.85
15.	मेघालय	196.96	4.88	11.59	1.77	25.00	397.04

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	132.00	1.97	19.34	4.56	100.00	296.04
17.	नागालैण्ड	212.62	1.57	9.20	1.54	155.00	268.24
18.	उड़ीसा	233.43	73.69	418.94	312.20	75.00	5051.10
19.	पंजाब	183.26	54.41	33.96	3.85	75.00	3569.72
20.	राजस्थान	1799.74	107.62	52.00	46.60	225.00	8478.73
21.	सिक्किम	1.77	1.08	22.00	4.15	50.00	262.54
22.	तमिलनाडु	204.88	138.22	253.56	444.47	2000.00	8504.35
23.	त्रिपुरा	414.05	7.57	21.50	7.92	50.00	572.78
24.	उत्तर प्रदेश	505.73	349.35	394.11	138.28	495.00	17615.85
25.	पश्चिम बंगाल	125.71	133.56	340.85	7.77	100.00	7607.77
26.	अ.नि. द्वीप समूह	93.83	14.27	7.50	4.00	31.09	
27.	चंडीगढ़	48.53	39.67	1.50	4.00	28.00	
28.	दादर व नागर हवेली	24.75	7.70	2.50	4.00	16.00	
29.	दमण और दीव	12.37	5.51	5.50	7.04	24.22	
30.	दिल्ली	66.04	56.69	1.50	3.25	25.00	1155.41
31.	लक्षद्वीप	3.48	2.85	3.00	4.00	15.42	
32.	पांडिचेरी	12.48	3.31	14.00	4.00		174.02

एन.एम.ई.पी. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
एन.टी.सी.पी. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
एन.एल.ई.पी. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
एन.पी.सी.बी. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
एन.ए.सी.पी. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
एन.एफ.डब्ल्यू.पी. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

विवरण-II

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अन्तर्गत 1997-98 में विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	एन.एम.ई.पी.		एन.पी.सी.बी.	परिवार कल्याण			
		पॉजीटिव रोगी	पी.एफ. रोगी	मोतिया बिन्द	नसबन्दी	आई.यू.डी.	कण्डोम	मुखहेकगोली
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	129577	57939	295735	630043	293872	599643	254499
2.	अरूणाचल प्रदेश	53196	6739	437	2353	2585	1116	2761
3.	असम	123734	75841	18983	12050	37632	29934	31009
4.	बिहार	53970	33254	59688	110944	156757	50876	40366
5.	गोवा	21025	5827	4767	4158	2806	10819	2140
6.	गुजरात	159652	37849	274243	242364	401736	823404	161910
7.	हरियाणा	69710	2218	66737	94042	162813	411099	59225
8.	हिमाचल प्रदेश	5320	4	11455	32474	40222	65392	23264
9.	जम्मू व कश्मीर	9412	34	1935	8073	8458	8510	2957
10.	कर्नाटक	181450	43546	160323	395123	368565	323099	154102
11.	केरल	8265	659	59358	139804	79467	198636	31182
12.	मध्य प्रदेश	451552	211537	254138	362224	615997	1686420	555862
13.	महाराष्ट्र	204969	55230	389701	571476	418711	594123	374267
14.	मणिपुर	1742	801	452	2185	10220	5493	2878
15.	मेघालय	22237	10910	897	1061	2102	910	1215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	11021	6990	354	2223	1692	1124	2007
17.	नागालैंड	2825	806	303	535	1131	2	132
18.	उड़ीसा	421928	364723	74713	125794	243034	255933	107708
19.	पंजाब	27632	150	126182	108625	372731	538313	98402
20.	राजस्थान	272670	19554	157243	224053	223316	837065	301340
21.	सिक्किम	38	3	948	1113	1362	486	2882
22.	तमिलनाडु	72064	3364	329773	332707	405869	186546	191212
23.	त्रिपुरा	18122	15491	6504	8449	4671	25327	25659
24.	उत्तर प्रदेश	128635	10081	280949	307473	2035368	2037230	749015
25.	प. बंगाल	74676	10977	114149	308342	95694	369621	294103
26.	अ. व नि. द्वीप	972	168	204	1966	1145	2549	805
27.	चंडीगढ़	4944	17	2019	3259	5769	7645	147
28.	दा. ना. हवेली	12007	2467	188	477	263	–	198
29.	दमण और दीव	1062	15	240	536	256	1380	304
30.	दिल्ली	8194	122	41602	35050	68000	208075	9615
31.	लक्षद्वीप	2	0	22	33	30	289	160
32.	पांडिचेरी	210	0	4632	9705	3477	7707	910

एन.एम.ई.पी. : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
एन.पी.सी.बी. : राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
*अनन्तिम

व्यापक रोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां (1997-98)

राज्य	डी.पी.टी.	ओ.पी.वी.	बी.सी.जी.	खसरा	टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)
1	2	3	4	5	6
बड़े राज्य					
आंध्र प्रदेश	1797943	1795719	1903093	1713136	1937529
असम	507309	508453	565836	527588	524361
बिहार	1014119	1028360	1285378	769820	719791
गुजरात	1171559	1178970	1209110	1107620	1248207
हरियाणा	526376	526312	572680	479858	511212
कर्नाटक	1115445	1112357	1191098	1035706	1223188
केरल	586042	586626	625525	511040	508986
मध्य प्रदेश	2274115	2273220	2478944	2239352	2415257
महाराष्ट्र	2089108	2096918	2224396	1966943	2068554
उड़ीसा	867088	869274	934936	794652	845153
पंजाब	499782	496135	516647	464288	484743
राजस्थान	1407413	1402989	1448403	1312834	1355013
तमिलनाडु	1186106	1189758	1207156	1130891	1263124
उत्तर प्रदेश	5428980	5490049	5517514	5113809	9107907
पश्चिम बंगाल	1594313	1621552	1725943	1271266	1607429
छोटे राज्य					
हिमाचल प्रदेश	133949	134242	142084	127566	138212
जम्मू और कश्मीर	182460	184518	210789	151251	98180

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	35832	35848	42437	29560	31755
मेघालय	26619	26673	39088	18835	23065
नागालैंड	11103	11323	9444	6232	7339
सिक्किम	10310	10408	11599	8829	6712
त्रिपुरा	57336	57667	65406	51492	49812
अ.नि. द्वीप	5663	5663	6014	4848	5573
अरूणाचल प्रदेश	7870	9007	10094	7776	7661
चण्डीगढ़	12234	12114	13655	11141	11307
दा. नगर हवेली	5218	5252	5494	4810	5789
दिल्ली	151095	155187	225026	138977	126093
गोवा	22776	23038	24495	19895	29215
दमण और दीव	3849	4110	2857	2592	2844
लक्षद्वीप	1200	1215	1263	1207	1294
मिजोरम	17247	16001	16212	14042	13223
पांडिचेरी	16465	16500	36170	14930	16700
भारत@	22826383	22946400	24427956	21103808	22451966

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

* फरवरी, 98 तक की उपलब्धि

** जनवरी, 98 तक की उपलब्धि

*** दिसम्बर, 97 तक की उपलब्धि

@ अखिल भारतीय आंकड़ों में रक्षा और रेल मंत्रालय का कार्यनिष्पादन भी शामिल है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उम्मूलन कार्यक्रम

रोगी का पता लगाने, उपचार और छुट्टी देने के सम्बन्ध में लक्ष्य और उपलब्धियां राज्यवार स्थिति वर्ष 1997-98

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	पता लगाना		उपचार		छुट्टी	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20000	53418	20000	52205	25000	55410
2.	अरूणाचल प्रदेश	80	58	80	58	100	75
3.	असम	2500	1765	2500	1765	3000	3099
4.	बिहार	50000	104478	50000	104438	55000	106320
5.	गोवा	200	436	200	436	300	380
6.	गुजरात	15000	15567	15000	15563	20000	18014
7.	हरियाणा	100	148	100	148	150	162
8.	हिमाचल प्रदेश	300	258	300	258	600	768
9.	जम्मू कश्मीर	250	739	250	739	300	1447
10.	कर्नाटक	6000	17766	6000	17766	13000	21236
11.	केरल	5000	4699	5000	4695	7500	6606
12.	मध्य प्रदेश	25000	31449	25000	31449	40000	50638
13.	महाराष्ट्र	40000	62473	40000	62473	55000	51229
14.	मणिपुर	200	243	200	243	300	392
15.	मेघालय	50	23	50	23	80	162

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	50	43	50	43	80	36
17.	नागालैंड	100	53	100	53	150	981
18.	उड़ीसा	25000	99341	25000	99341	35000	57641
19.	पंजाब	900	1198	900	1198	1200	1250
20.	राजस्थान	1000	3037	1000	3037	2000	2748
21.	सिक्किम	50	39	50	39	80	51
22.	तमिलनाडु	55000	29649	55000	28623	60000	43205
23.	त्रिपुरा	1000	201	1000	201	1600	481
24.	उत्तर प्रदेश	50000	55859	50000	56044	65000	63549
25.	प. बंगाल	25000	38134	25000	38134	45000	60199
26.	अ.नि. द्वीप	80	90	80	90	100	120
27.	चंडीगढ़	100	260	100	260	150	353
28	दा. ना. हवेली	100	180	100	180	150	263
29.	दमण दीव	50	124	50	124	75	178
30.	दिल्ली	200	2170	200	2170	250	2304
31.	लक्षद्वीप	30	0	30	0	50	0
32.	पांडिचेरी	300	513	300	513	400	678
	कुल	323640	524411	323640	522309	431215	549975

टी. : लक्ष्य

ए. : उपलब्धियां

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1997-98

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	पता लगाए गए नए क्षय रोगी		जांचे गए थूक की संख्या		पॉजीटिव स्लीपर संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	98496	74137	1094400	259165	36480	23278
2.	अरूणाचल प्रदेश	1374	3801	15270	9367	509	495
3.	असम	33952	18625	377250	4850	12575	114
4.	बिहार	127805	11133	1420050	35731	47335	3732
5.	गोवा	1844	2810	20490	14069	5683	1315
6.	गुजरात	62369	104625	692985	346153	23100	44421
7.	हरियाणा	25530	37668	283665	52380	9456	1793
8.	हिमाचल प्रदेश	7893	5347	87705	26964	2924	2499
9.	जम्मू कश्मीर	11734	26993	130380	22356	4346	1056
10.	कर्नाटक	67582	78883	750900	224618	25030	19834
11.	केरल	42314	19711	470160	105439	15672	10279
12.	मध्य प्रदेश	101487	77045	1137190	478021	37773	26433
13.	महाराष्ट्र	118639	202299	1318215	1021653	43941	82875
14.	मणिपुर	2908	3469	32310	3233	1077	714
15.	मेघालय	2809	3060	31215	286	1041	41
16.	मिजोरम	1098	1332	12195	4707	407	134

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	1934	1626	21495	1707	717	168
18.	उड़ीसा	47014	24912	522375	75103	17413	2678
19.	पंजाब	30652	42121	340575	126258	11353	11861
20.	राजस्थान	68475	46071	760830	73018	25361	6319
21.	सिक्किम	645	1861	7170	11787	239	559
22.	तमिलनाडु	81128	114165	901425	531204	30048	27513
23.	त्रिपुरा	4366	2601	48510	10477	1617	531
24.	उत्तर प्रदेश	215478	289431	2394195	848148	79807	59222
25.	प. बंगाल	102287	66018	1136520	72046	37884	8858
26.	अ.नि. द्वीप	446	711	4950	3213	165	267
27.	चंडीगढ़	1023	1819	11370	777	379	574
28.	दा. नागर हवेली	220	506	2443	1849	82	–
29.	दमन द्वीव	161	–	1785	–	60	–
30.	दिल्ली	13500	43313	150000	128993	5000	13160
31.	लक्षद्वीप	82	145	915	363	31	–
32.	पांडिचेरी	1281	3417	14235	24132	475	1198
	कुल	1277026	1309681	14189175	4359467	472973	351921
			102%		30.7%		74.4%

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य का नाम	सरकारी रक्त बैंक	धर्मादा/स्वै. रक्त बैंक	कुल	बी.सी.एस.एफ.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	54	6	60	1
2.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2	–	2	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	5	1	6	–
4.	असम	18	--	18	–
5.	बिहार	49	2	51	3
6.	दिल्ली	14	–	14	4
7.	दा. नागर हवेली	1	–	1	–
8.	दमण और दीव	1	–	1	–
9.	गुजरात	48	7	55	4
10.	गोवा	2	1	3	–
11.	हरियाणा	17	1	18	1
12.	हिमाचल प्रदेश	9	–	9	–
13.	जम्मू कश्मीर	13	–	13	1
14.	कर्नाटक	42	10	52	1
15.	केरल	28	7	35	4
16.	लक्षद्वीप	1	–	1	–
17.	महाराष्ट्र	65	6	71	6

1	2	3	4	5	6
18.	मणिपुर	–	–	3	–
19.	मध्य प्रदेश	49	–	49	3
20.	मेघालय	3	–	3	–
21.	मिजोरम	4	–	4	–
22.	नागालैंड	3	–	3	–
23.	उड़ीसा	17	28	45	–
24.	पंजाब	22	10	32	1
25.	पांडिचेरी	2	–	2	–
26.	राजस्थान	17	1	18	1
27.	सिक्किम	2	–	2	–
28.	तमिलनाडु	88	5	93	3
29.	उत्तर प्रदेश	68	–	68	6
30.	त्रिपुरा	6	–	6	–
31.	पश्चिम बंगाल	71	3	74	1
32.	चंडीगढ़ प्रशासन	3	–	3	–
	कुल	727	88	815	40

स्रोत : कंट्री सिनेरियो, एन अपडेट

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, दिसम्बर, 1996

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

1530. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां जापान में रेनकोजी मंदिर में रखी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनकी अस्थियां विसर्जित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जिन में नेताजी गायब हुए थे और तदान्तर विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, नये सिरे से जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) शाह नवाज खान समिति और खोसला जांच आयोग के निष्कर्षों के अनुसार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां, जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। नेता जी की अस्थियों को भारत लाने के मुद्दे पर, सरकार द्वारा फिलहाल यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

(घ) और (ङ) शाह नवाज खान समिति और खोसला जांच आयोग के निष्कर्षों तथा इस मुद्दे पर उसके बाद की सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अब तक यह महसूस किया गया है कि एक और जांच करवाने से कोई लाभ नहीं होगा। तथापि, एक रिट याचिका संख्या 281/98 दिनांक 30.4.98 के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हाल में एक फैसला सुनाया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को एक विशिष्ट मामलों के रूप में, यदि आवश्यक हो, तो कानून के अनुसार एक जांच आयोग गठित करके एक व्यापक जांच शुरू करवाने का निर्देश दिया गया है ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके। आदेश की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्रमिकों का निर्यात

1531. श्री अरविंद कांबले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के साथ हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत इन देशों में श्रमिकों को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं के बारे में इस समझौते में किए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों में इन श्रमिकों को भेजा जाएगा; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) जब कि सरकार ने ठेकागत विदेशी रोजगार के लिए भारतीय कर्मकारों को भेजे जाने के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है, फिर भी उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों से उत्प्रवास क्लीयरेंस प्राप्त करके प्रत्येक वर्ष लगभग 4.15 लाख भारतीय कर्मकार कार्य के लिए दूसरे देशों का उत्प्रवास करते हैं। उत्प्रवास क्लीयरेंस प्रदान करने से पहले उत्प्रवास संरक्षी रोजगार दस्तावेजों की विस्तृत जांच-पड़ताल करते हैं और स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करते हैं कि प्रस्तावित मजदूरी और प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, मानदण्डों के अनुरूप हैं। विदेशों में पहुंचने पर, कर्मकार कभी-कभी इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं जैसे विदेशी नियोक्ताओं द्वारा उन्हें प्राप्त न किया जाना और उन्हें रोका जाना, उनका अहित करके उनके कार्य करार में परिवर्तन कर देना, वेतन की अदायगी न किया जाना/विलम्ब से किया जाना, अच्छी कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं का न होना, विदेशी निग्रोक्ता द्वारा प्रताड़ित किया जाना आदि। इन समस्याओं का संबंधित विदेशी भारतीय मिशनों की सहायता से निराकरण किया जाता है। स्थानीय एजेन्टों, जिन्होंने भर्ती की थी, को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे विदेशी नियोक्ता से संपर्क करें तथा कर्मकारों की समस्याओं का हल कराएं। उस स्थिति में जब स्थानीय एजेन्ट सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते, उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन/रद्द करने के संबंध में और/या उनकी बैंक गारंटी हड़पे जाने के संबंध में कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गेहूं को लाने-ले जाने पर रोक

1532. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं और दूसरी अनिवार्य वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर लगी रोक के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं को लाने-ले जाने पर रोक लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) आपूर्ति में वृद्धि करने और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हाल ही में कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें से एक उपाय के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया था कि वे आवश्यक वस्तुओं के संचलन पर अनौपचारिक प्रतिबंध, यदि कोई हो, सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाए ताकि आवश्यक वस्तुओं की सुगम उपलब्धता (फ्री-फ्लो) को सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं, धान, लेवी-मुक्त चावल, मोटे अनाज और दालें) के अंतर-राज्य और अंत:राज्य संचलन के लिए सम्पूर्ण देश को एक खाद्य जोन के रूप में माना जाता है। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल की सरकारों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्यान्नों के संचलन संबंधी सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। वसूली को अधिकतम करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार तस्करी को रोकने के लिए इन तीनों राज्यों ने चावल/धान के अंतर-राज्य संचलन पर कुछ प्रतिबंध बरकरार रखे हैं।

दिसम्बर, 1996 में गेहूं और इसके उत्पादों के खुले बाजार मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की दृष्टि में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया था कि वे गेहूं और इसके उत्पादों की लाइसेंसिंग और स्टाक रखने संबंधी सीमा को पुन: लागू करें। लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस संबंध में कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

प्याज के लिए शीतागारों की कमी

1533. श्री विट्ठल तुपे :
श्री माधवराव पाटिल :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में शीतागारों की राज्यवार तथा क्षमतावार संख्या क्या है;

(ख) क्या मुख्य रूप से शीतागारों की कमी के कारण प्याज, सब्जियों तथा फलों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) और अधिक शीतागार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) देश में राज्यवार और क्षमतावार कुल शीत भण्डारों की कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्याज, सब्जियों और फलों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: शीत भण्डारों की सुविधा की कमी के कारण नहीं हुई है बल्कि इसका कारण उनके उत्पादन में कमी होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता न होने के कारण उनका आयात नहीं किया जा सकना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

देश में शीत भण्डारों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शीत भण्डारों की सं.	क्षमता	
		घन मी. में	मीट्रिक टन में
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	132	660025	216492
असम	04	26628	8784
बिहार	192	1262656	414151
गुजरात	214	941096	308680
गोवा	29	7623	2500
हिमाचल प्रदेश	13	29313	9615

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	20	63883	20954
केरल	141	71666	23506
कर्नाटक	90	72401	23748
महाराष्ट्र	366	606907	199066
मध्य प्रदेश	132	853248	279865
नागालैण्ड	01	3504	1149
उड़ीसा	50	304008	99715
राजस्थान	50	205175	67297
तमिलनाडु	105	112666	36954
त्रिपुरा	03	13044	4278
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (सं.रा.क्षे.)	02	618	203
चण्डीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	12	56059	18387
दिल्ली	104	393924	129207
लक्षद्वीप	01	111	36
पाण्डिचेरी	05	612	201
उत्तर प्रदेश	954	14196228	4656363
पंजाब	356	2459292	806648
पश्चिम बंगाल	291	3498384	2787470
हरियाणा	176	725218	237871
कुल	3443	26564299	10353090

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग

[अनुवाद]

मिलावटी खाद्य पदार्थों पर श्वेत पत्र

1534. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मिलावटी खाद्य पदार्थों के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं की कमी

1535. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवश्यक खादय वस्तुओं की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) देश में किन आवश्यक वस्तुओं की कमी रही और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इन वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) दालों, खाद्य तेलों जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं और प्याज जैसी सब्जियों की

कमी के कुछ कारण प्रतिकूल जलवायु जन्य परिस्थितियों के कारण इन वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट होना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इनका आयात नहीं किया जा सकना है।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और उन्हें स्थिर बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के कुछ दीर्घकालिक उपायों के अतिरिक्त दालों और प्याज जैसी कम आपूर्ति की मदों के आयात को शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है तथा खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि इन मदों की समग्र उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। प्याज और आलू के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। चावल, गेहूं, पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर आपूर्ति की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जमाखोरों, चोर बाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1536. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के उद्देश्य और कारण क्या हैं;

(ख) भारतीय चीनी मिल संघ भारतीय चीनी मिल फेडरेशन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों की पिराई और प्रसंस्करण क्षमता की अनुपलब्धता के कारण कितने गन्ने की पिराई नहीं की जा सकी?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय इस उद्देश्य से लिया है ताकि उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल सके जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

(ख) भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) और भारतीय चीनी मिल फेडरेशन ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने संबंधी सरकार के निर्णय के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, भारतीय चीनी मिल फेडरेशन ने साधारण सभा की 23.10.98 को आयोजित 30वीं वार्षिक बैठक में अध्यक्ष के भाषण में चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त किये जाने का विरोध किया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मौसम 1995-96 में 13.68 लाख टन गन्ना बिना पिराई में पड़ा रहा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित किसानों को 5,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया। 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य द्वारा इस प्रकार के मामले की कोई सूचना नहीं दी गई थी।

[हिन्दी]

नागा नेताओं के साथ वार्ता

1537. **श्री मोतीलाल वोरा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान नागा उग्रवादियों के साथ उनकी वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तो किन विषयों पर बातचीत हुई तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मुक्ता-पन्ना खानों में जांच

1538. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय ने मुक्ता-पन्ना खानों में जांच के मामले में कोई निदेश दिए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके उक्त खान को 25 वर्षों के लिए रिलायंस और "इरकॉन" को संयुक्त रूप से पट्टे पर दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) यह मामला फिलहाल न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में भंडारी समुदाय को शामिल किया जाना

1539. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भंडारी तथा अन्य समुदायों को केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सूचीबद्ध भंडारी समुदाय मंडल आयोग रिपोर्ट में शामिल था; और

(ग) कब तक इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) भंडारी जाति/समुदाय "नयीन्दा" शीर्षक के अंतर्गत अन्य जातियों के साथ कर्नाटक राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की सूचीं में क्रम संख्या 165 पर है। इस जाति को मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में भी शामिल किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी एक सलाह भेजी है जिसमें भंडारी जाति/समुदाय को कर्नाटक की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में एक अलग प्रविष्टि के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर विचार किया जा रहा है।

आदिवासी विकास का महाराष्ट्र माडल

1540. श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी विकास का महाराष्ट्र माडल सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों द्वारा आदिवासी विकास का महाराष्ट्र माडल स्वीकार किया गया है;

(ग) चूककर्ता राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए पृथक बढ़ाई गई योजना सीमा नीयत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आदिवासी विकास के महाराष्ट्र मॉडल को हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा दमन व दीव राज्यों में अपनाया गया है।

(ग) अधिकांश शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे महाराष्ट्र मॉडल कुछ विशेषताओं को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। इस मॉडल को अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्य मंत्रियों को पत्रों के माध्यम से तथा आदिवासी/समाज कल्याण सचिवों की बैठकों में अनुरोध किया जा रहा है। प्रयास जारी रखे जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बाल श्रम

1541. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम और बाल शिक्षु के बीच कोई अन्तर हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस तरह श्रेणीबद्ध किया जाता है;

(ग) देश में श्रमजीवी बच्चों के विकास के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना बनाई गई हैं; और

(घ) बाल श्रम के संबंध में लागू की गई योजनाओं में से कितनी योजनाओं की समीक्षा की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, बाल श्रमिक तथा बाल प्रशिक्षु में कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। तथापि, बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रमों में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वैच्छिक संगठन सहायता अनुदान नामक दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत, जिला स्तर पर परियोजना समितियों को धन दिया जाता है, जो अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल आदि की व्यवस्था वाले विशेष विद्यालय चलाते हैं। अब तक, 1.5 लाख बच्चों को योजना के दायरे में लाने के लिए, 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है।

सहायता अनुदान योजना के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सक्रिय परियोजनाएं चलाने के वास्ते धन दिया जाता है। योजना के तहत, 1997-98 के दौरान 64 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।

(घ) बाल श्रमिकों के लिए योजनाओं के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के नियमित रूप से अनुवीक्षण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवधिक समीक्षाएं की जा रही है।

[अनुवाद]

बेरोजगार नि:शक्त व्यक्ति

1542. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रेणी-वार कितने निश:क्त व्यक्ति हैं;

(ख) क्या निशक्तता अधिनियम, 1995 के कुछ उपबंधों को अभी लागू किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अधिनियम के सभी उपबंधों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है।

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) 1991 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, देश में गतिक, सुनने, बोलने तथा दृष्टि संबंधी अपंगों की संख्या का अनुपात 16.15 मिलियन था जो कुल जनसंख्या के लगभग 1.9% था। श्रेणी-वार वितरण निम्न प्रकार था:-

(लाख में)

1.	गतिक अपंगता	89.39
2.	दृष्टि विकास संबंधी अपंगता	40.05
3.	श्रवण अपंगता (पांच वर्ष तथा उससे अधिक)	32.42
4.	वाणी विकास संबंधी अपंगता (पांच वर्ष तथा उससे अधिक)	19.66
5.	विविध प्रकार की अपंगता	19.98

मानसिक रूप से अपंगों के संबंध में, 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 1990-91 में एन.एस.एस.ओ. द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि 3% के लगभग विलम्बित मानसिक विकास के कारण पीड़ित हैं।

(ख) से (घ) अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहयोग) अधिनियम, 1995, 7.2.1996 से प्रभावी है। अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बहु-क्षेत्र दृष्टिकोण समाविष्ट हैं तथा इस उद्देश्य के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

1543. श्री राजपाल उपाध्याय :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गरीबी के कारणवश माता-पिता को अपने बच्चों को श्रमिकों के रूप में काम पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का बाल श्रमिकों के माता-पिता को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मासिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस योजना पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) बाल श्रम एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक व्यापक बहुआयामी रणनीति शुरू की है। 1987 में सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की थी जिसमें बल श्रम से संबंधित कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन किए जाने, बाल श्रमिकों के माता-पिता के लाभ के लिए सेवाओं का अभिकेन्द्रीकरण ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने की परिकल्पना की गई है। अभी तक बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें 1.5 लाख बालकों को शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यकलाप अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख और प्रति बालक प्रतिमाह 100/- की दर से वृत्तिका, ताकि उनकी उपार्जन क्षति को पूरा किया जाए, प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। परियोजना में शामिल किए गए बाल श्रमिकों के माता-पिता को चालू निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जाने की आशा है ताकि उनके आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके और वे अपने बालकों को कार्य पर भेजने के बजाए स्कूलों में भेजने में समर्थ हो सकें।

वर्ष 1997-98 के लिए बाल श्रम योजनाओं पर कुल व्यय 1317.76 करोड़ रुपये था। योजनाओं के लिए वार्षिक आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित रूप में हैं।

[अनुवाद]

नाफ्था का आवंटन

1544. श्री डी.एस. अहिरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में कुल कितने नाफ्था का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष रिलायंस को कितना और किस दर पर नाफ्था आबंटित किया गया था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रिलायंस द्वारा उन्हें जिन-जिन उप एजेंसियों को बेचा गया/आबंटित किया गया उनका ब्यौरा क्या है और इसे किस दर पर बेचा गया है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नाफ्था के कुल उत्पादन में वर्ष-वार ब्यौरे निम्नवत् हैं:

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

1995-96	6390
1996-97	6389
1997-98	6196
योग	18975

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा रिलायंस को इस मंत्रालय द्वारा नियत प्रशासित मूल्य निर्धारण पर नाफ्था की निम्नांकित मात्राओं की आपूर्ति की गई थी:-

(आंकड़े हजार टन में)

1995-96	221.5
1996-97	356.8
1997-98	368.0

(ग) और (घ) तेल कंपनियों द्वारा मैसर्स रिलायंस को नाफ्था की आपूर्तियां उनके पातालगंगा एवं हजीरा स्थित पेट्रोरसायन संयंत्रों में निजी उपयोग के लिए की गई थी। वे आगे इसे किसी और को नहीं बेच सकते हैं।

रसोई गैस कनेक्शन

1545. श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री टी.आर. बालू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) देश में 1997 के दौरान तत्काल योजना के अंतर्गत ऐसे कितने कनेक्शन जारी किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने 1998-99 के दौरान 35 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन और 25 लाख दोहरे सिलेंडर वाले कनेक्शन जारी करने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) 1997-98 के दौरान देश में तत्काल योजना के अंतर्गत जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या 4.21 लाख थी।

15-सूत्री कार्यक्रम

1546. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा, करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यकों को समाहित करने के लिए अल्पसंख्यकों संबंधी 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सचल पंजीकरण शिविर आयोजित करने और रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी की तलाश में लगे अल्पसंख्यक लोगों को पंजीकरण और नियोजन में प्रगति की निगरानी करने हेतु निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यवार उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन-कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने शिविर लगाये गए और कौन-कौन से राज्य इन शिविरों को लगाने में असफल हुए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने रोजगार तलाश करने वाले लोग पंजीकृत किए गए, कितने लोग नियोजित किए गए और कितने लोग भेजे गए; और

(च) देश में उपरोक्त कार्यालय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय/राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं के अल्पसंख्यकों के पूरी तरह एकीकरण के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री जी के 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि रोजगार कार्यालयों में नामों के पंजीकरण एवं प्रायोजित करने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों को उनके पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में प्रगति को मानीटर करने के लिए मानीटरिंग सैल सृजित करने के लिए सलाह दी गई है उनको अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सचल पंजीकरण शिविर आयोजित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालयों को अनुदेश देने की सलाह भी दी गई है।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) विवरण-I और II संलग्न है।

(च) राज्य सरकारों को अनुदेश पहले ही जारी किए गए हैं।

विवरण-I

चालू रजिस्टर में नौकरी तलाशने वालों की राज्यवार संख्या तथा 1995 से 1997 तक के दौरान किया गया नियोजन

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में नौकरी तलाशने वालों की कुल संख्या		
		1995	1996	1997
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2733.0	2937.6	3087.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.4	7.0	10.8
3.	असम	1246.8	1296.0	1475.0
4.	बिहार	3738.0	3465.5	3351.3
5.	गोवा	107.6	102.7	109.0

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	912.2	931.3	942.3
7.	हरियाणा	697.7	756.3	787.1
8.	हिमाचल प्रदेश	579.7	638.4	718.3
9.	जम्मू-कश्मीर	144.4	152.9	164.7
10.	कर्नाटक	1754.8	1808.5	1831.6
11.	केरल	3453.8	3274.1	3531.8
12.	मध्य प्रदेश	2183.8	2293.6	2377.4
13.	महाराष्ट्र	3634.0	3815.9	3923.5
14.	मणिपुर	268.8	292.1	318.1
15.	मेघालय	27.6	28.0	34.4
16.	मिजोरम	45.7	48.8	67.9
17.	नागालैंड	20.7	20.6	21.7
18.	उड़ीसा	906.9	963.5	977.3
19.	पंजाब	505.6	540.0	580.6
20.	राजस्थान	803.0	886.9	873.8
21.	सिक्किम*			
22.	तमिलनाडु	3490.5	3607.7	3896.1
23.	त्रिपुरा	204.6	205.9	212.5
24.	उत्तर प्रदेश	2514.5	2491.6	2696.8
25.	पश्चिम बंगाल	5383.2	5468.8	5739.0
26.	अंडमान और निकोबार	20.2	21.6	25.0
27.	चंडीगढ़	153.2	139.7	124.7
28.	दादर नगर हवेली	4.5	5.0	5.5
29.	दिल्ली	1033.8	1081.2	1097.4
30.	दमन और दीव	4.6	5.0	5.5
31.	लक्षद्वीप	9.4	9.7	8.8
32.	पांडिचेरी	151.4	133.8	144.5
	कुल	36742.3	37429.6	39139.9

*नोट : 1. इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. योग पूरा मानने के कारण मेल नहीं खाता है।

विवरण-II

रोजगार कार्यालयों का कार्य निष्पादन

(हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजन			प्रस्तुत करना		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	17.5	13.8	18.0	422.2	402.4	364.3
2. अरूणाचल प्रदेश	@	@	@	1.0	2.1	1.4
3. असम	2.5	2.0	3.0	64.9	41.7	41.1
4. बिहार	15.0	13.3	6.9	308.6	111.7	121.6
5. गोवा	0.4	1.1	1.7	26.6	67.8	65.0
6. गुजरात	37.8	40.0	65.4	185.5	260.8	235.4
7. हरियाणा	8.3	16.6	17.7	91.9	81.9	83.5
8. हिमाचल प्रदेश	5.5	4.2	3.9	196.8	141.1	182.2
9. जे. एंड के.	0.2	0.1	0.1	5.5	6.3	7.4
10. कर्नाटक	12.6	17.4	26.9	187.6	203.9	230.44
11. केरल	17.1	16.2	18.2	182.9	196.7	241.0
12. मध्य प्रदेश	13.9	13.9	8.8	99.1	102.2	82.3
13. महाराष्ट्र	16.9	21.2	20.4	509.3	495.3	564.5
14. मणिपुर	0.1	0.6	0.4	15.4	61.6	122.7
15. मेघालय	0.2	0.2	0.2	7.0	6.7	4.5

1		2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	0.2	0.3	0.4	17.5	12.6	17.1
17.	नागालैंड	0.1	0.1	0.1	1.8	1.9	2.5
18.	उड़ीसा	3.6	4.6	8.7	155.6	186.6	139.8
19.	पंजाब	3.3	3.1	3.8	69.8	118.4	80.7
20.	राजस्थान	8.5	11.0	9.1	141.0	210.7	88.3
21.	सिक्किम*						
22.	तमिलनाडु	13.9	21.5	29.3	288.3	320.3	424.1
23.	त्रिपुरा	0.5	0.5	@	10.4	27.3	7.3
24.	उत्तर प्रदेश	9.9	10.6	9.3	207.0	171.5	207.2
25.	पश्चिम बंगाल	8.6	9.6	8.8	201.1	221.4	264.7
संघ राज्य क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.6	0.2	0.3	3.6	2.4	3.8
27.	चंडीगढ़	0.6	0.7	0.9	12.7	11.1	14.5
28.	दादर और नगर हवेली	@	@	@	1.7	2.4	1.6
29.	दिल्ली	16.9	10.9	12.3	133.3	120.2	162.3
30.	दमन और द्वीव	@	@	@	3.2	4.1	5.6
31.	लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.9
32.	पांडिचेरी	0.4	0.1	0.2	17.1	12.5	17.3
	कुल	214.9	233.0	275.0	3569.9	3605.9	3767.8

नोट : 1. *राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. @50 से कम आंकड़े।

3. आंकड़े पूरा मानने के कारण कुल में नहीं जोड़े जा सकते हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल

1547. श्री तेजवीर सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार कितने आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों को राज्य-वार प्रतिवर्ष कितनी अनुदान सहायता दी गयी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एक नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1.4.98 को आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों और अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों को प्रदान किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आयुर्वेदिक अस्पतालों को कोई अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि वे राज्य सरकारों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1.4.1998 को देश में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों और अस्पताल की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यों के नाम	मेडिकल कालेज	अस्पताल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	1	2
4.	बिहार	9	10
5.	दिल्ली	1	8
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	9 + (1)	48
8.	हरियाणा	4	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1	16
10.	जम्मू व कश्मीर	–	1
11.	कर्नाटक	40	80
12.	केरल	8	111
13.	मध्य प्रदेश	8	41
14.	महाराष्ट्र	37	38
15.	मणिपुर	–	–
16.	मेघालय	–	–
17.	मिजोरम	–	–
18.	नागालैंड	–	–
19.	उड़ीसा	4	9
20.	पंजाब	8	10
21.	राजस्थान	5	106

1	2	3	4
22.	सिक्किम	–	1
23.	तमिलनाडु	3	4
24.	त्रिपुरा	–	1
25.	उत्तर प्रदेश	12+(1)	1678
26.	पश्चिम बंगाल	1+(1)	3
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–
28.	चण्डीगढ़	1	1
29.	दादर एवं नगर हवेली	–	–
30.	दमन एवं द्वीव	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–
33.	सी.जी.एच.एस.	–	1
34.	केन्द्र अनुसंधान कॉउंसिल	–	20
	कुल	154*+(3)	2203

नोट : शून्य सूचना

सरकारी स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों के अधीन आने वाले अस्पताल शामिल हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को चलाने वाले कालेजों की संख्या है।

*स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले 30 कालेज भी शामिल है।

अस्पताल के बारे में 1.4.1998 की सूचना केवल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दमन और द्वीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी से ही प्राप्त हुई है।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-II

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के मौजूदा स्नातक कालेजों में सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक कालेजों को सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	12.65	–	–
2.	असम	20.00	–	–
3.	बिहार	–	6.00	–
4.	गुजरात	–	4.25	10.00
5.	हरियाणा	20.00	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	4.00	–	–
7.	कर्नाटक	14.70	9.00	5.00
8.	केरल	26.00	–	16.00
9.	मध्य प्रदेश	20.00	–	14.35
10.	महाराष्ट्र	99.92	106.53	67.00
11.	दिल्ली	–	–	11.00
12.	उड़ीसा	10.00	–	11.00
13.	पंजाब	–	10.00	–
14.	राजस्थान	10.00	–	4.63
15.	तमिलनाडु	–	–	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	–	20.00
17.	पश्चिम बंगाल	–	–	–

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी कार्मिकों के पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक कालेजों को सहायता अनुदान

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30000.00	277620.00	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	110950.00
3.	असम	–	–	221900.00
4.	बिहार	–	–	110950.00
5.	चण्डीगढ़	–	110950.00	–
6.	गुजरात	60000.00	555240.00	221900.00
7.	हरियाणा	–	–	332850.00
8.	हिमाचल प्रदेश	34500.00	221900.00	796530.00
9.	कर्नाटक	120000.0	471660.00	602810.00
10.	केरल	101500.0	416430.00	777140.00
11.	मध्य प्रदेश	34500.00	221900.00	638740.00
12.	महाराष्ट्र	286000.0	862110.00	1165220.00
13.	मेघालय	–	–	110950.00
14.	दिल्ली	–	249760.00	846560.00
15.	उड़ीसा	–	110950.00	237910.00
16.	पंजाब	–	–	249760.00
17.	राजस्थान	34500.00	499520.00	–
18.	तमिलनाडु	–	–	–
19.	त्रिपुरा	–	–	110950.00
20.	उत्तर प्रदेश	148000.00	804510.00	781620.00
21.	पश्चिम बंगाल	60000.00	110950.00	–

नोट : इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के सरकारी/अर्ध-सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों को अस्पताल प्रशासन में तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक को 51000/- रुपए भी शामिल हैं.

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभागों के उन्नयन के लिए स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेजों को सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	5.00
2.	असम	–	–	8.88
3.	हिमाचल प्रदेश	–	–	14.64
4.	उड़ीसा	–	–	12.70
5.	कर्नाटक	2.00	–	16.98

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981

1548. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने/उसे समाप्त करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम में बनाए रखे जाने वाले उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 की अवधि 31.8.97 को समाप्त हो गई है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातों जैसे विशेष न्यायालय गठित करना, संक्षिप्त विचारण आदि को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 में बनाए रखा गया है। समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम में कैमिस्टों की नियुक्ति

1549. श्रीमती कमल रानी :
श्री अशोक प्रधान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** दिनांक 2.6.98 के अतारांकित प्रश्न सं. 932 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, देहरादून ने उच्चतम न्यायालय की 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 860 के अनुसरण में कैमिस्टों के आरक्षित पदों पर नियुक्ति की है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) रिट याचिका में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए ओ.एन.जी.सी. द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा उक्त पद के लिए याचिकाकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया है। चयन का कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।

हृदय रोगियों के लिए महंगा उपचार

1550. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदय और वाल्व संबंधी बीमारियों में वृद्धि हो रही है तथा निर्धन लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार नहीं करा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाइयां एवं वाल्वों का आयात किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उपचार अत्यधिक महंगा हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हृदय वाल्व तथा दवाइयों को देश में ही बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस तरह की बीमारियों के उपचार की कीमत मुंबई के चिकित्सालयों में बहुत कम है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार, इन दिनों महंगी दवाइयों के कारण इन बीमारियों के उपचार में निर्धन लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखने का है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धन लोगों को सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सस्ता या मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) हृदय वाल्व संबंधी बीमारियों में वृद्धि हो रही है। तथापि निर्धन लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपचार करवा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां। औषधियां और वाल्व आयात किये जाते हैं जिससे उपचार की लागत बढ़ जाती है। इस वाल्व की कीमत लगभग 38,000/ रुपये (केवल अड़तीस हजार रुपये) है। तथापि, जब कभी भी सम्भव होता है, केडेवर से एकत्र किए गए होमोग्राफ्ट वाल्वों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है और होमोग्राफ्ट वाल्व की कीमत लगभग 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये) है। यदि व्यवहार्य होता है तो यह संस्थान वाल्व रिपेयर सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम ने एक स्वदेशी हृदय वाल्व तैयार किया जिसे चित्रावाल्व के रूप में जाना जाता है। टी.टी.के. फार्मा ने चित्रावाल्व की प्रौद्योगिकी खरीद ली है जिसने इस वाल्व का उत्पादन और विपणन करना शुरू किया है। इस वाल्व की कीमत रोगी को लगभग 12,000/- रुपये पड़ती है।

(च) सरकार को इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) और (झ) ऐसे निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) तक की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी अस्पताल में उपचार/आपरेशन करवाने के लिए विशिष्टीकृत उपचार/महंगे शल्य चिकित्सीय आपरेशन का व्यय अंशत: चुकाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान अनुदान में से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते हैं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि की भी स्थापना की है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा जीवन को खतरे में डालने वाले प्रमुख रोगों से पीड़ित रोगियों के चिकित्सीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को भी इसी प्रकार बीमारी सहायता निधियां स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां पर उन्हें दिए गए परामर्श के आधार पर निधियां स्थापित की जाती हैं, से केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान रिलीज किया जायेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आपात विभाग में सभी रोगियों को क्रिया विधियों और जांचों सहित नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। औषधें इत्यादि खरीदने के लिए निर्धन रोगियों को "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निर्धन निधि" से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस का अपराधों में शामिल होना

1551. श्री सी.डी. गामीत :
श्री दत्ता मेघे :
श्रीमती रानी नरह :
श्री तारिक अनवर :
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कुछ पुलिस कर्मियों को अपराध में संलिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अपराध-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) दिल्ली में विशेषरूप से पश्चिम और दक्षिणी दिल्ली में उन लंबित प्राथमिकियों की संख्या कितनी है जिन पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है;

(ङ) इन प्राथमिकियों के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(च) ऐसे प्रतिष्ठानों से अपराध समाप्त करने के लिए सरकार का क्या निवारक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या कुछ मामलों में पुलिस कर्मियों ने अपराध पीड़ियों के साथ उदासीनता दिखाई है और समय पर प्राथमिकी दर्ज करने से भी इन्कार किया है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) केन्द्र सरकार ने गैर-जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डिस्पोजेबल सिरिंज का पुन: प्रयोग किया जाना

1552. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक प्रकार की निगरानी और संतुलित पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के बावजूद डिस्पोजेबल सिरिंज को पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे संक्रमण फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो डिस्पोजेबल सिरिंज के पुन: प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में अस्पताल के कचरे को पुन: प्रयोग में लाए जाने की रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजों को एक बार उपयोग के पश्चात् सिरिंज डेस्ट्रोयरों और नीड्ल शरेडरों से अथवा उन्हें भस्मकों में नष्ट किया जाना अपेक्षित होता है। उन्हें नष्ट किए जाने से पहले ब्लीच घोल अथवा अन्य संक्रमण दूर करने वाले घोल की सहायता से उपयुक्त विसंक्रमण क्रियाविधियां सम्पन्न की जानी होती हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थापनों को अस्पताल संक्रमण नियंत्रण संबंधी उपायों और प्रयोग में लाई गई सिरिंजों और सुईयों का उपयुक्त निपटान करने के बारे में दिशानिर्देश परिचालित कर दिए गए हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजों इत्यादि के पुन: प्रयोग को रोकने के लिए सरकार ने जैव-चिकित्सीय कचरे (प्रबंध एवं निपटान) नियम, 1998 को अधिसूचित कर दिया है।

[हिन्दी]

आपराधिक घटनाओं में वृद्धि

1553. डा. शकील अहमद :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में अपराध-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध तथा आतंकवादी गतिविधियों सहित अपराध का तुलनात्मक विवरण क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कितने अपराध हुए;

(घ) इन अपराधों/आतंकवादी गतिविधियों के कारण कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए तथा कितने दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ङ) क्या सरकार को इन अपराधों में पड़ोसी देशों के शामिल होने संबंधी प्रमाण प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित ऐसे अपराधों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) वर्ष 1998 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले वर्ष के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की संख्या 17,18,304 थी। वर्ष 1997 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अपराध दर (जनसंख्या के प्रति एक लाख पर मामले) 181.3 थी।

1998 के दौरान उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा के कारण मारे गए अथवा जख्मी हुई व्यक्तियों की संख्या दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले कुछ अपराधियों की गतिविधियां ध्यान में आई हैं।

भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं; तदनुसार, अपराधों की जांच करने और अपराधों का पता लगाने सहित अपराधों की रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों की पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है और समय-समय पर उन्हें सलाह भेजती है।

विवरण-I

1998 के दौरान विभिन्न भा.दं.सं. अपराध शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या की कोटी में न आने वाला अपराध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगे	आपराधिक न्याय भंग	धोखाधड़ी	जाली मुद्रा	अन्य भारतीय दण्ड संहिता अपराध	भा.द. संहिता के अन्तर्गत संज्ञेय कुल अपराधिक	टिप्पणी आंकड़े निम्न माह तक के हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	2004	875	47	543	817	331	558	4671	10075	2753	516	2307	53	51326	76633	अगस्त
2.	अरूणाचल प्रदेश	38	20	4	22	28	25	25	112	210	13	5	14	0	499	1813	जुलाई
3.	असम	879	103	33	417	681	562	661	2054	4159	1754	206	247	61	11337	23564	जुलाई
4.	बिहार				उ.न.												
5.	गोवा	32	20	3	12	20	8	62	432	675	97	25	68	4	961	2429	सितम्बर
6.	गुजरात	951	562	27	192	892	254	809	4051	12577	1298	827	692	425	55481	78948	अगस्त
7.	हरियाणा	634	692	88	258	396	48	261	2546	4565	652	278	922	18	16669	27619	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	103	61	4	91	129	3	10	579	547	460	61	85	2	6136	8271	सितम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	269	398	14	68	295	21	69	778	887	418	75	188	8	4823	8311	जून

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	कर्नाटक	1311	1141	44	166	484	202	883	6647	11599	5434	529	1320	34	52840	82504	सितम्बर
11.	केरल	273	358	29	351	120	64	170	2955	2325	3728	239	1496	34	48764	60914	अगस्त
12.	मध्य प्रदेश	2384	2117	293	2419	881	166	1217	12779	18361	2606	993	1287	200	97595	145709	सितम्बर
13.	महाराष्ट्र	2218	1032	124	809	933	464	2033	11464	33825	2508	1301	2641	955	74452	134239	सितम्बर
14.	मणिपुर	164	185	5	8	96	19	16	93	228	47	9	33	10	1166	1979	सितम्बर
15.	मेघालय	90	14	1	24	6	86	73	144	307	2	6	16	0	476	1248	अगस्त
16.	मिजोरम	26	7	3	50	5	13	15	329	710	2	25	71	8	444	1709	सितम्बर
17.	नागालैण्ड	61	13	3	11	32	21	116	132	224	7	10	32	2	350	1024	सितम्बर
18.	उड़ीसा	927	285	57	374	257	144	517	1690	3336	862	81	205	2	17350	25695	जून
19.	पंजाब	550	312	98	150	310	23	43	1044	1308	4	296	798	17	7630	12580	सितम्बर
20.	राजस्थान	1016	1339	47	909	2186	115	954	6460	12250	14705	639	4334	224	69493	114671	अगस्त
21.	सिक्किम	14	7	0	7	5	0	10	57	70	11	13	31	4	213	442	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	1304	1560	52	217	605	115	250	3007	11935	3227	363	969	129	32334	76400	अक्तूबर
23.	त्रिपुरा	197	36	2	61	166	55	88	336	312	225	14	18	160	1110	2790	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	उत्तर प्रदेश	6251	4085	764	861	2597	703	3394	5026	10670	4608	2091	2316	44	45817	99587	जुलाई
25.	पश्चिम बंगाल	1423	330	402	343	629	261	602	330	12291	4164	24	694	24	23584	45570	अगस्त
	कुल राज्य	22719	15868	2130	8563	12660	3703	12969	70417	161496	49585	8357	20704	2518	640650	1036533	
संघ शासित क्षेत्र																	
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	14	4	0	3	1	0	1	39	37	5	6	5	0	267	382	सितम्बर
27.	चंडीगढ़	8	8	2	8	20	3	2	91	417	32	9	46	0	370	1028	जुलाई
28.	दा. व. न. हवेली	15	4	2	5	5	5	3	47	55	77	8	2	0	161	389	सितम्बर
29.	दमन और द्वीव	4	2	0	0	0	1	1	13	10	12	1	0	0	56	130	सितम्बर
30.	दिल्ली	474	479	69	259	1107	38	607	2591	19234	151	519	1171	72	19689	46415	सितम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1	0	0	38	32	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	20	23	5	1	7	2	6	90	314	40	7	6	11	1663	2203	अक्तूबर
	कुल संघ शासित क्षेत्र	535	520	78	276	1140	49	620	2874	20077	325	551	1230	83	22244	50569	
	कुल अखिल भारतीय	23254	16388	2208	8839	13800	3752	13589	73291	181573	49910	8908	22014	2601	663094	1087102	

स्त्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अस्थाई हैं

उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या			
		मारे गए		जख्मी	
		सिविलियन	पुलिस कार्मिक	सिविलियन	पुलिस कार्मिक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81	3	3	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	2	1	10	2
4.	बिहार		उ.न.		
5.	गोवा	0	0	0	0
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	8	9	0	22
10.	कर्नाटक	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	0.
14.	मणिपुर	8	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	
19.	पंजाब	0	0	0	0	
20.	राजस्थान	0	0	0	0	
21.	सिक्किम	0	0	0	0	
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	
23.	त्रिपुरा	9	9	5	17	
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	
	कुल ''राज्य''	108	22	18	43	
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	
28.	दा.व ना. हवेली	0	0	0	0	
29.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	
30.	दिल्ली	0	0	0	0	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	
	कुल अखिल भारतीय	108	22	18	43	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आकड़े अस्थाई हैं।

उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कानून

1554. श्री के. येरननायडू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर कानूनों में परिवर्तन लाने की विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार शुरूआत हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) विधि आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराध संबंधी अपनी 43वीं रिपोर्ट वर्ष 1971 में प्रस्तुत की। अध्याय 7 के अंतर्गत, विद्रोही गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। आयोग ने रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-। के रूप में "राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1971" संलग्न किया जिसमें अध्याय 6 तथा 7 में विद्रोही गतिविधियों तथा विद्रोही संगठनों जैसे विषयों के बारे में प्रावधानों की सिफारिश की गई थी। विधि आयोग की उपरोक्त रिपोर्ट सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी। हाल में, विधि आयोग ने आतंकवाद से संबद्ध नियमों का अध्ययन नहीं सौंपा गया है। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 1995 जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए एक वैकल्पिक कानून बनाने का प्रावधान है, को मई, 1995 में, जब पूर्व आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1987 व्यपगत होने दिया गया था, को राज्य सभा में प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक पर राजनैतिक सहमति न होने के अभाव में यह विधेयक अभी तक लंबित पड़ा है।

[हिन्दी]

बुनियादी प्राथमिक सेवाओं संबंधी योजनाएं

1555. श्री ब्रजमोहन राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था को दक्ष एवं प्रभावी बनाने तथा महिलाओं, बालकों-बालिकाओं का जनजातीय लोगों के लिए बुनियादी प्राथमिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व बैंक से ऋण लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बिहार के वनांचल क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों की स्थापना करने के लिए जनांकिकी नियमों में आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में ढील दी गई है जो इस प्रकार हैं:

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000

समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं जैसी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) से (ङ) देश में पिछड़े क्षेत्रों में सुधरी हुई स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत जनसंख्या परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य दाता अभिकरणों से विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है। अक्तूबर, 1997 में सरकार ने देश में महिला तथा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत पिछड़े, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा रहे है। सभी पिछड़े जिलों बिहार के वनांचल क्षेत्र में शामिल जिलों सहित, को सहायक नर्स धात्री तथा विशेष रेफरल परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और मांग

1556. **श्री चन्द्रशेखर साहू :**
श्री मोहन सिंह :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और मांग के बीच काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस कमी को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम, कच्चे तेल और स्नेहकों का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन पदार्थों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और इससे मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा;

(ङ) क्या आयात के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु विदेशी ऋण लेने का भी प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस आयात से पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी मूल्य पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) अनुमोदित तेल अर्थ बजट 1998-99 में 32.792 एम.एम.टी. के स्वदेशी क्रूड उत्पादन और 67.858 एम.एम.टी. के क्रूड संसाधन पर 36.953 एम.एम.टी. कच्चे तेल और 23.266 एम.एम.टी. पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की व्यवस्था है। आयातों की मात्रा की अपेक्षाओं के आधार पर इंडियन आयल कार्पोरेशन पी.ओ.एल. के आयात के लिए नियमित आधार पर विदेशी ऋण उगाहती है। अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान आई.ओ.सी. ने 2481 मिलियन अमेरिकी डालर के अल्पावधि विदेशी वाणिज्यिक ऋण उगाहे। 1998-99 के अनुमोदित तेल अर्थ बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा जरूरत 8418.1 मिलियन अमेरिकी डालर की है।

(छ) सरकार ने चरणों में पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसके परिणामस्वरूप एम.एस., एस.के.ओ., एल.पी.जी., एच.एस.डी. और ए.टी.एफ. के अलावा सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए तेल कंपनियों को 1.4.1998 से बाजार परिस्थिति के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। एच.एस.डी. का उपभोक्ता मूल्य आयात समता आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ

1557. **श्री के.पी. मुनूसामी :**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री चेतन चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य देख-रेख व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर छः प्रतिशत किए जाने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसोसिएशन ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का भी सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, एसोसिएशन द्वारा दिए गए अन्य सुझाव क्या हैं;

(ङ) क्या ये कदम एन.एच.आर.सी. की सिफारिश के अनुरूप हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार मूल मानव अधिकारों में से एक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। विश्व विकास रिपोर्ट 1993 के अनुसार भारत स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करता है जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय तथा निजी क्षेत्र के व्यय दोनों का निरूपण करता है।

(ग) और (घ) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र खोलने, विशेष चिकित्सा संबंधी उपकरण आदि के

आयात के लिए सीमा शुल्क से छूट जैसे विभिन्न अन्य सुझाव दिए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार मानव के बुनियादी अधिकारों में से एक है। तथापि आयोग ने स्वास्थ्य के मानव अधिकार से जुड़े विशिष्ट मुद्दे जैसे मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में गुणवत्ता आश्वासन, गर्भवती महिलाओं में लौह की कमी, कुपोषण, अक्षम व्यक्तियों के अधिकार आदि उठाए हैं। ये विशिष्ट मुद्दे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सिफारिशों के अन्तर्गत कवर नहीं हैं।

(च) निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदायकों तथा अन्य लोगों के साथ कई बार विचार-विमर्श करने के बाद निजी क्षेत्र की सेवाओं का कारगर उपयोग करने के लिए सुस्पष्ट तथा अनुवर्त नीति तैयार करने के लिए प्रयास जारी रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में यू.एस.ए. तथा अन्य देशों में सामना की जा रही समस्याओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय के बीमा खंड के साथ विचार-विमर्श करके तीसरे पक्ष का बीमा शुरू करने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

पूर्व में दी गई चिकित्सा उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट तथा अस्पतालों के लिए रियायती दरों पर भूमि के आवंटन से गरीब रोगियों को वांछित लाभ नहीं मिले हैं।

उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यदि सामाजिक क्षेत्रों को अवसंरचना वाले क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है तो, अवसंरचना वाले उद्योगों के साथ अस्पतालों की समानता से अवसंरचना वाले उद्योगों पर दिया जाने वाला बल कम हो जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य संगठनों द्वारा विशेषज्ञों पराचिकित्सकों तथा नर्सों की अनुपलब्धता तथा निवेश पर कम लाभ जैसी अनेक अड़चनों के कारण पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की सम्भावना नहीं है।

बाल वेश्यावृत्ति

1558. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री मोइनुल हसन अहमद :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैसा कमाने के लिए बाल वेश्यावृत्ति में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देह व्यापार में लिप्त नाबालिग बच्चों सहित वेश्यावृत्ति करने वालों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत क्या हैं;

(ग) क्या वेश्यावृत्ति में लिप्त नाबालिग लड़कियों और अन्य के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में लाने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल सुरक्षा/सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

1559. श्री नरेन्द्र बुडानिया :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक बाल उत्तर जीविता/सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत राज्यों को धन के आवंटन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1997-98 के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के शुरू होने के फलस्वरूप शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को अब प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है तथा इसलिए चालू वर्ष के दौरान शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए अलग से धन का आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत कवर किए गए मुख्य कार्यक्रमों में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पौषणिक रक्ताल्पता से बचाव, विटामिन "ए" कमी से बचाव,

मुखीय पुनर्जलीकरण उपचार कार्यक्रम, तीव्र श्वसनीय संक्रमण कार्यक्रम एवं सुरक्षित मातृत्व और नवजात परिचर्या कार्यक्रम शामिल थे।

(ग) देश में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, जिला और सामुदायिक स्तर पर शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम की कार्यनीतियों एवं गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। औषधों एवं उपस्करों की आपूर्ति की गयी और इनके उपयोग के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया।

गतिविधियों के कवरेज एवं गुणवत्ता की जांच करने के लिए विभाग ने जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तरों पर कार्यक्रम की नियमित मानिटरिंग एवं समय-समय पर मूल्यांकन करने के अलावा कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण भी किए।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के तहत सामग्री एवं नकद सहायता के राज्यवार आवंटन के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1769.09	2202.24	1999.07
2. अरूणाचल प्रदेश	142.39	148.55	201.15
3. असम	971.02	1022.99	1329.69
4. बिहार	2439.17	3181.85	3085.61
5. गोवा	35.52	50.09	55.48
6. गुजरात	1222.94	1473.29	1453.02
7. हरियाणा	632.82	685.40	606.28
8. हिमाचल प्रदेश	252.14	368.49	385.25
9. जम्मू एवं कश्मीर	362.53	384.88	390.36
10. कर्नाटक	1392.09	1751.59	1313.11
11. केरल	770.43	860.53	1058.52
12. मध्य प्रदेश	2575.75	3019.98	3031.20
13. महाराष्ट्र	2380.53	2941.62	2083.52
14. मणिपुर	137.08	139.25	208.02
15. मेघालय	107.60	127.10	155.56
16. मिजोरम	65.51	78.36	119.27
17. नागालैंड	100.10	116.68	135.69
18. उड़ीसा	996.53	1315.10	1340.18
19. पंजाब	734.41	824.55	837.95
20. राजस्थान	1783.84	2544.08	1805.16
21. सिक्किम	47.47	62.54	87.01
22. तमिलनाडु	1676.26	2137.55	1789.23
23. त्रिपुरा	97.14	134.79	160.49
24. उत्तर प्रदेश	4723.80	5860.20	4287.40
25. पश्चिम बंगाल	1788.04	2066.99	2472.29

1	2	3	4
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28.56	37.79	49.06
27. चंडीगढ़	27.63	35.19	32.40
28. दादरा एवं नगर हवेली	11.35	21.74	26.30
29. दमन एव दीव	11.43	26.03	38.64
30. दिल्ली	250.17	296.84	345.71
31. लक्षद्वीप	10.71	17.78	24.59
32. पांडिचेरी	40.46	49.07	75.80
कुल	27584.41	33983.13	31063.01

आंकड़े अनन्तिम

[अनुवाद]

रक्ताधान पर राष्ट्रीय नीति

1560. श्री के.पी. मोहन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रक्ताधान पर एक प्रारूप राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा रक्तदान शिविरों के माध्यम से संग्रहीत रक्त किसी भी संक्रमण से ग्रस्त नहीं है और आधान हेतु उपयुक्त है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप का उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रव्यापी प्रणाली का विकास करने की योजना तैयार करना है जिससे सभी लोगों को, भले ही उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर कोई भी हो, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला रक्त और उसके घटकों की पर्याप्त आपूर्ति आसानी से सुलभ हो सके। इस नीति का उद्देश्य व्यापक और समग्र प्रबन्धन के दृष्टिकोण के माध्यम से रक्ताधान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप का उद्देश्य रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाना है:

(1) राष्ट्रीय रक्ताधान सेवाओं को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाकर सुदृढ़ करना;

(2) सभी रक्त केन्द्रों को रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(3) रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करना।

(4) रक्त घटकों के निर्माण के लिए सुविधाएं विकसित करना;

(5) प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(6) रक्त और रक्त उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करना;

(7) रक्त निरापदता में सुधार लाने, आपूर्ति में कुशलता लाने के लिए रक्ताधान सेवाओं के प्रचालन पर अनुसंधान करना;

(8) रक्ताधान सेवाओं के प्रभावी प्रबन्धन, मानीटरिंग और मूल्यांकन का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

(ग) रक्तदान शिविर के माध्यम से एकत्र किए गए रक्त को जारी करने से पहले उसमें एच.आई.वी. 1 और 2 प्रतिपिंडों, हेपाटाइटिस-बी, सरफेस एंटीजन, मलेरिया और वी.डी.आर.एल. जांच की जानी होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों में रक्तदान शिविरों के विनियमन के लिए एक संशोधन लाने का प्रस्ताव है।

नकली करेंसी

1561. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1998 के ''द पायनियर'' में ''फेक करेंसी रिकवर्ड फ्राम अनियन् बैग्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नकली करेंसी बनाए जाने और चलाये जाने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथ्य संकलित किए जा रहे हैं।

(ग) जनता को असली और जाली नोटों के बीच अन्तर करने के समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है। जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने की दृष्टि से नोट अब अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापे जा रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की हैं। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी मुद्रा को तस्करी करके देश में न लाया जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण श्रम आयोग

1562. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों की सेवा शर्तें और सुरक्षा के संबंध में कृषि और ग्रामीण श्रमिक आयोग से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कानून कब तक बनाया जाएगा?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने निर्माण उद्योग में लगे कर्मकारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 बनाया है। सरकार का कृषि कर्मकारों के लिए नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तों का प्रावधान करने के लिए व उन तक कुछ कल्याण उपाय पहुंचाने के लिए वृहत कानून बनाने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

सरकार ने ग्रामीण श्रम की समस्याओं, जिसमें असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं, का पता लगाने के लिए 11.8.87 को एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का गठन किया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एन.सी.आर.एल.) ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1991 को प्रस्तुत कर दी है। एन.सी.आर.एल. की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(1) 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा;

(2) सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम का निषेध;

(3) गरीब महिलाओं के लिए एक ''महिला राष्ट्रीय ऋण निधि'' जिससे वे एक विशिष्ट वित्तीय सीमा तक बिना किसी समपार्श्विक प्रतिभूति ऋण प्राप्त कर सकें;

(4) दिसम्बर, 1990 की कीमतों पर 20/- रु. प्रतिदिन की राष्ट्रीय मूल न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वृद्धि के आधार पर प्रत्येक छ: महीनों में मजदूरी में स्वत: वृद्धि के लिए प्रावधान;

(5) विकेन्द्रीकरण की योजना के तहत क्षेत्र विकास योजनाओं से जोड़ कर चुने गए संस्थानों द्वारा सूत्रबद्ध किए जाने वाले आई.आर.डी.पी. जैसे स्व-रोजगार कार्यक्रम;

(6) कृषि में श्रम-विस्थापन तंत्र जैसे कम्बाइन हारवेस्टरों के प्रयोग पर प्रतिबंध;

(7) प्रवासी श्रम को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए एक अधिक संगठित नीति;

(8) ग्रामीण श्रम परिवारों के उपभोग के लिए ब्याज की निम्न दरों पर ऋण;

(9) ग्रामीण श्रम परिवारों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से संस्थागत ऋण की आसान पहुंच।

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सिफारिशें:-

(1) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 सभी ग्रामीण कर्मकारों को शामिल करने के लिए "कर्मकार" की परिभाषा में संशोधन किया जाए।

(2)वृद्धावस्था पेंशन

निर्धारित आय सीमाओं के अध्यधीन 60 वर्ष की आयु से अधिक सभी पुरुषों और महिलाओं को 100/- रु. प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। निराश्रित और विकलांग व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु से कम के होने पर भी, वर्तमान में विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र है। यह जारी रहना चाहिए। यह जबकि सहरानीय है कि विधवाओं/निराक्षित पत्नियों को मिलने वाली छूट वापस लेना व्यवहार्य नहीं होगा, आयोग का मत है कि उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए और इसके लिए एक उपयुक्त पुनर्वास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए।

(3) निजी दुर्घटना बीमा

जीवन बीमा निगम द्वारा परिचालित निजी दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत व्यापकता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापकता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहां तक असंगठित कर्मकारों का संबंध हैं, सामूहिक जीवन बीमा योजना पर राज्य द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम के साथ विचार किया जाना चाहिए।

(4) प्रसूति प्रसुविधा

18 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी तमाम ग्रामीण महिलाएं अधिकतम दो संतानों तक के लिए, प्रत्येक संतान के लिए 12 हफ्तों के वास्ते, प्रसूति लाभ की हकदार होंगी, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 1990-91 के मूल्य पर 6,400/- रुपये से अधिक न हो तथा लाभ की राशि अकुशल कृषि श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर जैसी होगी।

(5) अपंगता लाभ

18 से 60 वर्ष की आयु समूह के ऐसे तमाम व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन के समान अपंगता लाभ भी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, जिनकी 70% या उससे अधिक उपार्जन क्षमता खो चुकी हो, भले ही वह व्यवसाय या रोजगार से संबंधित न हो, तथा जो कुछ आर्थिक मानदंडों पर निर्भर करे। अपंगों के पुनर्वास के मौजूदा प्रयासों को और अधिक सशक्त करना होगा। अपंगता तथा कार्य अक्षमता के स्तर/प्रतिशत के निर्धारण के तरीकों तथा उनके लिए आवश्यक सहायता योजना से संबंधित सवालों पर एक विशेषज्ञ दल से राय ली जा सकती है।

(6) रुग्णता लाभ

उपार्जन की क्षमता खो चुके लोगों के लिए, क्षतिपूर्ति के रूप में, एक रुग्णता लाभ योजना की अनुशंसा की गई है, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु समूह के ऐसे तमाम ग्रामीण व्यक्ति, किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर, अकुशल कृषि श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर पर अधिकतम 90 दिनों के लिए लाभ के हकदार होंगे। यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1990-91 के मूल्य पर 6,400/- रुपये से कम हो।

(7) फसल बीमा योजना

व्यापक फसल बीमा योजना निश्चित रूप से सभी राज्यों तथा सभी फसलों पर लागू होनी चाहिए। यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जो सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेंगे। मौजूदा व्यावसायिक ग्राहकों के लिए निचले स्तर पर तथा जो सहकारी बैंकों आदि को ऋण वसूली में सहायता नहीं देते, उनके लिए हल्के उच्चतर स्तर पर विभेदक प्रीमियम दरों की प्रणाली निर्धारित की जा सकती है।

विधायी उपाय

(1) मौलिक अधिकार के रूप में कतिपय अर्हताओं सहित काम का अधिकार तथा उसके कार्यान्वयन हेतु रोजगार आश्वासन अधिनियम,

(2) कृषि श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनके कल्याण के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान,

(3) बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुवीक्षण हेतु अर्धन्यायिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग कार्यरत,

(4) घर पर काम करने वाले कामगारों के संरक्षण तथा कल्याण हेतु एक आदर्श विधान,

(5) भूमि सुधार मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु स्थानीय स्तर पर भू-ट्रायब्यूनल।

कार्यान्यवन हेतु संस्थात्मक तंत्र

(6) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की विभिन्न अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी, तथा

(7) ग्रामीण श्रम आदि के सभी पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए केन्द्र और राज्यों में एक अलग ग्रामीण श्रम विभाग के साथ-साथ राज्यों में स्वतंत्र ग्रामीण श्रम महानिदेशालय।

निश्चित सिफारिशों से संबद्ध सभी मंत्रालयों/विभागों ने अनुशंसाओं की विधिवत जांच की है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की अनुशंसाओं की कार्यवाही रिपोर्ट के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के प्रति सरकार के रूख को दर्शाने वाली रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही रखी जा चुका है।

[अनुवाद]

बंध पर प्रतिबंध

1563. श्री सुनील खां :
डा. असीम बाला :
श्री विकास चौधरी :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बंध पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबंध लगाये जाने के बाद देश में कुल कितने बंध हुए;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि बंध पर प्रतिबंध लगाना अव्यावहारिक होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय की जानकारी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से देश में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर 250 बंद आयोजित किए गए।

(ग) और (घ) संविधान के अंतर्गत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है और मामले पर विचार करना राज्य सरकारों का कार्य है।

खाद्यान्नों की खरीद

1564. श्री अमर पाल सिंह :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न की खरीद की गई;

(ख) 1997-98 के दौरान आज तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कुल कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 75,669 टन मात्रा खराब हुई जबकि 1.4.1998 से 1.10.1998 तक की अवधि के दौरान 81,028 टन मात्रा खराब हुई थी। वसूल और हैंडल की गई कुल मात्रा के संबंध में खराब हुई मात्रा मात्र एक अंश है जो अमहत्वपूर्ण/नगण्य है।

(ग) खाद्यान्नों के संरक्षण, परिरक्षण और उन्हें उचित रूप से भंडारण के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है। तथापि, अत्यधिक और बेमौसमी बरसात, बाढ़, चक्रवात आदि जैसे प्राकृतिक अनियंत्रणीय घटकों के कारण कुछ मात्रा खराब हो जाती है।

खाद्यान्नों को अच्छी हालत में रखने के लिए लीकेज, बाढ़ आदि से बचाव हेतु गोदामों को अच्छी दशा में रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

- खुले में भंडारित स्टाक को पालीथीन के कवरों से भली-भांति ढका जाता है और नायलोन की रस्सियों से बांधा जाता है ताकि छिद्रों अथवा फटे हुए भाग के माध्यम से बरसात के पानी के बहाव को रोकने के लिए पालीथीन कवरों को उड़ने/फटने से रोका जा सके।
- इसके अलावा, स्टाक के स्थान को आवधिक रूप से बदला जाता है और खाद्यान्नों में और अधिक गिरावट से बचने के लिए यदि आवश्यक हो, तो प्रभावित स्टाक, यदि कोई हो, के वियोजन (सेग्रिगेशन) और बचाव का सहारा लिया जाता है।
- अनाज को कीट जन्तुबाधा से खराब होने से बचाने के लिए बारम्बार और सामयिक रूप से आतंचनरोधी और रोगहर उपचार दिया जाता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई चावल की वसूली

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (3.12.98 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
पंजाब	12.13	19.33	32.70	15.81
हरियाणा	6.55	11.64	12.12	0.36
उत्तर प्रदेश	–	–	10.65	–
राजस्थान	0.02	0.03	0.06	0.01
आन्ध्र प्रदेश	36.24	45.10	38.42	3.18
कर्नाटक	0.79	0.82	0.91	0.02
मध्य प्रदेश	2.35	5.44	6.23	0.08
महाराष्ट्र	0.36	0.33	0.26	–
उड़ीसा	4.44	4.69	6.84	0.42
पश्चिम बंगाल	1.30	1.58	–	–

1	2	3	4	5
असम	0.02	0.01	–	–
चण्डीगढ़	–	0.14	0.10	0.05
पांडिचेरी	–	0.03	0.08	0.01
बिहार	–	–	0.22	–
जोड़	64.20	89.14	108.60	19.94

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की गई गेहूं की वसूली

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
पंजाब	22.90	16.70	14.94	18.27
हरियाणा	3.88	2.67	1.72	4.73
उत्तर प्रदेश	0.74	0.14	0.25	1.20
राजस्थान	4.54	2.29	3.20	6.67
मध्य प्रदेश	0.04	–	0.05	0.46
दिल्ली	–	–	–	0.07
चण्डीगढ़	–	–	0.02	–
बिहार	–	–	–	0.01
गुजरात	–	–	–	0.02
जोड़	32.10	21.80	20.18	31.43

विवरण-III

वर्ष 1995-96 से 1998-99 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई मोटे अनाजों की वसूली

(आंकड़े टन में)

वर्ष	राज्य	भा.खा.नि. द्वारा वसूली	मक्का	ज्वार	,बाजरा	रागी	जौ	जोड़
1995-96	–	–	–	–	–	–	–	–
1996-97	–	–	–	–	–	–	–	–
1997-98	आंध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम	1957	–	–	–	–	1957
1998-99	आंध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम	15 (3.12.98 की स्थिति के अनुसार)	–	–	–	–	15

आदिवासी गांव

1565. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य घोषित किए जाने के कारण प्रभावित हुए आदिवासी गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में लाभोन्मुख आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत पुनर्वास/पुन:स्थापित किए गए ऐसे आदिवासी गांवों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे राज्य सरकारों से प्राप्त करना होगा। जब यह सूचना प्राप्त हो जाएगी तब इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

1566. श्री आर.एस. गवई :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1970 में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू करने के उपाय सुझाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति की कितने बैठकें हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा विचार की जा रही सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पुलिस के आपराधिक आचरण से सम्बन्धित होती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 जुलाई, 1998 के निदेशों के अनुसार सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों के संबंध में विवरण संलग्न है।

विवरण

मामलों का वर्षवार विवरण

क्रम सं.	वर्ष	पंजीकृत मामले	स्वीकार किए गए मामले	पुलिस के अनुचित व्यवहार संबंधी मामले
1.	1993-94	496	174	96
2.	1994-95	6987	1660	801
3.	1995-96	10195	4081	1501
4.	1996-97	20514	6503	2806
5.	1997-98	36792	8619	2700
	कुल	74984	21037	7904

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

1567. श्री मोहन सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पचास प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नतियों में दलितों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) को उपलब्ध आरक्षण को हटाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों की हत्याएं

1568. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने डोडा और उधमपुर जिलों के गांवों में महिलाओं और बच्चों सहित कुछ चुने हुए अल्पसंख्यकों की हत्याएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने की बजाय सकारात्मक कार्रवाई करने की संशोधित नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कदमों के उठायें जाने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को किस हद तक नियंत्रित किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से समर्थित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंध को सुदृढ़ बनाना, भीतरी क्षेत्रों में उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को विफल करना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना शामिल है।

(ग) निरंतर दबाव, चौकसी तथा सुरक्षाबलों और राज्य प्रशासन की एकजुट कार्रवाईयों के कारण राज्य में तथा विशेष रूप से घाटी में वारदातों की संख्या में कमी आई है। स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर में हिंसा को जारी रखने के लिए उग्रवादियों को पाक आई.एस.आई. से सभी प्रकार की सहायता मिलना जारी है।

शीरा पर प्रतिबन्ध

1569. **श्री टी.आर. बालू** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीरा तथा औद्योगिक एल्कोहल पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 और इथाइल अल्कोहल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1971 को उदारीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 1993 में समाप्त कर दिया गया था। फिर से नियंत्रण लगाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आवश्यक दवाईयों की अनुपलब्धता

1570. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहया अस्पताल, नई दिल्ली में मरीजों को अधिकांश आवश्यक दवाईयां, सिरिंज/सूइयां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खुले बाजार में ऐसी आवश्यक दवाईयों और अन्य वस्तुओं को खरीदने में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कार्यकरण की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 5 मिली. के डिस्पोजेबल सिरिंजों, जिनकी आपूर्ति 11.10.98 से 16.10.98 की अवधि के दौरान कम हुई थी, को छोड़कर अस्पताल में रोगियों के लिए सभी आवश्यक दवाईयों और सिरिंज/सुइयां उपलब्ध हैं। अब सिरिंजों और सुईयों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) से (च) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक नियमित रूप से अस्पताल के कार्य को मॉनीटर करते हैं तथा बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

[अनुवाद]

"टाडा" न्यायालयों में लम्बित मामले

1571. **श्री बालासाहिब विखे पाटील**
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकृत और लम्बित पड़े "टाडा" मामलों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष में कितने मामलों को निपटाया गया;

(ग) कितने मामलों को चुनौती दी गई और कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया;

(घ) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु भावी योजना क्या है;

(ङ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों में लिप्त भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनमें से कितने आतंकवादियों को सजा दी गई और कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया;

(च) क्या सरकार "टाडा" की अनुपस्थिति में आतंकवादियों और अन्य ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए अन्य उपायों पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जा रही है। यह, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास उपलब्ध है।

(घ) लंबित "टाडा" मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन मामलों की सावधिक पुनरीक्षा राज्य स्तर पर राज्य पुनरीक्षा समितियों द्वारा की जाती है। तथापि, इनमें से अधिकांश मामले, देश में विभिन्न मनोनीत टाडा न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। राज्य सरकारों की अभियोग शाखाओं को इन मामलों में विचारण जल्दी कराने और स्थगन न लेने में निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) 1990-98 (15 नवम्बर, 1998 तक) की अवधि के दौरान, पकड़े गए व्यक्यिों और हिरासत में, कुल व्यक्तियों की संख्या 33838 थी। इनमें से प्राथमिक पूछताछ के ब्राद रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या 18,365 है। इस अवधि के दौरान टाडा मूल कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 14,422, दण्ड प्र.सं. की धारा 169 के अंतर्गत रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या 3,234 सक्षम न्यायालयों द्वारा जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या 3560, इस समय पूछताछ/न्यायिक हिरासत के अधीन व्यक्तियों की संख्या 317 है। टाडा के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या 16,620 है।

(च) और (छ) जब पूर्व टाडा (पी) अधिनियम, 1987 को व्यपगत होने दिया गया तब आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 1995, जिसमें वैकल्पिक कानून की व्यवस्था है, को मई, 1995 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को पारित करने पर राजनैतिक सर्व-सम्मति न होने के कारण यह विधेयक तब से लंबित पड़ा है।

शीतल पेय में बी.वी.ओ. का प्रयोग

1572. डा. रवि मल्लू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुम्बई में इस समय शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में और विशेषकर दिल्ली तथा मुंबई में शीतल पेय निर्माता कंपनियां अपने शीतल पेय में बी.वी.ओ. जिससे कैंसर होता है का प्रयोग करती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बी.वी.ओ. का प्रयोग करने वाली शीतल पेय निर्माता कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शीतल पेय में बी.वी.ओ. के प्रयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) दिल्ली और मुम्बई में सॉफ्ट ड्रिंक निर्माताओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सॉफ्ट ड्रिंक्स में बी.वी.ओ. के उपयोग की मनाही की गई है।

विवरण-I

ग्रेटर मुम्बई में स्वीटेन्ड ऐरेटेड वाटर निर्माताओं की सूची

क्र.सं.	पार्टी के नाम और पता	लाइसेंस नं.	वर्ग स्तर
1	2	3	4
1.	प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड 9, लोअर ग्रोन रोड, वर्ली नाका, मुम्बई-18	135	बृहत स्तर
2.	पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड आफ सिओन ट्राम्बे रोड चेम्बूर, मुम्बई-99	730	-तदैव-
3.	स्वास्तिक ऐरेटेड वाटर वर्क्स, 3, विन्डर लेन, मुम्बई-8	862	-तदैव-

1	2	3	4
4.	सासयो प्रोडक्ट्स, 10, बेल वेडेर रोड मझगांव, मुम्बई-10	2879	लघु स्तर
5.	पारले बेवरेजेज लिमिटेड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई-99	2882	वृहत स्तर
6.	न्यू हिन्दुस्तान सोडा फैक्टरी 44, बालमिया रोड़ महिम, (वेस्ट) मुम्बई-16	3355	घरेलू स्तर
7.	आरती कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस, 4/6, शकर पुपाला रोड कमथीपुरा, मुम्बई-8	3359	-तदैव-
8.	बम्बई सोडा फैक्टरी, नेहरु नगर, कमजुर मार्ग (ईस्ट) मुम्बई-42	3878	घरेलू स्तर
9.	पोपुलर बेवरेजेज एवं फूड्स प्राइवेट लिमिटेड चिल्ड्रेन एवं सोसाइटी कम्पाउंड, बी.ए.आर.सी. मेन गेट के विपरीत मैनखुर्द, मुम्बई-88	5006	लघु स्तर "ख" पर

दिल्ली में एस.ए.डब्ल्यू. एककों की सूची

क्र.सं.	फर्म के नाम एवं पता	एफ.पी.ओ. सं.	वर्ग
1	2	3	
1.	मेसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू दिल्ली) लिमिटेड सरदार मोहन सिंह लेन, कनॉट प्लेस दिल्ली	31	वृहत स्तर
2.	मेसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू दिल्ली) लिमिटेड 2, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली	1938	-तदैव-
3.	दिल्ली बॉटलिंग को. (प्राइवेट) लिमिटेड 60, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली	2905	-तदैव-
4.	मेसर्स पर्ल्स ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड बी-42, लारेन्स रोड़, नई दिल्ली	5847	-तदैव-
5.	रूबी साइकिल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड सी.-46, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-20	8831	सी.एस.
6.	मेसर्स अरोरा बॉटलिंग कम्पनी, सुपर मार्केट, अशोक नगर नई दिल्ली	6792	घरेलू स्तर ख
7.	मेसर्स अरोरा ड्रिंक्स डी.एल.एफ. औद्योगिक क्षेत्र मोती नगर, नई दिल्ली	8472	घरेलू स्तर
8.	मेसर्स चिल्ड लेमन 112, हिमाऊंपुर, नई दिल्ली	9632	घरेलू स्तर
9.	मेसर्स जी.एस. सोड़ा वाटर फैक्टरी, 19-डी, गणेश नगर, नई दिल्ली-92	9627	घरेलू स्तर ख.

1	2	3	
10.	मेसर्स सुरेश कुमार एंड को. साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली	5032	घरेलू स्तर ख
11.	मेसर्स अरोरा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी.एस.-2, टैगोर गार्डेन, नई दिल्ली	7691	-तदैव-
12.	मेसर्स सपरा सोड़ा, वाटर फैक्टरी सी-61, किरन गार्डेन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	8453	-तदैव-
13.	मेसर्स अरोरा प्योर ड्रिन्क्स ए-8, मानस बिहार, नई दिल्ली	9022	-तदैव-
14.	मेसर्स पी.डी. सोड़ा वाटर फैक्टरी 3245, लाल दरवाजा, सीताराम बाजार, दिल्ली-6	9609	-तदैव-
15.	मेसर्स शंकर गंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जे-6, करतार नगर, शाहदरा, दिल्ली-53	9616	-तदैव-
16.	मेसर्स भगवान दास एंड संस, सेक्टर-1/113, ओलड़ महावीर नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली-18	9104	-तदैव-
17.	सिद्धी फूड एंड ड्रिंक्स 223, खानपुर, दिल्ली-62	10424	-तदैव-
18.	मेसर्स मल्होत्रा फूड प्रोडक्ट्स, पी-6, मोहन गार्डेन, नई दिल्ली-59	10421	घरेलू स्तर ख
19.	मेसर्स यूनि-कूल फूड्स एंड ड्रिंक्स सी-8/133, नारायणा रिंग रोड़, नई दिल्ली-28	10813	सी.एस.
20.	मेसर्स जी.एम. सोड़ा, वाटर फैक्टरी, 40, नवीड़ा-विएज, नई दिल्ली-59	8488	घरेलू स्तर ख.
21.	मेसर्स आर.के. फूड प्रोडक्ट्स, जी-22, रोहिणी सेक्टर-7 दिल्ली	6834	-तदैव-

[हिन्दी]

समुदाय स्वास्थ्य अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा किया गया अध्ययन

1573. श्रीमती शीला गौतम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुदाय स्वास्थ्य अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण का अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कोई कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंप

1574. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अप्रैल 1998 से आज की तारीख तक विज्ञापन के आधार पर तथा बिना बारी के कितने पेट्रोल पंप आबंटित किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने पेट्रोल पंपों का आबंटन पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को किया गया है; और

(ग) मार्च, 1999 तक कितने पेट्रोल पंप खोले जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) अप्रैल, 1998 से बिना बारी के कोई भी खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, 10 खुदरा बिक्री केन्द्र जारी विज्ञापनों के आधार पर आवंटित किए गए हैं और इनमें से कोई भी अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित नहीं है।

(ग) पूरे देश में चयन के लिए लंबित 5000 स्थानों से अधिक के लिए चयन हेतु हाल ही में 45 डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए हैं तथा चयन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सामान्यत: किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आरंभ होने में विज्ञापन की तारीख से लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं। अत: इस अवस्था में यह संकेत देना संभव नहीं है कि मार्च, 1999 तक कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोल दिए जाएंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी कार्यक्रम

1575. श्री दत्ता मेघे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में लागू किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनके अन्तर्गत क्या सफलताएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) 1997 के दौरान शिकायत कक्ष द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:-

(1) आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

यह योजना महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में 1992-93 से लागू है। सरकारी रोजगार के लिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों को सहायता-अनुदान दिया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में संस्थानों को निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	वितरित राशि (रुपए लाख में) (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े लाभग्राहियों की संख्या का द्योतक हैं)						
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (30.11.98 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	–	–	2.34 (80)	2.10 (80)	–	2.00 (80)	0.90 (40)

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	–	1.35 (40)	8.01 (280)	2.34 (80)	–	1.66 (40)	–
तमिलनाडु	1.10 (80)	3.20 (120)	3.41 (80)	5.56 (80)	–	–	0.69 (40)

(2) बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करना

अल्पसंख्यकों द्वारा विशिष्ट रूप से आगे बढ़ाये गए आर्थिक कार्यों की पहचान करने के लिए यह योजना 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 1995-96 से कार्यान्वित की जा रही है। ताकि ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित ऋण प्रौद्योगिकी निवेश प्रशिक्षण और विपणन समर्थन की जरूरत तथा स्रोतों का मूल्यांकन किया जा सके जिनके द्वारा उनकी व्यवस्था की जा सकती है। महाराष्ट्र में ऐसे जिले ग्रेटर मुम्बई और औरंगाबाद हैं जबकि कर्नाटक में ये जिले बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर हैं। तमिलनाडु राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक बहुल जिला नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत वितरित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (30.11.98 तक)
महाराष्ट्र	2.00	–	–	–
कर्नाटक	3.00	6.00	6.00	–

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम 1994-95 से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों सहित पूरे देश में स्व-रोजगार कार्यों के लिए ब्याज की रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को स्वीकृत तथा वितरित ऋण सम्बन्धी उपलब्धियां (30.11.98 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार हैं:-

राज्य	स्वीकृत (संचयी) (लाख रुपए में)		वितरित (संचयी) (रुपए लाख में)	
	लाभग्राही	राशि	लाभग्राही	राशि
कर्नाटक	7670	1555.34	5385	981.10
महाराष्ट्र	1950	1191.84	850	582.95
तमिलनाडु	1380	637.00	1000	464.00

[हिन्दी]

रेड लाइट कंट्रोलर की चोरी

1576. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1998 के "दौरान जागरण में" "दिल्ली में रेड लाइट कंट्रोलर चुराने वाले गिरोह सक्रिय" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियात कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान विभिन्न चौराहों से 17 ''कंट्रोलर'' चुराए गए हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने मैसर्स कैल्ट्रान (जोकि इस समय दिल्ली के ट्रैफिक सिगनलों का रख-रखाव कर रहा है) से कहा है कि वह सभी ''कंट्रोलरों'' में लाकिंग डिवाईस लगाएं ताकि ऐसी चोरियों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

जनसंख्या संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1577. श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 में कैरों में जनसंख्या और विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्मेलन में हुई चर्चाओं के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम तैयार किया था;

(ग) क्या उस समय सरकार द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रम अभी तक लम्बित है और उनके कार्यान्वयन के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस सम्मेलन में स्वीकार की गई संस्तुतियों के अनुरूप भारत सरकार ने नौवीं योजनावधि (1997-2002) के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य शिशु जीवन-रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए उपचारों को जारी रखना तथा उन्हें सुदृढ़ करना और जनन-पथ संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण की रोकथाम करने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उन्हें बढ़ाना है।

ऊपर से निर्धारित किए गए गर्भ निरोधकों के लक्ष्य निर्धारित करने और नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित मानीटरिंग की पद्धति को बदलने जैसे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की प्रमुख पहलें पहले से ही की जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं के प्रचालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है जिनके लिए धन के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

भारतीय सीमा की लम्बाई

1578. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सीमा की वर्ग कि.मी. में कुल कितनी लम्बाई है; और

(ख) किन-किन स्थानों से विदेशी नागरिक देश में घुसपैठ करते हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) अन्य देशों के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की अनुमानित लम्बाई 15,106.70 कि.मी. है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सुभेद्य स्वरूप को देखते हुए ऐसे स्थान बताना संभव नहीं है जहां से विदेशी राष्ट्रों की घुसपैठ होती है।

[अनुवाद]

कच्छ, गुजरात में उग्रवादी गतिविधियां

1579. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) ऐसी कुछ सूचना है जिनसे पता चलता है कि पंजाब और राजस्थान सीमा पर बाड़ लगाए जाने के पश्चात् पाकिस्तानी एजेन्सियों का ध्यान गुजरात सीमा, विशेषकर संकरी खाड़ी और तटीय क्षेत्रों की ओर गया है और वे तस्करों और संवाहकों की गतिविधियों को

भुज के सामने बादिन और डिप्लो से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को किसी भी तरह की घुसपैठ और भारत विरोधी अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क किया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए है:-

(1) विस्तारण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती करना और उसके द्वारा बेहतर सीमा प्रबंधन और सतर्कता बरतने के लिए सीमा निगरानी बुर्जों के बीच के अंतर को कम करना।

(2) चौकियों, गश्त और नाका ड्यूटियां बढ़ा दी गई हैं।

(3) वाहनों, घोड़ों, ऊटों और नौकाओं द्वारा सीमा/संकड़ी खाड़ी क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाना।

(4) और निगरानी बुर्जों का निर्माण तथा वहां कार्मिकों की तैनाती।

(5) घुसपैठ की रोकथाम के लिए आधुनिक गैजेट और नाइट विजियन डिवाइसेज का प्रयोग।

(6) बदमाशों, तस्करों और उग्रवादियों द्वारा प्रवेश को रोकने अथवा कारगर नियंत्रण और बेहतर शासन के लिए राजस्थान में बाडमेर जिले के साथ लगे रन क्षेत्र के हिस्से में प्रस्तावित सीमा पर सुरक्षा बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सीमा सड़कों का निर्माण करना।

(7) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन।

(8) स्थानीय लोगों के साथ निरन्तर समन्वय बैठकों का आयोजन।

तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में तेल खुदाई

1580. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कंपनी इस समय कितने देशों में कार्य कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस कंपनी को कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या रूसी तेल कंपनियों के साथ भागीदारी करने के लिए हाल ही में किसी उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल ने रूस का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दौरे के क्या परिणाम निकले तथा इसमें कितनी विदेशी पूंजी निवेश की संभावना है;

(ङ) क्या तेल की खोज के लिए तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो ये स्थान कहां-कहां पर हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ब्रिटिश पेट्रोलियम और स्टेट आयल के साथ मिलकर ओ.एन.जी.सी. लि. वियतनाम में एक उत्पादन हिस्सेदारी ठेके का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा ओ.एन.जी.सी. ने बंगलादेश में 2 वेधन सेवा ठेके और ओमान में एक वेधन सेवा ठेका लिया है। ओ.आई.एल. ने ओमान ब्लाक-4 में एक अन्वेषण परियोजना में 20 प्रतिशत भागीदारी हित के लिए फ्रांस की मैसर्स टोटल के साथ एक फार्मआऊट करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में रूस की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित पर चर्चा की गई:

(1) भारतीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा रूस में तीसरे विश्व के देशों में भागीदारी।

(2) भारतीय कंपनियों द्वारा रूसी तेल कंपनियों की इक्विटी धारिता में भागीदारी; और

(3) रूसी कंपनियों द्वारा भारत के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी, प्रस्तावों के ब्यौरे भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच चर्चाधीन है।

मुख्य सचिवों का सम्मेलन

1581. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि की समीक्षा हेतु मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 7.11.98 को मंत्रिमंडल सचिव द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूल्य वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और कुछेक निष्कर्ष निकाले गए। बैठक में निकाले गए निष्कर्षों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मंत्रिमंडल सचिव द्वारा 7.11.1998 को नई दिल्ली में ली गई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की बैठक

प्रधानमंत्री जी की मंत्रियों के दल के साथ हुई बैठक में हाल में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मंत्रिमंडल सचिव ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। बैठक में मूल्यों में असामान्य वृद्धि को नोट किया गया और मूल्यों को कम करने तथा समस्या की पुनरावृत्ति को टालने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। स्थिति की विस्तार से समीक्षा करने के बाद बैठक में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:-

(1) प्याज की विलम्बित खरीफ फसल की पौध को हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि इसके निर्यात पर रोक, जो इस समय 30 नवम्बर, 1998 तक वैध है; को बढ़ाकर 31 जनवरी, 1999 तक कर दिया जाए।

(2) आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने पर प्रतिबंध, जिसमें अनौपचारिक प्रतिबंध शामिल है, को उन्हें सारे देश में निर्बाध रूप से लाने-ले-जाने के हित में उठा लिए जाने की आवश्यकता है।

(3) जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधनियम के उपबंधों के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नोट किया गया कि इस संबंध में आवश्यक शक्तियां राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही प्रत्यायोजित हैं और उन्हें आवश्यक होने पर इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

(4) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाजार दखल कार्रवाइयां अंतिम उपाय के रूप में पारदर्शी रूप में करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के दुर्बल तथा कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जहां आवश्यक हो वहां केंद्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को बराबरी के आधार पर वित्तीय सहायता देने पर विचार करने हेतु तैयार होगी।

(5) उपर्युक्त तात्कालिक उपायों के अतिरिक्त बैठक में महसूस किया गया कि फसल पूर्वानुमान की प्रणाली में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि फसल उत्पादन पूर्वानुमान जितना संभव हो, सही हों। इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को फसल पूर्वानुमानों के लिए सूचना उपलब्ध कराने के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। अत: यह आवश्यक है कि वे इस बारे में तत्काल कार्रवाई करें। अधिशेष और कमियों का यथार्थपरक आकलन करने और उसके लिए योजना बनाने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार एक कृषि उत्पाद राष्ट्रीय उत्पादन पूर्वानुमान केंद्र स्थापित करेगी।

(6) मांग और आपूर्ति के बीच अनुमानित अंतर को पूरा करने के लिए आयात करने से संबंधित निर्णय, बुवाई किए गए क्षेत्र के आधार पर तैयार किए गए पूर्वानुमानों के स्तर से लिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे निर्णय फसल कटाई से 3-4 महीने पहले ले लिए जाने चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि ऐसे आयात केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा केंद्रीयकृत आधार पर किए जाने चाहिए और किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा अलग से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

(7) इस समय भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं और यह देश भर में समान रूप से भी उपलब्ध नहीं हैं। अत: देश के विभिन्न भागों में भंडारण क्षमता का निर्माण नितांत आवश्यक है और इस संबंध में क्षमताओं में वृद्धि के लिए तत्काल एक कार्यवाही योजना तैयार की जानी चाहिए। शीत भंडारों पर नियंत्रण रखने वाले राज्यों को अपने शीत भंडार आदेशों को समाप्त कर देना चाहिए। कृषि-जन्य उत्पादों के लिए देश की भंडारण प्रौद्योगिकी में सुधार करने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय आवश्यक नीतिगत उपायों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल गठित करेगा।

(8) खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल इस समय सब्जियां आदि की बरबादी से होने वाली हानि को टाला जा सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी वस्तुएं कमी के समय संसाधित रूप में उपलब्ध हों।

(9) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण तंत्र को कसने की जरूरत है, ताकि स्टॉक में होने वाले किसी भी प्रकार के डायवर्सन की संभावना का न्यूनतम किया जा सके। इसके साथ-साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य मॉनीटरिंग तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(10) कुछ राज्य सरकारों के चावल, गेहूं तथा पामोलीन में अतिरिक्त आवंटन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

(11) राज्य सरकारों को किसी भी खाद्य तेल को अनिवार्य पैकेजिंग आदेश के उपबंधों से छूट देने का अधिकार दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को कोई अनुचित परेशानी न हों।

(12) पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूह क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन दल गठित किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करना

1582. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री एच.पी. सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति की गई खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति की जाने वाली खाद्य वस्तुओं के समतुल्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों में विशेषकर केरल से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कदाचार को रोकने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों, जो कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के कड़ाई से अनुरूप होते हैं, की आपूर्ति की जाती है और वर्तमान वर्ष में भी उक्त गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी राज्य, विशेष रूप से केरल से इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्ययोजना बनाई गई हैं:-

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु गोदामों से स्टाक का उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि अनुमत किए जाते हैं।

(2) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए जारी किए जा रहे लाट में से खाद्यान्नों के टाइप, मुहरबंद नमूने उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा उचित दर दुकानों की जांच की जाती है।

[हिन्दी]

चोरी किए गए पासपोर्टों की बिक्री

1583. श्री पंकज चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चोरी किए गए पासपोर्टों की बिक्री करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है, इसलिए अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना और रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अपराध-वार गिरोहों का पता लगाने के बारे में सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

दलहनों की उपलब्धता

1584. प्रो. रीता वर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 और चालू वर्ष के दौरान दालों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सामान्य खुले लाइसेन्स के अन्तर्गत कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया;

(घ) दालों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दालों के आयात से दालों के बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998 के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता में कमी आई है। 1996, 1997 और 1998 के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार है:-

वर्ष	दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (किलो ग्राम प्रति वर्ष)
1996 (अनंतिम)	12.0
1997 (अनंतिम)	14.0
1998 (अनंतिम)	12.1

वर्ष 1996-97 में 14.46 मिलियन टन दालों का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 1997-98 में घटकर 13.35 मिलियन टन रह गया था। अत: वर्ष 1997-98 के दौरान दालों के उत्पादन में कमी होने के कारण वर्ष 1998 में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है।

(ग) 1996-97 से 1998-99 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान आयातित दालों की मात्रा निम्नानुसार है:-

1996-97	5.32 लाख टन
1997-98	6.59 लाख टन
1998-99 (सितम्बर, 1998 तक)	1.46 लाख टन

(घ) से (च) वर्तमान में, देश में दालों की मांग - आपूर्ति में दो मिलियन टन से अधिक का अंतर है। उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि में, दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया था। आयात शुल्क को भी 14.10.1998 से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-सितम्बर,

1998) के पहले पांच महीनों के दौरान दालों के आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट दर्शायी गई है। देश में दालों के मूल्यों में वृद्धि के कारणों में यह भी एक कारण है।

(छ) दालों पर आयात शुल्क में शून्य प्रतिशत तक कम करने से खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दालों के आयात में वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

1585. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों की संख्या क्या हैं;

(ख) उनके लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कौन सी कल्याण योजना बनाई गई है और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में खान क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) चूना पत्थर डोलोमाइट खानों, लौह-अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानों तथा अभ्रक खानों में नियोजित कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभार्थ स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं। ऐसी योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए गए कामगारों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(ग) 1998-99 के लिए खान कर्मकारों हेतु निधियों का आवंटन दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

देश में राज्यवार खान कर्मकारों की संख्या

राज्य का नाम	खान कर्मकारों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	17795
अरूणाचल प्रदेश	5
असम	6654
बिहार	268246
दिल्ली	1839
गोवा	7714
गुजरात	38756
हरियाणा	6625
हिमाचल प्रदेश	5694
जम्मू एवं कश्मीर	166
कर्नाटक	44917
केरल	2531
मध्य प्रदेश	400728
महाराष्ट्र	19067
मणिपुर	18
मेघालय	930

1	2
नागालैंड	57
उड़ीसा	107626
पांडिचेरी	–
राजस्थान	73952
सिक्किम	77
तमिलनाडु	14997
त्रिपुरा	–
उत्तर प्रदेश	9747
पश्चिम बंगाल	154000

विवरण-II

चूनापत्थर और डोलोमाईट खान, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान और माईका खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

स्वास्थ्य

1. टी.वी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की योजना।
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की योजना।
4. टी.वी. से पीड़ित खान कर्मकारों के घर पर उपचार की योजना।
5. महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
6. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की वास्तविक लागत की प्रति-पूर्ति।
7. चश्मों की खरीद के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8. खान कर्मकारो की ध्याकरण के लिए अतिरिक्त आर्थिक मुआवजे के भुगतान की योजना।
9 हृदय रोगों के संबंध में खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
10. गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में खान कमकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. धातक और गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में खान कर्मकारों को मुआवजे के भुगतान की योजना।
12. खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।
13. एम्बूलेंस गाड़ियों की खरीद के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर व डोलोमाईट खान प्रबन्धनों को सहायता अनुदान।

आवास

1. खान कर्मकारों के लिए कार्य स्थल के निकट कम लागत वाले टाईप-1 और टाईप-2 मकानों के निर्माण के लिए खान प्रबन्धनों को वित्तीय सहायता।
2. अपना घर स्वयं बनाओं योजना, खान कर्मकारों को अपने मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और आर्थिक सहायता।

शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वर्दी, स्लेट, कॉपी और पाठ्य पुस्तकों का एक सैट प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता का कम्पोजिट योजना।
3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।

4. स्कूल बसों की खरीद के लिए खान प्रबन्धनों को सहायता।

5. पुस्तकालयों के रखरखाव के लिए खान प्रबन्धनों को सहायता।

6. लौह-अयस्क खनन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों को फर्नीचर और उपकरण खरीदने के लिए सहायता अनुदान।

7. मध्याह्न भोजन की योजना।

8. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहनों का भुगतान।

9. खान कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपये प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

आमोद-प्रमोद

1. खान कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।

2. खान कर्मकारों को लाने ले जाने के लिए बसें प्रदान करने की योजना।

3. श्रव्य-दृश्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वैन/फिल्मों का प्रदर्शन।

4. पर्यटन-सह-अध्ययन दौरे।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

6. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहु-उद्देशीय संस्थानों की स्थापना।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

8. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहु-उद्देशीय संस्थानों/कल्याण केन्द्रों को सहायता।

9. खेल के मैदान।

10. अवकाश-गृह।

जलापूर्ति

1. कुएं खोदने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बड़े खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

विवरण-III

क्र.सं.	योजना का नाम	इलाहाबाद*	बंगलौर*	भीलवाड़ा*	भुवनेश्वर*	कलकत्ता*	हैदराबाद*	जबलपुर*	करमा*	नागपुर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. स्वास्थ्य										
1.	औषधालयों में उपचार किए मरीज	3747	0	183751	21524	0	48655	44029	17440	2875
2.	औषधालयों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3	5	13	5	3	25	16	3	3
3.	एम्बूलैंस वैन खरीदना	0	0	0	1	2	0	0	0	0
4.	टी.बी. अस्पताल में बिस्तरों का अधिग्रहण	0	0	61	0	0	0	0	0	0
5.	टी.बी. के मरीजों का घर पर उपचार	0	0	0	2	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	घातक और गंभीर दुर्घटना के मामले	0	0	0	3	0	0	0	0	0
7.	चश्मों की खरीद	0	0	128	0	0	0	0	0	0
II.	**शिक्षा**									
8.	बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	5	122	4050	971	103	250	121	46	43
9.	एक जोड़ा वर्दी/पाठ्यपुस्तकों आदि की आपूर्ति	0	86	4990	896	63	76	203	27	23
10.	प्रतिशतता प्रोत्साहन	0	0	85	27	0	9	5	0	1
11.	हाजिरी प्रोत्साहन	0	29	486	563	0	45	3	0	15
12.	पुस्तकालयों के लिए अनुदान	0	0	0	1	2	1	0	1	0
III.	**मनोरंजन**									
13.	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी कार्यकलापों का आयोजन	0	0	5	5	2	15	11	2	0
14.	फिल्में दिखाया जाना	0	0	8	5	1	4	2	2	0
15.	टी.वी. सैटों की आपूर्ति	0	0	0	1	1	1	0	0	0
16.	दौरे पर जाने वाले कर्मकारों के लिए होलिडे होम	0	0	0	20	0	0	0	1	0
17.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	कल्याण केन्द्रों की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV.	**आवास**									
19.	अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (ऋण)	0	0	67	2	0	55	0	0	0
20.	अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (आ.सहा.)	0	0	22	3	0	35	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	समूह आवास योजना	0	2	0	0	0	0	0	0	0
22.	टाइप-2 आवास योज़ना	0	48	40	0	0	1	0	0	0
23.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	0	0	0	0	0	0	96	0	0
V.	**जल आपूर्ति योजना**									
24.	छोटी खानों के लिए जल आपूर्ति योजना	0	0	0	0	2	0	0	0	0

वर्ष 1997-98 के दौरान लौह-अयस्क, क्रोम अयस्क एवं मैंग्नीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	योजना का नाम	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	नागपुर
1	2	3	4	5	6	7
I.	**स्वास्थ्य**					
1.	औषधालयों में उपचार किए गए मरीज	67605	154834	22408	57242	9566
2.	औषधालयों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	4	22	0	5	12
3.	टी.बी. के मरीजों का घर पर उपचार	0	0	3	0	0
4.	घातक एवं गंभीर दुर्घटना के मामले	0	0	0	0	2
5.	चश्मों की खरीद	4	0	0	0	0
6.	कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों का इलाज	0	1	0	0	0
II.	**शिक्षा**					
7.	बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	1622	866	22	24	1002
8.	एक जोड़ा वर्दी/पाठ्यपुस्तकों आदि की आपूर्ति	407	1384	45	34	1014
9.	प्रतिशतता प्रोत्साहन	43	26	0	1	21

1	2	3	4	5	6	7
10.	हाजिरी प्रोत्साहन	797	400	0	1	370
11.	पुस्तकालयों के लिए अनुदान	0	0	0	5	1
12.	स्कूल बस हेतु अनुदान	1	0	0	0	0
13.	दोपहर का भोजन	0	1273	0	0	0
III.	**मनोरंजन**					
14.	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी कार्यकलापों का आयोजन	1	10	1	7	15
15.	फिल्में दिखाया जाना	0	12	0	0	89
16.	टी.वी. सैटों की आपूर्ति	1	1	0	0	1
17.	दौरे पर जाने वाले कर्मकारों के लिए अवकाश गृह	0	966	0	0	0
18.	भ्रमण-सह-अध्ययन दौरे	1	1	0	0	0
19.	बहुउद्देशीय संस्था की स्थापना	0	27	0	0	0
20.	सिनेमा वैन	0	2	0	0	0
IV.	**आवास**					
21.	अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (ऋण)	0	4	0	0	0
22.	अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (आर्थिक सहायता)	7	2	0	0	0
23.	सामूहिक आवास योजना	25	0	0	0	0
24.	टाइप-II आवास योजना	0	84	0	0	0
25.	टाइप-I आवास योजना	0	355	0	0	0

वर्ष 1997-98 के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का. नाम	भीलवाड़ा	हैदराबाद	करमा
I. स्वास्थ्य				
1.	औषधालयों में इलाज किए गए मरीज	17193	111457	31768
II. शिक्षा				
2.	बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना	57	64	121
3.	एक जोड़ा वर्दी/स्लेटों/पाठ्यपुस्तकों आदि की आपूर्ति	0	0	98
III. मनोरंजन				
4.	सिनेमा वैन	1	0	0

* राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।
इलाहाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चण्डीगढ़ आते हैं।
भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा आते हैं।
बंगलौर क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप आते हैं।
भुवनेश्वर क्षेत्र में उड़ीसा आता है।
कलकत्ता क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम आते हैं।
हैदराबाद क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं।
जबलपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है।
करमा क्षेत्र में बिहार आता है।
नागपुर क्षेत्र में महाराष्ट, गोवा, दमन व दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली आते हैं।

विवरण-IV

1998-99 के लिए निधियों का आबंटन

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	चूना प.डो.मा. खा.श्र.क.नि.	लौह अ.मे. एवं क्रो.अ.नि.	अभ्रक निधि
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	45,16	–	–
2.	बंगलौर	55,37	1,99,92	–
3.	भीलवाड़ा	2,08,88	–	17,63
4.	भुवनेश्वर	65,11	4,17.87	–
5.	कलकत्ता	46,77	–	–
6.	हैदराबाद	1,35,26	21,38	70,92
7.	जबलपुर	1,46,90	1,86,06	–

1	2	3	4	5
8.	करमा	19,04	1,95,71	1,48,45
9.	नागपुर	15,95	1,06,16	
	कुल	7,38,44	11,27,10	2,37,00

इलाहाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चण्डीगढ़ आते हैं।

भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा आते हैं।

बंगलौर क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप आते हैं।

भुवनेश्वर क्षेत्र में उड़ीसा आता है।

कलकत्ता क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम आते हैं।

हैदराबाद क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

जबलपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है।

करमा क्षेत्र में बिहार आता है।

नागपुर क्षेत्र में महाराष्ट, गोवा, दमन व दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली आते हैं।

अस्पतालों में रिक्त पदों को भरना

1586. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक सरकारी औषधालय/अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं को सरल-सुलभ बनाने के लिए श्रम कल्याण संगठन के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) चिकित्सा अधिकारियों के पदों का सृजन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हैं और इन पदों को राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है। पराचिकित्सीय कर्मचारियों के पदों का सृजन भी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये संबंधित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से भरे जाते हैं। ये रिक्तियां मुख्यत: सेवा निवृत्ति, त्याग-पत्र देने, अधिकारियों की मृत्यु और नये पदों के सृजन के कारण उत्पन्न होती हैं। अत: इन रिक्तियों की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि इनको नियमित भर्तियों के माध्यम से भरा जाता है। देशव्यापी आधार पर ऐसी सूचना सामान्यत: उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ग) और (घ) इस समय श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पदों को डी-काडर करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

रोमेश शर्मा के खिलाफ की गई जांचें

1587. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :
श्री यू.पी. कृष्णमराजु :
श्री अजय चक्रवर्ती :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री सी. कुप्पुसामी :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :
श्री विजय गोयल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोमेश शर्मा के दाऊद इब्राहिम, राजनीतिज्ञों, आई.एस.आई., रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नौकरशाहों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध होने तथा बम्बई की तरह दिल्ली में हुए बम विस्फोटों की योजना बनाने के मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) छापे के दौरान जब्त कितने मूल्य की सम्पत्ति और दस्तावेज जब्त किये गये; और

(घ) दाऊद इब्राहिम को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) रोमेश शर्मा को 21.10.1998 को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात् उसके घर की तलाशी ली गई और अगले कुछ दिनों के दौरान उसके विरूद्ध 15 मामले दर्ज किए गए। इनमें से, 13 मामले दिल्ली पुलिस के जांचाधीन हैं जबकि 2 मामले जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों को हस्तांतरित किए गए हैं। अपराधी वर्ग और अन्य लोगों से रोमेश शर्मा के संबंधों के बारे में जांच, सभी प्रकार से, केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपी गई है।

श्री रोमेश शर्मा के घर की तलाशी के दौरान, दिल्ली में कम से कम 11 और मुम्बई में 5 सम्पत्तियों के दस्तावेज प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त 14 कारें, आयातित शराब, जानवरों की खालें, .32 बोर के 14 सक्रिय कारतूस, जेवरात, सोने के बर्तन और अन्य बहुमूल्य आभूषण बरामद हुए। नकद 11.00 लाख रुपए की रकम, 1.00 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर और 23.50 लाख रुपए के एफ.डी.आर. भी बरामद हुए थे।

(घ) दाऊद इब्राहिम खासकर मुम्बई बम विस्फोट मामलें, जोकि मनोनीत न्यायालय, मुम्बई के विचाराधीन है, में भगोड़ा अभियुक्त है। अभियोग-पत्र के अनुरोध पर, मनोनीत न्यायालय ने उसे इस मामले में उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के प्रयासों में इन्टरपोट, लिओन्स द्वारा उसके विरुद्ध रेड कारपर नोटिस जारी करना और पदनामित न्यायालय द्वारा उससे संबंधित पांच सम्पत्तियां कुर्क करना शामिल है। इसके अलावा, यू.ए.ई. और पाकिस्तान की सरकार से दाऊद इब्राहिम और अन्य अभियुक्तों, जिनके बारे में यू.ए.ई./पाकिस्तान में होने की रिपोर्ट हैं, के देश प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने उनके देश में इन लोगों की उपस्थिति को नकारा है। तथापि, इस मामले में यू.ए.ई. की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सफदरजंग अस्पताल के अपशिष्ट का बाजार में दुबारा आना

1588. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री राजवंशी महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1998 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "सफदजंग हास्पिटल लेस्ट रिटर्न्स टू मार्किट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस घपले का निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जांच करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए है:-

(1) इन्सिनेरेटर स्थल की चारदिवारी को 9 फीट तक ऊंचा कर दिया गया है ताकि इसके पीछे रहने वाले झुग्गी वासी इसके ऊपर न चढ़ सकें।

(2) इन्सिनेरेटर स्थल में अनधिकृत प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए चौबीसों घंटे एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है।

(3) अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक (सुरक्षा) दिन के असामान्य समय में क्षेत्र का अचानक दौरा करता है।

[हिन्दी]

बिना डिग्री के मेडिकल प्रैक्टिस

1589. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक नीम-हकीम (डाक्टर) उपचार कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में प्रतिवर्ष हजारों लोग मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बिना डिग्री के नीम-हकीमों (डाक्टरों) द्वारा बिना किसी मान्यताप्राप्त डिग्री के मेडिकल प्रैक्टिस करने के बारे में मूल्यांकन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नीम-हकीमों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) सरकार ने देश में उपचार प्रदान कर रहे नीम-हकीमों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(घ) और (ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में इस आशय के दंडनीय उपबंध पहले से ही विद्यमान है कि राज्य चिकित्सा पंजी में पंजीकृत किए गए चिकित्सा व्यवसायी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में चिकित्सा में प्रैक्टिस नहीं करेगा, और इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जेल की सजा अथवा एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति और भा.चि.प. और होम्योपैथी में डिग्रियां इत्यादि प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं के साथ-साथ इन पद्धतियों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जा रही प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी एक विधान बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. द्वारा मदों की आपूर्ति

1590. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. सरकारी विभागों को घटिया श्रेणी की स्टेशनरी और अन्य मदों की आपूर्ति करता रहा है;

(ख) क्या एन.सी.सी.एफ. को अपने बिलों के ऊपर ब्रांडों के नाम, आकार-प्रकार और अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख करने के लिए निदेश देने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि केंद्रीय भंडार द्वारा किया जाता है; और

(ग) केंद्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. द्वारा सरकारी विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की दरों और गुणवत्ता की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे सरकारी विभागों को आपूर्ति करते समय बिक्री की पर्चियों पर ब्रांड नाम तथा अन्य विवरण देने का प्रयास करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा केंद्रीय भंडार की व्यापारिक कारकों पर आधारित स्वतंत्र मूल्य निर्धारण नीतियां हैं। अत: सभी वस्तुओं के संबंध में उनकी दरों की कोई सार्थक तुलना करना संभव नहीं है।

नमक की कीमतें

1591. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयोडीनयुक्त नमक की ऊंची दरों के कारण साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिनांक 27 नवम्बर, 1997 में उनके मंत्रालय के आदेश में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य संशोधन किए गए हैं;

(ग) आयोडनयुक्त नमक की कीमतों में वृद्धि को किस हद तक नियंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन आदेशों में संशोधन कब तक कर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी नहीं।

आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों की रोकथाम करने की दृष्टि से दिनांक 17.11.97 की अधिसूचना में केवल सीधे मानव उपभोग के लिए सामान्य नमक, जब तक कि वह आयोडीकृत न हो, की बिक्री वर्जित कर दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने आगे के आदेशों तक उपर्युक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया है। तथापि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, ग्वालियर बैंच ने 13.11.98 को सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना की परिपुष्टि कर दी है। अत: यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुले आयोडीकृत नमक की कीमत 1.75 रुपये से लेकर 3.00 रुपये प्रति किलोग्राम तक है जो खुले सामान्य नमक की कीमत से काफी तुलनात्मक है। तथापि, पैक किए गए आयोडीकृत नमक की कीमत देश में 2.45 रुपये से लेकर 8.00 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है जो ब्रांड पर निर्भर करती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1592. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में बारहवीं कक्षा के स्तर पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आधार पर व्यावहारिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में इन सभी पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के क्षेत्राधिकार में लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन पाठ्यक्रमों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया गया है;

(ङ) इन पाठ्यक्रमों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत लाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन पाठ्यक्रमों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कब तक लाया जायेगा?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (च) व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केरल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

1593. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) बिहार के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अधिकांश योजनाओं की समीक्षा लक्षित समूहों के विकास और जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्हें अधिक खुला तथा खर्चीला बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता
2.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
5.	पुस्तक बैंक
6.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना
7.	अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए छात्रावास
8.	अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए छात्रावास

क्र.सं.	योजना का नाम
9.	अत्यंत कम साक्षरता से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9-12 के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
11.	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास
12.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन
13.	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान
14.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
15.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) का प्रथम परंतुक
16.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम
17.	अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्न बैंक
18.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
19.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास
20.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास
21.	आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
22.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
23.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण
24.	आदिम आदिवासी समूहों का विकास
25.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन

1594. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी बलों द्वारा लगातार गोलाबारी की वजह से इन गांवों से काफी लोग बाहर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कक्सार में प्रत्येक परिवार को बंकर का निर्माण करने के लिए 8000 रुपये की राशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो क्या लोगों ने अपने घरों के नजदीक बंकरों का निर्माण किया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कश्मीर डिवीजन में कारगिल, गुरेज, करनाह, केरन, मछील और उड़ी तथा जम्मू डिवीजन में बिशनाह, साम्बा, आर.एस. पुरा और हीरा नगर के कई सीमावर्ती गांवों पर सीमा पार से गोलाबारी की गई है। इन गांवों के निवासियों को अस्थाई रूप से अपने गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। गोलाबारी से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण काकसार गांव के प्रत्येक परिवार को लगभग 2000/- रुपये मूल्य की सी.जी.आई. शीट के अलावा 5000/- रुपये की राशि दी गई है। 85-बंकर अक्टूबर, 1997 से बने हुए हैं। इन बंकरों का निर्माण लोगों ने स्वयं किया है तथा ये इनके घरों के करीब हैं।

(ङ) सीमा पर हुई गोलीबारी के शिकार हुए लोगों के लिए राज्य सरकार ने निशुल्क राशन की घोषणा की है। राज्य सरकार को यह भी बताया गया है कि वह रोजगार आश्वासन योजना के अधीन बंकरों/आश्रय शेडों का निर्माण भी करवा सकते है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में रायढ़िया सिक्खों को शामिल करना

1595. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में किसी जाति को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में कुछ जातियों के शामिल करने के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 249 प्राप्त हुए हैं। जहां तक इस मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्गों का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं और इसके बदले इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जाता है।

[अनुवाद]

महिलाओं के साथ मारपीट

1596. श्री बलराम सिंह यादव :
श्री ए.सी. जोस :
श्री एन. डेनिस :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री एन.के. प्रेमचंद्रन :
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मध्य प्रदेश और बागपत में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ मारपीट की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इस संबंध में कानूनी कार्यवाही किस चरण में है;

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ङ) ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाये गये है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी श्रीमान्। उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही में झबुआ (म.प्र.) तथा बागपत (उ.प्र.) में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं पर हमले की एक-एक घटना हुई है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" एवं "पुलिस" राज्य का विषय है। अपराधों का पंजीकरण, छानबीन, अपराधों का पता लगाना तथा अपराधों की रोकथाम करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। केन्द्रीय स्तर पर अलग-अलग मामलों का कोई विवरण नहीं रखा जाता है।

यद्यपि, अपराध से निपटना अनिवार्य तौर पर राज्य सरकार का काम है। केन्द्रीय सरकार आसूचना के आदान-प्रदान के अतिरिक्त, पुलिस के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती रही है। साम्प्रदायिक स्थितियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक विशेष बल का गठन किया गया है, जिसे रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है।

विभिन्न समुदायों में दुर्भावना, घृणा या कटुता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हाल ही में हुए हमलों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि जिले में कानून व व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं कि अल्पसंख्यकों के साथ हुई ज्यादतियों/उनके उत्पीड़न की शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि दोषियों की सजा दी जा सके। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों पर जब कभी भी और जहां कहीं भी हिंसा हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए जिससे औरो को नसीहत मिल सके।

सिर पर मैला ढोने वालों का कल्याण

1597. श्री मुनिलाल :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए कल्याण विभाग ने कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) इस योजना के लिये निर्धारित राशि में से कितनी धनराशि अन्य योजनाओं के लिए दी गई है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये दी गई सहायता तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी जाने वाली सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) इस वर्ष के लिए आबंटित निधियां 90.00 करोड़ रु. है।

(ख) इस वर्ष के दौरान 35.00 करोड़ रु. का विपथन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए किया गया है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सिर पर मैला ढोने वालों के शीघ्र कल्याण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के पास व्यय न की गई निधियां पड़ी हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना के अंतर्गत अनन्तिम आबंटन 520 करोड़ रुपए है। विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधियों का राज्यवार आबंटन किया जाएगा।

घुसपैठ

1598. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश के नागरिक सिलीगुड़ी के रास्ते से हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घुसपैठ रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सिलीगुड़ी के रास्ते बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ करने की रिपोर्ट हैं।

(ख) भारत में बंगलादेशी नागरिकों की घुसपैठ की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं-सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों और बाड़ निर्माण कार्यक्रम को तेज करना, सीमा चौकी बुर्जों की संख्या बढ़ाना, निगरानी उपकरण, इत्यादि उपलब्ध कराना। इस मामले को विभिन्न मौकों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा फेलोशिप

1599. श्री रामशकल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा उच्च शिक्षा हेतु विदेशी फेलोशिप प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पी.एच.डी. और पोस्ट डाक्टरेड पाठ्यक्रमों के लिए दी गई फेलोशिप का विषयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साक्षात्कारों को आयोजित करने और उनके परिणामों को घोषित करने में काफी विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त विलम्ब से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं जिन्हें डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया।

क्र.सं.	वर्ष	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम	विषय
1.	1995-96	इन दो वर्षों में तीन विदेशी पुरस्कार प्रदान किए गए। जिनमें से दो समाज	
2.	1996-97	विज्ञान में पी.एच.डी. और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में था।	
3.	1997-98	शून्य	सम्बन्ध

(ग) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के शासी निकाय ने दिनांक 14.9.97 से डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फेलोशिप योजना बंद कर दी है तथा डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप तथा डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फलोशिप की संशोधित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिन्हें शुरू किए जाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सेवानिवृत्ति आयु

1600. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं श्रीमान्। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान पहले ही 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी अपतृण के बीज

1601. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
डा. शकील अहमद :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित आस्ट्रेलियाई गेहूं में विदेशी अपतृण पाए गए हैं जो कर्नाटक के लिए एक बड़ी समस्या है जैसाकि 13 अक्तूबर, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसमें छपे समाचार से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या यह मामला आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड के साथ उठाया गया है।

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा आस्ट्रेलियाई गेहूं का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य व्यापार निगम ने 1998-99 के दौरान 142.5 अमरीकी डालर प्रति टन (जहाज तक निष्प्रभार) को दर पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से आस्ट्रेलिया से 14.15 लाख टन गेहूं का आयात किया था। जिसमें कुल 205.32 मिलियन अमरीकी डालर (जहाज तक निष्प्रभार लागत और भाड़े सहित) का खर्च अंतर्ग्रस्त है।

(ग) से (ङ) आस्ट्रेलियन गेहूं में खरपतवार के कुछ बीज होने का पता चला था। खरपतवार के ऐसे बीज किसी भी खाद्यान्न

की फसल कटाई का अतरंग भाग होते हैं और खाद्यान्नों के आयात के किसी भी बल्क में खरपतवार के बीजों का पाया जाना असामान्य नहीं है। आस्ट्रेलियन गेहूं ठेके के उपबंधों और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।

मंगलोर स्थित कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के गोदाम में भंडारित काजू की क्रास जन्तुबाधा (क्रास इनफेसटेशन) के बारे में कर्नाटक से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी भारतीय खाद्य निगम ने जांच की थी और यह पाया था कि कीट जन्तुबाधा की कोई आशंका नहीं है। सावधानी के उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम और राज्य भंडारण निगम के प्राधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे नियमित रोगनिरोधी और रोगहर उपचार करके गेहूं के आयातित स्टाक को जन्तुबाधा से मुक्त रखें और इस स्टाक को प्राथमिकता पर जारी करें।

(च) और (छ) राज्य व्यापार निगम ने यह मामला आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड के साथ उठाया है कि वे गेहूं के परेषण को संभव सीमा तक विजातीय बीजों से मुक्त रखें।

(ज) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया है कि वे आयातित गेहूं के स्टाक को केवल गेहूं की पैदावार न करने वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्य सरकारों को उनके मासिक आवंटन के प्रति जारी करें। यह निर्णय लिया गया है कि खुली बिक्री हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को गेहूं की अतिरिक्त मात्रा रिलीज करें और यह सुनिश्चित करें कि खुले बाजार में बिक्री किया गया आयातित गेहूं केवल रोलर फ्लोर मिलों में जाएं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आयुध अधिनियम, 1959 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम तथा सीमा सुरक्षा बल संशोधन नियम

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1998 जो 14 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1702/98]

(2) सीमा सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नति और अधिवर्षिता) संशोधन नियम, 1998 जो 23 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1703/98]

नेशनल कोऑपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1704/98]

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बडोदरा के वर्ष 1997-98 इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वा 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षि लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1705/98]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बडोदरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बडोदरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1706/98]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1707/98]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1708/98]

(5) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लखे।

(दो) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1709/98]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1710/98]

(7) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर, गांधीग्राम इंस्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट, तमिलनाडु के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर, गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट, तमिलनाडु के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1711/98]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1712/98]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1713/98]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1997-98 के वार्षक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1714/98]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1715/98]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1716/98]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1717/98]

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1718/98]

(15) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1719/98]

(16) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1997-98 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1720/98]

(17) (एक) लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एलाइड डिजीज़ेज, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एलाइड डिजीज़ेज, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1721/98]

(19) हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1722/98]

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. स्वीकृत अनुदानों से अधिक राशि और प्रभारित विनियोगों संबंधी पहला प्रतिवेदन (1996-97),
2. संघ सरकार विनियोग लेखे (1996-97) दूर-संचार सेवाओं संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

इकहत्तरवां से छिहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बीच में स्कूल छोड़ने की समस्या के बारे में समिति का इकहत्तरवां प्रतिवेदन;

(2) प्रौढ़ शिक्षा के बारे में समिति का बहत्तरवां प्रतिवेदन;

(3) जानलेवा बीमारियों के बारे में समिति का तिहत्तरवां प्रतिवेदन;

(4) व्यावसायिक शिक्षा के बारे में समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन;

(5) इंडियन म्युजियम, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का पचहत्तरवां प्रतिवेदन; और

(6) नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का छिहत्तरवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडंवाणी) : महोदय, मैं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

केरल उच्च न्यायालय द्वारा रसोई गैस कनैक्शन के कोटे पर लगाई गई रोक के बारे में

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, कल यहां पर गैस कनैक्शन और टेलीफोन कनैक्शन के बारे में जो विषय उठा था और आपके कक्ष में जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने आपको वस्तुस्थिति बताई थी।

[अनुवाद]

दिनांक 7.12.1998 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1998 के ओ.पी. संख्या 11507 (वरघीस जार्ज बनाम भारत सरकार तथा अन्य) पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश से उत्पन्न मामले के संबंध में चर्चा की गई थी जिसमें निम्नलिखित मंत्री तथा अधिकारी उपस्थित थे:

बैठक में यह बताया गया था कि भारत सरकार की ओर से 30.11.1998 को कोच्ची में केरल उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया था और 7 दिसम्बर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था जो कि कोच्ची में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के अनुसार बृहस्पतिवार 10 दिसम्बर, 1998, को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। यह निर्णय लिया गया था कि अतिरिक्त महान्यायवादी के स्तर पर इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए जिनको इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए लगाया गया है और उन्हें भारत सरकार के मामले की प्रभावपूर्ण तरीके से पैरवी करने के लिए 10 दिसम्बर, 1998 को कोचीन में उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के लिए कहा जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि 10 दिसम्बर, 1998 को स्थगन आदेश समाप्त किए जाने के आदेश कार्यान्वित किए जाने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सामने आने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले में अन्तिम निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

स्पीकर साहब ने तय किया है कि दस तारीख को केस का फैसला कुछ भी हो, केस को देखकर उसके अगले दिन स्पीकर साहब फैसला कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उन्हें पहले ऐसा करना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. प्रेमाजम को बुलाया है। हमने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि इस मुद्दे पर और चर्चा नहीं की जाएगी।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 8.12.98 में प्रकाशित।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सभा के समक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मामले को उठाना चाहूंगा। बडागरा रेलवे स्टेशन जो बडागरा नगर-पालिका जिसका तेजी से शहरीकरण हो रहा है के बीचों बीच स्थित है, प्रयोक्ताओं की संख्या तथा रेलवे को होने वाली आय के मामले में केवल कालीकट रेलवे स्टेशन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्तमान अपर्याप्त बिल्डिंग को गिराने और एक नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और आवश्यक धनराशि आबंटित कर दी गई थी। मूल प्रस्ताव में पुराने पैदल पारपथ को तोड़ने और उसके पुन: निर्माण तथा उसके आस-पास के क्षेत्र और पहुंच मार्ग में सुधार इत्यादि को भी ध्यान में रखा गया है। अब यह समझा गया है कि लागत के अनुमान तथा योजना में काफी परिवर्तन आ गए हैं और धनराशि भी काफी कम हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, 'शून्य काल'' में महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए 45 सदस्यों ने पूर्व सूचना दी है। मैं उन सब को बुलाना चाहता हूं। अत: आप केवल एक अथवा दो मिनट का समय ले सकते हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : अब वर्तमान बिल्डिंग में कुछ परिवर्तन किए जाने पर विचार किया जा रहा है। नई बिल्डिंग का निर्माण बहुत आवश्यक है। मैं सरकार से विशेषकर कि माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें और मूल योजना को कार्यान्वित करें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम-राजकोट एक्सप्रैस कोचीन-राजकोट एक्सप्रैस, नागरकोल-गांधीधाम एक्सप्रैस और मैंगलोर-जम्मू तवी एक्सप्रैस के लिए बडागरा में स्टेशन बनाए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप 'शून्य काल' में पढ़कर नहीं बोल सकती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नाम बुलाऊंगा। मैं सूची के अनुसार नाम बुला रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में सरकार ने आठ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है जिसमें से छ: यूनिट एश्चिम बंगाल के हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट वक्तव्य में यह उल्लेख किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में 26 प्रतिशत विनिवेश किया जाएगा। सरकार की ओर से यह बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसकी ओर से श्रमिकों पर आरोप लगाये जा रहे हैं जबकि वह स्वयं मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैं इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम आपको दूंगी। वह इस प्रकार है:

1. साईकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया
2. नैशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में चर्चा की जाएगी।

कुमारी ममता बनर्जी : हम इस संबंध में उस समय भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन कृपया मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति दीजिए। अन्य यूनिटें इस प्रकार है:

3. भारत प्रोसैस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग
4. बेट वर्ड इण्डिया
5. टैनरी एंड फुटवियर कम्पनी
6. एम.ए.एम.सी. (माइनिंग एंड एलाइड मैशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड)
7. भारत ऑपथेलमिक ग्लास लिमिटेड; और
8. आर.आई.सी.।

सरकार दस अन्य सार्वजनिक क्षेत्र एककों की घोषणा करने जा रही है। वह हैं नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, राज्य व्यापार निगम, इस्पात व्यापार निगम, राष्ट्रीय कपड़ा निगम, परियोजना तथा उपकरण निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, एम.एम.टी.सी., खनिज अन्वेषण, स्पानेज ऑयरन इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कार्पोरेशन लिमिटेड, मैटल स्क्रैपस ट्रेडिंग कार्पोरेशन एंड मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट लिमिटेड। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग भी हैं। महोदय, यह चौका देने वाला मामला है। यहां तक कि चाय व्यापार निगम के कर्मचारियों को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

हम आर्थिक उदारीकरण की नीति का स्वागत करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार कर्मचारियों से परामर्श किए बिना एकतरफा निर्णय ले सकती है। इस घोषणा के लिए विनिवेश आयोग के अध्यक्ष श्री जी.वी. रामाकृष्णा ने केन्द्र की बहुत आलोचना की है। यह एक वैध मुद्दा है *...(व्यवधान)*। कृपया मुझे बीच में टोके नहीं। आप लोग भी शामिल हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, श्री रामाकृष्णा ने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के विनिवेश कार्यक्रम की आलोचना की है। इसे विनिवेश आयोग को भेजा नहीं गया है। मैंने सरकार को अनेक पत्र लिखे थे। यह प्रधानमंत्री जी का जवाब है। हम प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से मिले थे लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

क्या मैं सरकार से यह अनुरोध करूं। संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं - कि वह ऐसे खतरनाक निर्णय न लें? आप स्वदेशी आन्दोलन चलाना चाहते हैं और महोदय, आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आगे आ रही हैं। हमें उनका स्वागत करना है। लेकिन हम अपने स्वदेशी उद्योगों को बर्बाद नहीं कर सकते।

अपराह्न 12.12 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

आपको हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के मनोबल को भी बढ़ाना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्री के साथ मामले पर विचार करें। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि ई.सी.एल. के मामले में 71,000 कर्मचारी शामिल हैं। सरकार इन सभी कम्पनियों को बंद करने के लिए तेजी से निर्णय ले रही है। क्या आप जानते हैं कि आपके बेरोज़गार युवाओं की संख्या तीन करोड़ से अधिक हो रही है? अब, आप इस देश में दस लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं।

अत: यह एक गंभीर मामला है। सरकार को इस संबंध में एक नीति की घोषणा करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इन एककों को बंद न करें। वी.आर.एस. के लिए आप जो धन दे रहे हैं, यदि वह धन आप इन एककों को पुन: आरम्भ करने के लिए दें, तो उन एककों को पुन: आरम्भ किया जा सकता है। अत: यह एक ठोस प्रस्ताव है। यहां तक कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी प्रस्ताव दिया है। लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यदि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपका स्वदेशी आन्दोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मामले की मध्यस्थता करें। आप श्रमिक वर्ग के हितों का संरक्षण कीजिए। महोदय, संसदीय कार्य मंत्री सुन नहीं रहे हैं। यह मजाक की बात नहीं है। या तो आपको कुछ करना होगा अन्यथा हमें आन्दोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, इस इशु के बारे में ऑलरेडी 193 के अंतर्गत डिसकशन करने का तय किया है। ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : डिसकशन करने की बात नहीं है, आपका पालिसी डिसीजन क्या है?

श्री मदन लाल खुराना : ममता जी, पूरा डिसकशन होगा और कंसर्न्ड मिनिस्टर यहीं होंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया अपने वित्त मंत्री को बतायें कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। कृपया हमें आन्दोलन करने पर मजबूर न करें।

श्री मदन लाल खुराना : ममता जी, ऐसी बात नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सूचना देना चाहूंगा कि नई दिल्ली पालिका समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित "स्वाति वर्किंग गर्ल्स होस्टल" संध्या सीनियर सिटीजेंस होस्टल, इंदिरा निकेतन वर्किंग गर्ल्स होस्टल दिल्ली में है। जिसमें देश के कोने-कोने से आई हुई लगभग 600 कामकाजी महिलाएं रहती हैं। ज्यादातर दक्षिण भारत की हैं। तमाम महिलाएं अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं। वे सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत हैं। होस्टल के डारमिटरी में 10-12 तथा 3-4 लड़कियां एक-एक कमरे में नर्क सा जीवन व्यतीत कर रही हैं महिला कल्याण संरक्षण के लिए बने इन तीनों होस्टलों का सरकार ने किराया बढ़ा दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि महिला कल्याण संरक्षण के तहत होस्टलों की सुविधा में सुधार लाया जाए और बढ़े हुए किराए को वापस लिया जाए क्योंकि वे महिलाएं इतना किराया नहीं दे सकती। स्वाति गर्ल्स वर्किंग होस्टल, संध्या सीनियर सिटिजन्स होस्टल और इन्दिरा निकेतन वर्किंग गर्ल्स होस्टल दिल्ली में है। यह कल्याण संबंधी मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जीरो आवर में स्पीच नहीं होती। बोलने वालों की बहुत लम्बी लिस्ट है। अब आप खत्म करिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह बढ़े हुए किराए को वापस ले। वह होस्टल में आमूलचूल सुधार करे। सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : सभापति महोदय 25 सांसदों ने अधिकारों के हनन के विषय में चार तारीख को प्रिवलेज नोटिस दिया था। उस विषय पर बोलने की मुझे अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं?

सभापति महोदय : मैं सभा में उपस्थित था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे मामले पर विचार करेंगे और फिर आपको सूचित करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : हम 25 सांसदों ने चार तारीख को अधिकारों के हनन के विषय में जो नोटिस दिया था, उसका वह उत्तर नहीं था। मैं जीरो आवर में जो बोल रही थी, वह उसका उत्तर था। हमने चार तारीख को अलग से नोटिस दिया है। मैं उस विषय पर बोलना चाहती हैं। मैं इसके लिए अनुमति मांग रही हूं।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीकर द्वारा प्रिवलेज मोशन पर कंसिडर होने के बाद बोलने का मौका मिलता है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैंने जीरो आवर में एक तारीख को मामला उठाया था। 25 सांसदों ने चार तारीख को नोटिस दिया था। नोटिस के बाद इसे उठाने का हमें अधिकार है। हम उसे उठाने की आपसे अनुमति मांग रहे हैं।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नोटिस देने के बाद अपने आप या ऑटोमैटिकली राइट नहीं बनता। स्पीकर की अनुमति के बाद आपका राइट बनता है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मुझे यह बात मालूम है। मैं भी वही कह रही हूं।

सभापति महोदय : वह कंसिडरेशन स्टेज में है। वह अभी एडमिट नहीं हुआ हैं।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, पूरे उत्तर बिहार में खाद की कमी है। आप जानते हैं कि बिहार में खरीफ की फसल पहले बाढ़ के कारण तबाह हो गई और बची हुई फसल कीड़ों के कारण तबाह हो गई। अब रबी का समय आ गया है। किसान गेहूं, आलू, दलहन, तिलहन की खेती करते हैं लेकिन उत्तर बिहार में खाद नाम की चीज नहीं है। भारत सरकार ने बिहार सरकार को खाद का कोटा बहुत कम दिया है। भारत सरकार के राज्य सरकार से मतभेद हो सकते हैं लेकिन राज्य की जनता और किसानों से भेदभाव करने का आपको अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इसे कंसिडर करे। मधुबनी और दरभंगा में खाद की खास तौर से कमी है। सरकार इसे अविलम्ब पूरा करे।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय पिछले सत्र के दौरान डाक-कर्मचारी हड़ताल पर थे। वे तलवार समिति रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे और वे कुछ समय के लिए हड़ताल पर चले गए थे। तत्कालीन संचार मंत्री ने कर्मचारियों से बातचीत की थी और एक समझौता किया था। इस मामले को सभा के समक्ष भी लाया गया था। विभागेतर कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा और अन्य मामले इसमें संलिप्त थे परन्तु सरकार ने उनके निर्णय को लागू नहीं किया। अब कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि परिस्थितियां ऐसी ही बनी रही तो कर्मचारियों द्वारा फिर से देश व्यापी हड़ताल की जाएगी। मैं सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और हड़ताल को रोकने का आग्रह करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : सभापति महोदय, माह जुलाई में डाक-तार कर्मचारियों ने पूरे भारत में हड़ताल की थी। उस समय इस सदन में और इस सदन के बाहर यूनियन के कर्मचारियों और उनके नेताओं को हमारी संचार मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पूरे देश की संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी। मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष सहमति व्यक्त की थी। यह सही मायने में अधिकार का हनन है। आपने सभा में आश्वासन दिया था।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : वे तलवार समिति की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं कर सकते?

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हर बात की कोई सीमा होती है। यह सब क्या

हो रहा है? यदि आप ऐसे बोलेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही कैसे चलाऊंगा?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : सभापति महोदय, इस वर्ष माह जुलाई में पूरे भारत में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और यह लम्बे समय तक चली थी। इसकी चर्चा उस समय सदन में हुई थी। हमारी संचार मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन के कर्मचारियों और नेताओं को आश्वासन लेकिन दिया था कि तलवार कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जायेगा लेकिन जब हम अपने जिले में जाते हैं तो उनकी यूनियन हम लोगों का घेराव करती है। मेरी सरकार से मांग है कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये तलवार कमेटी रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाये। साथ ही पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में जो विसंगतियां हैं, उन्हें भी दूर किया जाये।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिये, वह बताइये।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : सभापति महोदय, यह हड़ताल लम्बे समय तक चलती रही है। इसलिये मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि इस रिपोर्ट को लागू करने के लिये जितनी समयावधि दी गई थी, उसके अनुसार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाये जिससे हमारा वायदा पूरा हो सके।

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : महोदय, वनांचल के बारह सदस्यों ने संयुक्त सूचना दी है। इसीलिए उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले से ही सूची बना रखी है। मैं उसी सूची से क्रमबद्ध रूप से नाम पुकार रहा हूं। कृपया सहयोग दें।

प्रो. रीता वर्मा : 12 सदस्यों में से केवल एक सदस्य उन सभी की ओर से बोलेगा।

सभापति महोदय : अध्यक्ष द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार इसे पहले ही सूचीबद्ध किया गया है। मैं सूची के अनुसार ही नाम ले रहा हूं। आपको अवसर जरूर मिलेगा। कृपया प्रतीक्षा करें। हम सभी को बैठना होगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रीता वर्मा : इस विषय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि 12 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सदस्य के बाद आपको अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय : जब आपका नाम आएगा, तब अन्य सभी जुड़ जाएंगे। कृपया तब तक प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, रीवा पुराने विन्ध्य प्रदेश की राजधानी रही है और यह सम्भाग मुख्यालय भी है लेकिन रीवा से दिल्ली के लिये कोई सीधी रेलगाड़ी नही है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब तक रीवा से दिल्ली सीधी रेलगाड़ी नहीं चालू की जाती तब तक रीवा को इलाहाबाद से जोड़ दिया जाये ताकि इलाहाबाद से प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन से हम लोग दिल्ली के लिये आ सकें। अगर यह भी नहीं किया जा सकता तो महाकौशल एक्सप्रेस जो जबलपुर से चलती है, उसे या महामाया एक्सप्रेस को रीवा से चलाया जाये या 3-4 डिब्बे उसमें जोड़ दिये जायें। क्योंकि इसी समय से जबलपुर से महामाया एक्सप्रेस चलती है और महाकौशल एक्सप्रेस का जबलपुर से चलाए जाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। कटनी स्टेशन तक दोनों ट्रेनें करीब-करीब एक साथ पहुंचती है। इसी प्रकार रीवा से जबलपुर हाईकोर्ट जाने के लिये कोई सुबह कोई रेलगाड़ी नहीं है। मेरी मांग है कि रीवा से जबलपुर के लिये प्रातः कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाये। साथ ही रीवा में कम्प्युटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालय की व्यवस्था भी की जाये।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं अति लोक महत्व का विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा जगत की विडंबनाओं से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को विवादों के घेरे में लाया जा रहा है। वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जैसी पवित्र पंक्तियों को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे समय में शिक्षा जगत की एक भीषण समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार प्रत्येक वर्ष यू.जी.सी. तथा सी.एस.आई.आर. के माध्यम से लेक्चररशिप और जूनियर रिसर्च फैलोशिप की अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित करती है। इन परीक्षाओं में चुने गए मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पांच वर्षों तक इन छात्रों पर भारी रकम खर्च की जाती है, उसके बाद उन्हें किसी योग्य नहीं समझा जाता। मेधावी छात्र फिर सड़क पर आ जाते हैं और लेक्चरशिप की तलाश में गली-गली

धक्के खाते हैं। उन्हें 1992 से पूर्व पी.एच.डी. करने वालों और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में चुने गए विद्यार्थियों के साथ-साथ इंटरव्यू में जाकर परेशानी और हताशा का सामना करना पड़ता है। वहां भी राज्य वालों को तरजीह दी जाती है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो छात्र या छात्रा सरकार की नज़र में पूरे भारत में सर्वोत्तम है और उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अंतत: उनकी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि कुछ वर्षों के लिए ये परीक्षाएं रोक दें और जिन छात्रों को यह उत्तम घोषित कर चुकी है, उन्हें सर्वप्रथम प्रवक्ता बनने का मौका दें ताकि सरकार द्वारा किये गये मूल्यांकन और उन पर किये गये खर्च का सही उपयोग हो सके, वरना देश की शिक्षा व्यवस्था की दिशाहीनता पूरी नौजवान पीढ़ी को अनिश्चितता के अंधेरे में ढकेल देगी।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, वनांचल का मामला बहुत गंभीर है। इस पर बोलने का मौका दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि वरिष्ठ सदस्य भी ऐसा आचरण करेंगे! तो क्या किया जा सकता है?

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : आप अपनी सरकार से कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया क्या आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जायें। कृपया इस समय मेरी बात सुनिए।

'शून्य काल' में मामलों को उठाने के लिए जब माननीय सदस्यगण सूचनाएं देते है तब उन पर समय अंकित किया जाता है और डाले गए समय के अनुसार सूची बनाई जाती है। मैं सदस्यों का नाम सूची में पहले आई सूचनाओं के आधार पर पुकार रहा हूं। मैं कुछ सदस्यों को छोड़कर, किन्हीं अन्य सदस्यों को प्राथमिकता नहीं दे सकता। कृपया मुझसे सहयोग करें। मैं केवल माननीय अध्यक्ष द्वारा बनायी गई सूची के अनुसार सदस्यों का नाम ले रहा हूं। किसी को मैं विशेष वरीयता नहीं दे रहा हूं। हम आशा में व्यवस्था बनाए रखें तो सभी को अवसर मिलेगा।

अब श्री चमन लाल गुप्त बोलेंगे।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, पिछली सरकार में श्री देवेगौड़ा जी ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक पैकेज अनाउंस किया था। वह पैकेज इसलिए अनाउंस करना पड़ा कि वहां पर इनसर्जेन्सी थी और इनसर्जेन्सी में लोगों ने जो भी कर्ज़ें लिये थे, वह किसी भी काम में नहीं लगा सके और वापस नहीं हो पा रहा था। उन्होंने 50,000 रुपये तक के सबके कर्ज़ें माफ कर दिये थे, परन्तु मैं समझता हूं कि कहीं पर भूल हुई है। उसमें जो ऐग्रीकल्चर लोन किसानों ने लिये हैं, उसको इस दायरे में नहीं लाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि कितने किसान इस बात के लिए आत्महत्या कर चुके हैं कि वे कर्जें वापस नहीं कर सके। 50,000 रुपये तक के जो कर्ज़ें माफ हुए हैं वह शिकारा चलाने वालों के माफ हुए हैं, होटल चलाने वालों के माफ हुए हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसान का कर्ज़ा क्यों माफ नहीं हो रहा है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में किसानों के ऐग्रीकल्चरल लोन्स जो 50,000 रुपये तक के हैं, उनको तुरंत माफ किया जाए।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में आई प्रलयंकारी बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। बाढ़ आने के समय में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना के तहत प्रदेश में जिनकी फसल बरबाद हो गई थी, प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को 1500 रुपये की सहायता, जिसमें 1000 रुपये नकद और 500 रुपये का कपड़ा तथा अन्य सामान देने का निर्णय हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि बजट में पैसा नहीं है, जिसके कारण वह सहायता देने का काम बंद हो गया। एक तरफ खाद और बीज के लिए हाहाकार है, लोगों का मुफ्त खाद और बीज नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रधान मंत्री आदरणीय श्री अटल जी ने गोरखपुर नगर में जाकर सार्वजनिक घोषणा की थी कि भारत सरकार बाढ़पीड़ितों को दो सौ करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार ने उसे यह राशि मुहैया नहीं कराई है, जिसके कारण बीज खाद और अन्य सहायता देने से उत्तर प्रदेश सरकार मना कर रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसको पूरा किया जाए।

सभापति महोदय : आप सरकार से मांग करिये, आपको लम्बा भाषण नहीं करना है।

श्री हरिकेवल प्रसाद : सभापति महोदय, चूंकि यह घोषणा प्रधान मंत्री जी ने की थी और वह लागू नहीं हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि पैसा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

****श्री एम. दुराई** (वन्डावासी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान तमिलनाडु मर्चेन्टाइल बैंक लि. से सम्बन्धित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

1921 में नाडर समुदाय द्वारा स्थापित इस बैंक को आजकल तमिलनाडु मर्चेन्टाइल बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी 143 शाखाएं है और इसका 1600 करोड़ रुपयों का कारोबार है। जब इस्सार कम्पनी ने 67% प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंक को अपने अधीन करना चाहा तो नाडर समुदाय ने 'नाडर महाजन शेयर इन्वेस्टर फोरम' नामक मंच की स्थापना प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए की। जब इस्सार कम्पनी के नाम से प्रतिभूतियों को पंजीकृत करने से भारतीय रिजर्व बैंक ने मना किया तो उन्होंने इसे एक अनिवासी भारतीय श्री शिवशंकरन को बेचना पसन्द किया। जब उन्होंने आई.डी.बी.आई. से ऋण के लिए आवेदन दिया तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने तमिलनाडु मर्चेन्टाइल बैंक की प्रतिभूतियां 135 करोड़ रुपयों में खरीदी है। परन्तु अगस्त, 1997 में इस्सार कम्पनी के शशि रूइया ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सूचित किया कि उन्होंने 90 करोड़ रुपयों में प्रतिभूतियों को बेचा है। यह बात केवल यह दर्शाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संवैधानिक वित्तीय संस्था से श्री शिवशंकरन ने तथ्यों को छिपाया है। विशेष अदालत के समक्ष स्टेट बैंक आफ इण्डिया को गुमराह करने का श्री शिवशंकरन (मामला संख्या 117/97) के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है। इस बीच, चेन्नई उच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्सार कम्पनी से टी.एम.बी. की प्रतिभूतियों को नहीं खरीदा था।

इसी कारण मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि टी.एम.बी. की प्रतिभूतियों को स्थानान्तरित नहीं किया जाय और उनके नाम से पंजीकृत नहीं किए जाए और श्री शिवशंकरन को सरकार से या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सहायता न मिले और वह इस मामले का निपटारा नाडर महाजन इन्वेस्टर फोरम के साथ कर ले। भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित उनके सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तमिलनाडु मर्चेन्टायल बैंक स्थापना करने वाले समुदाय के पास ही रहे।

सभापति महोदय : श्री दुराई, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शून्य काल भाषण-काल बनता जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय सभापति जी, किसी भी कल्याणकारी सरकार का फर्ज है कि जनप्रतिनिधियों का आदर करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय सांसदों की एस.एन.डी. में, ऊर्जा समिति में, शिक्षा समिति में और पूर्वांचल विकास निधि में भागीदारी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं कि उत्तर प्रदेश के सांसद उत्तर प्रदेश के विकास निधियों में भागीदार नहीं होंगे। इसलिए मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं एस.आर.वाई. और जे.आर.वाई. में माननीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : हम लोग इसका समर्थन करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : सभापति महोदय, मैं एक विशेष घटना के संबंध में यह जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का मंडला जिला एक आदिवासी जिला है और निरंतर *...(व्यवधान)*

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, ऐसा निर्देश है कि माननीय सांसदों को सारी समितियों में रखा जाए *...(व्यवधान)* यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)* आप उनको इस बारे में बोलने के लिए कहे *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय व्यर्थ न करें। माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह किसी एक सांसद का नहीं सारे सांसदों का सवाल है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्टर को कैसे कम्पैल कर सकते हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत : सर, फिर जीरो ऑवर का क्या मतलब है, सांसदों के अधिकारों का हनन हो रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठते क्यों नहीं? कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप 'शून्य काल' नहीं चाहते तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री उत्तर नहीं दे रहे है? मैं उन्हें बाध्य कैसे कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि सरकार को कुछ कहना है तो वे कह सकते है। मैं बाध्य नहीं कर सकता। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। आपको पता होना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : सभापति महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से इस सदन और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र मंडला मध्य प्रदेश के जिला मंडला में उल्टी-दस्त की एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली हुई है जिसके कारण 989 आदिवासियों की मृत्यु हो चुकी है और वहां स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। पिछले पांच दिनों से मैं इस मसले को यहां उठाने का प्रयास करता रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल से आज अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मंडला जिले के लिए विशेष योजना बनाएं ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके और वहां हो रही भयावह मौतों से आदिवासियों को राहत मिल सके। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके माध्यम से पुन: भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला मंडला को इस भंयकर बीमारी से बचाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वहां की सरकार के माध्यम से चलाने हेतु एक विशेष योजना बनाई जाए ताकि वहां हो रही मौतों से आदिवासियों को बचाया जा सके। *...(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में सी.जी.एच.एस. की दो डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं जिनमें से एक दिलशाद गार्डन में और दूसरी लक्ष्मो नगर में है। दिलशाद गार्डन की डिस्पेंसरी 30 हजार रुपए प्रति माह किराए के भवन में चल रही है। उसके लिए डी.डी.ए. ने 1723 वर्ग मीटर जगह आबंटित कर दी है, लेकिन डिस्पैंसरी का भवन बनना अभी तक शुरू नहीं हुआ है और लक्ष्मी नगर डिस्पेंसरी का भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन नवनिर्मित भवन में डिस्पेंसरी को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वहां रह रहे केन्द्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं ठीक प्रकार से नही मिल पा रही हैं क्योंकि ये दोनों डिस्पेंसरियां वर्तमान में जहां हैं वहां भवन छोटा होने के कारण समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि लक्ष्मी नगर की डिस्पेंसरी को शीघ्र नवनिर्मित भवन में शिफ्ट किया जाए और दिलशाद गार्डन में डिस्पेंसरी के लिए आबंटित स्थान पर डिस्पेंसरी का भवन शीघ्र बनाना प्रारंभ किया जाए ताकि केन्द्रीय कर्मचारियों को ठीक और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र खगड़िया-बिहार गंगा के कटाव से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है जिससे हजारों घर गंगा में विलीन हो गए हैं। अब स्थिति यह है कि गाहरा गोला घाट स्टेशन और बरौनी रेलवे लाइन के लिए भी भूमि कटाव का खतरा होता जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गंगा से भूमि कटाव को रोकने के लिए अविलंब पग उठाए जाएं और उस क्षेत्र में कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों को बसाने का बंदोबस्त किया जाए अन्यथा आगामी सीजन में किसी भी समय भूमि कटाव के कारण रेल की पटरी बह जाने एवं गंगा के बहाव के कारण वहां के लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मित्रसेन यादव, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने बिहार में अलग वनांचल बनाने का वायदा किया, पूर्व बिहार विधान सभा से प्रस्ताव पारित होकर यहां आया, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर सरकार द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि इसी सत्र में वह प्रस्ताव लाया जाएगा और बिहार में एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाएगा, लेकिन कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण वहां की जनता आंदोलित है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप सब इस तरह व्यवहार करेंगे तो मैं सभा को नियंत्रित कैसे कर पाऊंगा

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसी विषय पर श्री राम टहल चौधरी के साथ 25 अन्य माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, वहां अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए रोजाना धरने एवं प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके कारण वहां की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। वहां अलग राज्य बनाने की मांग अनेक वर्ष से चली आ रही है। यदि वहां अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा, तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवधान न डालें। मैं सूची में सम्मिलित सदस्यों का नाम पुकार रहा हूं। मैं सूची के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, वहां स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, ये लोग वहां की सरकार से बात क्यों नहीं करते। आप बिहार राज्य का बंटवारा करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यह शून्यकाल है। कृपया सभा में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह लम्बी सूची है और इसमें 44 नाम है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, हम अपनी बात कर रहे हैं। वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वहां अलग राज्य का विधेयक इसी सत्र में लाया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, ये यहां सरकार पर प्रैशर डालकर ये लोग वहां राज्य का बंटवारा करना चाहते हैं। इनकी यह बात नहीं चलने दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति जी, आप मंत्री जी से आश्वासन दिलवाइये। ...*(व्यवधान)* खुराना जी आप हम लोगों को कोई जवाब दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विषय पर सूचना देने वाले 25 सदस्य हैं। इसलिए मैं केवल उन्हीं का नाम पुकारूंगा। वे उठकर खड़े हो और कहें मैं भी स्वयं को इस विषय से जोड़ता हूं। तब मैं पूछूंगा क्या सभी माननीय सदस्य प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते है। अब श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, वनांचल के इश्यू पर ही हम सबने नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि खुराना जी इस बारे में जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : सभापति जी, वनांचल के मुद्दे पर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यह बिल इसी सत्र में आये। ....*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : सभापति जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर बोलें और आश्वासन दें कि वनांचल का बिल इसी सत्र में लाया जायेगा।

प्रो. रीता वर्मा : सभापति जी, वनांचल का बिल इसी सत्र में आना चाहिए। यह जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : सभापति जी, वनांचल का बिल इसी सत्र में आना चाहिए, जो बहुत जरूरी है और वहां की जनता की मांग है। मंत्री जी इस बारे में जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : सभापति जी, वनांचल का बिल इसी सत्र में आये। ...*(व्यवधान)* हम मंत्री जी से जवाब चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* वे इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री सोम मरांडी (राजमहल) : सभापति जी, वनांचल विधेयक इसी सत्र में आना चाहिए। मंत्री जी इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)* संयुक्त रूप से हमारा कहना है कि वनांचल विधेयक इसी सत्र में आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे वनांचल क्षेत्र में चार दिन की नाकेबंदी रही। वहां पर वनांचल विधेयक नहीं आने से काफी लोगों में आक्रोश है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वनांचल विषय पर वक्तव्य देने की कृपा करें ताकि वनांचलवासियों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े और उनकी मांग को सही दिशा मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस तरह चिल्लाइये मत।

[हिन्दी]

क्या आपका मामला इसी से संबंधित है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : जी, इसी से संबंधित है।

सभापति महोदय : इसके बारे में आपने नोटिस नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका इस संबंध में नोटिस नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं केवल वनांचल के बारे में ही नहीं ...*(व्यवधान)* आप पूरी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* देश की जनता तीनों के बारे में सुनना चाहती है। आप पूरी बात तो सुनें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। आप स्वयं को इस विषय से जोड़िए। अब भाषण मत दीजिए। क्या मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि हमारे नैशनल एजेंडे में छत्तीसगढ़, वनांचल और उत्तराखंड है।

चूंकि उत्तराखंड के बारे में जार्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में ऊधम सिंह नगर के बारे में एक कमेटी बैठी हुई है जिसकी रिपोर्ट शायद अगले हफ्ते आ जाये। वनांचल के बारे में वहां की असेम्बली ने बहुमत से दूसरा ही व्यू लिया है लेकिन वह व्यू हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया वनांचल विषय तक ही सीमित रहे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अब चूंकि वह व्यू ले लिया, मेरी आज ही माननीय आडवाणी जी से बातचीत हुई है। बहुत जल्दी शायद इसी सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग होगी। ...*(व्यवधान)* आप इसका प्रोसीजर तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसे यहां पर आना है इसलिए इसी सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी सप्ताह मीटिंग होगी तो मैं आशा करता हूं कि अगले सप्ताह तीनों बिल, उत्तरांचल का बिल, छत्तीसगढ़ का बिल और वनांचल का बिल आयेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी नामों के बाद मैं आपका नाम लूंगा मैं आपको बुलाऊंगा लेकिन अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी नामों के बाद मैं आपका नाम लूंगा मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, अभी बिहार से संबंधित मामला उठा है और हम बिहार के सांसद हैं। हमारे राज्य के बंटवारे का सवाल है। आप हमारी भावनाओं को तो सुनें। ...*(व्यवधान)* हम आपसे कहना चाहते हैं कि ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री खुराना जी ने अभी कहा कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। जीरो आवर में कोई न कोई मैम्बर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार का रिएक्सन होता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। आप कम से कम रूल्स का तो पालन करिये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि आप तो सीनियर मैम्बर हैं। आपकी तरह दूसरे माननीय मैम्बर्स भी हैं। जब कभी कोई मैम्बर जीरो ऑवर में कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार की तरफ से रिएक्शन होता है। उसके बारे में कोई बहस यहां पर नहीं होती है, यह आपको मालूम है।

...*(व्यवधान)*

मेरी पूरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)* यदि इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो यह लिस्ट ऐग्ज़ॉस्ट होने के बाद कहिए। मैं मना नहीं करता, मैं आपको चांस दे दूंगा लेकिन जिन लोगों ने सुबह आकर नाम दिए हैं, जिनके नाम यहां लिखे हैं, उनको छोड़कर मैं आपको चांस नहीं दे सकता। मुझे यहां बैठकर उनके साथ न्याय करना है और आप उसका पालन करने में मुझे मदद दें। मैं आपको बुलाऊंगा लेकिन अभी नहीं। ...*(व्यवधान)* आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि बिहार का बंटवारा करने के पहले देश के बंटवारे का प्रस्ताव लाएं। ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राज्य बंटवारे और देश बंटवारे के लिए केन्द्र में बनी हुई है तो बिहार का बंटवारा इस तरह नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* इन्हें पहले देश के बंटवारे का प्रस्तान लाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्यारे मोहन के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सरकार की इस बात पर हम सदन से वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

तत्पश्चात् श्री प्रभुनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. मोहन (धर्मपुरी) : महोदय, कर्नाटक सरकार ने लगभग 5 वर्ष पहले चन्दन लकड़ी के तस्कर वीरप्पन के बारे में पूछताछ करने के लिए 121 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था और इसमें से 76 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया था। तथापि, अभी भी 12 महिलाओं सहित 45 व्यक्ति 'टाडा' के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षो से कर्नाटक जेल में हैं। आज तक इन 45 व्यक्तियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी 'टाडा' समीक्षा समिति का गठन नहीं किया है जैसाकि विभिन्न अन्य राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा इन 45 व्यक्तियों के विरुद्ध सभी प्रकार के उत्पीड़न किये जा रहे हैं और उन्हें तंग किया जा रहा है। इन 45 व्यक्तियों को जेल में डालने का कारण यह है कि ये व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी है जहां चंदन लकड़ी का तस्कर वीरप्पन सक्रिय है।

उपरोक्त को ध्यान में रखकर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए कर्नाटक सरकार के साथ यह मामला उठाए।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान बहुत गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय गेहूं की बुवाई चल रही है। किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया खाद की अत्यन्त आवश्यकता है और देश में डी.ए.पी. और यूरिया खाद नदारद है। हममें से ज्यादातर सदस्य किसान परिवार से संबंधित हैं। यदि किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया खाद इस समय नहीं मिली और गेहूं की फसल नहीं बोई गई तो आने वाले दिनों में देश में भुखमरी फैल जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। देश में वैसे ही महंगाई चरम सीमा पर है, आसमान छू रही है। ...*(व्यवधान)* इतना गंभीर विषय है। ...*(व्यवधान)* इस समय महंगाई आसमान छू रही है। बाजार में सब्जियां नहीं हैं, 'दाल नहीं है, तेल नहीं है, लेकिन जिस दिन गेहूं नहीं रहा, उस दिन देश की क्या हालत होगी, इस पर सबको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सरकार इस समस्या को इतनी लाइटली ले रही है। ...*(व्यवधान)* डी.ए.पी. और यूरिया खाद की तीन महीने से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसी चलताऊ टिप्पणियां मत कीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या करना है, वह बताइए।

श्री गंगा चरण राजपूत : हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि देश के किसानों को तत्काल डी.ए.पी. और यूरिया खाद मुहैया कराई जाए नहीं तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें मत टोकिये।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : सत्ता पक्ष में होकर आप लोगों के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसका आपको निर्वाह करना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस मामले को लेकर मैं धरने पर बैठने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यह इतना गंभीर मामला है कि किसान तबाह हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, देश में जो भुखमरी की स्थिति होगी, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गंगा चरण राजपूत, आपने पहले ही इसे बता दिया है। सरकार ने इसे नोट कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट का फायदा क्या है, जब यहां किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह गम्भीर मामला है, इसलिए इस पर नियम 193 के अन्तर्गत डिस्कशन कराया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : यह सरकार किसान विरोधी है हम आपका समर्थन करते है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : यह इतना गम्भीर मामला है, देश में तबाही हो रही है, किसान हमारे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने पहले ही इसे सरकार को बता दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि कब तक किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया खाद मुहैया कराई जायेगी? हमको इसका जवाब चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप जरा सुनिये। आप बैठिये। सभापति महोदय, तीन दिन पहले इसी बारे में प्रधान मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री गंगा चरण राजपूत : उस आश्वासन से क्या हुआ, जब किसान को डी.ए.पी. खाद नहीं मिल रही है। ...*(व्यवधान)* हम किसान के बेटे है।

श्री मदन लाल खुराना : सारे ही किसान के बेटे हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत : हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको गाली सुननी पड़ती हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है जिसे वह उठा रहे है। हम उनका समर्थन कर रहे है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : जो किसान के बेटे सांसद हैं, उनको पता है। जो देहात से चुनकर आते हैं, उनको इस समस्या के बारे में पता है। सभापति महोदय, मैं धरने पर बैठ रहा हूं।

अपराह्न 12.51 बजे

(इस समय श्री गंगा चरण राजपूत आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गंगा चरण राजपूत, यह सभा में आपके बर्ताव का तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्य से सदन में ठीक प्रकार से बर्ताव करने को कहे। यह सभा में उनके बर्ताव का तरीका नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत खेद है यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.52 बजे

(इस समय श्री गंगा चरण राजपूत अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय : मैं सभी दलों के सचेतकों और संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम अपने सदस्यों को बता दें कि उन्हें सभा में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए। यह बर्ताव का सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय मुझे वास्तव में बहुत खेद हैं। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं और मैं इसे देखूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अति लोकमहत्व के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं आपसे एक मिनट में जानना चाहूंगा, मेरा आपसे प्रार्थना यह है कि चूंकि यह आपसे सम्बन्धित ही मेरा मामला है।*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

एक बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत से भीष्म, द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनमें से एक आप भी हैं, आप भी भीष्म, द्रोणाचार्य की लाइन में आते हैं। मेरा निवेदन यह है कि एक ऐसी पार्टी, जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस देश के प्रति निभाई है।*अन्य पार्टियों को कांग्रेस पार्टी में लाना गलत है। आज तो कांग्रेस पार्टी का नाम उठाना गलत है।* यह कांग्रेस पार्टी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक मिनट लूंगा, मैं अपने उद्‌गार व्यक्त करना चाहूंगा। इस पार्टी को कांग्रेस कहना देश के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है।* कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर मुलायम सिंह जी कोई गलती कर दें तो कहेंगे ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सब क्या है। यह शून्य काल है।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर मुलायम सिंह जी कोई गलती कर दें तो कहेंगे कि उसने यह गलती कर दी।* बहन मायावती यहां बैठी हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अम्बेडकर जी, जो इतने बड़े महापुरुष थे, उनको सिर्फ जग प्रसिद्ध नेता बना दिया। लेकिन यह इस देश के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जीरो ऑवर में आप सरकार के ध्यान में क्या लाना चाहते हैं, वह बताइये। ...*(व्यवधान)*

श्री सोहनवीर सिंह : आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी कि तुम्हारा 100 करोड़ लोगों का देश था।*...*(व्यवधान)* यह कांग्रेस नहीं है।*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, इस प्रकार के विषय को यहां उठाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या यह संसद में उठाने योग्य विषय है? ...*(व्यवधान)* यहां पर क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* ऐसे विषय की अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या इस विषय पर निर्णय संसद करेगी? ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : क्या वे हमें बताएंगे कि कौन सा मामला गंभीर है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मोतीलाल वोरा (राजनादगांव) : यह बहुत ही बेतुकी बात है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोहनवीर सिंह, हर बात की एक सीमा होती है। ये सब बातें मत बोलिए। इन सब आपत्तिजनक बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बस बहुत हो चुका ...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : शून्य काल में, कार्यालय सूची की जांच करता है और फिर सदस्यों को विषय को उठाने की अनुमति देता है। क्या इस विषय को, जोकि यहां पर प्रासंगिक नहीं है, उठाए जाने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी गई है? हम गम्भीर विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। क्या अध्यक्ष महोदय ने शून्यकाल में इस विषय को उठाने की अनुमति दी है? मैं सभापति से इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : आपने इनको अनुमति दी है, आपके कहने पर इन्होंने बोला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैं आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष ने अनुमति दी या नहीं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह व्यवधान मत डालिए। मुझे इस बात का निर्णय करना है कि यह विषय सभा में उठाने लायक है या नहीं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने बोलने की अनुमति पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा को दी है। क्या उन्हें अध्यक्षपीठ से कुछ पूछने का अधिकार है या नहीं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सोनिया गांधी जी ने अभी तीन राज्यों में आपको मजा चखा दिया, क्या इतनी जल्दी भूल गए *...(व्यवधान)* जीरो ऑवर में कैसे उनका नाम ले रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भारत की संसद है। यह देश का सर्वोच्च मंच है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया चिल्लाइये मत। मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह देश का सर्वोच्च मंच है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों को उठाने का समय है। परन्तु मैं नहीं जानता हूं क्या एक विशेष दल, जिसका नेता या अध्यक्ष कोई 'क' या 'ख' या 'ग' हो, एक ऐसे विषय पर इस सभा में चर्चा कर सकता है जोकि पूरी तरह उस दल से सम्बन्धित हो। हमें अत्यधिक लोक महत्व के मामलों को उठाए जाने की अनुमति मिलती रही है। यह एक अत्यधिक गम्भीर मुद्दा है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पूरे प्रसंग को हटा दिया जाये। मैं चिन्तित नहीं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूं। उनका नेता चुननेवाला मैं कौन होता हूं? यह सब बहुत हो चुका है *...(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : हमें हमारे नेता पर गर्व है। किसी को भी हमारे नेता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)* हम भी यह कहेंगे कि यह एक ऐसा मंच है जहां पर महत्वपूर्ण विषयों को उठाया जा सकता है। वे हमारी पार्टी अध्यक्ष के बारे में कुछ भी कैसे बोल सकते है? क्या उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार है? *...(व्यवधान)* यह अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है। *...(व्यवधान)* कृपया उन सारी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दीजिए जो उन्होंने कही है। यह सब बेहूदी बातें है। उन्हें वापस लेनी चाहिए *...(व्यवधान)* वे ऐसी बातें कैसे उठा सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

सभापति महोदय : मुझे आपसे यह कहना है कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा ने प्रासंगिक प्रश्न पूछा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा की कार्रवाई को ऐसे कैसे चलाया जा सकता है? क्या यह 'फ्री स्टाइल' है? या और फिर क्या है? उन्होंने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है क्या इस विषय को उठाने की अनुमति इस सदस्य को दी गई थी। जिस विषय की उन्होंने सूचना दी वह है "चुनावों में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की योग्यता का निर्धारण करने वाली विधियों पर विचार किए जाने की आवश्यकता" इसमें उन्होंने सारी असंगत बातें मिला दी है। किसी भी पार्टी 'क', 'ख' या 'ग' को अध्यक्ष या सचिव का निर्वाचन करना है या इस पद के लिए किसी का निर्वाचन करना है तो यह उस विशेष पार्टी के अधिकार की बात है। इस बात का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे खेद है कि उन्हें इन सब बातों को नहीं कहना चाहिए था। इससे सभी सदस्य आन्दोलित हो उठे है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : मेरा नोटिस दिखवा लीजिए। *...(व्यवधान)* मैंने नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आपत्तिजनक विषयों को वापस लिया जाना होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि वे वापस नहीं लेते हैं, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल देता हूं। श्री मल्लू, मैं इस पर पहले ही निर्णय ले चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहत हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुसूचित जातियों, पिछड़े-वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

और उत्पीड़न बेहद बढ़ रहा है। दिनांक 27.11.98 को जौनपुर जनपद जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है, उसमें कनाकत थाना के अन्तर्गत चौकी थाना गढ़ी, टिसौरी गांव में सवेरे आठ बजे पुलिस के दो सिपाहियों द्वारा अनुसूचित जाति के चमार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छब्बू हरिजन और उसकी विवाहिता लड़की हीरावती जिसकी उम्र केवल बीस साल थी, उसकी हत्या कर दी गई। ...*(व्यवधान)* यह अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का मामला है और आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न के मामले को हम लोक सभा में उठा सकते हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : इन्हें यह मामला स्टेट असेम्बली में जाकर बताना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। इस पर प्रश्न मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुप्ता, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक पर यहां चर्चा की जाती है। अध्यक्ष ने अनुमति दी है। श्री यादव, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव : पुलिस के द्वारा सवेरे आठ बजे पहुंचकर धब्बू हरिजन तथा उसकी बीस साल की विवाहिता लड़की की हत्या कर दी गई। अपराध जब अपराधियों द्वारा होता है तो हम पुलिस की शरण लेते हैं लेकिन अगर पुलिस के द्वारा अपराध किया जाएगा तो हम पार्लियामेंट में, इस सरकार के सामने नहीं कहेंगे तो आखिर यह सवाल कहां उठाया जाएगा? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाए तथा इसकी न्यायिक जांच कराकर, हत्या करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजा जाए, यह हमारी मांग है। हम सरकार से इस पर चर्चा चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* अनुसूचित जातियों के इस उत्पीड़न को रोका जाए। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ...*(व्यवधान)* हम यह कहना चाहते हैं। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ...*(व्यवधान)* हरिजनों का उत्पीड़न किया जा रहा है और पुलिस द्वारा मुठभेड़ करके अनुसूचित जाति के लोगों की जानें ली जा रही हैं। ...*(व्यवधान)* हमारा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस पर वक्तव्य दिया जाए कि सरकार इसमें क्या करने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : विनिवेश नीति 64 कोयला खानों को बन्द करने निजीकरण के 24 सूत्री कार्यक्रम, बीमा विदेशी और निजी विनियामक प्राधिकरण विधेयक और मूल्य वृद्धि इत्यादि के विरोध में सभी व्यावसायिक संगठनों ओर 56 जन संगठनों द्वारा समर्थित सी.आई.टी.यू. के नेतृत्व में सी.पी.एस.टी.यू. के आह्वान पर 11 दिसम्बर को राष्ट्र व्यापी हड़ताल की जाएगी। बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक के विरोध में आई.आर.ए. कर्पचारियों की आज एक रैली है। सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों और 64 कोयला खानों में 82,000 कर्मचारी कार्यरत है और इतना ही नहीं आनुषंगिक परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रों में लगभग आठ से दस लाख लोग कार्यरत है। यदि आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कोयला खानों को बन्द किया जाता है तो इन सभी लोगों की नौकरी जाती रहेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने बोलने के लिए अगले वक्ता को बुलाया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, 18 दिसम्बर को संत बाबा गुरूघासी दास जयन्ती पर्व पर पूरे देश भर में सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की बाबत बात कहना चाहता हूं। निवेदन है कि 18 दिसम्बर को संत बाबा गुरुघासी दास जी के जयन्ती पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के सार्वजनिक अवकाश वर्षों से घोपित किया जा चुका है। इस अवसर पर संतबाबा गुरुघासी दास जी के करोड़ों अनुयायी समाज एवं उपासक उपवास रहकर, पूजा अर्चना एवं धूमधाम से अपना त्योहार मनाते आ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। सतनामी समाज एवं उपासक मध्य प्रदेश राज्य में ही नहीं सम्पूर्ण भारत के कोने-कोने पर करोड़ों लोग निवासरत हैं और फैले हुए हैं।

केन्द्र सरकार ने जिस तरह अन्य समुदायों के महापुरुषों की पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, उसी तरह करोड़ों सतनामी समाज एवं संतबाबा गुरू घासीदास जी की उपासना करने वालों की भावना का आदर करते हुए, केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि 18 दिसम्बर को बाबा गुरुघासी दास जी की जयन्ती पर्व पर केन्द्र सरकार सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की कृपा करें। इससे पूरा समाज गौरवान्वित होगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : सभापति महोदय, मैं बिहार में नेशनल हाईवे संख्या 57 और 31 की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये दोनों सड़कें जरजर स्थिति में हैं। इन सड़कों की मरम्मत बार-बार आग्रह करने पर सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत अविलम्ब कराई जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दू की ओर दिलाना चाहता हूं। बनारस शहर इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बहुत ही चर्चित योजना बनी थी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। गंगा हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। गंगा नदी भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। भारत की इस संस्कृति को प्रदूषण की वजह से खतरा हो रहा है। गंगा कार्य योजना के तहत जल निगम द्वारा जो निर्माण हुआ था, वह बेकार हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को वहां की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। काशी वरुणा और असी नदी के बीच में बसता हैं। एक तरफ असी नदी थी और दूसरी तरफ वरुणा नदी थी, लेकिन असी नदी का नामोनिशान मिट गया है। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जो योजना बनाई गई थी, वह फेल हो गयी है। पांच महीने तक वहां की मशीनें बन्द रहती है और प्रदूषित पानी लगातार बहता रहता हैं, जो आवासीय व्यवस्था को नष्ट कर रहा हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, वहां के पुराने लोग जो काशी की व्यवस्था को जानते हैं कि किस प्रकार प्रदूषण को निकाला जा सकता है और नाले बनाए जा सकते हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। गंगा नदी हमारे देश की प्राण है, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि गंगा नदी का जल प्रदूषित हो हा है और वह जल बाबा विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं, सरकार से पूछिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि योजना के लिए जो 53 करोड़ रुपए पास हुआ है, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों से सलाह करके, सुझाव लेकर योजना बनायें, जिससे गंगा को प्रदूषण से बचाया जाए और बाबा विश्वनाथ पर स्वच्छ जल चढ़ाया जा सके। मैं इस संबंध में सदन के माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री मीतीलाल वोरा।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के मामले पर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप जब उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थे तब आपने उस समय कुछ नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : मैंने जो कुछ किया वह आपकी सरकार नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप भी गंगा जल के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रस्ताव लाइए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैं भी इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो कुछ किया वह राज्यपाल की हैसियत से किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के या किसी अन्य नेता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वोरा जी, आप सब्जैक्ट पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री मोतीलाल वोरा : समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों में सीधे भाग लेना आरम्भ कर दिया है। सेना के जवानों के नेतृत्व में तीन या चार उग्रवादियों को लेकर विशेष सीमा दल बनाए जा रहे है और उन्हें उड़ी और जम्मू सेक्टरों में विध्वंसकारी गतिविधियां चलाने का कार्य सौंपा जा रहा है। इसका लक्ष्य, ऐसा प्रतीत होता है, उग्रवाद को अफगानिस्तान में हुए तालिबान आन्दोलन का रूप देना है। यह भी सूचित किया गया है कि इन दलों का प्रशिक्षण पिछली जून में पाक अधिकृत कश्मीर के कैम्पों में हुआ था। रिपोर्टें यह भी दर्शाती है कि यह दल भारतीय सीमा क्षेत्र में 5-10 किलोमीटर भीतर जाकर विस्फोटक का रखरखाव राजनीतिक हत्याएं, स्थानीय युवाओं की भर्ती, डराना-धमकाना, स्थानीय जनसंख्या,

जिनकी प्रतिबद्धता उग्रवाद के प्रति क्षीण होती जा रही है, को उकसाने का कार्य करेंगे और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी को दिशा निर्देशित करने के लिए 'स्पॉटर्स' का भी कार्य करेंगे। घाटी के उड़ी क्षेत्र और जम्मू सेक्टर को उनकी पहुंच में रहने के कारण निशाना बनाते रहे है। मैं माननीय विदेश मंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों से तुरन्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। बंग्लादेश और भारत के बीच हुए गंगा जल समझौते के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा - अब भी श्री एच.डी. देवेगौड़ा यहां बैठे है - भारत सरकार की ओर से यह समझौता किया गया था कि संकोष नदी के साथ गंगा नदी को जोड़ा जाय जिससे कि कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन को पर्याप्त पानी मिल सके। पानी की कमी के कारण 'शिपिंग चैनल' में गाद जम गयी है। इसी कारण कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हर प्रकार के बड़े जहाज कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए संकोष नदी को गंगा नदी के साथ जोड़ा जाना अत्यधिक आवश्यक है। परन्तु भारत सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करने रुचि नहीं दर्शा रही है।

महोदय, संकोष नदी को गंगा को जोड़े जाने की परियोजना की ओर मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसे अतिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अन्यथा हुगली नदी के दोनों किनारों पर रहने वालों को लवणता के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लवणता के कारण पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोगों के हितों का अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं भारतीय खाद्य निगम का उल्लेख करना चाहता हूं जोकि भारत सरकार का उपक्रम है। भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी गतिविधियां कम कर दी है। अभी हाल ही में उन्होंने गोदाम निर्माण शीर्ष के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में धनराशि को भेजा है। यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम को विश्व बैंक से एकमुश्त धनराशि मिली है परन्तु वे पूर्वी क्षेत्र की अपील पर विचार नहीं कर रहे है।

तीसरी बात, हाल ही में उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 19 व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। वे भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी थे। इसीलिए मैं लोक महत्व के इस मामले को इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष उठाता हूं और सरकार से इस पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान अत्यधिक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

देश में प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इस वर्ष पूरे देश में बाढ़ें आती रही है और सूखा पड़ता रहा है। मैं देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का उल्लेख करूंगा। हमें उड़ीसा के कुछ जिलों में ग्रामीण जनता की दयनीय स्थिति को देखने का अवसर मिला था। सूखे के कारण कुछ परिवारों को भोजन और पानी की तलाश में अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। उन्हें अत्यधिक कष्टदायी स्थिति का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इस गंभीर स्थिति का सामना नहीं कर सकती। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार को दी जाने वाली खाद्य की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए, ई.ए.एस. के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रावधान को बढ़ाना चाहिए और छोटे किसानों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करना चाहिए।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की 700 से 800 मील लम्बी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा पर बसने वाले लोग भारत के न दूरदर्शन और न आकाशवाणी के कार्यक्रम देख और सुन सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि 10 साल लगातार संघर्ष करने के बाद अब वहां के निवासियों का पाकिस्तान के साथ थोड़ा मोह भंग हुआ है। पाकिस्तान का प्रसारण चाहे दूरदर्शन का हो, या रेडियो का हो वह इतना जहरीला है कि लोगों की भावना को भड़का कर उग्रवाद को बढ़ावा देता है। सरकार सीमा पर पावरफुल ट्रांसमिशन सैंटर खोले ताकि सीमा पर बसने वाले लोग भारत में होने वाली गतिविधियों को जान सकें और पाकिस्तान के गलत प्रॉपगैंडा में न आ सकें।

डा. सी.पी. ठाकुर (पटना) : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. ठाकुर जी मुझे खेद है, इस पर यहां टिप्पणी की गई है कि चूंकि यह मामला अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार

में है इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाए। यह मेरी ही भूल है कि मैंने आपका नाम पुकारा ...

...(व्यवधान)

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय इस बारे में कोई गंभीर बात नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. ठाकुर जी, कृपया मेरा साथ दें। इसमें पहले ही यह टिप्पणी की जा चुकी है। वास्तव में, इसे यहां सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। इससे उलझन पैदा हो रही है।

डा. सी.पी. ठाकुर : ठीक है, मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, अच्छा होगा अगर आप अध्यक्ष महोदय से बात करें।

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर) : सभापति महोदय, भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जाति, धर्म और लिंक के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन जब से केंद्र में भाजपा गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुई, अल्पसंख्यक समुदाय में एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसका सीधा-सादा सबूत उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मदेन गांव में देखने को मिलता है। इस गांव की आबादी तीस हजार के ऊपर है। मुसलमान होने के साथ-साथ खान बिरादरी के लोग जिन्हें पठान भी कहते हैं, उन्होंने लोक सभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट दिया। वहां के लोगों का हमेशा रूझान समाजवादी सोच का रहा है लेकिन जब से भाजपा का राज हुआ, वहां के जिलाधिकारी भाजपा की शह पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। आफताब खां, शाहिद खां, एनामुल्हा खां, गनी खां, सुहेल खां, वसी खां, एकराम खां के खिलाफ आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की ऐसी कोई धारा नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन निरीह नौजवानों का थाने में ले जाकर जिस प्रकार उत्पीड़न किया गया, शायद ही आजाद भारत में इस तरह के कुकर्म एवं दुष्कर्म देखने को मिला हो *...(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य : यह राज्य सरकार का मामला है। इसे वहां उठाया जाए।

श्री ओमप्रकाश : आप पहले सुन लीजिए और फिर कहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, उसी के साथ-साथ मौरा गांव, जहां के माइनॉरटी के लोगों पर जुल्म हुआ है तथा वहां के प्रधान अनवर खां तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न हुआ है।

सभापति महोदय : आपको भारत सरकार से क्या चाहिये?

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, जिस तरह से जिलाधिकारी द्वारा....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बी.बी.सी. की तरह आंखों देखा हाल न सुनाइए। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, यह माइनरटीज़ का मामला है *...(व्यवधान)* चौहान साहब आप भाजपा के बहुत बड़े वफादार हैं, मैं जानता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय, इस नाम को पीएच से पीएस बदल देना चाहिए जिससे यह संसद भवन से बदलकर पुलिस स्टेशन बन जाए।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : आपका सुझाव उत्तम है।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अगर कोई संवेदनशीलता का नजरअंदाज करता है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। अज्ञानता से कुछ भी सुलझाया नहीं जा सकता। जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है संविधान में विशेष उपबंध किए गए है और संविधान में उनको विशेष संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। अज्ञानता से कुछ भी सुलझाया नहीं जा सकता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेकानुसार उनका नाम पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है। इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति दी जा चुकी है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : ऐसे आक्षेप और ऐसी टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि पहले एक चीज़ यह तय हो जाये कि आपकी पीठ से निर्देश होगा या ये भाजपा के लोग तय करेंगे? *...(व्यवधान)* यह हरकत पहली बार नहीं हो रही है *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, जिस तरह से हम लोग किसी की बात में व्यवधान नहीं डालते हैं, उसी तरह से यदि भाजपा के लोग ऐसा करेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इनको बोलते नहीं देंगे।

सभापति महोदय : आप बताइये कि भारत सरकार से क्या लेना चाहते हैं?

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से गाजीपुर के जिलाधिकारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया नामों का उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, वे जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिले में जाकर उत्पीड़न कर रहे हैं ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : सभापति महोदय, बाहर किस तरह का मैसेज जायेगा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। वहां एक गांव नहीं, पूरे के पूरे इलाके में यादव और माइनरटीज़ के साथ चिन्हित करके या इंगित करके जिस तरह से तंग किया जा रहा है। सभापति महोदय, वह ऐसा गांव हैं जहां से भारत-पाक बटवारे के समय एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया था तथा भारत को अपना देश मानकर वहीं रहना पसंद किया था। *...(व्यवधान)...* सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ओर से सरकार को यह निर्देश जाये कि माइनरटीज के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मुख्यत: रबड़ और नारियल जैसी कुछ फसलों की कीमतों में काफी गिरावट आने से केरल की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। जहां तक रबड़ का संबंध है पिछले सत्र के पहले दिन, जब विभिन्न दलों के 45 संसद सदस्यों ने धरना दिया था तब प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था और वाणिज्य मंत्री ने भी यह कहा था कि सरकार 20,000 टन रबड़ खरीदेगी। वास्तव में सरकार ने इसकी शुरूआत की थी परन्तु यह अभियान पूरी तरह असफल रहा। कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार 20,000 टन या और अधिक मात्रा में रबड़ खरीदे। क्योंकि जिस तरह से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। इसलिए, सरकार को इस पर निगरानी रखनी होगी और कुछ तुरन्त उपाय करने होंगे।

महोदय, नारियल का मामला भी काफी गंभीर है। रबड़ का मूल्य कम हो गया है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो इसका मूल्य 70 रुपये था परन्तु यह 29 रुपये तक घट गया और इसमें और कमी आ रही है परन्तु ऐसा किसी विशेष दल के सत्ता में होने के कारण नहीं हो रहा है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि इन चार या पांच वर्षों में मूल्य इतने घट गए हैं। इसके कारण करीब 8 से 10 लाख छोटे और मंझोले किसान प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से इस मामले में तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के गन्ना किसानों के प्रति जो बेरुखी अपनायी जा रही है, की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है कि अभी तक मेरे क्षेत्र में 55 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही कठकुइंया-पडरौना शूगर फैक्टरी का भी 18 करोड़ रुपया बकाया है। यह फैक्टरी पिछले 10-15 साल से चलाई जा रही है। सारा प्रबंधन कपड़ा मंत्रालय का है और जब बकाया रुपये की मांग की गई तो कपड़ा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने कह दिया कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है और वह दाम नहीं देंगे। जबकि आज भी चेयरमैन कपड़ा मंत्रालय द्वारा मनोनीत है और सारा काम कपड़ा मंत्रालय करता है। 18 करोड़ रुपया बाकी है और यह बी.आई.एफ.आर. में है। अब बी.आई.एफ.आर. को मैं क्या कहूं? पता नहीं उसमें कैसी कमेटियां बनाई जाती हैं? दो साल से बी.आई.एफ.आर. स्टडी कर रहा है। आज मिलें बंद हैं और चलने वाली नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम कपड़ा मंत्रालय के अधीन जो मिलें हैं, वह चलाएं या न चलाएं, 18 करोड़ रुपया वापस तो दीजिए। हमारे क्षेत्र में कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री है। उसके जिम्मे सौ करोड़ रुपया बाकी है।

सभापति महोदय : भारत सरकार को क्या करना चाहिए?

श्री राम नगीना मिश्र : गन्ने का संबंध भारत सरकार से है और संयोग से कटकुइयां-पडरौना शुगर फैक्ट्री भारत सरकार से संबंधित है। 18 करोड़ रुपया बाकी है, फैक्ट्री बंद है, बी.आई.एफ.आर. में है और कोई निर्णय नहीं हुआ। मिलें चलें या न चलें, कोई चिन्ता नहीं है। उसके साथ-साथ एक पर 22 करोड़ रुपया बाकी है। *...(व्यवधान)* बताइए कि किसानों का क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं आपका ध्यान अति सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमने 1949 में अपने संविधान के अंतर्गत अस्पर्शयता समाप्त करके यह घोषणा की थी कि अस्पर्श्यता के कारण किसी प्रकार की असमानता को अपराध माना जाएगा। परन्तु देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अस्पर्शयता की रोकथाम के अंतर्गत कोई रिपोर्ट पंजीकृत न करने से संबंधित एक परिपत्र जारी कर दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा होगा ''पंजीकरण न करें'', परन्तु उन्होंने यह कहा है कि किसी रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करने से पहले इसकी विभिन्न स्तरों पर जांच की जानी चाहिए। हाल ही में हमें गुजरात से एक रिपोर्ट मिली है जिससे यह पता चलता है कि इन बस्तियों में डर के कारण दलित लोग घरों में बंद रहने पर मजबूर हैं। यह घटना दिवाली के दिन घटी थी। यद्यपि मैं विशेष रूप से इस गांव का जिक्र कर रहा हूं तथापि ऐसी अन्य कई जगहें हैं जहां ऐसी घटनाएं घट रही है।

आज, फिर ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में तमिलनाडु में होने वाली ऐसी एक घटना का वर्णन है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु की सरकार, जो द्रविड़ आंदोलन से उपजी है, कार्रवाई करेगी। *...(व्यवधान)* आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मूलत: द्रविड़ मुनेत्र कज़गम दलितों के आत्मसम्मान संबंधी आंदोलन की उपज है। मेरे मन में उनके प्रति काफी आदर और सम्मान है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

सभापति महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये प्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के सदस्यों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रकृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन तत्वों से कड़ाई से निपटे जो इसके लिए जिम्मेवार हैं और इन दबावकारी और विरोधकारी उपायों का सहारा ले रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : इस मामले की जांच करने के लिए कलैक्टर ने एक विशेष समिति गठित की है और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

श्री चेतन चौहान : माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहते हुए उल्लेख किया है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए थे कि अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज न किए जाएं। मैं रिकार्ड ठीक करना चाहूंगा और माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई निदेश नहीं दिया गया है। चूंकि इस अधिनियम का पहले दुरूपयोग किया गया था इसलिए सरकार ने इतना ही कहा है कि किसी भी तरह की घटना की पहले जांच की जानी चाहिए, फिर उसे दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए रिकार्ड में सही बात जानी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मुझे उत्तर देने का अधिकार है। जब संसद उस मामले पर विचार-विमर्श कर रही थी तो उसने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी सावधानी बरती थी कि इस नियम के किसी उपबंध का दुरूपयोग न हो। किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए इस पहलू पर अधिक जोर दे, बल्कि उन्हें सही माइने में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना चाहिए। इसकी बजाय वे इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं कि इसका दुरूपयोग न हो। दुरूपयोग के लिए कौन जिम्मेवार होगा?

डा. सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : महोदय, आपके माध्यम से मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहूंगी। इस गरीब देश को धोखा देने के लिए एक बड़ा गिरोह काम कर रहा जिसमें बैंक अधिकारी, जाने माने शेयर-दलाल, सुप्रसिद्ध उद्योगपति शामिल हैं। इस गिरोह द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली बैंक अधिकारी की मिलीभगत से चलाई

जा रही है। वे या तो जाली साख पत्र दे रहे हैं या गलत साख पत्र दे रहे हैं और चोरी छिपे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों में इसका भुगतान करवा रहे हैं और एक गरीब और इस प्रकार इस गरीब और विकासशील देश को भारी वित्तीय घाटे में डाल रहे हैं।

महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि संबंधित विभाग को एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन करने तथा तथ्यों का पता लगाने और दोषियों का पता लगाने का निदेश दें जिससे कोई भी बच न पाए क्योंकि इस मामले में कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि जम्मू-कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय एक्सप्रेस राजमार्ग 28,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके बनाया जाएगा।

महोदय, उत्तर भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में बाढ़ आने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों लोग हर साल पीड़ित होते आ रहे हैं और मर रहे हैं। अगर इन दो नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ा जा सके तो न केवल प्राकृतिक आपदा ही कम होगी बल्कि इससे दक्षिण में सिंचाई संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाएगी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, जब स्वर्गीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय नदियों को मोड़ने की एक योजना बनाई गई थी। सिंचाई को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए इसलिए सड़क निर्माण को स्थगित किया जाना चाहिए। चूंकि प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सड़क निर्माण को प्रथम वरीयता दी गई है इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपील है कि प्रथम वरीयता के अनुसार सिंचाई सुविधाएं देने पर विचार किया जाए।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में, विशेषकर विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र क्षेत्र में अप्रत्याशित, असमय और बेमौसमी वर्षा होने से करोड़ों रुपये की फसल और सम्पत्ति नष्ट हो गई है।

उन क्षेत्रों में खरीफ और रबी की फसले, ज्वार, बाजरा इत्यादि की फसलें भी खराब हो गई हैं। फसल और सम्पत्ति का इतना नुकसान होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार इस ओर न ही ध्यान दे रही है न ही इस मामले में कुछ कर रही है। हमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में मदद के लिए भारत सरकार को लिखा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में उपचारात्मक उपाय करें और महाराष्ट्र में किसानों को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति करे।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, शांतिपुर-नवद्वीप के बीच पश्चिमी रेलवे के सियालदाह प्रभाग की एक 28 कि.मी. छोटी रेलवे लाईन काफी समय से उपेक्षित पड़ी हुई है। इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन कर छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता है। इस लाइन का मूल्यांकन और सर्वेक्षण 1993 में किया जा चुका है। परन्तु लगभग छह वर्ष बीतने के बाद भी इस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के कार्य आरम्भ नही हो पाया है।

महोदय, नवद्वीप एक अतंरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। यह गौरंग महाप्रभु का पवित्र स्थल है। यह उनकी जन्म स्थली है, मायापुर एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और इस्कॉन हमारे देश में भी काफी प्रसिद्ध है। इस छोटी लाइन पर प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, मैं सरकार से विशेष रूप से रेलवे मंत्रालय से छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की परियोजना को लागू करने का अनुरोध करता हूं जिसके लिए पहले ही 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले में विद्युत मंडल किसानों के साथ लापरवाही कर रहा है। अभी भी किसानों की 30 प्रतिशत खेती बिजली न मिलने से सिंचाई के अभाव में बोने के लिए शेष हैं। सतना जिले में विद्युत मंडल की लापरवाही से 40 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल गए हैं। 2300 किसानों ने पांच वर्ष पूर्व अपने-अपने खेतों पर विद्युत पंप लगाने हेतु विद्युत कनैक्शनों हेतु आवेदन किए, लेकिन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल ने अभी तक उनको विद्युत कनैक्शन नहीं दिए हैं जिसके कारण उनको भारी क्षति पहुंच रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यहां से मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए जाएं कि मंडला के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जले हुए ट्रांग्फार्मरों को तुरंत बदला जाए या सुधारा जाए और 2300 किसानों को विद्युत कनैक्शन देने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि एक माह में सभी किसानों को विद्युत कनैक्शन मिल सकें।

सभापति महोदय, समूचे देश में कांग्रेस सरकार ने विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई के मामले में घोर लापरवाही बरती है और अब मध्य प्रदेश में सरकार किसानों को बिजली देने में घोर लापरवाही कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिलकर उन्हें तो विद्युत देने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वह मध्य प्रदेश शासन को यहां से विशेष हिदायतें दे ताकि सतना जिले के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली मिल सके, वहां जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जा सकें और 2300 किसानों को विद्युत कनैक्शन तुरंत मिल सकें।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित मामले को भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस कुरुवई मौसम में तमिलनाडु सरकार अपेक्षित मात्रा में धान की खरीद नहीं कर पाई है। अब तक तमिलनाडु सरकार ने विगत दो वर्षों में खरीदे गए धान से कम धान खरीदा है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई खरीद नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए अन्यथा धान भंडारण संतोषजनक नहीं होगा।

इस कुरुवई मौसम में नवम्बर, 1998 तक तमिलनाडु सरकार ने अच्छी किस्म के लिए केवल 31,469 टन और साधारण किस्म के 12,881 टन धान की खरीद की है। वर्ष, 1996 में राज्य सरकार ने 1,11,426 टन धान की खरीद की थी। किंतु वर्ष 1997 में कुल 7,04,760 टन धान की खरीद की गई। इस समय तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य पूल में 5,00,000 टन चावल है और वह तमिलनाडु राज्यके लिए पर्याप्त है। तमिलनाडु सरकार प्रति माह केन्द्रीय पूल से 1,10,000 टन चावल प्राप्त कर रही है। पिछले माह यह निर्णय किया गया था कि राज्य को केन्द्रीय पूल से 20,000 टन चावल की आपूर्ति की जाएगी। अब तमिलनाडु सरकार प्रतिमाह केन्द्रीय पूल से अधिक आवंटन की अपेक्षा कर रही है।

महोदय, खरीद विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को साम्बा मौसम के दौरान आठ लाख टन धान की खरीद करनी चाहिए। उसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार चावल की कमी का सामना नहीं करेगी।

अब सरकार खरोद की दो विधियां अपना रही है। पहली वह सरकारी विभाग से खरीद रही है और दूसरी निजी क्षेत्र के माध्यम से खरीद कर रही है। महोदय, किसान केवल निजी क्षेत्र को ही धान बेच रहे है क्योंकि उन्हें निजी क्षेत्र से अच्छी कीमत मिल रही है। सरकार को आठ लाख टन धान की खरीद करनी है। उसी स्थिति में चावल की कमी की समस्या का समाधान होगा। सरकार कहती है कि चावल की कमी की कोई संभावना नहीं है। किंतु जब राज्य पूल में चावल का भंडारण कम होगा तो चावल की कीमत बढ़ेगी और तब समस्या पैदा होगी। विशेषज्ञों की यह राय है।

महोदय, तमिलनाडु में चावल के मामले में प्याज जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अधिकाधिक खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दे और केन्द्रीय पूल से अधिक चावल की आपूर्ति हेतु स्थायी आदेश जारी करे।

सभापति महोदय : अब क्या सभा की राय मध्याह्न भोजन अवकाश के बिना चर्चा जारी रखने की है? क्या चर्चा जारी रखें?

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : नहीं, महोदय, आप कृपया सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति जी, कोरम पूरा नहीं है इसलिए आप इसे एडजर्न कर दीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : महोदय, यदि हम गणपूर्ति का मुद्दा उठाना शुरू कर दें तो तब सभा में कार्य नहीं होगा, हम जानते हैं कैसे कार्य हो रहा है। इसलिए हमें गणपूर्ति का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : सभापति जी, कोरम के बिना कैसे चलेगा *...(व्यवधान)* कोरम के बिना कोई कार्य कैसे चल सकता है इसलिए आप लंच आवर के बाद शुरू करिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैं वस्त्र मंत्री से अपने विधेयक के बारे में पांच मिनट तक बोलने का अनुरोध करता हूं। उन्हें विधेयक पर चर्चा का उत्तर देने दीजिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तब सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जा सकता है *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.44 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.44 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी। श्री जयसिंह जी चौहान।

अपराह्न 2.44$^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 'कपड़वंज-नाडियाद' रेलगाड़ी को गुजरात में आनंद तक बढ़ाये जाने तथा उसमें और अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंहजी चौहान (कपड़वंज) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में चलने वाली ''कपड़वंज-नडियाद'' ट्रेन की ओर दिलाना चाहता हूं। कपडवंज-नडियाद ट्रेन में सिर्फ एक ही डिब्बे की व्यवस्था है जिससे यात्रियों को काफी कठिनाई होती है। उक्त ट्रेन पहले कपडवंज से आणंद तक जाती थी लेकिन अब नडियाद तक ही जाती है। उक्त ट्रेन का कपडवंज और नडियाद के बीच कोई ठहराव नहीं है। लोकहित के दृष्टिकोण से उक्त ट्रेन का ठहराव (स्टॉपेज) कडलाल, महूधा, आंतरोली, तोरणा, वीणा आदि स्टेशनों में होना चाहिए।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़वाने, उसे आणंद तक चलवाने एवं उक्त स्टेशनों पर ठहराव दिलवाने की अति कृपा की जाये।

(दो) गुजरात में अहमदाबाद विमानपत्तन का दर्जा शीघ्र बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अहमदाबाद गुजरात राज्य की राजधानी और एक औद्योगिक नगरी है। अहमदाबाद विमान पत्तन को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया गया है और अहमदाबाद विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसका उद्घाटन भी तत्कालीन केन्द्रीय नागर विमान मंत्री द्वारा किया गया था। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार रनवे के लिए अपेक्षित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है और रनवे के विस्तार के लिए इसे भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को काफी पहले सौंपा जा चुका है। इस विमानपत्तन पर बी-747 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए 11500 फुट तक रनवे का सुदृढ़ीकरण/विस्तार और उससे जुड़े अन्य संबंधित कार्य निविदा कार्यवाही चरण में है।

इसलिए मैं सरकार से अहमदाबाद विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने और वर्तमान में इस कार्य के चरण बताने का आग्रह करता हूं।

(तीन) जम्मू और कश्मीर में वगलियार और सबलाकोट स्थित विद्युत परियोजनाओं का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : महोदय, जम्मू-कश्मीर में चनाब नदी में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन अभी तक सलाल परियोजना से केवल 550 मेगावाट बिजली का निर्माण हो पाया है। दुलहस्ती परियोजना पर काम चल रहा है, परन्तु वगलियार, सबलाकोट तथा करथेई जैसे प्रोजैक्ट्स अछूते पड़े हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के कर्मचारी, जिन्होंने सलाल परियोजना को पूर्ण करने में अपना खून-पसीना बहाया, आज हजारों किलोमीटर दूरी पर भेजे जा रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वगलियार, साबलाकोट और करथेई परियोजनाओं को तुरन्त एन.एच.पी.सी. को दिया जाये व अपने हाथ में लेकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, जिससे सलाल परियोजना से तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपयोग में लिया जा सके, कर्मचारियों को राहत मिले तथा देश को बिजली के संकट से छुटकारा मिल सके।

(चार) केरल में समुद्री कटाव-रोधी निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त निधियों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल राज्य की एक लम्बी तटरेखा है। मानसून के दौरान तटवर्ती क्षेत्र अत्यधिक समुद्री कटाव से बुरी तरह प्रभावित होता है। राज्य की 560 किमी. लम्बी तटरेखा में से लगभग 448 किमी. सीमा समुद्री कटाव से प्रभावित है। पीछे समुद्र तट के साथ-साथ समुद्री दीवार बनाने के प्रयास किए गए थे किंतु तटवर्ती पेटी का बड़ा हिस्सा अभी भी अरक्षित है।

समुद्री कटाव के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों का जन-धन निरन्तर संकट में रहता है। केरल सरकार समुद्री कटाव को रोकने के लिए निर्माण व रखरखाव कार्यों को करना अत्यधिक कठिन है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य के लिए एकमात्र एक सहारा है।

स्थिति की गंभीरता को अनेक बार केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है। किंतु 1992 से समुद्री कटाव-रोधी कार्यों के लिए कोई भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

अत: यह अत्यावश्यक है कि केरल राज्य को अविलम्ब पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। मैं योजना आयोग और जल संसाधन मंत्रालय से केरल राज्य को समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए पर्याप्त निधियों के आबंटन की अपील करता हूं।

श्री के.एस. राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही समस्या है जिसका मैं आपसे पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

(पांच) गुजरात में घरेलू रसोई गैस के लिए प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.जे. राठवा (छोटा उदयपुर) : सारे देश में आई.ओ.सी., आई.बी.पी. और एच.पी.सी. के घरेलू रसोई गैस कनैक्शनों की लम्बी प्रतीक्षा सूची है। मैं इस लम्बी प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कार्य-योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड के लिए गुजरात में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 1998-99 में कितना कोटा जारी किया गया है। इस वर्ष की तीसरी तिमाही तक गुजरात में कितने कनेक्शन जारी किए गए है और यह लक्ष्य कितनी अवधि में पूरा होगा।

मैं केन्द्र सरकार से गुजरात में घरेलू रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का भुगतान करना शुरू कर दिया है। बाद में अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा की है। यह भी निर्णय किया गया कि इसका भुगतान 1 अप्रैल, 1996 से किया जाएगा। किंतु राज्य सरकार को संशोधित वेतन का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

नौवें और दसवें वित्त आयोग ने राज्य के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान नहीं किया है। नौवें वित्त आयोग ने कुल केन्द्रीय निधि का 5.2 प्रतिशत उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत किया था जबकि दसवें वित्त आयोग ने इसमें कटौती कर इसे 4.2 प्रतिशत कर दिया है। इस घाटे की भरपाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए। अन्यथा राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का बोझ उठाना कठिन हो जाएगा।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इसी के अनुसार उड़ीसा राज्य सरकार को पर्याप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जाए।

(सात) पश्चिम बंगाल में आसनसोल और रामपुरहाट के बीच, बरास्ता आंदल-सैंथिया-सूरी, एक तीव्र गति वाली पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : पश्चिम बंगाल के दो जिलों अर्थात् बीरभूम और बर्द्धमान जिलों के लोगों की आसनसोल और रामपुरहाट के बीच बरास्ता-सैंथिया-सूरी एक द्रुतगामी पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने की दीर्घकालीन मांग है। इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन किए गए हैं और इस मुद्दे को कई बार सभा में भी उठाया गया है किंतु अब तक कुछ नहीं किया गया। इस सेक्शन पर प्रतिदिन

[डा. रामचन्द्र डोम]

हजारों लोग यात्रा करते हैं किन्तु रेलवे इस आंदल-सैंथिया-रामपुरहाट सेक्शन पर काफी समय से उचित ध्यान नहीं दे रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से आसनसोल और रामपुरहाट बरास्ता आंदल-सूरी अविलम्ब एक द्रुतगामी पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(आठ) ईस्ट कोस्ट जोनल रेलवे यूजर्स कन्सल्टेटिव कमेटी, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा, को शीघ्र गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का उद्घाटन वर्ष 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में किया गया था। लेकिन अभी तक इस जोन के लिए अलग से महाप्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है और न ही इस जोन के रेल यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति गठित की गई है। दूसरी ओर दक्षिण-पूर्व रेलवे की जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक हाल ही में कलकत्ता में हुई थी जिसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जब समिति के सदस्यों ने ईस्ट कोस्ट जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के बारे में पूछा तो दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने इसके गठन के बारे में कुछ नहीं कहा। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सभा को बतायें कि भुवनेश्वर में मुख्यालय की देख-रेख करने और इस क्षेत्र के रेल यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के लिए ईस्ट कोस्ट जोन की उक्त परामर्शदात्री समिति का गठन कब तक किया जायेगा।

(नौ) पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में वनों की कटाई रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, बंगाल की खाड़ी की सीमा पर पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र कभी बाघ परियोजना और अनूठी वन्य एवं जीव संपदा के लिए विख्यात था। लेकिन दुर्भाग्यवश, वनों की कटाई के कारण अब इसके बुरे दिन आए हुए हैं। इस पूरी समस्या का कारण यह है कि टिम्बर व्यापारी कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत से जो कि बहुत गरीब हैं और जिनको यह नहीं मालूम है कि इस वन-कटाई के परिणामस्वरूप उनकी वन संपदा को क्या नुकसान होगा। इस क्षेत्र में चोरी-छिपे वनों की कटाई कर रहे हैं और लकड़ी को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए उठा रहे हैं।

यह उपयुक्त समय है कि सुंदरवन में बाघ परियोजना के रख-रखाव और उसके पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जिम्मेवार पर्यावरण तथा वन मंत्रालय इस मामले पर विचार करें और इस घृणित व्यापार को रोकने और इन रमणीक वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

महोदय, इसके अतिरिक्त प्रकृति भी कहर ढाती है, समुद्री ज्वार के समय उसके साथ आई रेत इस क्षेत्र में फैलकर जमा हो जाती है जिससे अंतत: वृक्ष उखड़ जाते हैं। चूंकि मंत्रालय इस क्षेत्र के जीवमंडल परिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भी जिम्मेवार है इसलिए यह उपयुक्त समय है कि वह विशेषज्ञों से परामर्श करके इस प्रकार वृक्षों को उखड़ने से बचाने के लिए और समुद्री रेत का लाभप्रद रूप से उपयोग करने के लिए कुछ कारगर उपाय करें।

(दस) पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए कुड्डालोर, तमिलनाडु में चर्मशोधनशाला और कागज मिलों की स्थापना करने हेतु लिए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

***श्री एन.टी. षणमुगम** (वेल्लोर) : पताली मक्काल काच्ची के हमारे संस्थापक नेता ने यह बताया है कि वेल्लोर जिले में स्थित पालार नदी उसके तट पर बसे 30 कस्बों और आस-पास के 50 गांवों को पीने का पानी मुहैया कराती थी। पालार नदी का पानी गांववासियों द्वारा भूमि की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब पालार नदी के किनारे बहुत सी टेनरियां हैं। वह अपना अपशिष्ट जल नदी में छोड़ते हैं। इसलिए अब पालार नदी का पानी प्रदूषित हो गया है और यह पीने तथा कृषि के उद्देश्य से उपयोगी नहीं है। प्रदूषण के कारण लोग श्वास रोग, चर्मरोग और पेट की बीमारियों इत्यादि अनेक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है और अब यह कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। कावेरी नदी के तट पर बसे इरोड जिले में स्थित शेषशायी कागज मिल भी नदी को प्रदूषित कर रही है।

तमिलनाडु सरकार ने खासकर टेनरी और कागज मिलों के लिए कुड्डालोर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की है। दिनांक 30.6.97 को जारी सरकारी आदेश सं. 179 के अनुसार प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अन्डार मुल्ली पल्लम क्यालापट्टु, पेरियापटु और सिंलबी मंगलम् जैसे गांवों की कृषि योग्य भूमि पर की जाएगी। राजस्व विभाग ने लगभग 2400 एकड़ भूमि को कब्जे में लेने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी

*मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है और इससे 15000 छोटे कृषक और खेतिहर मजदूर प्रभावित होंगे।

यदि कुड्डालोर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की अनुमति मिल गई तो टेनरियों और कागज की मिलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल से पर्यावरण के प्रदूषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अवमृदा जल प्रदूषित हो जाएगा और हमें 40 गांवों में पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि अब से नई टेनरियां नहीं खोली जानी चाहिएं।

अत: हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह तमिलनाडु में इन क्षेत्रों के ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ इस मामले को उठाये।

अपराह्न 2.59 बजे

[अनुवाद]

कपास ओटाई और दवाई कारखाना (निरसन) विधेयक

डा. सरोजा वी. (रासीपुरम) : मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में अपने विचार व्यक्त करने का यह अवसर प्रदान किया। यह निरसन विधेयक अच्छी किस्म का संसाधित और लाभकारी मूल्यों पर कपास लेना सुनिश्चित करने के लिए कपास ओटाई और दवाई क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रयत्नों पर अधिक जोर तथा प्रोत्साहन देगा। इस संदर्भ में मैं यह कहूंगी कि कपास भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। अनेक राज्य कपास का उत्पादन करते हैं और तमिलनाडु उनमें से एक है। कुल 80 प्रतिशत धागे में से 66 प्रतिशत की खपत कपड़ा क्षेत्र में होती है।

अपराह्न 3.00 बजे

वर्ष 1985 की वस्त्र संबंधी नीति में कहा गया है कि किसानों के उत्पाद को लाभकारी मूल्य पर लिया जायेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कपास उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जायेगी। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कृषकों के लिए समय पर लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तथा सम्यक आयात निर्यात नीति के माध्यम से हो सकेगी।

महोदय, हमारी यह राय है कि कपास के उत्पादन और खपत में भारी अंतर है। कपास सलाहकार बोर्ड ने 6.3.1998 को हुई अपनी बैठक में अपने विचार व्यक्त किए है कि वर्ष 1950-51 से कपास के उत्पादन में 30 लाख गांवों की वृद्धि हुई है। वर्ष 1996-97 में यह उत्पादन लगभग 178 लाख गांव तक बढ़ गय है।

महोदय, जबकि कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 1997-98 में उत्पादन कम हुआ है। उत्पादित कपास को गुणवत्ता भी गिरी है। वर्ष 1992-93 के दौरान 125 लाख गांठों की खपत हुई थी, वर्ष 1997-98 के दौरान यह खपत बढ़कर लगभग 162.50 लाख गांठे हो गई।

महोदय, कपास की तीन किस्मों का उत्पादन किया जाता है लेकिन यहां एक प्रकार की कपास है, मध्यम रेशे के कपास की किस्म जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली है। यह निर्यात भी की जाती है। इस संदर्भ में मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि सरकार कपास उत्पादकों को लाभकर मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष कपास की किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। भारतीय कपास निगम ही इसे कार्यान्वित करने वाली एकमात्र एजेन्सी है। भारतीय कपास निगम द्वारा उत्पादिक कपास की खरीद की जाती है। लेकिन वहां उपयुक्त तरीके से खरीद नहीं की जाती है। महोदय, उदाहरण के लिए तमिलनाडु के मेरे जिले में कपास का कुल उत्पादन 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। अधिकतर जिन किस्मों का उत्पादन होता है वह हैं एम.सी.यू., एल.आर.ए., वारालक्ष्मी, स्विन, हाइब्रिड और एफ 1-श्रुति।

मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान एक अन्य मामले की ओर दिलाना चाहूंगी। हम गरीब किसानों की तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं। मेरे जिले सेलम में लगभग 50 कताई मिलें हैं लेकिन वहां पांच से कम ओटाई मिलें हैं। मैंने कुछ महिला कृषकों को भी प्रेरित किया है कि वह इस क्षेत्र में और इसके आस-पास स्थित 50 कताई मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओटाई मिल आरम्भ करने के लिए आगे आएं। सेलम जिले में उत्पादित कपास का विपणन सेलम, कोलाथूर, रासीपुरम और कोंकणपुरम विपणन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इन संस्थाओं के माध्यम से कपास खरीदने के बावजूद भी कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है। निजी व्यापारियों द्वारा इसको जमा कर लिया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन बाजारों को नियमित किया जाए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगी कि व्यापारियों द्वारा पैदा किये गये इस कृत्रिम अभाव को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाएं।

[डा. सरोजा वी.]

इस संदर्भ में, मैं कृषि वैज्ञानिकों से एक अपील करना चाहूंगी। यह कहा गया है कि कपास हाइब्रिड नई किस्म एफ-1 में खास प्रोटीन पाई जाती है जो कि उत्पाद का आनुवंशिकी मूल्य और कपास की मात्रा निर्धारित करते हैं। मैं कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगी कि वह इन किस्मों पर अधिक ध्यान दें ताकि हमें कपास की अधिक मात्रा तथा अच्छी किस्म प्राप्त हो सके।

महोदय, कृपि भूमि तथा वन भूमि पर करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार एक तिहाई जमीन परती और बंजर पड़ी है। इसमें से एक तिहाई जमीन कृषि योग्य है लेकिन यह खाली पड़ी है।

मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश दे कि वह मृदा संरक्षण के उपाय सुझाएं ताकि उपयुक्त अनुसंधान कार्यों द्वारा भूमि को उपयोग में लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही संक्षिप्त भाषण है। चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये सारी बातें आ गई हैं इसलिए अब कपास ओटाई और दवाई कारखाना अधिनियम, 1925 के कोई मायने नहीं रह गए हैं। इस दृष्टि से मंत्री जी ने सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे इलाके की एक गंभीर समस्या है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आपका विभाग केवल वस्त्र उद्योग से संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो वस्त्र उद्योग के महकमे के अंतर्गत बाद में लिए गए।

महोदय, 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में हड़ताल हुई। मिल मालिकों का समझौता नहीं हुआ और उसका लाभ उठाते हुए स्वदेशी काटन मिल से संबंधित जितनी इकाइयां थी उनका अधिग्रहण कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद की परिस्थिति में, उस जमाने की बहुत सी मिलों को सरकार ने ले लिया। वे सरकार के स्वामित्व में आने के बाद भी आज तक बंद हैं। उसी तरह ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की चार चीनी मिलें, गौरीबाजार, पडरौना, कठकुईयां और परौरा थीं, इनको आपने बाद में कानपुर शुगर वर्क्स एक कारपोरेशन बना कर अपने निगम के तहत वस्त्र मंत्रालय में ले लिया। इन चारों चीनी मिलों को आपकी सरकार ने बेच दिया और वे निजी हाथों में चली गई, लेकिन स्वदेशी काटन मिल से संबंधित एक चीनी मिल, आनन्द नगर शुगर मिल पिछले तीन साल से बंद है। वह इसलिए बंद है क्योंकि वह वस्त्र मंत्रालय के अधीन है। वस्त्र मंत्रालय कपड़ा उद्योग के बारे में, नयी नीति बनाने के बारे में तो सोचता है लेकिन उसी के तहत चलने वाली चीनी मिल की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मजदूर मर रहे हैं, किसान परेशान हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने विभाग के बारे में विचार करें तो इन काटन मिलों के संबंध में तो विचार करिए ही, उसी के साथ-साथ जो चीनी मिलें पूंछ की तरह आपके साथ चली गई हैं उनको आप अपने एजेंडा से बाहर न कर दीजिए। आनन्द नगर चीनी मिल को चलाने का प्रयास होना चाहिए। वहां के मजदूरों और किसानों के हित में सरकार को अवश्य कदम उठाना चाहिए। इतना आग्रह करते हुए आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं इस उम्मीद के साथ समर्थन करता हूं कि मेरी कही हुई बात का समर्थन आप भी करेंगे और उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाएंगे।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो कपास ओटाई और दवाई कारखाना (निरसन) विधेयक, 1998 लोक सभा में लाए हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 1925 में ब्रिटिश शासन के समय बना कानून अभी तक हमारे देश में चल रहा था, जिसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। चूंकि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कपास को ले लिया गया है इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं है। जो संशोधन विधेयक मंत्री जी लाए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि वास्तव में किसानों को कपास का मूल्य नहीं मिलता है और जब किसानों को मूल्य नहीं मिलता है तो फिर वे उसकी पैदावार में भी कम रुचि लेते हैं, परिणाम यह होता है कि उस वस्तु की कमी हो जाती है। उसके कारण तमाम इंडस्ट्रीज प्रभावित होती हैं। इस विधेयक के जरिये किसानों को संरक्षण मिले, उनको कपास का उचित मूल्य और कारखानों की भी चिंता की जाए, यह हमारे सुझाव हैं। इस बिल के माध्यम से आधुनिकीकरण होने से अच्छी क्वालिटी का कपास बनेगा, उसकी प्रोसैसिंग की जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी। आधुनिक युग के अनुरूप इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उनको देखते हुए हम इसका समर्थन करते हैं आशा करते हैं कि इन बातों पर मंत्री जी ध्यान देंगे जिससे इसकी उपयोगिता सार्थक होगी।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉटन गिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट, 1925 रद्द करने के लिए सदन में रखा है। मुझे खुशी है कि सभी सांसद जो इस बिल पर

बोले हैं, उन्होंने इस बिल के रिपील करने का स्वागत किया है। मैं इनका बहुत आभारी हैं। यह बिल तीसरी बार लोक सभा में आ रहा हैं। दसवीं लोक सभा में 11 दिसम्बर, 1995 को यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद यह कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया गया। इसकी रिपोर्ट 8 मार्च, 1996 को ले की गई लेकिन लोक सभा डिजाल्व होने के बाद इस बिल का अस्तित्व नहीं रहा।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आपको इसका श्रेय मिलना था।

श्री काशीराम राणा : 11वीं लोक सभा में 25 जुलाई, 1996 को यह बिल इंट्रेड्यूस हुआ। लोक सभा ने 13 अगस्त, 1997 को यह बिल पास कर दिया था। राज्य सभा में इसको रखा गया लेकिन इस बीच लोक सभा डिजाल्व हो गई।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप इसे जल्दी पास करिए। हमारा नुकसान न कराइए। आप खतरनाक बिल लेकर आए हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : आप इसमें थोड़ा मदद करिए।

श्री काशीराम राणा : इस बिल का परपज गिनिंग ऐंड प्रेसिंग फैक्ट्रियों पर बेवजह नियंत्रण को हटाना है। कागजी कार्यवाही करने में जो देरी होती थी, वह भी इससे दूर होगी। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत कॉटन कंट्रोल ऑर्डर, 1986 में बने थे। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसमें और प्रावधान किए गए हैं। कॉटन गिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट के रिपील करने के बेवजह के बर्डन से मुक्ति मिलेगी और कॉटन की क्वालिटी सुधारने पर पूरा कनसैनट्रेसन होगा और विचार होगा। वैसे तो इस बिल पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए, मैं उनका आशय देना चाहूंगा। एक मुद्दा भावना दवे ने उठाया था। इसमें कहा गया था कि जो काटन ग्रोअर्स हैं, उनको बराबर अच्छा भाव नहीं मिलता था लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि जहां तक कॉटन प्राइस का सवाल है, ग्रोअर्स को अच्छा भाव मिलना चाहिये। जो एम.एस.पी. तय किया गया था उसने 40 से 70 परसेंट काटन का मूल्य किसानों को ज्यादा मिलेगा।

अध्यक्ष जी, अब मैं कॉटन की क्वालिटी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे जे-34 क्वालिटी का एम.एस.पी. 1440 रुपये था जबकि किसानों को उस क्वालिटी के लिये 1950 रुपये और 2230 रुपये दिया गया। एन.एच.-44 क्वालिटी के लिये एम.एस.पी. 1420 रुपये था लेकिन किसानों को 1846 रुपये, 1950 रुपये और 2230 रुपये दिया गया है। एन.एच.एच.-44 के लिये एम.एस.पी. 1420 रुपये था लेकिन किसानों को 1846 रुपये और 2000 रुपये दिया गया है। इसी प्रकार एच.-4 क्वालिटी के लिये एम.एस.पी. 1650 रुपये था लेकिन किसानों को 1991 रुपये और 2225 रुपये दिया गया। डी.सी.एच.-32 क्वालिटी के लिये एम.एस.पी. 1790 रुपये रखा गया लेकिन किसानों को 2250 रुपये दिया गया है। इतना ही नहीं यह 2600 रुपये तक दिया है जो एम.एस.पी. से 45 परसेंट ज्यादा है। वैसे तो किसानों को कॉटन का प्राइस अच्छा दिया गया है लेकिन कॉटन कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा और प्रयास किया जा रहा है। इस साल कॉटन का प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा हुआ है। पिछले साल यह 156 लाख बेल्स हुआ था जो बढ़कर 175 लाख बेल्स हो गया है। किसानों को इससे अच्छा प्राइस मिले, इसके लिये सरकार चिन्ता कर रही है।

अध्यक्ष जी, हमारे एक माननीय सदस्य ने कॉटन प्राडक्शन में बढ़ोत्तरी का जिक्र किया कि इसका ज्यादा यील्ड होना चाहिये और सरकार को चिन्ता करनी चाहिये। इस संबंध में मैं इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 1986-87 में जहां 107 किलो के बेल का 95 लाख वेल्स प्रोडक्शन था, वह अभी 175 लाख बेल्स होने की संभावना है। इस प्रकार लगभग दुगने के बराबर प्रोडक्सन बढ़ा। 1986-87 में टोटल ऐरिया 70.75 लाख हेक्टेयर था जो आज बढ़कर 91.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। हम कॉटन गिनिंग एंड प्रैसिंग फैक्ट्रीज एक्ट, 1925 खत्म करने जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ काटन क्वालिटी को सुधारने के लिये हमने प्रयास किये हैं। हम कॉटन टैक्नालाजी मिशन के जरिये इम्पलीमेंटेशन की दिशा में जा रहे हैं। यह योजना 600 करोड़ रुपये की है जिसको इसी साल शुरू किया जायेगा। इससे निश्चित रूप से कॉटन की क्वालिटी सुधरेगी। कॉटन की यील्ड भी ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मार्केटिंग की व्यवस्था हो जिससे उन्हें कॉटन का प्राइस ज्यादा मिले। हमने इसमें मार्केटिंग के लिए भी प्रावधान रखा है। हमारा जो कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है, उसमें भी गिनिंग और प्रेसिंग सैक्टर रखा है। फिर कंटामिनेटिड कॉटन यार्न को देश-विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे जिससे डोमेस्टिक सेल बढ़ेगी। यदि कॉटन की मांग बढ़ेगी तो हम किसानों को भी उसके अधिक भाव दे सकेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि सदन इस बिल को पास कर दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कपास ओटाई और दवाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों में नियम 193 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा चल रही हैं। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री राजेश पायलट और अन्य मित्रों को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने नियम 193 के अधीन यह प्रस्ताव पेश किया।

महोदय, मैंने श्री सोमपाल का भाषण नहीं सुना है लेकिन मैंने भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम और वर्तमान वित्त मंत्री का भाषण सुना है। मैं वित्त प्रबन्धन, राजस्व घाटे अथवा मुद्रा आपूर्ति के मूल कारणों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है लेकिन मेरी राय में यह सम्पूर्ण मामला कुप्रबन्धन का है। यह मुद्रा आपूर्ति का पूरक नहीं है, चाहे वर्ष 1998-99 में 15% का हो अथवा 20% का हो। बल्कि वहां पर वचनबद्धता का अभाव है, विभागों के बीच समन्वय नहीं है और राजनैतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है। नौकरशाही के बीच समन्वय का अभाव है। इस प्रकार से अचानक मूल्य वृद्धि के लिए यह कुछ कारक जिम्मेदार है।

महोदय, मैं केवल प्याज के मामले को नहीं उठाना चाहता हूं और भी कई मुद्दे है प्याज ही अकेला मुद्दा नहीं है। वह चुनावों के उद्देश्य के लिए एक मुद्दा था और उसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।

महोदय यहां कई ज्वलंत समस्याएं है। सर्वप्रथम मैं सिद्ध करूंगा कि सरकार द्वारा स्थिति का सम्पूर्ण प्रबंधन किस प्रकार किया गया है और उसके बाद मैं अन्य मुद्दों पर आऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गृह राज्य में क्या हुआ है। इसको बताने के लिए मेरे पास कारण है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री यह कहते हुए राज्यों पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहे है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्रियान्वयन राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यदि मूल्यों में वृद्धि होती है तो राज्य सरकार को उसकी निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

महोदय, वहां क्रियान्वयन का पूरी तरह अभाव था। मेरे गृह राज्य में 'होपकोम' जो सहकारी संस्था है और सभी प्रकार की सब्जियों का लेनदेन करती हैं, द्वारा 16 रु. प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा था। उन्होंने पूरे कर्नाटक राज्य में कई बिक्री केन्द्र खोले। उन्होंने पिछले माह और उससे पहले महीने में 16 रु. प्रति किलो की दर पर प्याज बेचा। क्या सरकार के लिए सम्भव नहीं था कि वह कर्नाटक अथवा अन्य राज्यों से प्याज मांगती जहां यह सस्ती दर पर बेचा जा रहा था। कर्नाटक के सिमोगा जिले से एक किसान बंगलौर के बाजार में यह सोनकर प्याज बेचने के लिए लाया कि यहां उसे उसके उत्पादन के बेहतर दाम मिल जाएंगे। चूंकि दिल्ली और अन्य स्थानों पर प्याज के मूल्यों के बारे में काफी शोरशराबा था इसलिए उसने अपने उत्पाद के लिए अच्छे दाम की आशा की लेकिन अन्तत उसे बंगलौर में बहुत कम दर पर अपना उत्पाद बेचना पड़ा। वह सिमोगा से बंगलौर प्याज को एक ट्रक में लादकर लाया था और वह भाड़ा प्रभार को वहन नहीं कर सका। अत: उसने खुदकुशी कर ली। यह समाचार पत्र में छपा

था और इस बात को विस्तार से कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने यह बात इसलिए उठाई है कि पता चले कि समन्वय का पूर्णत: अभाव था।

महोदय, इसके लिए दूसरी तरफ के सदस्यों को दोषी नहीं ठहराने जा रहा हूं वे सभी मूल्यों को नीचे लाने और उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के बारे में समान रूप से चिन्तित है। यहां राजनीति को मिलाने का प्रश्न नहीं हैं जैसाकि वे मूल्यों में वृद्धि से चिन्तित नहीं हैं। मैं वैसा नहीं कहने जा रहा हूं। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल रही है और उन्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए।

महोदय, मेरी बहन ममता बनर्जी यहां बैठी हुई है। उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह सात अथवा आठ महीनों के पश्चात् मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए। क्या एक समर्थक दल द्वारा समन्वय समिति से बाहर आने और धमकी देने की हद तक जाना अनिवार्य हो गया था? उसके दल के एक वरिष्ठ सदस्य ने यहां बताया है कि प्रधान मंत्री के कार्यालय को सूचना नहीं पहुंचती है और उनके अभाव में प्रधान मंत्री कार्यालय कदम उठाने में असमर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री ने इसके बारे में अनभिज्ञता जताई जब वह उनसे मिले। मैं जानना चाहता हूं क्या प्रधान मंत्री इस संबंध में सूचना प्राप्त करने जा रहे है। क्या यह प्रधान मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं है? क्या यह खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय अथवा जो भी इस मंत्रालय का नाम है, का उत्तरदायित्व नहीं हैं? जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

महोदय, मैं श्री बरनाला का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि इन्होंने राज्य के गवर्नर के रूप में त्याग पत्र दिया था जब इनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। इन्होंने सिद्धांत के लिए त्यागपत्र दिया था। आपने एक राज्य में मुख्य मंत्री के रूप में कार्य किया। जब वह मुख्य मंत्री थे तो कुछ अवज्ञा अथवा जो कुछ भी हो, कारण के लिए उन्हें दण्ड दिया गया। धार्मिक नेताओं ने कुछ दंड दिया जिसे उन्होंने एक सैनिक की तरह स्वीकार किया। श्री बरनाला ने इसे एक अनुशासनप्रिय सैनिक की तरह स्वीकार कर लिया। मेरे मन में आज तक उनके लिए काफी सम्मान है। लेकिन पता नहीं उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय को किस प्रकार चलाया है मैं यह समझने में असमर्थ हूं। यदि आपके प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री आपके साथ सहयोग नहीं करते है तो बेहतर होगा आप त्याग पत्र दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं मुद्दे पर आता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इससे आपका रिगार्ड थोड़ा और बढ़ जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसे हल्के तौर पर लिया जाए। मैं इसके बारे में गम्भीर हूं। यदि आपके प्रधानमंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं अथवा वित्त मंत्री सहयोग नहीं कर रहे है तो आप त्याग पत्र दे दें, यही बेहतर होगा। आपकी छवि में और सुधार होगा। अन्यथा आपके अथवा आपके उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई गलतियों के लिए लोग आप को कोसेंगे।

मैं नहीं जानता कि हमारे कांग्रेसी मित्र प्याज के बारे में इतने सावधान क्यों है। प्याज ने कोई परिणाम नहीं दिया है यह तो केवल भारतीय जनता पार्टी की आणविक परीक्षण के रूप में की गई गलती का ही परिणाम है। वे सोचते थे कि इसमें लोगों की भावनाओं में उभार आएगा तथा उन्हें सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे दल को भी पराजय का सामना करना पड़ा है। मैं चुनाव के परिणामों के बारे में चिन्तित नहीं हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि प्याज का मुद्दा हर रोज और हर समय क्यों उठाया जा रहा था। मैं इसे देख रहा था। मैं जब तक इसका स्वयं अध्ययन नहीं कर लेता इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं।

उर्वरक के मुद्दे पर आपने क्या आश्वासन दिया था। जब जून में पिछले बजट सत्र के अन्त में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सभा का ध्यान आकृष्ट किया था तो आपने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि आप अपेक्षित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के सभी संभव कदम उठा रहे हैं। मैं आपके उत्तर से उद्धृत करता हूं:

> ''अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य श्री एच.डी. देवगौड़ा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हालांकि इन उर्वरकों को विनियंत्रित किया गया है और जैसे यूरिया के मामले में है सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है हम किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे जिनके हितों का मैं सर्वाधिक ध्यान रखता हूं।''

यह 11 जून, 1998 की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक संसद सदस्य यहां धरने पर बैठा। यह किसी 'क' पार्टी या 'ख' पार्टी का सवाल नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दल इसके प्रति चिंतित है। यह एक ज्वलन्त समस्या है। सदस्य आटा

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

या चावल या सब्जियों की मूल्य वृद्धि की बात कर रहे हैं। आपने इन सब बातों का उल्लेख किया होगा। किंतु जब किसी वस्तु उत्पादन में ही गिरावट आ रही हो तो मूल्य वृद्धि का प्रश्न केवल धन की आपूर्ति के बारे में नहीं है। यह एक घटक है। वित्तीय या राजस्व घाटा ही केवल एक मुद्दा नहीं है यह मांग और पूर्ति का सवाल है। आपके विभाग ने कैसे काम किया? क्या आपके विभाग और कृषि विभाग व वित्त विभाग के बीच सहयोग है? विगत छह या सात महीनों की कुछ घटनाओं पर गौर करें। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस सभा में क्या कहा है? उन्होने नए भारत के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, ''हमने अब नए भारत का निर्माण आरंभ कर दिया है।'' हमने डी.ए.पी. की कीमत में 15000 रुपये प्रति टन वृद्धि कर नए भारत का निर्माण आरंभ कर दिया है। लोग पिस रहे है। वे गोदामों व दुकान-दर-दुकान भटक रहे है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : यह जमाखोरी और मुनाफाखोरी है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : यह 15000 रुपये प्रति टन है। आप भी कृषक समुदाय से हैं। क्या प्रशासन चलाने का यही तरीका है?

''हमारी आवश्यकता क्या है?'' यह प्रश्न मैंने 11.6.1998 को पूछा था।

कुछ लोग कह रहे थे कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रश्न को पूछने की सीमा तक क्यों जा रहे है? उन्होंने यह मुद्दा उठाया। मैं इस मुद्दे के महत्व और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या नियम 193 के अधीन प्रस्ताव पर या धरना पर बैठने के महत्व को जानता हूं।

मेरे एक मित्र यहां बैठे हैं। मैं उनकी भावना का आदर करता हूं। हम इस सरकार को इस तरह कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते है।

मैं कुछ ब्यौरा दूंगा और सभा को इस निष्कर्ष तक पहुंचने दो कि क्या यह सरकार कार्य कर रही है या जनता द्वारा उन्हें यह सजा देने के बाद क्या वे कुछ महसूस कर रहे हैं।

> ''आज सरकार ने पहले अगस्त, 1998 में लिए गए निर्णय - फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक के मुक्त खुदरा मूल्य की समीक्षा की है और निर्णय किया है कि उन उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य खरीफ, 1998 के स्तर पर ही रहेंगे।''

खरीफ मौसम के लिए क्या दर है? उन्हें इसे यहा इस सभा में बताना चाहिए।

> ''सरकार ने यह निर्णय किसानों के हित में लिया है क्योंकि बाढ़ के कारण चालू खरीफ मौसम में खाद्यान्न उत्पादन की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।''

फिर उसी बात को एक माह के भीतर पलट दिया गया। मैं सरकार के उस आदेश को उद्धृत करता हूं:

> ''अधिकतम थोक मूल्य के निर्णय के अधीन उर्वरकों की संभावित मूल्य वृद्धि के बारे में किसानों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए कल निर्णय लिया गया डाइअमोनियम/सल्फेट का मूल्य 8,300 रुपये प्रति टन ही रहेगा। पोटाश का मूल्य 3700 रुपये प्रतिटन रहेगा और राज्य के संबंध में सिंगल सुपर फास्फेट के मामले में विभिन्न श्रेणी के काम्प्लेक्सेज की कीमत 6280 रुपये प्रति टन रहेगी। उन्होंने अगस्त के महीने में निर्णय लिया था और इसे पलट दिया गया? क्यों?
>
> कल सी.सी.ए.पी. की बैठक भी हुई और किसानों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को देखते हुए निर्णय लिया ...''

उन्होंने इन सब बातों को प्रस्तावना में उद्धृत किया है। एक माह के भीतर किस बात ने आपको यह निर्णय लेने के लिए बाध्य किया? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।

> ''डी.ए.पी. की कुल आवश्यकता 60 लाख टन है। हम 24 लाख टन डी.ए.पी. का देश में उत्पादन करते हैं।''

36 लाख टन की कमी है। ये आधिकारिक आंकड़े है। मैंने बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े नहीं बताए है। मैंने इन्हें विभाग से ही प्राप्त किया है। मैंने विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करने का प्रयास किया है। 35 लाख टन की कमी है। आज लोग परेशानियां झेल रहे हैं। मैं नहीं जानता ये लोग क्या करना चाहते हैं।

वित्त विभाग, उर्वरक विभाग और कृषि विभाग के बीच इस प्रकार की संवेदनशून्यता या उपेक्षा या असहयोग क्यों है? यह समन्वय का अभाव है।

मैं नहीं समझता कि इसमें श्री बरनाला की रुचि नहीं है। मैं इस निष्कर्ष तक क्यों पहुंचा हूं? क्योंकि माननीय मंत्री ने सार्वजनिक जीवन में कुछ सिद्धान्त बनाए है। यदि आप इन सिद्धातों का पालन

नहीं कर सकते है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस उम्र में आपके सहयोगियों द्वारा आपका अपमान नहीं किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

मैं नहीं जानता कि आपके द्वारा चार-पांच दिन पूर्व भेजे गए प्रस्ताव को आज तक वित्त मंत्री ने स्वीकृत किया है या नहीं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में भाषण में कहा:

> ''श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अब हमने नए भारत का निर्माण आरंभ कर दिया है।''

मैं उनके बजट भाषण से दो वाक्य और उद्धृत करना चाहता हूं जो काफी रोचक है। वे कहते है:

> ''मैं यहां खड़ा इस सम्माननीय सभा को संबोधित कर रहा हूं। मैं स्वाभाविक रूप से भारत के दूरस्थ गांव और हमारे लाखों मेहनतकश किसानों के बारे में सोच रहा हूं।''

डी.ए.पी. का मूल्य 15,000 रुपये प्रति टन कर आपकी सरकार कहती है कि वह हमारे लाखो मेहनतकश किसानों के बारे में सोचती है। क्या आपके पास किसानों की ओर से यह कहने का नैतिक साहस है? क्या प्रधान मंत्री में यह नैतिक साहस है? मैं अपने मित्र से नहीं पूछ रहा हूं किन्तु मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूं क्या उनमें नैतिक साहस है।

मुझे यह कहते खेद है कि यदि इसी तरह की स्थिति जारी रही तो अगले दस वर्षों में लोग निश्चित रूप से भुखमरी के शिकार होंगे। किसान धर्म और जाति के आधार पर बंटे हैं। आपने उन्हे बांटा और आप उन्हें बांट कर फल प्राप्त करना चाहते है। यह असंगठित क्षेत्र है। इस स्थिति को कोई नहीं बचा सकता है। कृपया इन शब्दों को याद रखें।

मैं आपका ध्यान उस वायदे की ओर दिलाना चाहता हूं जो आपने इस सभा में किया था और एक पत्र के माध्यम से भी किया था जिसमें लिखा था, 'जुलाई के पहले सप्ताह में अत्यधिक आवश्यकता से पूर्व राज्य को संतुलित आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की जाएगी।' जुलाई का पहला सप्ताह कहां गया? आज कौन सा महीना है? उस वायदे का क्या हुआ? मेरे गृह जिले के एक उप सचिव ने मुझे एक फैक्स संदेश भेजा कि वहां काफी कमी है और मुझसे कुछ करने के लिए कहा है *...(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : कृपया उसे पढ़े *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं अपितु मैं इस देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय : कर्नाटक दक्षिण भारत है *...(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : प्रधान मंत्री के रूप में एक दक्षिण भारतीय ने उर्वरक पर 25,00 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जिसे हमारे मित्रों ने समाप्त कर दिया है। जब मैं सत्ता में आया पन्द्रह दिनों के भीतर मैंने इसे बहाल किया *...(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आप किसानों के बारे में चिंतित हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उन्हें आज एक आश्वासन देने दें। मैं माननीय उर्वरक मंत्री से अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। खरीफ की फसल के लिए क्या दर नियत की गई है? रबी फसल के लिए क्या दर नियत की है। खरीफ फसल के लिए कितनी सब्सिडी जारी की गई है? तथा रबी फसल के लिए कितनी सब्सिडी जारी की गई है?

महोदय, इस निर्णय को लेने के बाद उन्होंने एक माह के भीतर उस निर्णय को बदल दिया। यदि मेरी सूचना सही है तो उन्होंने ओ.जी.एल. के अन्तर्गत मुक्त व्यापार की अनुमति दी है। कुछ व्यापारियों ने उर्वरक, डी.ए.पी. या फास्फेटिक उर्वरक लाने का प्रयास किया था किन्तु इस निर्णय की घोषणा के साथ उन्होंने उसे अन्य देशों को भेज दिया। भारत में आयातकों द्वारा समुद्र से ही उर्वरकों को दूसरे को भेजने का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी समुदाय ने उपहास किया। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि रबी मौसम में जब किसानों को बहुमूल्य डी.ए.पी. की अधिक आवश्यकता होती है वे इससे वंचित रहे।

जार्डन में पचपन हजार टन की लदाई की गई थी। यही जानना पर्याप्त नहीं है। चार लाख टन बन्दरगाह पर पड़ा है और 55000 टन की जार्डन में लदाई की जा रही है। हमें जानना होगा कि इस सरकार की दीर्घकालीन नीति क्या है क्योंकि देश में पैंतीस लाख टन की कमी है। 55,000 टन को अब जहाज में लादा गया है। यह कब आ रहा है? आपने कहा कि एक जहाज मंगलौर आ रहा है और आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपके विशेषज्ञों ने वर्जिनिया तम्बाकू के बारे में कहा। जब मैंने वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन में हो रही कमी का मुद्दा उठाया तो तकनीकी राय ने सुझाव दिया कि बुआई के समय इसकी आवश्यकता नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों की राय है कि टोप प्रेसिंग से भी अच्छी पैदावार होगी। आपने ये सब बाते इस सभा में कही हैं।

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

मैं इन सब बातों में पीछे जाना नहीं चाहता हूं। किंतु बाद में क्या हुआ? जो तम्बाकू हमें प्राप्त हुआ वह चौथी श्रेणी का था। आज उसकी बाजार में मांग नहीं है। आज आंध्र प्रदेश और मेरे गृह राज्य में किसान मर रहे हैं। मेरे राज्य में किसान मर रहे हैं। मैं एक-एक कर उन बातों को उद्धृत करता हूं कि इस सरकार के निर्णय के कारण दरों में किस प्रकार उतार-चढ़ाव आया है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ और मिनट लेना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री दक्षेस शिखर सम्मेलन में गए। उन्होंने मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की एकपक्षीय घोषणा की। उत्पाद चाहे कृषि उत्पाद हो या अन्य औद्योगिक उत्पाद, उनकी कितनी भी मात्रा में स्वतंत्र आवाजाही की जा सकती है। मात्रात्मक प्रतिबंध एकपक्षीय रूप से हटाए गए। उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में यह घोषणा श्रीलंका में की। आपने इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? पाकिस्तान में आयात शुल्क 36 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ में आयात शुल्क 300 प्रतिशत है। ब्राजील में आयात शुल्क 50 प्रतिशत है जबकि भारत में आयात शुल्क पांच प्रतिशत हैं। इसलिए उन्होंने यहां माल लाना शुरू कर दिया है।

श्री मदन लाल खुराना मुझसे कह रहे थे कि "आपने निर्यात किया।"। हां हमने 50000 टन का निर्यात किया। मैंने यह निर्णय लिया था। आज वे निर्यात इसलिए कर रहे है क्योंकि यहां कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध हटाने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में आप इसका श्रेय लेना चाहते हैं। आपने परमाणु परीक्षण कर कुछ किया और एक सप्ताह के भीतर इसका उत्साह ठंडा पड़ने लगा। आप सार्क देशों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। आज वे हमारे देश को चीनी निर्यात कर रहे है। पाकिस्तान में आयात शुल्क 36 प्रतिशत है। इससे हमारे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्णय पहले ले लिया गया था? यदि इस निर्णय की दक्षेस शिखर सम्मेलन में एकपक्षीय घोषणा की गई तो इसके प्रभाव क्या होंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस मामले के बारे में अपने वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में भी चर्चा की है? वस्तुवार-मूल्य पर हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या इस बात पर चर्चा हुई थी?

मैं नहीं समझता कि विभागों में आपसी सामंजस्य है, इस बात को भूल जाइए कि ममता जी या डा. जयललिता क्या कहती हैं। हमारे सामने यह मुद्दा नहीं है। आपके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आपके मध्य समन्वय की भावना नहीं है। मैं कहता हूं कि यह सरकार देश को चलाने में पूरी तरह अक्षम और अयोग्य है। मैं ममता जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कम से कम मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिए बाध्य तो किया। मैंने ग्यारह महीनों में चार बार मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। हमने कई निर्णय लिए थे। वे सदस्य चाहे भाजपा के थे या कांग्रेस के या क्षेत्रीय पार्टियों के, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया था। इतनी अव्यवस्था क्यों है? क्या आप इस प्रकार के निर्णयों से एक नये भारत का निर्माण करना चाहते है? मैं नहीं जानता कि आप किस चीज का निर्माण करना चाहते हैं। आप केवल इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं।

यदि आप प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि किसी भी दिन कृषि या समाज कल्याण पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है। ...*(व्यवधान)* मैं टी.वी. पर कार्यक्रम नहीं देखता परन्तु कुछ लोगों ने मुझे बताया कि टी.वी. पर सी.टी.बी.टी. से सम्बन्धित एक कार्यक्रम दिखाया गया था जिसमें हमारे विदेश मंत्री - जिन्होंने तीन दिन पहले ही कार्य भार संभाला है - मि. स्ट्रोब टालबॉट का जिक्र कर रहे थे। ...*(व्यवधान)* चर्चा करने वालों में देश के अर्थशास्त्री सम्मिलित थे, उन्होंने केवल मुद्रा आपूर्ति या तथाकथित राजकोषीय घाटे पर चर्चा की थी।

प्रतिदिन एक महान अर्थशास्त्री द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन कराया जाता है जिसमें देश की चर्चा होती है जोकि बर्बाद हो चुका है। आर्थिक सलाहकार, उनकी अपनी पार्टी भाजपा के सलाहकारों ने ऐसा कहा है।

श्री अजीत जोगी : क्या श्री गुरूमूर्ति ने ऐसा कहा है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : नहीं, वास्तव में गुरूमूर्ति नहीं, कोई और सज्जन हैं। उन्होंने अपने कालम में बहुत ही अच्छा लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यदि यही परिस्थिति बनी रही तो अगले दस वर्षों में भारत दूसरा कम्बोडिया बन जाएगा। वे भाजपा के आर्थिक सलाहकार हैं।

हां, उनका नाम श्री जय दुबाशी है।

उन्होंने वस्तुवार मूल्य को ध्यान में लिए बिना स्वयं ही प्रतिबन्ध हटा दिए हैं जिस कारण हम गम्भीर कठिनाई का सामना कर रहे है। मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है। कृपया इसकी जांच की जाए या सरकार कहे कि यह सही है या नहीं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नेपाल में अपनी आनुषंगिक कम्पनियों को खोलकर कई तरह की वस्तुओं का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे उन आवश्यक वस्तुओं की कितनी भी मात्रा को भेज सकते हैं। इस स्वतंत्रता के कारण सभी मामलों में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को सामान्य ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए।

यदि प्रधानमंत्री को चिन्ता है तो उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब नेपाल सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए 'बेस' बन गया है। वे सभी प्रकार की वस्तुओं को बनाकर उन्हें हमारे देश में भेजना चाहते है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। मैं नहीं जानता कि क्या इस विषय की जांच सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई है या नहीं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

एक और मुद्दा रेशम का है। हमारे श्री आर.एल. जालप्पा यहां बैठे हैं। चीन से रेशम का आयात किया जा रहा है। आज की क्या स्थिति है? हम 80 प्रतिशत से भी ज्यादा रेशम कर्नाटक में उत्पादित करते है। देश के कुल उत्पादन का ग्रेड टू ए का 80 प्रतिशत भाग हम कर्नाटक में उत्पादित कर रहे हैं। एक ओर सरकार ने छह संस्थाओं को अनुमति या विशेष आयात लाइसेंस दिया है। यह सरकारी आदेश में है और सरकार ने अग्रिम आयात लाइसेंस, शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी है।

जब मैंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें वाराणसी जैसे दो या तीन शहरों में उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उत्पादकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने भी हित है। परन्तु इसी के साथ निर्यात किए जाने वाले कपड़े के लिए कच्चे रेशम की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसका हिसाब-किताब कौन रखेगा? जब मैं प्रधानमंत्री था तब मैंने संबंधित सचिव, वस्त्र से यह पता लगाने के लिए कहा वे कितना आयात करेंगे और उत्पादक के लिए इसकी लागत कितनी होगी और इसमें से कितनी काला बाजार में बेची जाएगी और कितनी निर्मित वस्तुओं के रूप में देश से निर्यात की जाएगी। वे सही सूचना नहीं दे पाए थे। वे कितनी मात्रा का आयात करेंगे? वे कितना उत्पादन करेंगे? क्या उनकी कोई उत्तरदायिता है?

सरकार ने अग्रिम आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कहा है कि किसी प्रकार शुल्क नहीं लगाया गया है। ठीक है। एक शर्त है कि यदि वे एक किलो ग्राम आयात करते हैं। तो उन्हें $1^1/_3$ किलोग्राम तैयार माल का निर्माण करना होगा।

सरकारी आदेश दिया गया है। परन्तु यदि 33 प्रतिशत का मूल्य वर्धन किया जाता है तो निर्यातक अग्रिम अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत बिना किसी शुल्क के भुगतान के कच्चे रेशम का आयात कर सकते हैं। ऐसा करके निर्यातक रेशम के वस्त्र का निर्यात कर सकता है। ऐसे निर्यातक को इस रियायत को प्राप्त करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत का मूल्य वर्धन करना होगा। इसमें उत्तरदायिता कहां पर है? कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा। कितनी मात्रा काला बाजार में बेची जाएगी। फिर से आप पांच या छह संगठनों को विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात को अनुमति दे रहे हैं। इसके लिए आपने 40 प्रतिशत शुल्क लगाया है। यदि वे 1 करोड़ रुपयों का रेशम आयात करते हैं तो उन्हें 3 करोड़ रुपयों की निर्मित वस्तुओं के निर्यात तक इस लाइसेंस को सौंप देना चाहिए। यह दूसरा वर्ग है।

इसका कुल परिणाम क्या निकला? इसका कुल परिणाम यह है कि 600 रुपए मूल्य की कच्ची रेशम के लिए यदि आप 40 प्रतिशत शुल्क भी लेते है तो वह 150 रुपए या 160 रुपए के करीब होगा। फिर इसमें आयातक का लाभ भी शामिल है, व्यापारी का लाभ है, निर्माता का लाभ है, भले ही यह लाभ की राशि भी क्यों न हो। इस प्रकार यह राशि 1000 रुपयों से 1100 रुपयों तक बैठती है जबकि कर्नाटक में आजकल किसान 1400 रुपयों से 1500 रुपयों के बीच बेच रहे है। उन्हें प्रति किलोग्राम 400 रुपयों से 500 रुपयों के बीच तक नुकसान उठाना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित है। किसानों को इस सरकार से यह पुरस्कार मिल रहा है। यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं तो इस निर्णय में संशोधन कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

एक अन्य मद तम्बाकू है। आपने एक वायदा किया है। दिखावटी दिलासा भी किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया है। अब वे इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्हें 11 रुपये प्रति किलोग्राम लाभ भी नहीं मिल रहा हैं जबकि पहले वे 45 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो बेचा करते थे। ऐसा आरम्भ में एम.ओ.पी. की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुआ। आपकी झूठी दिलासा ने गुणवत्ता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसका निर्यात किया जाए। रेशम का एकमात्र खरीददार देश रूस है। कृपया अब आप यह सुनिश्चित करें कि कृषकों को सहायता पहुंचाई जाए और उन्हें इस संकट से बाहर निकला जाए अन्यथा किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। एक ओर तो गन्ना उत्पादक है और दूसरी ओर तम्बाकू और शहतूत उत्पादक है। आपके निर्णय का इन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ऐसे समय आडवाणी जी गृह मंत्री बने। विभागों में आपस में कहीं सामजंस्य नहीं है। आपको केवल गृह विभाग की चिंता है। आप आर्थिक अपराधियों के कारण चिन्तित हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप चाहे जो कदम उठाए परन्तु विभागों में आपसी समन्वयन नहीं है। प्रशासन चलाने का यह भी कोई तरीका है? एक महीने पहले उन्होंने उर्वरकों और अन्य वस्तुओं के बारे में एक निर्णय लिया था। अगले तीस दिनों के भीतर ही उन्होंने उसे

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

संशोधित किया। इस समय डी.ए.पी. 15,000 रुपये प्रति टन की दर से उपलब्ध है। मैं आपसे यह सब इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम नेता है। यदि आप देश के किसानों को बचाते हैं तो वे भी आपको अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कुछ और धन देंगे। अन्यथा वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मैंने पूरी पृष्ठभूमि का बखान किया है। किसानों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इसमें तर्क का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप सदन में झूठ मत बोलिए। मैं जानना चाहता हूं क्या कोई धनराशि जारी की गई है या नहीं।

अपराह्न 4.00 बजे

राजसहायता के बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया मुझ बताइए। मैंने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि डालर का मूल्य बढ़कर 42.51 रुपये हो गया है और इस कारण मूल्यों में प्रतिटन 800 रुपये तक वृद्धि हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपने कहा कि आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते। यही आपके उत्तर में कहा है। मेरी जानकारी सही है तो अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को बधाई देनी चाहिए। वह सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं या किसी अन्य मित्र पक्ष के मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : मित्र पक्ष या सहयोगी दल?

श्री एच.डी. देवगौड़ा : ठीक है, सहयोगी दल।

आप किसानों को मरने नहीं देंगे। अब किसान कार्ड की बात प आता हूं। मैं यह बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती है, यह केवल वित्तीय प्रबन्धन पर निर्भर नहीं करती है। यदि उत्पादन कम होता है तो कोई भी मूल्य वृद्धि को रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए उनको उर्वरक मंत्री के रूप में और कृषि मंत्रालय को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अब 'क्रेडिट कार्ड' को ही लीजिए। कितना ऋण दिया गया है? देश में कितने 'क्रेडिट कार्ड' जारी किए गए हैं? इन्हें जारी करने वाले बैंक कौन से हैं? कृपया सभा को इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी दीजिए। हमें सच्चाई बताइए। लोगों को अनावश्यक ढंग से गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वे पूरी तरह असंगठित है। वे जाति और धर्म के आधार पर बंटे हुए हैं। हम जाति और धर्म के मुद्दों को उठाकर उनके वोट हासिल कर रहे है। ऐसा मत कीजिए क्योंकि यह लम्बे समय तक नहीं चलेगा।

जिस दिन बजट पेश किया गया था, मुझे बहुत खुशी हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि "हम किसानों को ऐसे ही मरने नहीं देंगे। हम कभी भी किसानों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हम उन्हें जेल में भरे जाने नहीं देंगे।" यह भाषण माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने पुराने मामलों को हल कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान ऋण की अदायगी न पाने के कारण जेल नहीं जाएगा या आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं होगा। रिजर्व बैंक पुराने ऋण की अदायगी के मामलों में निशुल्क निपटारे को शीघ्र किए जाने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों को जारी कर रहा है। कृपया सभा को स्पष्ट जानकारी दें। इस समय आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं हैं क्योंकि वे सरकार के गठन क लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कोई समस्या नहीं है ...*(व्यवधान)* यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इसीलिए महोदय बरनालाजी को डरने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई भय नहीं है। कम से कम पिछले तीन दिनों से कुछ समाचार पत्र यह समाचार दे रहे हैं कि वे कड़ा रूख अख्तियार कर रहे हैं। यदि वो कड़ा रूख अख्तियार कर रहे है तो उनके कड़े निर्णय कौन से है? मैं उन निर्णयों के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसे कितने किसानों जिनके ऋण ब्याज और दण्ड स्वरूप ब्याज के कारण तीन या चार गुना बढ़ गए है, के मामलों को सुलझा लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? रिजर्व बैंक केवल संवेदी सूचकांक के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है जोकि प्रतिदिन ऊपर-नीचे होता रहता है या शेयर बाजार के लिए जिसमें प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। किसानों के बारे में कौन सोचता है? मैं समझता था बरनाला जी किसानों का ध्यान रखेंगे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस बार क्यों कृषि मंत्रालय को छोड़ा है और उन्हें उर्वरक मंत्रालय क्यों सौंपा गया है। देश में किसानों के बारे में कौन सोचता है? ...*(व्यवधान)* यह ऐसी बात नहीं है जिस पर हंसा जाये। मुझे यह कहते हुए खेद होता है। मैं इस सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्तित हूं। उन्होंने क्या वायदा किया था।

मैं एक लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं, विशेष रूप से मूल्य वृद्धि के विषय पर, परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा।

उन लोगों को दण्ड दिया जाये जो मिलावटी उर्वरक की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई भी उर्वरक नहीं है जिसमें मिलावट नहीं की जाती है। वे चिकनी मिट्टी मिलाते है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी सरकार ने चाहे वह कांग्रेस की रही हो, जनता पार्टी की रही हो या जनता दल की रही तो -

उन्हें जेल नहीं भेजा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैंने मुख्य मंत्री के रूप में अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। उनके पास बचने के कई रास्ते हैं। यहां तक कि वे नकली कीटनाशक बेच रहे हैं। इन सभी बातों को आपके इस तथाकथित नए आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया जाना चाहिए जिसे आप सभा के समक्ष लाने वाले हैं। इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है अन्यथा मैं आपसे कहता हूं कि किसानों का शोषण होगा और उनका ध्यान रखने वाला कोई .भी नहीं होगा।

महोदय, मैं इस सुझाव के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं अनावश्यक रूप से सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे है परन्तु 'शून्य काल' दो घण्टे तक का हो सकता है। महोदय सभा में कुछ कायदा होना चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। हम सहयोग के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों को निर्णय लेना होगा।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या आप इस बारे में जानते है, लेकिन हमारे वरिष्ठ सदस्य यह जानते होंगे कि मैंने अपने जीवन में कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। ऐसा मैंने केवल एक ही बार किया वह भी उस समय जब भूतपूर्व सरकार ने उर्वरक के संबंध में कुछ निर्णय लिए थे, तब मैं यहां धरने पर बैठा था। उस समय श्री आडवाणी विपक्ष के नेता थे। प्रधान मंत्री के रूप में और एक सदस्य के रूप में मैंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शून्य काल को नियमित रूप में चलाने के लिए कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाइए। शून्य-काल दो घंटे तक चलता है। यह क्या तरीका है? हम आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। समय बहुत कीमती है। लोग सोच रहे होंगे कि हम अपना समय बरबाद कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेताओं की बैठक बुलायेंगे।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : अन्त में, इसी सुझाव के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विशेष रूप से इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत 4.00 बजे चर्चा होनी थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के तत्काल बाद उस पर चर्चा कराई जाएगी।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : मेरे मित्र राजेश पायलट जी ने और श्रीमती गीता मुखर्जी ने प्राइसिस पर बहस शुरू की। इसमें हाउस के बहुत से मैम्बरों ने हिस्सा लिया और दिलचस्पी दिखाई क्योंकि यह सब्जैक्ट ही ऐसा था जिसमें हरेक की दिलचस्पी थी।

अपराह्न 4.08 बजे

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए]*

मुझे खुशी है कि आखिरी वक्त श्री देवेगौड़ा, जिनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, सत्कार करता हूं, उन्होंने इस डिबेट को कन्कलूड किया। यह डिबेट उस वक्त शुरू हुई जब कीमतें गिरने लग गयी थीं और बात में कोई दम नहीं रहा था। सब्जियों और अन्य दूसरी चीजों की कीमतें गिर रही थीं और कोई खास बात कहने को नहीं रह गयी थी इसलिए दो-चार लोगों को छोड़कर ज्यादातर-सियासी बहस हुई। श्रीमती जयंती पटनायक महज प्राइस राइस पर बोलीं। हमारे मित्र श्री येरननायडू, श्री प्राइस राइस पर बोले। बहुत से और भी बोलने वाले दोस्त थे, वे ज्यादातर सियासत की तरफ जा रहे थे, सियासी बात करना चाहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि नहीं प्राइस ऊंचे हो गये इसलिए तीन सरकारें जाती रहीं और हम तीन सरकारों पर काबिज हो गये, ऐसी सारी टोन उनकी रही। प्राइसिस पर कोई बात कहने के लिए दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि प्राइसिस नीचे जा रही थी। पॉयलट साहब ने शुरू किया था। उन्होंने भी प्राइसेस के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। एक जिक्र आया कि आटे का दाम 16 रुपये किलो है। मैं यह सुनकर एकदम हैरान हो गया कि 16 रुपये किलो आटे का भाव कहां है। आटे, दाल का भाव बताने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं महज़ आपकी जानकारी के लिए दिल्ली के केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार के पूरे महीने के आंकड़े लेकर आया हूं। केन्द्रीय भंडार में 6.12.98 को 84 रुपये का दस किलो आटा मिल रहा था यानि 8.40 रुपये प्रति किलो का भाव है। ...*(व्यवधान)* मेरे पास 6.12.98 के आंकड़े हैं। आज भी यही भाव है क्योंकि पूरे महीने यही भाव चला रहा है। इसी तरह सुपर

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

बाजार के पूरे महीने के भाव मेरे पास हैं - 1.11.98 से 7.12.98 तक। वे सारे यही दिखा रहे हैं कि थैली में बंद आटा 8.40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मैंने सोचा कि शायद दिल्ली के सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार इस भाव पर बेच रहे हों और दूसरी जगहों में ज्यादा दाम पर मिल रहा हो। मैंने सारी स्टडी की कि कहां ऐसी बात है, कहीं पर ज्यादा दाम पर मिलता है। पॉयलट साहब गलत बात कहने वाले नहीं हैं, इन्होंने कहीं न कहीं की बात कही होगी। मैंने सारे आंकड़े मंगाए कि देश भर में गेहूं किस भाव बेचा जा रहा है क्योंकि आटा तो उसी से बनना है। मैं दो-चार जगहों का प्रति किलो गेहूं का भाव बताऊंगा - लखनऊ में 6.50 रुपये, जयपुर में 6.50 रुपये, भोपाल में 6.50 रुपये। इसके बाद दिल्ली में 7.50 रुपये है, अहमदाबाद में 7.00 रुपये, पटना में 7.00 रुपये हैदराबाद में 7.00 रुपये है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : जब आपने 5.50 रु. का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह खुदरा मूल्य है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं रिटेल प्राइस का जिक्र कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आटा इसी गेहूं का बनेगा। पूरे देश में कहीं पर भी गेहूं के दाम 8.00 रुपये से ज्यादा नहीं हैं। आटा उसी का बनना है। उसमें 50 पैसे और बढ़ जाएंगे, यदि पैकेट का दाम भी लगाना हो तो 1.00 रुपया ज्यादा हो जाएगा। ...(व्यवधान) मैंने पहाड़ों से भी आंकड़े मंगवाए कि शायद वहां ज्यादा हो शिलांग में ज्यादा हो। मैंने सारे आंकड़े मंगवाकर देखे। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, किसी ने कही से गलत आंकड़े उठाकर दिए हैं। इतने दाम बढ़े नहीं हैं जैसा यहां पर कहा गया। मैं देख रहा था कि प्राइमरी एसैंशियल आईटम्स - गेहूं, चावल, चीनी और नमक वगैरह का सारे हाउस में किसी ने जिक्र नहीं किया कि प्राइमरी आईटम्स के दाम बढ़े हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे पास सारे हिन्दुस्तान की मंडियों के दाम हैं, कहीं चावल के दाम नहीं बढ़े। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपके वित्त मंत्री जी ने दो दिन पहले कहा कि प्राइमरी चीजों के दाम बढ़े हैं इसलिए इनफ्लेशन पर फर्क पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कहीं बोलते-बोलते कह दिया होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बरनाला जी का जवाब तो पूरा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने सारे देशभर की मंडियों के भाव मंगवाए हैं। लेकिन सारे के सारे भाव स्टेबल रहे हैं। इसी तरह शुगर की बात है। किसी ने जिक्र नहीं किया कि शुगर के दाम देश में कहीं बढ़ गये। शुगर के दाम 14.50 रुपये प्रति किलो इस साल हुए हैं, पिछले साल नहीं थे। पिछले साल 15 रुपये प्रति किलो से ऊपर चलते थे, लेकिन इस साल 14.50 रुपये भी हुए हैं। अब 14.50 रुपये से लेकर 16 रुपये तक सारे देश में शुगर के दाम चल रहे हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन जो प्राइमरी आइटम्स थे, उनकी बात नहीं है। बात आई तो प्याज की आई, आलू की आई, सब्जी की आई, ये बातें यहां पर उठती रही हैं।

श्री भजनलाल (करनाल) : आप तो तेल और दाल की बात बता दो।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं हाउस को थोड़ा यह भी बताना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है, अन्य चीजों के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं। अन्य चीजों के दाम इसलिए नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है, वह इतनी मात्रा में है कि दाम बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं है। कोई ट्रेडर, कोई दुकानदार इनके दाम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उपलब्ध हैं, अनाज मिलता है। जितना बफर स्टाक हमें रखना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा हमारे पास है। मैं आपको वे आंकड़े देना चाहता हूं कि बफर स्टाक इन दिनों में हमारे पास सारा 16.60 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन खुशी है कि आज हमारे पास 25 मिलियन टन से ऊपर चल रहा है। हमारे पास कम्फर्टेबल बफर स्टाक है, इसलिए देश में किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि कोई अनाज, चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, उसका हमारे पास इतना स्टाक है कि किसी के मन में किसी किस्म की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि यह कम हो जायेगा, इसके भाव बढ़ेंगे। इनके इसीलिए भाव नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ा स्टाक रिलीज कर देते हैं, उससे भाव फिर कम हो जाते हैं, यह सिचुएशन है, जो इन चीजों की देश में चल रही है।

अब मैं प्याज की बात करूंगा। आलू की बहुत बहस होती रही है और प्याज की तो ऐसी बात बन गई, प्याज तो एक ताजदार सब्जी बन गई, जिसके पास ताज है, जी चाहे जिसके सिर पर रख दें तो ताज बन गया, प्याज ऐसी सब्जी बन गई। इसकी ऐसी कदम हुई कि किसी सब्जी की ऐसी कदर नहीं देखी, जैसी कदर इसकी हुई। लोगों ने हार बना-बनाकर गले में डाले हुए थे, जगह-जगह पर इसकी तस्वीर थी, इसके पोर्ट्रेट चल रहे थे, लोगों के पोर्ट्रेट के बजाय प्याज के पोर्ट्रेट बन रहे थे, बैलून बन रहे

थे तो इस दफा बेचारी प्याज की कदर हुई। पहली दफा प्याज की कदर हुई, मैं ऐसा देख रहा हूं और ऐसा भी नहीं हुआ है कि इसके पहली दफा भाव बढ़े हैं। *...(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : हमारे यहां मध्य प्रदेश में शिवलिंग की जगह प्याज को रखकर पूजा करने लगे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : क्यों नहीं करें, बहुत दिनों के बाद इनको मौका मिला है। *...(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं प्याज की बात कर रहा था कि प्याज के दाम बढ़ गये। प्याज के दाम पहली दफा नहीं बढ़े हैं, प्याज के दाम बढ़ते रहे हैं, पहले ही बढ़ते रहे हैं, जैसा यहां पर कई लोगों ने जिक्र किया कि 1980 में भी प्याज ने किसी को फायदा दिया था। प्याज के दाम पहले भी बढ़ते रहे हैं। मुझे इमरजेंसी के दिनों की बाद याद आ रही है। 1976 की बात है, हम लोग जेल में थे, हमारे बहुत से साथी भी थे। चन्दूमाजरा जी चले गये हैं, वे भी मेरे साथ ही उसी बैरक में थे। चन्द्रशेखर जी उसी जेल में थे, लेकिन उनको अलग जगह रखा हुआ था। हम लोग पटियाला में उन दिनों थे। उन दिनों में जब कोई मुलाकात आती थी तो सेव केले आ जाते थे, ये चीजें आ जाती थीं। हम लोग उनसे कहते थे कि हमें प्याज चाहिए, प्याज लंगर के लिए नहीं मिल रही है, प्याज तो लाओ, तो लोग कहते थे कि प्याज के दाम तो बहुत ज्यादा हैं। तब सेव तीन रुपये किलो मिलते थे, मैं 1976 की बात कर रहा हूं। तब सेव तीन रुपये किलो मिलते थे और प्याज आठ रुपये किलो थी। बाहर इमरजेसी लगी हुई थी, इमरजेंसी के दिनों में भी प्याज की कीमत आठ रुपये किलो हो गई थी तो ऐसा नहीं है कि दाम पहली दफा बढ़े हैं। इसका कारण भी बताया गया कि क्यों बढ़े हैं। प्याज के दाम क्यों बढ़े, इसका कारण बताया गया, हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आये, उन्होंने भी बताया। प्याज की पैदावार कम हो गई। कई दोस्तों ने भी कहा कि पैदावार कम हुई, क्योंकि मौसम की खराबी थी। ऐसा हुआ कि मई और जून के महीने में एकदम हरारत बढ़ी। कल मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि इस साल मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। पिछले 50 साल के इतिहास में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। उस समय प्याज के बल्ब तैयार होते हैं, चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ी, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिससे प्याज का बल्ब नहीं बन सका। इस तरह से रबी की फसल, प्याज की फसल खराब हुई और करीब सात लाख टन प्रोड्यूसिंग एरिया में प्याज कम हुआ।

उसके बाद खरीफ की फसल हुई। उस समय बारिश बेमौसमी हुई। जुलाई में बारिश हुआ करती है और अगस्त तक चलती है। सितम्बर-अक्तूबर में बारिश नहीं हुआ करती। लेकिन उस वक्त सितम्बर और अक्तूबर में भी बारिश हुई और महाराष्ट्र में नासिक जहां बहुत ज्यादा प्याज होता है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ एरिया में भी जहां प्याज होता है, वहां बार-बार बारिश होने के कारण खरीफ की, प्याज की फसल खराब हो गई और पैदावार कम हुई। इससे कीमतें बढ़ने लगीं।

अभी देवगौड़ा जी बता रहे थे कि कर्नाटक में बहुत प्याज था, लोगों को फेंकना पड़ा। कर्नाटक में कई किस्म का प्याज होता है। एक रोज़ ओनियन होता है, जिसका रंग लाल होता है। मेरे पास वहां के किसान प्याज बंडल बनाकर लाए और कहा कि इसे निर्यात करें, क्योंकि इसको यहां कोई नहीं खाता है। हमने कहा कि निर्यात बंद कर रखा है। उन्होंने कहा कि यहां कोई नहीं खाता, मैंने कहा कि दिल्ली में जरूरत है, वहां के लिए मंगा लेते हैं और मैंने 50 टन वह प्याज दिल्ली के लिए मंगवाया। वह प्याज ऐसा था जिसे काटने से आंसू आ जाते थे, बहुत तेज था। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा था। लेकिन यहां उसकी मांग नहीं थी, कोई लेने वाला नहीं था। हम दूसरे प्याज में मिलाकर देते रहे।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : माननीय सभापति महोदय, मेरे विचार माननीय मंत्री महोदय से भिन्न हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि प्याज़ की किस्म भिन्न थी। दिल्ली में जिस प्याज की खपत होती है उसका उत्पादन भी कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में दो किस्म के प्याज़ों का उत्पादन होता है। चेलीकेरी और अन्य क्षेत्रों में कृषक बड़े आकार के प्याज का उत्पादन करते है जो कि दिल्ली में उपयोग किए जा रहे प्याजों के समान ही होते हैं। मंत्री महोदय को सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए। *...(व्यवधान)* सदन की बैठक इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। यदि आप चाहते हैं तो मैं दोनों किस्म के प्याज़ सभा के समक्ष रख दूंगा।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ईरान से आयातित कितना प्याज बन्दरगाह पर पड़ा सड़ता रहा? क्या विभिन्न विभागों के बीच कोई समन्वय था? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस बात पर प्रकाश डालें कि कितना आयातित प्याज बन्दरगाह पर पड़ा पड़ा सड़ गया क्योंकि वह बाजार में नहीं लाया गया?

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आपने यह तो माना कि वहां छोटा प्याज होता है, बड़ा भी होता है। मैंने यह नहीं कहा कि बड़ा नहीं होता। मेरे पास तो छोटे प्याज वाले आए थे। वे कहते थे कि यह प्याज यहां से मलेशिया, सिंगापुर निर्यात होता है। मैंने कहा कि इसके दाम क्या हैं, वे कोलार एरिया के किसान थे, साथ में कुछ सांसद भी थे, उन्होंने बताया कि वह छः रुपए किलो हमारे यहां है, जितना चाहो हम दे सकते हैं। मैंने पूछा क्वांटिटी कितनी होगी, उन्होंने कहा कि शायद 15,000 टन हो, आप इसकी एक्सपोर्ज की इजाजत दे दें। लेकिन हम एक्सपर्ट करना नहीं चाहते, इसलिए एक्सपोर्ज की इज़ाजत नहीं मिली। वह प्याज इनके पास आग्र होगा। देवगौड़ा जी ने जिक्र किया, वहां प्याज इतनी तादाद में हो गया कि दाम गिरे हुए थे। हिन्दुस्तान में कहीं कोई रूकावट नहीं है। दिल्ली में दाम ज्यादा थे। कर्नाटक से कोई भी दिल्ली प्याज लेकर आ सकता था। *...(व्यवधान)* लेकिन कर्नाटक से प्याज दिल्ली लेकर कोई भी आ सकता था और पैसे बना सकता था लेकिन शायद् वह इतनी तादाद में और उतने साइज में अवेलेबल नहीं था लेकिन प्याज के दाम साउथ में कम हैं। न सिर्फ कर्नाटक में कम रहे बल्कि चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में भी थोड़ा कम रहे। इन सब जगहों के दाम भी मैं बताऊंगा।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : क्या कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के आलुओं में कोई अन्तर है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जब यह चर्चा चली है तो दाम कम होने लगे। मैं दिल्ली के दाम बता रहा हूं और यह रिटेल के दाम बता रहा हूं। दिल्ली में प्याज छः-सात रोज से 22 रु. किलो है। सप्लाई दिल्ली में बढ़ी है। लखनऊ में प्याज सस्ता रहा। वहां पिछले हफ्ते 17 रु. किलो रहा। ये आज के नहीं सात तारीख के दाम हैं। सात तारीख को लखनऊ में प्याज के दाम 17 रु. से घटकर 15 रु. किलो हो गए। इसी तरह से भोपाल में प्याज के दाम 10 रु., अहमदाबाद में 15 रु., कलकत्ता में 20 रु., पटना में 22 रु., चेन्नई में 16 रु., हैदराबाद में 16 रु. और बैंगलोर में 13 रु. किलो रहे हैं। लेकिन कई जगह पर दाम कम हुए हैं, जैसे भोपाल में प्याज के दाम 10 रु. के बजाए 8 रु. किलो हो गए। ये एक हफ्ते में हुए हैं। इसी तरह से जयपुर में 20 रु. के बजाए 16 रु., पटना में 22 रु. के बजाए 19 रु., बैंगलोर में 13 रु. से घटकर 11 रु., त्रिवेंद्रम में 28 रु. से घटकर 22 रु. किलो हो गए सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। सप्लाई तकरीबन सभी मंडियों में बढ़ी है। *...(व्यवधान)*

कल की जो पोजीशन है, आजादपुर मंडी में 916 टन प्याज आया, नासिक में 1550 टन आया, बैंगलोर में 600 टन आया, चेन्नई में 680 टन आया। यह सब डिमाण्ड एंड सप्लाई का सारा खेल है। सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइसेज नीचे आते जा रहे हैं। दो साल हुए जब प्याज बहुत पैदा हुआ। उस वक्त यह सारा झगड़ा शुरू हुआ। मैं 1996-97 की बात कर रहा हूं। नॉर्मली 40 लाख टन प्याज हमारे यहां होता है लेकिन 1996-97 में 44 लाख टन पैदा हुआ और सबसे ज्यादा जमीन 41 लाख हेक्टेअर जमीन भी उसी साल प्याज के नीचे आई। नतीजा यह हुआ कि पैदावार बढ़ गई, प्राइसेज गिर गये और खासकर नासिक की मंडियों में प्याज फेंकना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई। उसका असर अगले साल पर पड़ा कि लोगों ने कम पैदावार की है, 41 लाख हेक्टेअर से कम होकर 39 लाख हेक्टेअर जमीन रह गई। पिछले साल प्याज बहुत ज्यादा हुआ था और पांच लाख टन एक्सपोर्ट भी किया था। इसके बाद भी प्राइसेस बहुत बढ़ नहीं सकीं, बल्कि प्राइससे नीचे गईं। इससे किसानों को नुकसान हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने पैदावार कम की और यील्ड कम हो गई। यील्ड इसलिए कम हो गई, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहा। यील्ड के बारे में भी मैं सदन को बताना चाहूंगा, 1996-97 में 10,800 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर यील्ड थी, लेकिन अगले साल यह घट कर 9,436 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई। मौसम खराब रहा, यील्ड कम हो गई, एरिया कम हो गया, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। पैदावार कम होने के ये कारण रहे हैं। इसी तरह से अगस्त-अक्तूबर में असमय वर्षा से भी दो लाख टन प्याज का नुकसान हुआ।

महोदय, ऐसा ही हाल आलू का रहा। देश के इतिहास में आलू की पैदावार 1996-97 में 250 लाख टन ज्यादा हुई, लेकिन 1997-98 में पैदावार घट कर 192 लाख टन हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 58 लाख टन आलू की पैदावार कम हुई। आलू की कीमत बहुत गिर गई और किसानों को आलू फेंकना पड़ा। किसानों ने जो आलू कोल्ड-स्टोरेज में रखा हुआ था, वह कीमत गिर जाने के वजह से वापिस नहीं लिया, क्योंकि वे उसका पैसा नहीं दे सकते थे। इसका असर यह हुआ कि आलू के नीचे जमीन कम हो गई। जानकारी के अनुसार 11 लाख हैक्टेयर जमीन आलू के नीचे कम हो गई। मौसम की खराबी के कारण जो आलू की यील्ड रही, वह भी मैं सदन को बताना चाहूंगा। 1996-97 में 18,176 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर पैदावार रही और गए साल 1997-98 में आलू की पैदवार 16000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर

रही, यानी तीन हजार किलोग्राम प्रति हैक्टेयर पैदावार कम हुई। जैसा मैंने बताया, 58 लाख टन प्रोडक्शन नीचे गया, इस वजह से आलू के भाव बढ़े। आलू की पैदावार बढ़े, प्याज की पैदावार स्टेबल हो जाए, इस बारे में सोमपाल जी ने कल बताया कि सरकार इस बारे में क्या कर रही हैं, इसलिए मैं सदन का समय बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पैरिशेबल वस्तुयें हैं और हमने एक्सपोर्ट भी किया, जोकि दो लाख टन से थोड़ा ऊपर हो गया। हमने एक्सपोर्ट उस वक्त किया, जब हमें फसल दिखाई दे रही थी। किसानों के फायदे के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे किसानों को पैसा मिल जाए। देवगौड़ा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, वे कह रहे थे कि किसानों को कोई पूछता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, किसानों की बात सुनने के लिए कुछ एक्सपोर्ट करना भी पड़ता है। हमारा देश प्याज के मामले में दूसरे नम्बर का एक्सपोर्टर है। हम हर साल पांच-छः लाख टन प्याज एक्सपोर्ट करते रहे हैं। हमारा देश बड़ा प्रोड्यूसर भी है और बड़ा कन्ज्यूमर भी है। हमने दो लाख टन एक्सपोर्ट किया, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि दाम बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बन्द किया। एक्सपोर्ट बन्द करके, जहां से भी इम्पोर्ट हो सकता था, उसको करने की कोशिश की। इस बारे में पाकिस्तान से बात की। पहले ऐसा लगता था कि शायद वे दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने यहां की स्थिति को देखकर कह दिया नहीं मिल सकेगा। हम ईरान पहुंचे और कोशिश की कि ईरान से इम्पोर्ट हो। मैं दूसरी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। ईरान से कोशिश की गई, लेकिन हमने अपने देश से एक्सपोर्ट बन्द कर दिया था। हम कई देशों को एक्पोर्ट किया करते थे, क्योंकि पांच-छः लाख टन प्याज कोई कम नहीं होता है। उन लोगों को भी प्याज नहीं मिल रही थी, तो वे ईरान की तरफ गए। जो देश हमसे लिया करते थे, वे सारे के सारे देश ईरान से खरीदने के लिए गए। इस वजह से ईरान में प्राइसेस बढ़ गई और वहां भी प्याज की कमी हो गई। संसार में कहीं नहीं मिल रही थी, तो हमने ओजीएल किया, ड्यूटी फ्री किया, जिससे कोई भी ट्रेडर ले आए, मतलब कि किसी न किसी ढंग से प्याज देश में आने लग जाए, लेकिन कोई लेकर नहीं आया। 10-20-50 टन की बात तो अलग है लेकिन बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट नहीं हो सका, क्योंकि इम्पोर्टेबल क्वांटिटी में मौजूद नहीं था। हमने जहाज से, हवाई जहाज से तथा अन्य कई रास्तों से लाने की कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। सब्सिडाइज़ करके भी देते रहे। दस रुपए किलो भी दिया और अब तक कांसटेंटली देते चले आ रहे हैं। हमने हर तरह से कोशिश की ताकि यह मसला बहुत बड़ा न बने और किसी न किसी तरह हल हो जाए, लेकिन सप्लाई डिमांड की बात होने की वजह से हमें मुश्किल आई। अब इस मुश्किल को हम सब को मिल कर दूर करना पड़ेगा।

ऐसी ही बात दालों में भी आती है, तेल के बीजों में आती है। देश में एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। हम हर बार बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। ऐसा समय भी था जब हम बाहर के इम्पोर्ट पर ही निर्भर करते थे लेकिन आजादी के बाद धीरे-धीरे देश ने तरक्की की और एग्रीकल्चर में भी तरक्की की। आज हम इस स्थिति में हैं कि न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि एक्सपोर्ट करने की हैसियत भी रखते हैं। हर बार कुछ न कुछ एक्सपोर्ट होता है, इस बार भी हम कुछ चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि अभी कुछ और काम करना बाकी है, जो नहीं हो सका। जैसे दालों में नहीं हो सका। अभी भी दालों की पैदावार कम है। हर बार तकरीबन 20 लाख टन दालों की कमी रह जाती है। यही स्थिति तेल के बीजों की है। इस साल 28 लाख टन तेल के बीजों में कमी थी। यह कमी इसलिए रह जाती है क्योंकि अभी हमें एग्रीकल्चर साइड में बहुत कुछ करना है। जो स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है, हाई लेवल पर मीटिंग करके, एक्सपर्ट्स को साथ जोड़ कर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम दुनिया में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मामले में किसी देश से भी मुकाबला कर सकते हैं। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसमें हम तकरीबन तीसरे नम्बर पर आते हैं। हमें मिल जुल कर काम करना होगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई एक पार्टी करेगी। किसी ने नहीं किया ऐसी बात नहीं है, सब ने अपने-अपने हिसाब से यत्न किया। जब किसी की सरकार हो तो किस का मन नहीं चाहता कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, प्राइसेज़ स्टेबल रहें। हमें लम्बे समय तक इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, शायद पांच-सात या दस साल तक जारी रखना पड़े, जब तक हम इन सारी चीजों में आत्मनिर्भर न हो जाएं तब तक हमें कोशिश करनी पड़ेगी।

महोदय, कोल्ड स्टोरेज की बात हुई। खास कर आलू रखने के लिए आलू स्टोरेज बहुत जरूरी है, प्याज का स्टोरेज अन्य किस्म का होता है लेकिन आलू के लिए अलग किस्म का स्टोरेज चाहिए क्योंकि आलू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी पैदावार 250 लाख टन तक चली जाती है। इसके लिए स्कीम बनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया भी था। हमारी स्कीम है कि हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें हिस्सा देना है, लेकिन इसमें सेंटर उनकी 50 परसैंट तक मदद करे और किसी ढंग से लोन का भी बंदोबस्त किया जाए, जो आसानी से मिल जाए तथा लोग प्राइवेट सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर में, जहां भी जाना चाहें उस तरफ कोशिश होनी चाहिए। शुगर के बारे में भी जिक्र आता रहा है। मेरे मित्र देवगौड़ा जी कह रहे थे कि शुगर का

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

इम्पोर्ट हो रहा है। हम इम्पोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला हो गया, यह मान की बात है। इसी तरह से सबसे ज्यादा कंज्म्पशन भी हमारे यहां है। किसी साल फसल अच्छी हो जाती है, तीन साल तक हमारे यहां अच्छी फसल थी, 160 लाख टन तक ले गए थे, उसके बाद दो साल थोड़ी कम रही, एक साल 129 टन हुई, जो पिछला साल बीता है इससे पहले एक साल 128 लाख टन हुई और एक साल 127 लाख टन हुई, इन दो सालों में कुछ कमी हुई। इस साल अच्छी फसल होने की उम्मीद है। करीब डेढ़ सौ लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। चीनी का साल सितम्बर में खत्म होता है। एक अक्तूबर से चीनी का हिसाब लगाया जाता है। उस वक्त 57 लाख 70 हजार टन स्टोर में मौजूद था। पिछले साल कैरी ओवर स्टाक 53.7 लाख टन था। यह एक अच्छा-खासा स्टाक है। आगे शूगर का उत्पादन 150 लाख टन होने की उम्मीद है। इसलिए शूगर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे पास काफी मात्रा में है। यहां कहा गया कि चीनी इम्पोर्ट क्यों हो रही है? हमने वह एक्सपोर्ट भी की है और इम्पोर्ट भी की है। एक साल में 14 लाख टन इम्पोर्ट हुई थी। पांच साल पहले शूगर कम हुई थी। इसलिए वह इम्पोर्ट करनी पड़ी। हमें इस बारे में दूसरे देशों से ताल्लुक बना कर रखना पड़ता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे इम्पोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमने पाकिस्तान को शूगर एक्सपोर्ट की।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : आपने शूगर दुगनी कीमत पर इम्पोर्ट की।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह कह रहे हैं कि दुगनी कीमत पर चीनी इम्पोर्ट हुई। वह अगर दुगनी कीमत पर इम्पोर्ट होती तो यहां बहुत सस्ती हो जाती लेकिन शूगर के दाम नहीं घटे। हमारा अन्दाजा है कि 7 लाख टन से ऊपर शूगर इम्पोर्ट हुई। वह काफी मात्रा होती है। इसका उत्पादन इतना होने पर भी दाम नहीं घटे। इतनी शूगर बाहर से आने के बाद दो-चार रुपए घट जाते लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। महज चेन्नई में इसके दाम घटे हैं। वहा साढ़े चौदह रुपए हैं और बाकी जगहों में 15-16 और 17 रुपए हैं। इसके प्राइस स्टेबल चल रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

हमारे दोस्त इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए हम से मिलते रहे हैं। इनका काफी प्रैशर पड़ता रहा। यह बात सरकार के विचाराधीन है। मेरी यह सोच है कि इम्पोर्ट ड्यूटी और लगनी चाहिए ताकि बाहर से ज्यादा इम्पोर्ट न हो सके। जितना होना था हो गया। इसका प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। मेरी यह पर्सनल सोच है।

श्री शरद पवार (बारामती) : आप यहां प्रेक्टिकल राय दीजिए। व्यक्तिगत राय मत दीजिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : वह सरकार के विचाराधीन है। यह फैसला होने वाला है। मैं व्यक्तिगत राय नहीं बता रहा हूं। सरकार को यह फैसला करना होता है।

हम पर एक इल्जाम यह लगा कि हम ब्लैकमार्किटियर्स, ट्रेडर्स और जमाखोरों के साथ मिले हैं। यह बहुत बेबुनियाद इल्जाम है। हमने इस बारे में बहुत सख्ती से कदम उठाए हैं। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को 16 जुलाई को पहली चिट्ठी लिखी। चूंकि असैंशियल कमोडिटीज एक्ट की एक्जीक्यूशन है और वह स्टेट गवर्नमैंट को करनी होती है इसलिए मैंने पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि

[अनुवाद]

> "मुझे इस बात की सूचना मिली है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं विशेषकर कि प्याज़ और आलू की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बेईमान व्यापारी बाजार में इन वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने के लिए इन वस्तुओं को जमा करने के कार्य में लगे हुए हैं। अत: यह आवश्यक है कि गलत व्यापार के कार्यों में लगे सट्टेबाजों, जमाखोरों, कालाबाजारियों और लाभ कमाने वालों के विरुद्ध क़ानून के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी तथा दण्डनीय कार्यवाही की जाए। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रयासों में तेजी लाए और ऐसे लोगों को पकड़े ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी जमाखोरी और हेरा-फेरी की प्रवृत्ति समाप्त हो। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अविलम्ब उपयुक्त कार्यवाही करने का सहारा ले सकते हैं।"

[हिन्दी]

मेरी इस चिट्ठी का असर भी हुआ। यहां पर एक्शन अलग-अलग करना होता है क्योंकि हिम्मत के साथ करना होता है। मैं आपको देशभर के कुछ आंकड़े बताता हूं। आन्ध्र प्रदेश में 9128 रेड्स किये गये जिनमें 2060 आदमी पकड़े गये। बिहार में 400, गुजरात में 454, केरल में 4675 रेड्स किये गये और बहुत सा माल कान्फिसकेट किया गया। कल

यहां जिक्र कर रहे थे कि 8000 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और पंजाब में रेड्स किये गये। पंजाब जैसे छोटे राज्य में 27859 रेड्स किये गये। मुझे यह लगता है कि वहां कोई ट्रेडर्स नहीं बचा होगा जो रेड न किया गया हो। तमिलनाडु में 1702 रेड्स किये गये और 545 आदमियों को सजा हुई। पश्चिमी बंगाल में 555 रेड्स किये गये और काफी लोग पकड़े गये। इसी प्रकार दिल्ली में 586 रेड्स की गई जिसमें 58 आदमियों को कैद हुई।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : वैस्ट बंगाल में कितने रेड्स हुआ है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : वहां 555 रेड्स हुई और 319 आदमियों को पकड़ा गया जिसमें 279 को सजा हुई।

कुमारी ममता बनर्जी : यह अभी का नहीं है, पुराना फिगर्स है। जो असेंशियल कोमोडिटीज़ एक्ट है, उसमें सजा नहीं होती। जो बयान आप दे रहे हैं, वह पुराना है नया नहीं है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह सारे देश में हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि इसे और स्ट्रीजेंट बनाइये।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यही तो कहा है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : यह बताइये कि वैस्ट बंगाल में क्या हुआ? दिल्ली में हुये हैं, उत्तर प्रदेश में रेड्स हुये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वैस्ट बंगाल में बहुत हुए हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया कि:

[अनुवाद]

"इस दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम पर तत्काल पुनर्विचार किया जाएगा कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को किस तरह से अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि वह उन जमाखोरों, कृत्रिम कमी उत्पन्न करने वालों और न केवल खाद्यान्नों के संबंध में बल्कि सब्जियों और खाद्य तेल जैसी अधिक खपत की वस्तुओं के संबंध में व्यापार के गलत कार्यों में लगे लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सके। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा ...."

[हिन्दी]

यह ग्रुप कांस्टीट्यूट हो गया है और प्राइम मिनिस्टर की सोच है जिसे मैंने पढ़कर सुना दिया और एक्शन भी हुआ है। इसमें ट्रेडर्स को कहीं बेनेफिट देने की बात नहीं है। यहां आवश्यक वस्तु अधिनियम का जिक्र आया। मैं उस बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि कहां से बात शुरू हुई और कहां तक पहुंची।

[अनुवाद]

पांच वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अनावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन द्वारा कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 बनाया गया। शुरू में तो ऐसा हुआ था। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के स्पेशल प्रोवीज़न को छोड़कर कहना चाहता हूं। आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) विधेयक, 1997 लोक सभा में 1.8.97 को पुरःस्थापित किया गया था।

[हिन्दी]

यह पिछली सरकार ने किया और हमारे आने के पहले हुआ। संशोधन के साथ ऐसा अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। ये अमेंडमेंट थीं जो पहले हमारी सरकार को प्रपोज की गई थी।

"समाहर्ता द्वारा आदेशित सामान की जब्ती के विरुद्ध अपील न्यायिक प्राधिकरणों के पास होनी चाहिए न कि राज्य सरकारों के पास। उक्त विधेयक विचार-विमर्श के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और बाद में लोक सभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया। आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 1997 को 3.10.97 को इस विधेयक के आधार पर प्रख्यापित किया गया था जिसका हवाला निम्नलिखित दो संशोधनों के साथ पैरा 3 में दिया गया है।"

ये अमेंडमेंट्स किये गए।

"विशेष अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपराधी की जमानत अर्जी पर निर्णय लेने से पहले अभियोक्ता को कोई सूचना दे।"

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

पहले प्रावधान यह था कि प्रासीक्यूशन को पहले इत्तला देनी पड़ती थी कि इसकी बेल एप्लीकेशन आई है, इसको कुछ कहना है। अत: प्रस्तावित संशोधन यह था।

"विशेष अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपराधी की जमानत अर्जी पर निर्णय लेने से पहले अभियोक्ता को कोई सूचना दे।"

वह खुद उसी रोज कह सकते थे जिस दिन बेल एप्लीकेशन आई। वह फैसला कर सकते थे कि ये अमेंडमेंट आये।

"आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(2) के खंड (एच) और (आई) के अंतर्गत आदेशों के उल्लंघन को जमानती बनाया जाना चाहिए।"

यह हमने नहीं किया। यह हमारे आने से पहले की सरकार की बाते हैं।

यह उसी वक्त पेश हुआ।

"लेकिन दूसरी बार तथा परवर्ती उल्लंघनों के लिए यह गैर-जमानती होना चाहिए।"

ये दो अमेंडमेंट बिल उन्होंने पेश किये।

"उपर्युक्त अध्यादेश की अवधि की समाप्ति पर आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) दूसरा अध्यादेश, 1998 को इसी आधार पर 2.1.1998 को प्रख्यापित किया गया था।"

यह भी हमसे पहले किया गया।

"सरकार के निर्देशानुसार सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में जुलाई, 1997 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शासित कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया जिसमें व्यापार/उद्योग तथा उपभोक्ता संगठनों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस दल ने आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 की मुख्य बातों जैसे सरसरी सुनवाई विशेष अदालत इत्यादि, को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, में शामिल किए जाने की सिफारिश की। विशेषज्ञ दल ने निम्न सिफारिशें की:

(क) मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् सभी अपराधों की सरसरी सुनवाई।

(ख) धारा 3(2)(ज) और 3(2)(झ) के अंतर्गत दिए गए आदेशों के उल्लंघन संबंधी अपराधों को जमानती बनाया जाए।"

इस दल द्वारा यह पाया गया कि उल्लंघन के सभी मामले धारा 3(2) के उप खंडों (ज) और (झ) अंतर्गत आते हैं। दल ने यह भी नोट किया कि इन अपराधों से संबंधित उल्लंघन तकनीकी किस्म के हैं। इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की कि इन अपराधों को जमानती बनाया जाए।"

पानिशमैंट में उन्होंने जो ढील दी, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

अपराह्न 3.53 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं आपको धारा (2) (ज) और (झ) से संबंधित अपराधों के लिए सज़ा के बारे में बताऊंगा। वर्तमान प्रावधान क्या है?

उससे पहले जो प्रोवीजन्स थी, वे क्या थी? वह है एक अवधि के लिए कैद, जो कि एक वर्ष भी हो सकती है, तथा जुर्माना।

"प्रस्तावित सज़ा है कैद, जो एक वर्ष भी हो सकती है अथवा जुर्माना, जुर्माने की राशि पहले अपराध में 10,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा दूसरे और परवर्ती अपराधों के मामले में कैद तथा जुर्माना और यह राशि 20,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

'और' के स्थान पर अब 'अथवा' किया गया है। उन्होंने कर दिया चाहे जुर्माना कर दिया जाये या सजा कर दी जाये। यह उस वक्त किया गया। दूसरी अकेन्सीज के बारे में-

[अनुवाद]

"वर्तमान सज़ा है एक अवधि के लिए कैद जो कि तीन महीने से कम नहीं होनी चाहिए (पहले अपराध के लिए) और छ: महीने (दूसरे और परवर्ती अपराधों के लिए) लेकिन अवधि को सात वर्ष तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना।"

यह पहले एक्जीस्टिंग था। प्रपोज क्या किया-

"यह है संक्षिप्त प्रक्रिया की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कैद लेकिन यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

सात के बजाए दो साल प्रपोज किया। यह एक्सपर्ट ग्रुप ने किया जो पहले की सरकार ने बनाया था।

> "विशेषज्ञ दल ने आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 के उपबंधों की समीक्षा की और पाया कि यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाए तो आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 जैसे पृथक अधिनियम की आवश्यकता नहीं होगी।"

अत: विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन आवश्यक वस्तु (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1981 को समाप्त किया जा सकता है। यह भी उनकी रिकमैंडेशन थी कि इसे खत्म कर देना चाहिए।

विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 25 अप्रैल, 1998 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 1998 को प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए 29 मई, 1998 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। यह विधेयक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा गया था।

समिति ने विधेयक में दो संशोधनों के साथ जून, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

[हिन्दी]

अमैंडमैंट्स क्या थीं, सादी अमैंडमैंट्स थी।

[अनुवाद]

समिति ने यह सिफारिश की कि प्रवेश, जांच और जब्ती के लिए प्राधिकृत करने संबंधी अधिकार प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के बजाय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को देने चाहिएं। यह उन्होंने अमैंडमेंट के लिए कहा। समिति ने यह सिफारिश भी की कि प्रवेश, जांच और जब्ती के समय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से ली गई अनुमति के आदेश की एक प्रति स्वामी अथवा प्रतिनिधि को दिखाई जा सकती है। दो अमैंडमैंट्स के लिए उन्होंने कहा। पनिशमैंट में जहां आया, उन्होंने वही किया।

यह प्रस्ताव रखा गया कि कैद की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है अथवा जुर्माना जिसकी राशि 10,000 रुपए तक की जा सकती है अथवा दोनों तथा दूसरा प्रस्ताव यह रखा गया—कैद जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी लेकिन यह अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और जुर्माना जिसकी राशि 20,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है अथवा दोनों। दूसरे औफेंसेस में थोड़ी स्ट्रिनजैंट प्रोवीजन्स थी। इसके बाद यह प्रस्तावित भी रखा गया है कि कैद की अवधि तीन महीने से कम और दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और जुर्माना राशि 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यह दूसरी औफेंसेस के लिए था।

यह प्रस्ताव भी किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराध विचार करने योग्य और गैर-जमानती होने चाहिए। ओरिजनल में यह प्रोवीज़न था। तथापि धारा 3(2)(ज) तथा (झ) से सम्बन्धित अपराधों के संबंध में केवल पहले अपराध के मामले को ही जमानती बनाने का प्रस्ताव है। परवर्ती मामलों में यह गैर जमानती होने चाहिए।

श्री राजेश पायलट : आप जमानती और गैर जमानती अपराधों के बारे में बताते जा रहे हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है कि आपने प्रावधानों को सरल बना दिया है। क्या आप उन्हें कठोर बनायेंगे अथवा नहीं? हमारा प्रश्न यह है। आप प्रस्तावित बातों को पढ़ रहे हैं। हमारा मुद्दा यह नहीं हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं, हम ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : आपने जो डॉयलूट किया - सात साल की सजा दो साल कर दी है, एक लाख रुपये के जुर्माने को 25,000 रुपये कर दिया। इसे विदड्रा करके ...*(व्यवधान)* आपने दो बातें कहीं हैं - हमारी सरकार नहीं लेकर आई, पहली सरकार लेकर आई थी। ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने यही आपको बताया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : ये सिफारिशें विशेषज्ञ दल द्वारा की गई हैं। संसद को विशेषज्ञ दल की सिफारिशों में कोई रुचि नहीं है। बरनाला जी मुझे समिति की सिफारिशों में कोई रुचि नहीं है। संसद यह जानना चाहती है कि सरकार ने विधेयक में क्या प्रस्ताव रखा है। हमने इस बात का उल्लेख किया है कि आपने प्रावधानों को सरल बना दिया है। कृपया इस भाग का उत्तर दीजिए ...*(व्यवधान)*

[श्री राजेश पालयट]

[हिन्दी]

आपने जो डॉयलूट किया - सात साल की सजा दो साल कर दी है, एक लाख रुपये के जुर्माने को 25,000 रुपये कर दिया। इसे विदड्रा करके ...*(व्यवधान)* आपने दो बातें कहीं हैं - हमारी सरकार नहीं लेकर आई, पहली सरकार लेकर आई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप अधिनियम को और जटिल बनाने के लिए आगे और संशोधन करने जा रहे है? आपका क्या प्रस्ताव है? कृपया बताइए।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आप सुनिए, मैं बता तो रहा हूं। ...*(व्यवधान)* कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अमैंडमैंट्स मूव कर दीं जो उस वक्त सरकार ने साथ ले ली थीं। लेकिन अब यह पोजीशन हुई।

[अनुवाद]

मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं। इससे पहले कि उपर्युक्त संशोधनों को लोक सभा में प्रस्तुत करने से पहले विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। सरकार द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया है और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि इन संशोधनों का अनुसरण न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : यह पहले कहते।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं यहीं आ रहा था, आप सुनते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इतिहास बता रहा था कि यह काम हमने शुरू नहीं किया था, यह पहली सरकार ने किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

मंत्रालय द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के प्रश्नों के दिए गए जवाबों में यह स्पष्ट किया गया था कि जुर्माना राशि में कमी करने से अपराधों को जमानती बनाने आदि से अधिनियम ज्यादा सरल नहीं होगा।

[हिन्दी

हमने यह फैसला किया है कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम इसको डिटरेंट रखना चाहते हैं, डिटरेंट बनाना चाहते हैं। उसके बारे में यह बहुत क्लियर फैसला हुआ है। जैसा मैं अर्ज कर रहा था ...*(व्यवधान)* इसको स्ट्रिंजेंट बनाने का हमारा इरादा है, वही मैंने कहा। मैंने हाउस में उस दिन आपके सामने बयान दिया था कि हम इसको स्ट्रिंजेंट बनाना चाहते हैं। जैसा मेरे दोस्त कह रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट बनेगा और स्ट्रिंजेंट बनाकर हम आपके सामने आ रहे हैं। हम समझते हैं कि स्ट्रिंजेंट होने के बाद ही इस पर अमल अच्छी तरह से हो सकेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सारे मैम्बर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पार्टीसिपेट किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल उठा था, माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए वह भाषा यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन जो उम्मीद आज थी, जो आपने आखिर में कही थी, वह उम्मीद शुरूआत से थी। आपने महंगाई की बात की, आज बाहर जाकर आप कहेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी तो हमें और तुम्हें, दोनों को लोग पकड़ लेंगे। महंगाई बढ़ी है, यह बात माननी पड़ेगी। सारा देश कहता है कि महंगाई बढ़ी है। जो हमने आपको आंकड़े दिये थे, वे आम आदमी के आंकड़े दिये थे। आपने सुपर बाजार के जो आंकड़े दे दिये, सारे देश को सुपर बाजार से सामान नहीं मिलता। अगर आप यह इंतजाम कर दें कि सारे देश को पी.डी.एस. और सुपर बाजार से सामान मिलने लगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज के दिन हमारी पी.डी.एस. स्ट्रांग नहीं है। हमारी पी.डी.एस. कमजोर है, यह मानना पड़ेगा, चाहे आप वहां बैठे हों, चाहे मैं बैठा हूं, यह बात सच्चाई की है, जो हमें माननी पड़ेगी।

कुछ बातों पर बरनाला जी से कहने की उम्मीद थी। आज बरनाला जी ने जो बातें कही हैं कि हम क्या करें, फसल कम हुई, हम क्या करें, जमीन कम बोई गई, हम क्या करें, किसान के सामने मुसीबत आ गई। ये सारी बातें तो देश को पता थी, हमें उम्मीद थी कि सरकार यह कहती कि हमें यह पता लगा तो हमने यह किया, हमें यह अंदाजा लगा तो हमने यह किया। यह

सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमने जब मोशन को इनीशिएट किया था तो दो बातें कही थीं कि इधर बैठकर हमारा मानना है कि तुम्हारी नीति भी सही नहीं है और तुम्हारी नीयत भी सही नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने न तो नीति के बारे में साफ किया कि हमारी नीति सही थी। अगर आपकी नीति सही थी तो जून में आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे थे। आपने खुद माना था कि जून में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब आपकी नीति सही थी, आपको अंदाजा अब क्यों लगा कि 40 लाख एकड़ में फसल बोई गई। यह अंदाज आपको पहले लगना चाहिए। जब मार्च में सरकार आई थी, तब ये सारे स्टेटिस्टिक्स सरकार के पास होते हैं, तभी नीति बनानी चाहिए थी कि अभी हमारी फसल कम होगी, हमें इंतजाम कर लेना चाहिए। हमने कहा, न तो नीति सही रही और उसके बाद हमने नीयत का जिक्र किया कि आप अपना इम्पोर्ट करना चाहते थे, आपने कोई पॉलिसी बनाई। हमने एक उदाहरण देकर बताया कि 8.70 रुपये की एल.सी. आपने कैंसिल कर दी और बढ़े दामों में आपने ली। उसका जवाब तक आपने नहीं दिया कि यह गलत है या सही है। हमारी खबर थी, आप कहते कि यह गलत है, हमने 8.70 रुपये का नहीं किया। आप कहते कि हमने तीस रुपये किलो हमने इम्पोर्ट नहीं किया, तो हमें एक संतुष्टि होती है कि हमने कुछ सवाल उठाये थे, सरकार ने देखकर उनको जवाब दिया कि गलत है या सही है। उसमें भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि किसान तकलीफ में आ रहा है, यहां देवेगौड़ा जी ने और मैंने, दोनों ने अपने भाषणों में कोट किया, उसके बारे में कल भाई सोमपाल जी ने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि शॉर्ट रेंज में आपकी क्या पॉलिसी होगी ताकि दोबारा यह बात नहीं आये।

तीसरी बात हमने आपसे कही थी कि आगे का अंदाज सरकार को पहले लेना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई वाली बात सब ने मानी है। सब ने माना है कि डिमांड और सप्लाई के कारण कीमतें बढ़ती हैं। बरनाला जी की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि इस देश में शोर मच गया, कमी पड़ गई-कमी पड़ गई तो कीमतें बढ़ जाती हैं, इस बात से हम बाहर नहीं हैं, यह सच्चाई है। एक हवा बनी कि कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो हम सब उस बात को मानते हैं, उससे कीमतें बढ़ी, लेकिन उसको काबू करना भी तो जरूरी है।...*(व्यवधान)*

आखिरी सवाल मेरा यह है कि मैंने एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में बहुत मजबूती के साथ प्रार्थना की थी कि जो आपके पनिशमेंट डाइल्यूट हुए हैं। आपने स्वयं कहा कि हम उसको परश्यू नहीं कर रहे। आप हमसे वायदा करो कि आप उन क्लाजेज़ को विथड्रा करोगे, तब तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाने का फायदा होगा। जो बिल आपने इण्ट्रोड्यूस किया है, वह हमारी पार्टी का बिल नहीं है। किसी की सरकार में बन गया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन उस बिल को बरनाला जी लेकर आये हैं, वह बी.जे.पी. गवर्नमेंट का बिल है। उसमें जो क्लाजेज़ हैं, सात साल से दो साल, एक लाख रुपये से 25 हजार रुपये करना, इन चीजों को आप विथड्रा करवाओंगे, तब तो हम उसको मानेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आप सख्ती से पेश आ रहे हैं।

हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे। हम इसे और सरल नहीं बनायेंगे और हम इसे मजबूत बनायेंगे। ...*(व्यवधान)* आप कहोंगे, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप हमसे यह वायदा जरूर करो कि ये क्लाजेज़ नहीं आयेंगे। यह वादा तो कम से कम कर दें कि ये क्लाज नहीं आएंगी, यह बिल डायलूटिड नहीं होगा। ऐसा तो आश्वासन दे सकते हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने यह बात डायलूट नहीं की। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आज नहीं कहा, पहले भी कहा था कि इसको डायलूट नहीं किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* इनके क्या शब्द हैं, क्या नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि डायलूट करने का इरादा नहीं है। हमने बिल लाने का फैसला कर लिया है।

श्री राजेश पायलट : आप विदड्रा करिए। विधेयक को पहले ही सरल बना दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक पुर:स्थापित किया था क्या वह उसे वापस लेने जा रहें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : बिल कमेटी के पास है, उसकी रिपोर्ट आने दें।

श्री राजेश पायलट : आपको याद होगा कि इस सदन में बहस चली थी। मंत्री जी ने खड़े होकर आश्वासन दिया था कि इस बिल को डायलूट नहीं होने देंगे, तभी हाउस चला था। अब आप प्रक्रियात्मक तथा तकनीकी मुद्दे न उठायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महदोय : कृपया हमारे पास रिपोर्ट आने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले ही सभा को जटिल उपबंधों वाला एक अन्य विधेयक लाने का आश्वासन दिया है। उस आश्वासन का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख सभा में किया था कि वह जटिल उपबंधों वाला एक नया विधेयक लाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह यह विधेयक पेश करने जा रहे है और यदि हां, तो वह इसे कब पेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कल रिपोर्ट आने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मंत्री महोदय को पहले श्री राजेश पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों के स्पष्टीकरण देने दीजिए।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मंत्री महोदय उन खंडों को वापिस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी का जवाब इस मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, यह एक ऐसा ज्वलन्त मुद्दा है जिससे हमारे देश की समस्त जनता विशेषकर आम जनता प्रभावित हुई हैं और ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि इस मामले में क्या करना है। यहां तक कि इस विवादास्पद विधेयक के संबंध में भी उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। वह किसी के संशोधन और किसी और के विधेयक का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सरकार का निर्णय क्या है? उनको इसका जवाब देना चाहिए। माननीय मत्री, श्री बरनाला का हम बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें सब बातें स्पष्ट करनी चाहिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मैंने पहले ही इसका उल्लेख दो बार किया है।

श्री शरद पवार (बारामती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से एक विशेष आश्वासन चाहते हैं कि विधेयक की जटिलता को कम नहीं किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट : उन्होंने विधेयक की जटिलता को पहले ही कम कर दिया है और उन्होंने उसे वापस लेने का आश्वासन दे दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता यह पूछ रहे हैं कि क्या माननीय मंत्री महोदय इस सरल बनाए गए विधेयक को वापस लेने का आश्वासन देंगे जो कि उन्होंने 1981 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मैं नहीं जानता कि वह क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही सभा में अपना वक्तव्य दे चुका हूं। आज भी मैंने एक वक्तव्य दिया है और हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

श्री राजेश पायलट : लेकिन वह विधेयक वापस लेने पर सहमत हो गये हैं। यह हमारा मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : मंत्री जी ने विशेष रूप से आश्वासन दिया है कि वह इसे वापस लेने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहते है कि क्या वह सरकार द्वारा सरल बनाये गये विधेयक को वापस लेने जा रहे है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह एक बार फिर जवाब देना चाहते है।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने अपने स्टेंड को क्लियर कर दिया है *...(व्यवधान)* आप सारे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, क्या-क्या नहीं कहते हैं।

[अनुवाद]

विपक्ष के नेता ने बहुत स्पष्ट रूप में यह कहा है। श्री राजेश पायलट ने भी इस बारे में स्पष्ट कहा है *...(व्यवधान)* मैंने आश्वासन दिया है कि इस विधेयक को सरल नहीं बनाया जाएगा *...(व्यवधान)* हम विधान बनायेंगे *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : विधेयक को पहले ही सरल बना दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : वह जवाब नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने माननीय मंत्री जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए काफी अवसर दिए हैं। यहां तक कि इस ज्वलन्त मुद्दे पर भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। यह पूर्णत: असंतोषजनक उत्तर है। इसलिए हम सदन से उठकर बाहर जा रहे है

अपराह्न 5.11 बजे

तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आप सुनते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने यह कहा कि किसी किस्म की डाइल्यूशन नहीं होगी। ...*(व्यवधान)* स्ट्रिजेंट मैजर्स लेकर आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह मैंने कई दफा कहा। ...*(व्यवधान)* हम स्ट्रिजेंट मैजर्स लेकर आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम कड़े उपाय कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : हम भी बाहर जाते हैं।

अपराह्न 5.12 बजे

तत्पश्चात् श्री आरिफ मोहम्मद खां और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री राजेश पायलट : विधेयक पहले ही सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। आपको उन उपबंधों को वापस लेना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : वह हम निकाल देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : आप जो प्रस्ताव लाए थे, वह डाइल्यूट करने का था। वह विदड्रा करने की बात आपने यहां की है। नहीं तो जो बात यहां राजेश पायलट जी ने की, उससे आपकी नीयत साफ होती है। आपके आने से जमाखोरों का हौसला बढ़ गया और पिछले चार-छ: महीने से ब्लैकमार्केटिंग देश में ज्यादा हो रही है, यह पूरा देश देख रहा है और इससे अभी भी आप दुरुस्त करने का तरीका देख रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 5.13 बजे

तत्पश्चात् श्री शरद पवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने आपसे तीन दफा कहा है कि हम स्ट्रिजेंट मैजर्स ला रहे हैं और उसमें जो डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का डाइल्यूशन नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* वह मैंने बार-बार कहा है। ...*(व्यवधान)* हम एसेंशियल कमोडिटीज बिल लेकर आएंगे। ...*(व्यवधान)* उसमें स्ट्रिजेंट मैजर्स होंगे। ...*(व्यवधान)* हमारे कुछ सांसदों की तरफ से जो उसमें अमेंडमेंट रखी गई थीं, वह हम नहीं मानेंगे, यह हमने पहले ही कह दिया है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय हम मंत्री महोदय के वक्तव्य से असंतुष्ट हैं ...*(व्यवधान)* वह सभा को दिए गए आश्वासन से हट रहे हैं ...*(व्यवधान)* इसलिए हम भी सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 5.14 बजे

तत्पश्चात् श्री ई. अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने इस विषय पर बोलते हुए पहले ही वह बात कह दी है। अत: इस विषय पर हमारा वक्तव्य बहुत स्पष्ट है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस : महोदय, केरल कांग्रेस की ओर से मैं भी मूल्य-वृद्धि के विरोध में और इस अधिनियम के उपबंधों को सरल बनाने के विरोध में, जिसे वापस ले लिए जाने पर सहमति हो गई थी, सभा भवन से बाहर जा रहा हूं। अब उन्होंने जो आश्वासन दिया था उससे भी हट रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उसे भी तोड़ा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

मैंने भी जीवन-रक्षक दवाओं और पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यचवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : मैं भी अपनी पार्टी की ओर से सदन से बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न 05.15 बजे

तत्पश्चात् श्री पी.सी. थामस और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : बरनाला जी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट *...(व्यवधान)* एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट बिल लाए थे और जिसे सलेक्ट कमेटी को भेजा गया था,

[अनुवाद]

मैं जानना चाहती हूं क्या आप विधेयक को वापस ले रहे हैं या नहीं। संविधान की परम्परा के अनुसार पहले प्रतिवेदन को आने दीजिए। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करेगी या अस्वीकार। इसलिए हमारा अनुरोध है कि उस विधेयक को पुर:स्थापित भी मत कीजिए। आप समिति से प्रतिवेदन लीजिए! आवश्यक वस्तु अधिनियम को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए जिससे कि काला बाजारी करने वालों और जमाखारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। क्या वे इस सम्बन्ध में सभा में आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही मान चुके है, महोदया। आप कल प्रतिवेदन तो आने दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हम व्यापक विधेयक की बात कर रहे है न कि उस विधेयक की *...(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाया मुद्दा वैध है।

[हिन्दी]

यह बिल ऑलरेडी हाउस में पेश हो चुका है। उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गई थीं। हम उन अमेंडमेंट्स के साथ सहमत नहीं हैं जो उसको डाइल्यूट करने के लिए थीं। यह हमने पहले ही कह दिया है। हम सदन में इस बिल को स्ट्रिन्जेंट बनाकर लायेंगे। रिपोर्ट आने के बाद शायद अमेंडमैंड फार्म में लेकर आना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो, हम नहीं चाहते हैं कि होर्डिंग हो। हम उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया है, मेरा अपना स्टैंड है, सरकार किसी भी कीमत पर ब्लैक मार्केटिंग को एलाऊ नहीं करेगी, होर्डिंग को एलाउ नहीं करेगी। इस बिल में स्ट्रिजैंट मेजर्स लिए जायेंगे।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, देश भर में महंगाई हुई और अफवाह फैलाई गई, कांग्रेस की ओर से पैनिक क्रिएट की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या यह भी एक कारण रहा महंगाई बढ़ने का?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महंगाई बढ़ने का यह भी एक कारण रहा है। एक दिन में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया हुआ था। वहां मुझे खबर मिली, टेलीफोन आया कि दिल्ली में नमक नहीं मिल रहा है। मैं हैरान हो गया कि नमक कहां गायब हो गया। मैं वहां का काम छोड़कर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली आकर स्थिति का पता किया। मालूम हुआ कि यहां जगह-जगह अम्बार लगे हुए हैं। नमक की कमी नहीं थी। दुकानों पर भी कमी नहीं थी। मुझे यह बताया गया कि सही बिक्री हो रही थी, लेकिन लोगों को वहम हो गया कि नमक की कमी हो गई है। वास्तव में नमक की कमी नहीं थी और नमक के अम्बार लगे हुए थे और लाखों टन नमक पड़ा हुआ था। देश में नमक कम होने वाला नहीं है। सुपर बाजार वालों ने कहा - देखिए, यहां लोग बीस-बीस किलो मांग रहे हैं, क्या हम दे दें? हमने कहा - आप इनको 20-20 किलो दें दें, अगर एक किलो देंगे, तो ये समझेंगे कि इनके पास नहीं है, इसलिए एक किलों दे रहे हैं। स्थिति ऐसी रही और दो दिन के बाद हवा फैली कि नमक बहुत उपलब्ध है, यह किसी ने अफवाह फैला दी थी। इलैक्शन जब नजदीक होते हैं, तो ऐसा अक्सर हो जाया करता है। ऐसी बातें होती रही हैं।

[अनुवाद]

डा. सरोजा वी. (रासीपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय देश को शीत भण्डारण सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सभी राज्य सरकारों को, एक निर्धारित समयावधि के भीतर, सभी जिला मुख्यालयों में शीत भण्डारण सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए जाएंगे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हम राज्य सरकारों से केवल अनुरोध कर सकते हैं। हम उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और हमने एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत हम देश के सभी जिलों में शीत भण्डारण सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, बायो-फर्टिलाइजर की कीमत बहुत बढ़ गई है। इस संबंध में आपने नहीं बताया। नोटिफाइड दाम 8300 रुपए प्रति टन है और यह 15000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य डिकन्ट्रोल फर्टिलाइजर की बात कह रहे हैं, जिस पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। इसमें डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. आ जाता है। एम.ओ.पी. का जिक्र देवगौड़ा जी ने भी किया। एम.ओ.पी. सारा का सारा इम्पोर्ट होता है और डि-कन्ट्रोल होने की वजह से कोई भी इम्पोर्ट कर सकता है। बहुत समय लगता, इसलिए उनके होते हुए, मैंने इस पर बहस नहीं की। इसमें राज्य सरकारों को चाहिए वे हिसाब लगाकर देखें कि कितने एम.ओ.पी. की जरूरत पड़ेगी और फिर बन्दोबस्त करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया और हमसे कहा कि इतनी-इतनी मात्रा हमें चाहिए। इस बारे में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने हमसे कहा। हमारी कोशिश रही कि जहां से भी मिल सकता था, सप्लाई करने की कोशिश की। यह कहना कि प्राइसेस 15000 रुपए प्रति टन है, ऐसा नहीं है। 15000 रुपए का जिक्र माननीय देवगौड़ा जी ने भी किया, लेकिन इतनी कीमत कहीं पर भी नहीं है। इसकी कीमत 8300 रुपए भी नहीं है। इसमें राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडाइज किया जाता है, तब यह 12700 रुपए प्रति टन आती है।

श्री कल्पनाथ राय : नोटिफाइड 8300 रुपए प्रति टन है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह नोटिफिकेशन पहले का हुआ है, उसको सब्सिडाइज्ड समझ लीजिए या एसिसटैंस समझ लीजिए, वह तकरीबन 4400 रुपए होगी। यह एक किस्म की सब्सिडी हो जाएगी और वह मिला कर 12,700 रुपए बनती है।

अपराह्न 5.20 बजे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

> "कि यह सभा वर्ष 1989-91 के लिए तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के, 28 जुलाई, 1998 को लोक सभा पटल पर रखे गए 30वें प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

अपराह्न 5.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 पर चर्चा करेंगे अर्थात् नियम 193 के अधीन चर्चा। श्री आरिफ मोहम्मद खां देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक वर्गों पर होने वाली ज्यादतियों, उत्पीड़न और परेशान करने की घटनाओं पर चर्चा करने का आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। टैक्नीकली यह चर्चा श्रीमती गीता मुखर्जी को शुरू करनी थी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं।

महोदय, पिछले कई महीनों से अखबारों में निरंतर समाचार छप रहे हैं। खास तौर से हमारे क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों की अनेकों हत्याएं हुई, ननों के साथ बलात्कार हुआ है, गिरिजाघरों को अपवित्र करने की कोशिश की गई और स्कूलों पर हमले किए

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

गए हैं। पिछले तीन महीनों में केवल असॉल्ट के 26 मामले हुए और पवित्र स्थानों को डीसक्रेट करने के 29 मामले हुए। ...*(व्यवधान)*

मैं पिछले एक डेढ़ महीने की घटनाएं बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत लम्बी लिस्ट है, जो हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से तैयार की गई हैं। पवित्र किताबों को जलाया गया है। यहां मेरे पास बाइबल है। बाइबल के आखिर में एक कंसेशन का फार्म होता है। इस फार्म के लिए कहा गया कि यह धर्म परिवर्तन कराने का फार्म है, इस पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए दस्तखत कराए जाते हैं। यह आरोप लगाकर 300 से ज्यादा बाइबलों को राजकोट में जलाया गया। हमारी क्रिश्चियन संस्थाओं के पास जली हुई बाइबलें थीं, जिनमें से उन्होंने एक मुझे भी दी। उनके पास जली हुई बाइबलों के बचे हुए कागज मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी वंदे मातरम और सरस्वती वंदना को लेकर एक अनावश्यक विवाद शुरू करने की कोशिश की गई और मशहूर इस्लामी आलम मौलाना अबुल हसन अली नकवी, जिनको अली मियां के नाम से जाना जाता है उनके घर पर छापा डाला गया। उनके परिवारजनों के साथ आपत्तिजनक और अपमानजनक व्यवहार किया गया।

महोदय, अभी चार दिन पहले की घटना है। देहरादून में गुरू राम दास अकादमी पर हमला किया गया। पवित्र गुरू ग्रंथ साहब का अपमान करने की कोशिश की गई। सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के लंबे समय से चले आने वाले अध्यक्ष, मैं निजी हैसियत से उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के नाते, केन्द्र में जो शासक दल है, उनकी सिस्टर आर्गेनाइजेशन के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा अलगाववादी हैं। ऐसा कह कर उनकी प्रतिष्ठा पर हमला करने की कोशिश की गई। पहले दिन इस माननीय सदन में इस विषय की गम्भीरता पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और आपसे अनुरोध करने के लिए कि इस पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए तो अली मियां की बात कही गई। उस समय एक माननीय सदस्य, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ने कहा कि आप देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं। यह बात केवल सदन में नहीं कही गई। माननीय खुराना जी सिर हिला रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा है वरना जोर से बोलते तो मुझे बैठ जाना पड़ता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि नहीं कहा गया लेकिन मेरे पास वह अखबार है जिस में शासक दल के नेता ने यह बात कही है। मुझे मालूम नहीं उसने फ्रंट आर्गेनाइजेशन कहूं या सिस्टर आर्गेनाइजेशन कहूं, उनके पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि जो लोग 'वंदे मातरम्' और 'सरस्वती वन्दना' का विरोध कर रहे हैं, वे राष्ट्रद्रोही हैं। वे भारत की औलाद नहीं हैं। मेरे ख्याल से जितना अनावश्यक विवाद शुरू करने की कोशिश की गई, उससे भी ज्यादा अगर किसी चीज की निन्दा की जानी चाहिए वह यह है कि आप किसी की राष्ट्रीयता के बारे में इंस्पैक्टर बन कर बैठ जाएं और बताएं कि कौन भारत का बेटा है और कौन नहीं है, कौन भारत मां की औलाद है और कौन नहीं है, कौन राष्ट्र प्रेमी है और कौन नहीं है? वंदे मातरम् अगर भारत मां की स्तुति का मामला है तो मैं अपनी मां के प्रति अपनी भावनाओं, आदर और सम्मान को किस प्रकार अभिव्यक्त करूं, क्या यह कोई दूसरा मुझे बताएगा? विविधता जो कि प्रकृति का नियम है क्या आप उसे खत्म करके सब के ऊपर एक जैसी चीज लादना चाहते हैं?

अपराह्न 5.28 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

श्रीमान्, आपने जब से होश सम्भाला है, आपने आदर स्वरूप अपनी मां के पैर छुए होंगे। मैंने होश सम्भालने के बाद अपनी मां के कभी पैर नहीं छुए। मुझे उनके प्रति पूरा आदर है। जो मां के प्रति मोहब्बत और आदर बताने के लिए पैर छूता है केवल वही अपनी मां से प्यार नहीं करता। आप मेरे ऊपर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि मैं मातृद्रोही हूं, मैं मां से मोहब्बत नहीं करता? मैं आपका तरीका अपनाऊं तब समझा जाएगा कि मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। अगर आपका तरीका नहीं अपनाऊंगा तो आरोप लगेगा कि मैं मां का बेटा नहीं हूं। यह कौन सी प्रवृत्ति है? मेरा अकीदा है और मेरे मजहब ने मुझे यह सिखाना है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं मां के पैरों के नीचे जन्नत मानता हूं। यह मेरी अकीदत का हिस्सा है तो यकीनी तौर पर मैं उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या यह जरूरी है कि मैं आपका तरीका अपनाऊं तभी माना जाएगा कि मैं अपनी मां से मोहब्बत करता हूं। या मां का आदर करता है। आज समस्या यह है कि इन सारी घटनाओं के नतीजे में, जैसा मैंने पहले कहा आरोप क्या लग रहा है। आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अली मियां के घर पर छापा हमने नहीं डाला, यह कोई साजिश है। आज तीन हफ्ते से ज्यादा हो गये हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर साजिश थी तो बताइये साजिश करने वाले कौन थे। विश्व हिन्दू परिषद् का एक सरकुलर निकला है - वि.हि.प. कर्नाटक का ईसाई स्कूलों के विरूद्ध राज्यव्यापी विरोध। हमारे क्रिशचियन संस्थाओं पर हमले किये जा रहे हैं और बजरंग दल की तरफ से क्रिशचियन संस्थाओं पर हमले आयोजित कराये जा रहे हैं। हमारा आरोप यह

नहीं कि ये सरकार द्वारा आयोजित कराये जा रहे हैं लेकिन उन संगठनों के जरिये ये हमले आयोजित कराये जा रहे हैं, केन्द्र में जो मुख्य शासक दल है, उसके फ्रंटल आर्गेनाइजेशन्स या सिस्टर आर्गेनाइजेशन्स हैं। ये हमले उनकी तरफ से आर्गनाइज किये जा रहे हैं। इसके नतीजे में असुरक्षा व्याप्त होना, अदम तहाबुज का अहसास पैदा होना, आम आदमी के अंदर यह ख्याल पैदा होना कि यह सरकार या अगर सरकार नहीं तो वे लोग जो सरकार के नज़दीकी हैं, यहां हमारी जिन्दगियों को तंग कर देना चाहते हैं, हमारे जीने के रास्ते बंद कर देना चाहते हैं, ने हमें बराबर का शहरी बनकर नहीं रहने देना चाहते हैं। वे हमारे संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित कर देना चाहते हैं। अगर उनके अंदर यह भावना आती है तो क्या गलत है? मैं आसानी से कह सकता था कि आखिर आपका उनसे ताल्लुक है।

तुम्ही दिलबर, तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ ठहरे,

अकरबा मेंरे करे खून का दावा किस पर?

ये आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो हमारी संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। वे आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनकी सरकार की पुलिस मेंरे धर्म गुरु के घर पर छापा डाल रही हैं। वे आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो बाइबल जला रहे हैं। मेरे मन में तो यह है कि बाइबल जलाने वाले, घरों पर हम्ला करने वाले लोग सीधे आपके राजनैतिक संगठनों के न सही, आपके सिस्टर आर्गेनाइजेशन्स के सदस्य हैं उस नाते अगर मेरे मन में असुरक्षा की भावना नहीं और आप कहें कि हमारा हाथ नहीं तो फिर मैं दूसरी देहाती मिसाल इस्तेमाल करूंगा कि वे लोग यह समझते हैं कि - सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी यह समझते हैं कि अगर माननीय आडवाणी जी की मौजूदगी में खड़ी बाबरी मस्जिद शहीद की जा सकती है, यदि अली मियां के घर के सामने अपमानजनक घटना होती है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर राजकोट का पुलिसकर्मी सोच सकता है कि देश के गृहमंत्री उस जगह पर मौजूद थे, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, तो वे सोच सकते हैं कि बाइबल को जलने दो, क्या फर्क पड़ता है, वहां तो मस्जिद गिराई गई थी। मैं आपसे करना चाहता हूं कि परसों माननीय आडवाणी जी का बयान आया जिसका मुझ पर असर पड़ा। उस बयान से आडवाणी जी की वेदना और पीड़ा प्रतिबिम्बित होती है। मैं माननीय आडवाणी जी पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। जिस तरह की प्रवृत्ति इस देश के अंदर बढ़ी, उससे असहिष्णुता बढ़ी, साम्प्रदायिक स्तर पर नफरत की दीवारें खड़ी हो गईं।

महोदय, छः साल में उन्होंने इतनी गहरी जड़ें पकड़ ली हैं कि परसों जो पीड़ा और वेदना गृह मंत्री जी ने व्यक्त की, उस पर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वे जड़े बहुत मजबूत हो चुकी हैं और अगर मैं गलत न समझा जाऊं और मेरे इशारे को दूसरे देश की तरफ न समझा जाए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब देश के बंटवारे का आंदोलन चला, उसके बाद देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे के बाद जो हम स्वतंत्र देश बने, तो इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जनक ने कांस्टीट्यूएंट असैम्बली की पहली मीटिंग में कहा कि-

[अनुवाद]

"अब न हिन्दू हिन्दू रहेंगे और न मुसलमान मुसलमान रहेंगे और इस नए देश के बारे में घोषणा की जाती है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा।"

[हिन्दी]

लेकिन जिनके डिक्लेरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उसमें जिन प्रवृत्तियों को ताकत मिली थी, उनके रहते इस ऐलान का कोई मतलब नहीं रह गया था, लेकिन माननीय आडवाणी जी एक मामले में उनसे अलग हैं। उनके हाथ में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की बागडोर है। मैं इस बात को तो पक्का मानता हूं कि उन प्रवृत्तियों को इतना बल मिला है कि आज की तारीख में उन्हें कमजोर करना आसान नहीं होगा, परन्तु वास्तव में आपकी वेदना को, वास्तव में आपकी पीड़ा के बारे में मुझे "वास्तव" कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं आपके ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मानता और न मैं कोई इस बात का इंस्पैक्टर हूं, मैं यकीन करता हूं कि आपकी वेदना, आपकी पीड़ा सही है और यदि वह सही है, तो फिर इतने से काम नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कि आप कम से कम उन लोगों को जो आज की तारीख में यह हिम्मत करते हैं कि देहरादून में गुरू राम दास एकेडमी में घुस कर गुरू ग्रंथ साहब का अपमान करने की कोशिश करें, जो लोग राजकोट में बाइबिलों को जलाते हैं, जो लोक लखनऊ में हर तरह की धमकियां देते हैं, अली मियां के घर पर छापा डलवाते हैं, उनके खिलाफ आज की तारीख में सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। देर जरूर लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे ही सही उसका प्रभाव तो होगा। मैं आपसे वह कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूं जो जिसका इस देश के कानून में प्रॉविजन है। यदि वह कार्रवाई ऐसी ताकतों के खिलाफ कर दी जाए, तो फिर मुझे कोई शंका नहीं। हालांकि उससे वे प्रवृत्तियां कमजोर नहीं होंगी क्योंकि वे प्रवृत्तियां बहुत मजबूत हो चुकी हैं, किन्तु यदि ऐसा होगा, तो एक अच्छी

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

शुरूवात होगी कि कम से कम उस दिशा की तरफ बढ़ने की एक शुरूवात तो हुई।

श्रीमान्, इस समय देश में जो माहौल है, उस पर पिछले एक सप्ताह में सदन में कई बार चिन्ता व्यक्त की गई है और सदन को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए इसलिए कि यह सदन लोकतंत्र की पैदावार है और समाज को जो चीज चिन्तित कर रही है वह यहां प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और केवल प्रतिबिम्बित ही नहीं होनी चाहिए बल्कि शायद उससे कुछ आगे करने की जरूरत है। इस देश को यह बताने और नया विश्वास देने की जरूरत है क्योंकि देश आज एक अजीब दोराहे पर खड़ा है। मेरे अधिकार की रक्षा के लिए कानून है, लेकिन उस कानून को कोई लागू करने वाला नहीं है। इसलिए इस देश को बताना पड़ेगा कि इस देश की शासन-व्यवस्था कुछ दबंग वर्गों, कुछ महाप्रभुओं और कुछ वंश-अभिमानियों की इच्छानुसार नहीं चलेगा, बल्कि इस देश के संविधान के मुताबिक इस देश की शासन-व्यवस्था चलेगी। चन्द दबंग लोग, जो कुछ मन में आता है, वह करना चाहते है। मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूं। आज जिस तरह का सब्जैक्ट चुना गया है उसमें हमारी मजबूरी है कि संवैधानिक आवेश पहनाने के लिए, नियम का आवेश पहनाने के लिए इस शब्दावली की आवश्यकता है। इससे एक इम्प्रैशन यह जाता है कि मायनॉरिटी के ऊपर मैजोरिटी की तरफ से जुल्म हो रहा है। यह मैं साफ करना चाहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है। यह अत्याचार हैं, ज्यादातियां हैं, उत्पीड़न है तो ये उत्पीड़न, ज्यादातियां और अत्याचार बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं है बल्कि मैं कुछ हद तक माननीय आडवाणी जी और बी.जे.पी. के अन्य नेताओं से इत्तफाक रखता हूं कि इस देश में माइनौरिटिज्म है, वास्तव में माइनौरिटिज्म है लेकिन धार्मिक माइनोरिटिज्म नहीं है, सामाजिक माइनौरिटिज्म है। एक छोटा सा माइनौरिटिज्म है जिनके अंदर वंश अभिमान है। जो दबंग हैं, जो अपने आप को महाप्रभु मानते हैं, वे हजारों साल से इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का खून चूस रहे हैं। हजारों साल से पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर आज हम यह शिकायत यहां कर रहे हैं, तो हमारी शिकायत मैजोरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ नहीं है, बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ नहीं है। हमारी शिकायत उस सामाजिक अल्पसंख्यक, धार्मिक नहीं, सामाजिक अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है जो उस मैजोरिटी कम्युनिटीज के मेजोरिटी लोगों का भी खून चूसता है।

मैं यह भी नहीं मानता कि इस देश में नैशनलिज्म और सैक्युलरिज्म के बीच में लड़ाई है, यह बात असल समस्या की तरफ से ध्यान हटा देता है। इस देश में जो असल लड़ाई है, वह लड़ाई है कि इस देश का शासन तंत्र, इस देश के संविधान और कानून के मुताबिल चलेगा या जिनके बारे में मैंने कहा, चंद दबंग वर्ग की इच्छानुसार चलेगा। इस देश में कानून का राज होगा। कानून संविधान का टकराव संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों में है जो हजारों साल से हमारे साथ बंधे चले आ रहे हैं। देश का संविधान तो बराबरी की बात करता है, समता मूलक समाज, समता समान अवसर, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, किसी भी प्रकार के भेदभाव, धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनको अधिकार देता है, न केवल अपनी संस्थाएं चलाने का, शैक्षणिक संस्थायें स्थापित करने का बल्कि आर्टिकल 14 से 30 तक यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐसी संस्थाओं को मदद करते समय सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगी। ऐसा नहीं है कि धार्मिक बहुसंख्यक वर्ग के अधिकार सुनिश्चित किये गये हों बल्कि इस देश के हरेक नागरिक को यह अधिकार सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक खास अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को जिनका ताल्लुक धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर हो, उनके लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस देश में रहने वाले वे लोग जो किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस देश के कानून से कोई शिकायत नहीं हो सकती, इस देश के संविधान से कोई शिकायत नहीं हो सकती। समस्या यह है कि इस देश में चलने वाली वे पुरानी व्यवस्थाएं जहां इंसान का दर्जा बराबरी का नहीं बल्कि उसके जन्म के आधार पर तय होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, जन्म के दिन ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि तुम चाहे जितने संविधान बनाओ, चाहे जितनी समता की बात करो, बराबरी की बात करे, हम जिस दिन बच्चा पैदा होगा, उसी दिन तय कर देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हम उसी दिन तय कर देंगे कि किसके पैर छुए जायेंगे और किसको पैरों तले रौंदा जायेगा। हम उसी दिन तय कर देंगे कि कौन सछूत है और कौन अछूत है, ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। धर्म यह नहीं कहता, धर्म तो कुछ और है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस देश की परम्पराएं क्या हैं? इस देश की परम्पराएं हैं - अशोक महान, रॉक एडिक्ट नं. 12 जो कि शिला पर लिखा हुआ है, जिसको डिकोट किया गया है।

[अनुवाद]

"जो अपने सम्प्रदाय में श्रद्धा रखता है जबकि अपने सम्प्रदाय से पूरे लगाव के कारण अपने स्वयं के सम्प्रदाय के वैभव को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य सम्प्रदायों का तिरस्कार करता

है तो वास्तव में वह अपने स्वयं के सम्प्रदाय को अत्यधिक हानि पहुंचाता है।''

[हिन्दी]

चार वेद, छः शास्त्रों में बात मिली है दोए–

सुख दीने सुख होत है दुख दीने दुख होए।

भारत की तो यह परम्परा है जहां यह कहा गया कि मेरे धर्म के प्रति मेरा जो प्यार, आदर और सम्मान है, उसे दर्शाने के लिए यदि मैं किसी दूसरे धर्मावलम्बी या उसको किसी परम्परा को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो ऐसा करके उसको कितना नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं नहीं जानता लेकिन निश्चित तौर पर अपने धर्म को नुकसान पहुंचाऊंगा। भारत की परम्परा तो यह है कि स्वामी विवेकानन्द ने महाराज खेत्री को लिखा कि मेरे बेटे, यह संभव नहीं कि तुम किसी से नफरत करो

[अनुवाद]

कि तुम किसी से नफरत करो और शान्ति से जियो। भारत का पतन उस दिन सुनिश्चित हो गया जिस दिन म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया गया। म्लेच्छ एक ऐसा शब्द है जो मुसलमानों, ईसाइयों और अहिन्दुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

[हिन्दी]

मैं उसे सही प्रनाउंस नहीं कर रहा, उस व्यवस्था के जानने वाले बेहतर प्रनाऊंस कर सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ''और अब दूसरों से सम्पर्क खत्म कर दिया गया।'' दूसरों के साथ अपने सम्पर्क खत्म कर लिए और मलैच्छ शब्द का आविष्कार किया, उस दिन भारत का पतन सुनिश्चित हो गया। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जिस दिन हिन्दू को काफिर कहा गया, उस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। *...(व्यवधान)* मलैच्छ कहा गया, वह गलत है मगर जब हिन्दू को काफिर कहा गया, वह किस दिन कहा गया और क्यों कहा गया। *...(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, सोर्स के साथ, अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं। माननीय हरिन पाठक जी वह सोर्स ले आएं जहां कहा गया हो, मैं बता दूंगा लेकिन अफवाहों की जो मशीन आपने स्थापित की हुई हैं *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मैंने तो सुना है। *...(व्यवधान)* आपके वक्तव्यों में सुना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं परन्तु ऐसा तर्क-वितर्क चल नहीं सकता।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि मुझे सोर्स बताएंगे कि यह सोर्स है तो फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया बताऊंगा। लेकिन यहां यह प्रौबल्म है कि आपका संबंध उन लोगों से है जो आधे घंटे में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। यदि आप यह बात कह दें तो कौन सी खास बात है। कहिए, शौक से कहिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, सोर्स के साथ बोल रहा हूं और मेरे पास यहां किताबें भी मौजूद हैं कि यदि मुझे चुनौती दें तो मैं किताबों में से निकालकर बता दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सिर्फ आप ही सोर्स के साथ बोल रहे है, ये जो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। मेरे विचार से सभा को हिन्दुओं, मुस्लिमों, सिखों या ईसाइयों में विभाजित नहीं होना चाहिए। सभा को संगठित रहना चाहिए। जब एक सदस्य बोल रहा है तो उस पर टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यही बात वह भी कह रही हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : जो मैंने कहा उसे उन्हें समझना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खान : वह भी यही बात दूसरे ढंग से कह रही हैं।

सभापति महोदय : श्री खान, अपने भाषण को कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने अपना काम किया है, आप अपना काम करें। *...(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इस देश की परम्पराओं, इस सिलसिले में जो इस्लामी परम्पराएं हैं, निश्चित तौर पर मैं उनकी तरफ भी आऊंगा लेकिन चूंकि बात प्राचीन परम्पराओं की हो रही है और बहुत सारे काम इस देश की प्राचीन परम्पराओं के नाम पर किए जाते हैं, इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूं कि इस देश की प्राचीन परम्पराएं क्या हैं। इस देश की प्राचीन परम्परा यह हैं कि आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले शिकागों में स्वामी विवेकानन्द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा ताल्लुक उस देश से है, मेरा सम्बन्ध उस धर्म से हैं, जिसमें धर्म के नाम पर उत्पीड़न का कोई इतिहास नहीं। वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मेरा सम्बन्ध उस संस्कृति से है, मेरा सम्बन्ध उस धर्म से है जिसने दुनिया को केवल सहिष्णुता, टोलरेंस नहीं, बल्कि सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों ही सिद्धांत दिये हैं। ''मैं केवल सहिष्णु नहीं हूं अपितु सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं।'' उसके बाद कहते हैं कि मेरा ताल्लुक वहां से है, उस देश से है कि जहां लाखों लोग अपने हर दिन की शुरूआत करते हैं, किससे?

''रूचि नाम वैचित्र्या, दिल कुटिल नाना पाथ जिसाम,

तुणमे को गमेच्छ: वमसि, पैसा मृणव इव:।''

यह प्रेयर है, दुआ है, जिसके साथ इस देश के लाखों आदमी शुरूआत करते हैं, अपने दिन की शुरूआत करते हैं। क्या कहते हैं, ''जैसे विभिन्न नदियां भिन्न-भिन्न स्त्रोतों से निकलकर समुद्र मे मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न-भिन्न रूचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अन्त में तुझी में आकर मिल जाते हैं।'' यह भी इसलिए कहा कि यह तो इस देश की परम्परा है और इससे आगे बढ़कर भी कहना चाहूंगा। एक जगह स्वामी जी ने कहा कि

[अनुवाद]

''मैं ऐसे ईश्वर और धर्म को नहीं मानता जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके और भूखे अनाथों को अन्न न दे सके।''

[हिन्दी]

विधवा के आंसू न पोंछ सके और एक यतीम बच्चे के पेट को न भर सके। ये भारत की प्राचीन परम्पराएं हैं और इन परम्पराओं के नाम पर जैसे अभी रोका-टोकी हो रही थी, मालूम हो कि आज प्राचीन परम्परा बताइये तो वह भी बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है, क्योंकि आपका आचरण उससे बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन परम्परा के अनुसार विधवा के आंसू पोंछने में प्राचीन परम्परा का हिस्सा था। आज उस प्राचीन परम्परा के नाम पर विधवाएं बनाई जा रही हैं। जान लेकर अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखने वाले आदमी को अगर आप मारते हैं तो आप उसकी बीवी को विधवा बनाते हैं या नहीं बनाते? उस परम्परा के नाम पर, जो परम्परा विधवा के आंसू पोंछने में यकीन करती है, आज विधवाएं बनाई जा रही हैं। उस प्राचीन परम्परा के नाम पर, जो प्राचीन परम्परा यतीम बच्चे का पेट भरना चाहती है, उस प्राचीन परम्परा के नाम पर उसके बाप को मारकर उसको जिंदगी भर के लिए यतीम बनाया जा रहा है और उसे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्राचीन परम्परा के नाम पर चेहरे पर मुस्कान लाने की बजाय बहनों के सुहाग लूटने की कोशिश की जा रही है। हमारी प्राचीन परम्परा वह नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि हमारा तो ''एकम सब विप्र बहुधा वदन्ति।'' सच्चाई एक हैं, हक एक हैं, जानने वाले उसे अलग-अलग नामों से पुकारतें हैं और एक नहीं, एक के बाद एक उद्धरण देते चले जाइये। लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है कि जब धर्म के जो आध्यात्मिक सिद्धान्त हैं, उनको यह मान लिया जाये कि उसके बीच में और जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके बीच में फर्क खत्म कर दिया जाये, कहा जाये कि धर्म में और सामाजिक व्यवस्था में फर्क है। धर्म वह है कि वनवास को जाते हुए रामचन्द्र जी सबरी के झूठे बेर खाते हैं और व्यवस्था वह है कि जब राज-काज आ जाता है और जब एक ब्राह्मण आकर कहता है कि इस कुल का तो नाश हो गया। क्या नाश हो गया? कहा कि मेरा जवान बेटा मर गया। गौर किया, क्यों मर गया तो ऊपर से आवाज आई कि एक शूद्र जंगल में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, उस शूद्र की तपस्या करने के कारण ब्राह्मण का बेटा मर गया। रथ सजवाया गया। रथ सजाकर जंगल में गए। शबरी के जूठे बेर खाने वाले जब व्यवस्था

के मालिक बने तो उन्होंने शम्भूक का, निर्दोष शम्भूक का बाण मारकर बध कर डाला। डा. अम्बेडकर ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने कहा कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे। धर्म क्या था, धर्म यह था कि अगर एक शूद्र ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है तो फिर उस वक्त के राजा का यही कर्त्तव्य है कि वह ऐसा न होने दे, क्योंकि चातुर्य वर्ण जन्म के आधार पर तय होगा, कर्म के आधार पर नहीं होगा। ...(व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा है। जब आपका मौका आएगा, आप बोलें।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : आप पूरी सभा को दो सम्प्रदायों में विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : वे केवल परम्पराओं का उल्लेख कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : वे क्या उल्लेख कर रहे है? *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : वे इतिहास का बखान कर रहे हैं *...(व्यवधान)* वे हमारी संस्कृति की परम्पराओं का उल्लेख कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : वे कई बातों का उल्लेख कर रहे है जिससे वे राष्ट्र को कई सम्प्रदायों में विभाजित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : आप इतने वर्षों से क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खान, आप कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय मैं सभा को विभाजित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस देश की प्राचीन परम्पराओं, स्वामी विवेकानन्द और देश के अन्य महान नेताओं द्वारा प्रतिपादित वास्तविक हिन्दुत्व और उनके द्वारा प्रतिपादित अवास्तविक हिन्दुत्व के बीच विभाजक रेखा खींचने का प्रयास कर रहा हूं *...(व्यवधान)* उनका हिन्दुत्व और कुछ नहीं बल्कि देश की महान परम्पराओं का उपहासमात्र है और मैं इसी बात को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : हम सहिष्णुता के बारे में जानते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद : आप केवल यह जानते हैं कि मस्जिदों को कैसे तोड़ा जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : अल्पसंख्यकों के नाम पर वे इस देश पर राज करना चाहते हैं *...(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों के नाम पर आप कितनी बार आए है *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : माननीय सदस्य, आप ऐसा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री भी हमारे मित्र के इस वक्तव्य से सहमत नहीं होंगे कि 'अल्पसंख्यकों के नाम पर वे इस देश पर शासन करना चाहते हैं?' यह ठीक वक्तव्य नहीं है। हमें ऐसे वक्तव्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें बातों का साधारणीकरण करके अपने लिए समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : महोदय, जहां तक लोकतंत्र की भावना का संबंध है यह अप्रासंगिक है। अच्छा यही होगा कि वह अपने शब्द वापस ले लें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा यदि कुछ भी असंसदीय होगा तो मैं उसे कार्यचवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50 वर्षों के बाद इस सभा को इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ी

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

...*(व्यवधान)* इसलिए आज हम महसूस करते हैं कि लोगों का एक बड़ा वर्ग इसलिए समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि वे ऐसे धर्म को मानते हैं। यह बड़े खेद की बात है। इसलिए मैं सुश्री बनर्जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें भावनाओं को नहीं भड़कानी चाहिए और इस सभा को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आपकी ही तरफ से हो रहा है, हम शांति से सुन रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सुनिए।

[अनुवाद]

वे दुख और वेदना के साथ कह रहे है और हमें इसका आदर करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रावत, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : हम लोग शांति से सुन रहे हैं। गणेश भगवान का नाम लेकर उनका अपमान किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* हम शांति से बैठकर सुन रहे हैं ...*(व्यवधान)* इसलिए कि डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* गणेश भगवान का मजाक उड़ाया गया हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे स्वयं अपना पर्दाफाश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : गणेश जी का अपमान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : सारे हिन्दुओं का अपमान किया है। पूरे देश का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : कानून को बदलने वाले उन विधवाओं की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम शांति से सुन रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम बार-बार सुन रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप गणेश जी का अपमान कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मौका नहीं दिया जा सकता। ...*(व्यवधान)* यह नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* आपने गणेश जी का अपमान किया है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या हमने कभी उनके देवताओं का अपमान किया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहां हिन्दूत्व के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई भी सदस्य अपने भाषण में धर्म की बात न करें। यदि वह उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हमें सभा के समक्ष कुछ और ही विषय रखना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : हमने कभी किसी के देवताओं के खिलाफ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : यह गणेश जी का अपमान कर रहे हैं। यह क्या कोई तमाशा है? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : यह जो बात कर रहे हैं, वह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात है या नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : क्या चोरी करके पैसा खाना ही परम्परा है? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : हिन्दुत्व क्या है, क्या अब यह हमें इनसे सीखना पड़ेगा? ...*(व्यवधान)* आप हमें हिन्दुत्व सिखाएंगे कि हिन्दुत्व क्या है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय सभा के समक्ष जो प्रस्ताव है वह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में है। माननीय सदस्यों को उस विषय पर बोलने दें वे ऐसे मामलों को बीच में क्यों ला रहे हैं जिसका इस विषय से संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : शांत होकर सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : गणेश जी का अपमान किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* क्या तमाशा कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, क्या आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं या फिर कल जारी रखेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : इन लोगों को कुछ सिखाना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनिल बसु, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : हम गणेश जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा। किंतु मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, आपको इसकी अनुमति नहीं है। मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकार दिया है। वह सभा पटल पर पत्र रख रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर विवाद समाधान योजना (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1998

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : महोदय श्री यशवन्त सिंह की ओर से मैं वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर विवाद समाधान योजना (कठिनाइयों

[श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन]

का निवारण) आदेश, 1998, जो 8 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना में प्रकाशित हुआ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-1723/98]

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 8 दिसम्बर, 1998

का.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कर विवाद समाधान स्कीम (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 1998 है।

(2) यह 1 सितम्बर, 1998 से लागू समझा जाएगा।

2. जहां, पदाभिहित प्राधिकारी को, शुल्कों की राशि के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति से संबंधित कर बकाया की बाबत (जिसके अन्तर्गत शुल्क की वापसी राशि, शुल्क का प्रत्यय का शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई राशि सम्मिलित है) उपकरों, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की बाबत, जो 31 मार्च, 1998 को या उससे पूर्व जारी की गई किसी मांग सूचना या किसी हेतुक दर्शित सूचना की विषयवस्तु बनती है, किन्तु असंदत्त रह जाती है, कोई घोषणा कर दी गई है तथा जो किसी घोषणा करने की तारीख को लम्बित अवधारित रह जाती है और जहां उक्त घोषणा में कथित उसी विषय की बाबत किसी अन्य व्यक्ति को कोई हेतुक दर्शित करने की सूचना भी जारी कर दी गई है और घोषणा करने की तारीख को वह लम्बित न्यायनिर्णित है, तब जुर्माना या शास्ति अधिरोपण के लिए कोई सिविल कार्यवाही ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाकर्ता के पक्ष में कोई परिनिर्धारण ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत भी पूर्ण और अन्तिम समझा जाएगा, जिसकी घोषणा के अन्तर्गत आने वाले उसी विषय पर कोई हेतुक दर्शित सूचना जारी की गई थी।

ह०/-
(लता गुलाटी)
अवर सचिव, भारत सरकार

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97 के अन्तर्गत कर विवाद समाधान योजना (कठिनाई निवारण) आदेश, 1998 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय बजट, 1998 के एक भाग के रूप में घोषित कर विवाद समाधान योजना, 1998 के अन्तर्गत लम्बित कारण बताओ नोटिसों के कुछेक श्रेणी के मामलों के समाधान में पेश आ रही कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनमें कुछेक सह-नोटिस प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध मूल नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल होने के लिए उसी मामले में दाण्डिक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है।

योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की धारा 97(1) के उपबन्धों के अनुसार एक कठिनाई निवारण आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि जुर्माना अथवा अर्थदण्ड लगाने के लिए सह-नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ कोई दीवानी कार्यवाही नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में योजना के अन्तर्गत घोषणाकर्ता के हक में किए गए समझौते को उन अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी पूर्ण और अन्तिम माना जाएगा जिनके नाम उसी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां आप अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि कल तक यह चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए। सभी दलों के अनेक सदस्य बोलना चाहते है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया उन्हें आज अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दे। अन्यथा कल समय की कमी रहेगी।

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप अपना भाषण समाप्त करने में कितना समय लेंगे?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय मैं लगभग 40 मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : आप पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कृपया मुझे बोलने का समय दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा किन्तु कृपया मुझे एक अनुरोध करना है *...(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्री आरिफ मोहम्मद खां पहले मुझे अपनी बात कहने दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कल मेरी जान को खतरा हो गया, तो क्या आप जिम्मेदार होंगे। आप पहले मुझे बात कह लेने दीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरी जान को खतरा हो सकता है। आपका क्या तात्पर्य है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998/18 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1998/17 अग्रहायण, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	पंक्ति 11 के बाद	"720 - 722" जोड़िए	
157	कॉलम 5 में	मार्च 86**	मार्च 86 ***
243	नीचे से 4, कॉलम 1 में	।	।।
546	8	गए है, और	गए है ?
661	3 और 9	सभापति महोदय	अध्यक्ष महोदय

पी.एल.एस.–48/6/7/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।